
इकाई -1 उद्यमिता: आवश्यकता, क्षेत्र एवं दर्शन (Entrepreneurship: Need, Scope and Philosophy)

- 1.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 1.2 उद्देश्य (Objectives)
- 1.3 उद्यमिता: अर्थ एवं परिभाषा (Entrepreneurship: Meaning and Definition)
- 1.4 उद्यमिता की अवधारणा (Concept of Entrepreneurship)
- 1.5 उद्यमिता की विशेषताएं (Features of Entrepreneurship)
- 1.6 उद्यमिता की आवश्यकता (The Need for Entrepreneurship)
- 1.7 उद्यमिता के कार्य (Functions of Entrepreneurship)
- 1.8 उद्यमिता का क्षेत्र (Sphere of entrepreneurship)
- 1.9 उद्यमिता के सिद्धान्त (Theories of Entrepreneurship)
- 1.10 उद्यमी: अर्थ एवं परिभाषा (Entrepreneur: Meaning and Definition)
 - 1.10.1 उद्यमी की प्रकृति (Nature of Entrepreneur)
 - 1.10.2 उद्यमी के प्रकार (Types of Entrepreneur)
- 1.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 1.12 सारांश (Summary)
- 1.13 शब्दावली (Glossary)
- 1.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 1.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 1.16 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 1.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

एक उद्यमी द्वारा किये गये कार्य को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त सम्भावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। परन्तु लाभ कमाने के साथ साथ जब व्यवसायी किसी उद्यम को चलाने के लिये नये तरीके से उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करता और साथ में जोखिम उठाता है, ऐसी क्रिया को उद्यमिता कहते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में परम्परागत रूप में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं उन्हें साहसी तथा उद्यमी कहते हैं। आधुनिक अर्थ में उद्यमिता का अर्थ गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक एवं नवप्रवहनकारी योजनाओं एवं विचारों को क्रियान्वित करने की योग्यता है। उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन के साथ साथ परिवर्तन एवं नव प्रवर्तन भी करता है।

1.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

- ✓ उद्यमिता का अर्थ, परिभाषा एवं अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ उद्यमिता की विशेषताएं एवं आवश्यकता को जान सकेंगे।
- ✓ उद्यमिता के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ उद्यमी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार को जान सकेंगे।

1.3 उद्यमिता: अर्थ एवं परिभाषा (Entrepreneurship: Meaning and Definition)

उद्यमिता एक कार्यविधि एवं भावना का समन्वय है। उद्यमिता का प्रयोग प्रचीनकाल से होता रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता विचार का प्रारम्भ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। उद्यमिता मात्र जीविकोपार्जन की कार्यप्रणाली ही नहीं बल्कि कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की प्रभावी तकनीक भी है। राष्ट्र का आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास उद्यमिता का ही परिणाम हाता है।

आधुनिक युग में औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिये उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमिता नये-नये अविष्कारों एवं नवप्रवर्तन को जन्म देता है। उद्यमी प्रवृत्तियों के कारण ही अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी आदि ने स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है।

उद्यमिता एक विज्ञान, व्यवहार, अवसर के साथ साथ एक कर्मदृष्टि एवं दृष्टिकोण भी है। आर्थिक व्यवस्था एवं विकास के परिवर्तन स्तर के अनुसार उद्यमिता के अर्थ में परिवर्तन हुआ है।

उद्यमिता की परिभाषाएँ (Definitions of Entrepreneurship)

उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के साथ-साथ नवप्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता भी है। अतः कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

1. जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार (Joseph Schumpeter)- “उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है।”

2. पीटर एफ ड्रकर के अनुसार (Peter F Drucker)- “व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है।”

3. प्रो० राव एवं मेहता के शब्दों में (Prof Rao and Mehta)- “उद्यमिता वातावरण का वृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है।”

4. एच० डब्ल्यू० जॉनसन के अनुसार (H.W. Johnson)- “उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है- अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन।”

5. रॉबर्ट लैम्ब (Robert Lamb) के शब्दों में – “उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप है जो आर्थिक नवप्रवर्तकों द्वारा सम्पादित किया जाता है।”

1.4 उद्यमिता की अवधारणा (Concept of Entrepreneurship)

विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता के आशय के अलग-अलग विचार प्रतिपादित किये हैं। प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं-

1. जोखिम अवधारणा (Risk Concept)- इस अवधारणा के अन्तर्गत जोखिम वहन करने वाले को ही उद्यमी माना गया है। और जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध सफलता प्रदान करने की शक्ति ही उद्यमिता की जोखिक अवधारणा है।

प्रो.नाइट (Prof. Knight) ने जोखिम को दो भागों में विभाजित किया है-

A. सामान्य जोखिम (Normal Risk)

B. अनिश्चित जोखिम (Uncertain Risk)

2. संगठन एवं समन्वय की अवधारणा (Concept of Organisation and Co-ordination)- इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी को संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन कर नई उपयोगी वस्तु अथवा सेवा का सृजन करता है।

प्रो. जे. बी. से (Prof. J.B. Say) ने कहा है "उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है।"

3. प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा (The Concept of Managerial Skills)- प्रो. जे. एस. मिल ने उद्यमिता को निरीक्षण नियन्त्रण एवं निर्देशन की योग्यता माना है उद्यमिता की प्रबंधकीय अवधारणा के अनुसार उद्यमी को प्रबंधकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से सम्पादन करना पड़ता है।

4. नवप्रवर्तन अवधारणा (Innovation Concept)- नवप्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में शुम्पीटर द्वारा किया गया। उन्होंने उद्यमिता को नवप्रवर्तनशील घटक माना। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमिता की नवप्रवर्तन अवधारणा का स्वरूप दिखायी देता है। क्योंकि विकास नवीन परिवर्तनों, सुधारों पर निर्भर करता है।

5. मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा (Concept of Psychological Motivation)- मैक्लीलेण्ड ने उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना है। इस अवधारणा के अनुसार उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना ही उद्यमिता है।

1.5 उद्यमिता की विशेषताएं (Features of Entrepreneurship)

उद्यमिता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. जोखिम वहन करना (Risk taking)- उद्यमिता की आधारशीला जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करते हुये सफलता पाना है। संसाधनों को प्रबन्धित एवं व्यवस्थित ढंग से विनियोजित करना उद्यमी का कार्य होता है जिससे उद्यमिता जोखिमपूर्ण नहीं रह जाती है।

2. नवप्रवर्तन (Innovation)- नवप्रवर्तनकारी कार्य उद्यमिता है। नये विचारों, तकनीकों का सृजन करना उद्यमिता है। व्यवसाय में नई खोज, ये यन्त्र एवं नई प्रबंध व्यवस्था से उद्यमी सफलता प्राप्त करता है।

3. रचनात्मक क्रिया (Creative action)- उद्यमिता, उद्यमी को नये-नये विचारों को क्रियान्वित करने के लिये प्रेरित करता है तथा कार्य में गुणवत्ता भी बढ़ती है जिससे व्यवसायिक विकास होता है।

4. ज्ञान पर आधारित व्यवहार (Knowledge Based Practice)- ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमी के गुण आते हैं और वह अपने अनुभव तथा ज्ञान से उच्च उपलब्धियां प्राप्त करता है।

5. व्यवसाय अभिमुखी (Business Oriented)- उद्यमिता में व्यवसाय करने की प्रवृत्ति निहित रहती है यह उद्यमी को नय उद्योग प्रारम्भ करने की प्रेरणा देता है।

6. उद्यमिता सिद्धान्तों पर आधारित है (Entrepreneurship is Based on Principles)- उद्यमिता निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित है। इसके लिये अर्थशास्त्र, कानून, सामाजिक शास्त्र एवं सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक है।
7. प्रबन्ध उद्यमिता का माध्यम है (Management is the Medium of Entrepreneurship)- हर व्यवसायिक उपक्रम में निर्णयों एवं योजनाओं को क्रियान्वयन का माध्यम प्रबन्ध है। सुव्यवस्थित प्रबन्ध से साहसी व्यवसाय में नये नये परिवर्तन लाता है।

1.6 उद्यमिता की आवश्यकता (The Need for Entrepreneurship)

1. सफल इकाइयों की स्थापना (Establishment of Successful Units)- उद्यमिता से व्यवसायिक इकाइयों को लाभप्रद एवं कुशल बनाया जा सकता है।
2. नवाचारों को प्रोत्साहन (Encouraging Innovation)- उद्यमिता के कारण ही व्यवसायिक नवप्रवर्तन होते हैं। जिसके फलस्वरूप औद्योगिक एवं आर्थिक विकास होता है।
3. तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth)- उद्यमिता से व्यक्ति में उद्यमी की भावना का विकास होता है जिससे उद्यमी व्यवसायिक अवसरों की खोज करते हैं। और संसाधनों का दाहन करते हैं जिससे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है।
4. रोजगार के अवसर (Employment opportunities)- उद्यमिता के विकास से देश में नये उद्योग स्थापित होते हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार होता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।
5. सन्तुलित विकास (Balanced development)- उद्यमी पिछड़े प्रान्तों में उद्योग स्थापित करके न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं अपितु आर्थिक असमानताओं को भी कम करते हैं।
6. नवीन बाजारों की खोज एवं विकास (Discovery and Development of New Markets)- उद्यमिता नवीन बाजारों की खोज एवं उनका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नये शिक्षित एवं प्रशिक्षित उद्यमी नये नये बाजारों को खोजते हैं।
7. राजकीय नीतियों का क्रियान्वयन (Implementation of Government Policies)- उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
8. पूँजी निर्माण (Capital Formation)- उद्यमिता देश की बचतों को एकत्र करके उसको विनियोग करती है जिससे पूँजी का निर्माण होता है।

1.7 उद्यमिता के कार्य (Functions of Entrepreneurship)

किसी देश की तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के लिये उद्यमिता के कार्य अतिमहत्वपूर्ण है। उद्यमिता द्वारा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे समाज को नयी-नयी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्यमिता समाज के लोगो में नये-नये प्रयोग एवं अनुसंधान करने तथा उपयोगिताओं का सृजन करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि को करने का कार्य करता है। जिससे समाज के लोगो में प्रगति की नयी आकांक्षाएं जागृत होती हैं। इस प्रकार उद्यमिता का कार्य केवल जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि समाज के लोगो में नई-नई इच्छाओं, मांगों तथा उपयोग की अभिलाषा उत्पन्न करके उद्यमियों को उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। उद्यमिता के कार्यों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है।

1. जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना (Increasing Risk-Taking Ability)- उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करता है। जिससे अनिश्चितताओं का सामना सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तथा नये-नये उपक्रमों की स्थापना करने तथा उनके संचालन में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों का भी सामना करने में सक्षम होता है। उद्यमिता उद्यमियों को नई चुनौतियाँ स्वीकार करने

के लिये प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है। जिससे समाज में उद्योग धन्धों की स्थापना में वृद्धि होती है और लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार उद्यमिता उद्यमी के व्यवसाय के संचालन एवं क्रियान्वयन में आने वाले विभिन्न जोखिमों जैसे- बाजार दशाएं, प्रतियोगिता, तकनीकी तथा ग्राहक के रुचियों सरकारी नीतियों, नवाचार इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के सहन करने की क्षमता में वृद्धि करना, उद्यमिता का प्रमुख कार्य होता है।

2. **संगठन एवं समन्वय सम्बन्धी कार्य (Organization and Coordination Related Work)-** उद्यमिता साहसियों में संगठन एवं समन्वय सम्बन्धी गुणों के विकास करने का कार्य करता है। जिससे उद्यमी उत्पादन के सभी साधनों जैसे- भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन में समन्वय स्थापित करके समाज के लिये उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा समाज के अप्रयुक्त साधनों का निर्माण करके उत्पादक कार्यों में लगाना तथा नये नये वैज्ञानिक अविष्कारों का उपयोग करे नये नये वस्तुओं का निर्माण करना एवं श्रम शक्ति को गतिशील बनाना उद्यमी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार उद्यमी समाज में उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता होता है और उद्यमिता एक आकर्षक घटक है जो उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है।
3. **नेतृत्व एवं प्रबन्धकीय कौशल सम्बन्धी कार्य करना (Working on Leadership and Managerial Skills)-** उद्यमिता उद्यमियों को जोखिम उठाने की समझ विकसित करने में मदद करती है। जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ यह उद्यमियों में नवाचार और नेतृत्व कौशल विकसित करने में भी मदद करती है। जिससे उद्यमियों में नेतृत्व की योग्यता विकसित होने पर ही वह नये-नये सृजनात्मक व नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य जैसे नवीन अवसर, नवीन वस्तु का पता लगाना, नये उत्पादन विधियों, नये बाजार एवं वितरण तथा नई तकनीक एवं नये कच्चे माल, नये स्रोत का सृजन करना तथा इनका आर्थिक विकास करने के लिये उनपर नेतृत्व प्रदान करना है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में प्रबन्धकीय कौशल एवं बुद्धिमत्ता को भी विकसित करता है जिससे उद्यमी व्यवसाय के संचालन में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में नेतृत्व एवं नवप्रवर्तनकारी गुणों का विकास करने का कार्य करता है जिससे उद्यमी व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त करता है। तथा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनकारी विचारों को गतिशीलता का वातावरण के समायोजन करने का कार्य करता है।
4. **नवप्रवर्तनकारी योग्यता का विकास करना (Developing Innovative Abilities)-** उद्यमिता साहसियों में नवप्रवर्तनकारी योग्यता को विकसित करने का कार्य करता है जिससे समाज में नये नये कार्यों का सृजन होता है और समाज को नवीन वस्तुओं का प्राप्त होना है और व्यवसाय में किये गये परिवर्तनों, नवीन सुधारों, नवीन तकनीक का प्रयोग, नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा उनमें होने वाले नवाचारों के कारण ही आर्थिक विकास की गति तेज होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी आर्थिक नेतृत्व प्रदान करे व्यवसायिक वातावरण में एक सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। उद्यमिता आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक मुख्य उत्प्रेरक है। इस प्रकार उद्यमिता व्यवसायिक वातावरण में चिन्तन एवं सृजनात्मकता को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करती है जिससे व्यवसाय में नवीन तकनीकी का विकास साहसियों द्वारा किया जाता है जिसके लिये वह शोध और अनुसंधान का कार्य करते हैं और विक्रय तथा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं तथा नये बाजार के अवसरों का पता लगाते हैं।
5. **साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करना (Developing Adventurous Tendencies)-** उद्यमिता साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिससे समाज में साहसिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है और लोग आलस तथा अकर्मण्यता को त्याग कर स्वतंत्र जीवन जीने तथा आत्म निर्भर बनने एवं कुछ बनाने तथा निर्माण करने के लिये प्रेरित एवं अग्रसर होने लगते हैं तथा उनके सुखी एवं समृद्धि तथा सम्पन्न जीवन जीने के लिये लालायित होने लगते हैं। इस प्रकार उद्यमिता समाज के लोगों में एक रचनात्मक कार्यों को करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है जिससे समाज में उद्यमियों की संख्या में

वृद्धि होती है वे नये उपक्रमों तथा व्यवसाय की स्थापना करने लगते हैं। समाज के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उनके आय एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है।

6. उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करना (Creation of Utility and Economic Value)-

उद्यमिता उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करने का कार्य करती है। साधन हो कच्चा माल या सामग्री के रूप में होती है। उद्यमिता उन सामग्री या कच्चे माल का रूप बदलकर उसके गुणों में परिवर्तन करे अथवा उसे नवीन वस्तुओं में निर्मित करके उसे संसाधन में बदल लेती है। जिससे उसके मूल्य का सृजन होता है या उसकी कोई कीमत उत्पन्न होती है और उसके मांग में भी सृजन होता है। इसकी उपयोगिता में वृद्धि होने लगती है जैसे- जंगल में पड़ी लकड़ी को कोई मूल्य या उपयोगिता नहीं होती लेकिन उसे जंगल से लाकर फर्नीचर या इमारती लकड़ियों में परिवर्तन कर दिया जाता है जो उसकी उपयोगिता और कीमत तथा मांग का सृजन उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार उद्यमिता आर्थिक मूल्यों तथा उपयोगिता एवं धन सृजन की क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम है।

7. लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना (Identifying Profitable Business Opportunities)-

उद्यमिता लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों की क्षमता की पहचान करके उद्यमियों में एक प्रक्रिया विकसित करता है जो उद्यमी को लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों की पहचान करने में सहयोग प्रदान करता है। जिससे उद्यमी उन व्यवसायिक अवसरों को विदोहन करके लाभ प्राप्त करता है तथा लाभ प्राप्त करने के लिये व्यवसाय में आने वाली अनिश्चिताओं व जोखिमों को सहन करता है। लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों का पता लगाकर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करता है। इस प्रकार उद्यमी के समक्ष अनेक व्यवसायिक अवसर होते हैं जिनमें से उद्यमी लाभप्रद विचारों की खोज करता है जैसे- नवीन प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना तथा उसके व्यवसायिक उपयोग के संदर्भ में विचार करना है। इस प्रकार उद्यमी उन व्यवसायिक अवसरों के आधार पर अपने व्यवसाय को प्रारम्भ करता है।

8. नवीन उपक्रमों की स्थापना सम्बन्धी कार्य करना (Working on Setting up New Ventures)-

नवीन उपक्रमों की स्थापना में उद्यमी व्यवसायिक अवसरों की पहचान करता है फिर उसके बाद उद्यमी उन विचारों की जांच पडताल करके उसकी व्यवहारिकता का पता लगाता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। विचारों की व्यवहारिकता का पता लगाने में उद्यमी सरकारी नीति सम्बन्धी बातों तथा साधनों की उपलब्धता तथा योग्यता एवं कौशल प्रबन्धकीय सेवायें, उत्पादन तथा वितरण एवं लागत-लाभ मांग तथा प्रतिस्पर्धा की मात्रा का मूल्यांकन करता है तथा परियोजना नियोजन में निम्न बातों उत्पाद, नियोजन, लागत नियोजन, वित्तीय नियोजन तथा वितरण एवं विपणन सम्बन्धी बातों पर निर्णय लेता है तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, परियोजना का अनुमोदन करना इत्यादि कार्य उद्यमी को करना पड़ता है फिर इसके बाद उपक्रम के स्थापना सम्बन्धी निर्णय लिये जाते हैं।

9. संचालन एवं विपणन सम्बन्धी कार्य करना (Perform operations and marketing functions)-

उद्यमिता व्यवसाय के संचालन एवं विपणन सम्बन्धी कौशल एवं चातुर्य (intelligence) के द्वारा एक उद्यमी व्यवसाय के सभी क्रियाओं जैसे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कार्य सौंपना तथा निर्देश देना, नीतियों का निर्माण करना तथा उसका क्रियान्वयन करना, आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना उत्पादन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना जिससे व्यवसाय के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके एवं विपणन सम्बन्धी कार्य जैसे उपभोगताओं का पता लगाना उसके अनुरूप उत्पादन करना, मूल्य का निर्धारण करना, प्रतियोगिता का सामना करना, उत्पाद का वितरण सम्बन्धी माध्यमों का चुनाव करना, उपभोगता को संतुष्टि प्रदान करना इत्यादि कार्य एक उद्यमी को करना पड़ता है।

10. आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना (Solving Economic and Social Problems)-

उद्यमिता आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का भी कार्य करता है। उद्यमिता विकास के द्वारा समाज में व्यवसायिक प्रवृत्तियों का उदय होता है जिससे समाज में नये नये उद्योग-धन्धों की स्थापना होती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। प्राकृतिक सम्पदा का सर्वोत्तम उपयोग होना लगता है जिससे

समाज के लोगों में आय, बचत एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तथा सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर तथा सामाजिक अपराध पर नियंत्रण स्थापित होता है इसी प्रकार पिछड़े स्रोतों में उद्यमों की स्थापना करके क्षेत्रीय विषमताओं और आर्थिक असंतुलन को दूर करने में भी उद्यमिता अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

11. **समाज को आत्मनिर्भर बनाना (Making The Society Self-Reliant)-** समाज को आत्मनिर्भर बनाने में उद्यमिता महत्वपूर्ण कार्य करता है। उद्यमिता समाज में साहस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। जिससे उद्यमियों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और इस प्रकार आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में होने से आयात पर नियंत्रण स्थापित होगा तथा उत्पादन अधिक होने पर वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी ताकि उद्योग धन्धों को अधिक मात्रा में स्थापित कर रोजगार में वृद्धि तथा आय व बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है और समाज आत्मनिर्भर बनता है।
12. **देश में उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन करना (To Encourage Industries in the Country)-** उद्यमिता समाज के लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि कर उनको नये नये उद्योग धन्धों के लिये प्रोत्साहित करता है जिससे देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है तथा साहस लोगों के चिन्तन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है जिससे समाज उद्यमशीलता के नय वातावरण में प्रवेश होता है। इस प्रकार समाज में नये उद्योग धन्धे विकसित होने लगते हैं। फलस्वरूप देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है।

1.8 उद्यमिता का क्षेत्र (Sphere of entrepreneurship)

एच. एन. पाठक (H. N. Pathak) के अनुसार "उद्यमिता के क्षेत्र को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है जिनके सम्बन्ध में उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं पहला व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना दूसरा औद्योगिक इकाई का संगठन करना तथा तीसरा औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना।"

1. **व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना (Be Aware of Business Opportunities)-** इसमें व्यवसायिक अवसरों को पता लगाना एवं इसके व्यवहारिकता का मूल्यांकन करना उद्यमिता के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। व्यवसायिक अवसरों के ज्ञान के अन्तर्गत अनेक विचार उत्पन्न होते हैं जैसे-वैज्ञानिक अविष्कारों का व्यवसायिक उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करना, किसी पदार्थ का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, वर्तमान वस्तुओं में तकनीकी सुधार करके वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना, उत्पाद के नियम, उत्पाद के किस्म, रूप, रंग, डिजाइन, किस्म, पैकिंग में परिवर्तन कर उसे अधिक आकर्षक एवं आधुनिक बनाना इत्यादि इसके बाद इन विचारों के लाभदायकता एवं व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाता है जो विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाता है जैसे स्वामित्व योग्य सम्बन्धी बातें, उपक्रम के क्रियान्वित करने में प्रारम्भिक लागत, विपणन लागत, सम्भावित बाजार, विकास लागत, सरकारी नीति, उच्च सकल मार्जिन, विकासशील उद्योग, प्रारम्भिक ग्राहक तथा समविच्छेद बिन्दु के लिये आवश्यक समय आदि का गहन विश्लेषण किया जाता है जो उद्यमिता के क्षेत्र में व्यवसायिक अवसरों के ज्ञान के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।
2. **औद्योगिक इकाई का संगठन करना (Organizing an Industrial Unit)-** औद्योगिक इकाई के संगठन के अन्तर्गत उपक्रम के संसाधनों को विकसित करना, नये विचारों को समन्वित करना, उत्पादों के साधनों को संगठित करना, उनके सम्बन्ध स्थापित करना, संगठन संरचना तैयार करना, उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करना, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कार्य का वितरण करना, उनको कार्य सौंपना, अधिकार प्रदान करना, कर्मचारियों में टीम भावना जागृत करना, उपक्रम के विभिन्न नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हीं के अनुसार नियोजन करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, उनको संतुष्ट रखना,

संगठन निष्ठा को बनाये रखना तथा उपक्रम व बाह्य वातावरण में उचित सामंजस्य बनाये रखना, पूर्तिकर्ताओं में मधुर सम्बन्ध बनाये रखना इत्यादि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।

3. औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना (To Run The Industrial

Unit as a Profitable and Dynamic Organization)- औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिये जो क्रियाएं की जाती है वे सब उद्यमिता के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। वे इस प्रकार है लाभप्रद अवसरों की खोज करना, आर्थिक मूल्यों का सृजन करना, मांग व उपयोगिता में वृद्धि करना, नवीन वस्तुओं का सृजन करना, उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन एवं सुधार करना, नई-नई आवश्यकताओं का सृजन एवं संतुष्टि प्रदान करना, संसाधनों को उत्पादक बनाना, व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करना, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेना, नये-नये तकनीकी यंत्रों तथा नये प्रबन्ध व्यवस्था को अपनाना, नई-नई सेवाओं से उपभोक्ता को संतुष्ट करना, कच्चे माल के नये स्रोतों का पता लगाना, उत्पादन साधनों को नवीन संयोजन करना, उद्योग का नया संगठन प्रारूप तैयार करना, उपक्रम में निहित जोखिमों व अनिश्चितताओं का उचित प्रबन्ध करना इत्यादि।

औद्योगिक इकाई में नवप्रवर्तनों के द्वारा लाभों में वृद्धि करने को शुम्पीटर ने पांच रूप बताते है जो निम्न हैं।

1. नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना।
2. उत्पादन के नयी विधियों एवं प्रपालियों को अपनाना।
3. नये बाजार क्षेत्र का पता लगाना।
4. कच्चे माल एवं अद्धनिर्मित माल के नये नये स्रोतों का पता लगाना
5. उद्योग का नय संगठन प्रारूप बनाना।

इस प्रकार एक उद्यमी इन क्रियाओं के द्वारा आर्थिक मूल्यों एवं उपयोगिता में सृजन करके व्यवसाय को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिये नेतृत्व प्रदान करता है।

1.9 उद्यमिता के सिद्धान्त (Theories of Entrepreneurship)

विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर उद्यमिता के विभिन्न सिद्धान्तों अथवा विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है।

1. **आर्थिक सिद्धान्त (Economic theory)-** अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता एवं आर्थिक विकास उन परिस्थितियों में होता है जबकि विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियाँ अथवा अवसर उनके लिये सार्वधिक अनुकूल हों। उद्यमिता के आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार उद्यमी ऐसी अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को अधिकतम उपयोग करने के लिये ही व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करता है।
2. **समाजशास्त्रीय सिद्धान्त (Sociological theory)-** समाजशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता का उद्भव विशिष्ट सामाजिक संस्कृति में होता है। समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक अनुमोदन, सांस्कृतिक मूल्य, परम्परायें, समूह गत्यात्मकता आदि उद्यमिता के उद्भव एवं विकास के लिये उत्तरदायी हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के प्रतिपादन में थामस कोक्रेन, मैक्स वेबर, पीटर, बर्ट एफ हासीजिल, फ्रैंक डब्ल्यू एवरेट, ई हेग, रेण्डल जी स्टोक्स आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3. **मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Psychological theory)-** इस विचारधारा अथवा सिद्धान्त के अनुसार उद्यमिता का विकास के लिये मनोवैज्ञानिक घटक उत्तरदायी है। जब समाज में पर्याप्त मात्रा में मनोवैज्ञानिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों की पूर्ति होती है जब उद्यमिता के विकास होने के अधिक अवसर रहते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अन्तर्गत शुम्पीटर, मैक्लीलैण्ड, एवरेट ई हेगेन, जॉन कुनकेल, पीटर एफ ड्रकर आदि अर्थशास्त्री आते हैं।
4. **एकीकृत सिद्धान्त (Integrated theory)-** उद्यमिता के विकास की एकीकृत विचारधाराएँ कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों पर आधारित हैं।

1.10 उद्यमी: अर्थ एवं परिभाषा (Entrepreneur: Meaning and Definition)

उद्यमी शब्द का उद्गम फ्रेंच शब्द एण्ट्रीपण्डी से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ नये व्यवसाय के जोखिम को वहन करना है। सामान्यतः उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो नया उपक्रम स्थापित करता है, आवश्यक संसाधनों को जुटाता है, व्यवसायिक क्रियाओं का प्रबन्ध व नियंत्रण करता है, व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों को वहन करता है एवं व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करके लाभ अर्जित करते हुये समाज को अधिकतम लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करता है। उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। उद्यमी स्वयं पूंजी का निर्माण करता है।

उद्यमी की परिभाषाएँ (Definitions of Entrepreneur)-

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार उद्यमी की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

1. परम्परागत अर्थव्यवस्था में

2. विकासशील अर्थव्यवस्था में

3. विकसित अर्थव्यवस्था में

1. परम्परागत अर्थव्यवस्था में (In Traditional Economy)- उद्यमी को जोखिम वहनकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है।

जे. बी. से (J. B. say) के अनुसार, "उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ कक्षों से उच्च क्षत्रों की आर हस्तान्तरित करता है।"

एफ. वी. हेने (F.V. Hayne) के अनुसार, "उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साध नहीं उद्यमी है।"

2. विकासशील अर्थव्यवस्था में (In Developing Economy)- भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में उद्यमी को एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता एवं समन्वयकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में उद्यमी की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

अल्फ्रेड मार्शल (Alfred Marshall) के अनुसार, "उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है। किसी कार्य के लिये आवश्यक पूँजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी-छोटी बातों का निरीक्षण करता है।"

वालरस (Walrus) के अनुसार, "उद्यमी वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यवसायियों से कच्चा माल, भूमिपतियों से भूमि, श्रमिकों से अभिरूचियों, पूंजीपति से पूंजीगत माल खरीदता है तथा इनकी सेवाओं से निर्मित वस्तुओं को बेचता है।"

3. विकसित अर्थव्यवस्था में (In Developed Economies)-विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यन्त विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती हैं, व्यवसायिक जटिलताएं बढ़ जाती हैं, व्यवसाय बढ़ जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा नवाचार, प्रवर्तन एवं तकनीकों का विकास होता है। इस अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिभाषाएं हैं-

जोसेफ ए शुम्पीटर (Joseph A. Schumpeter) के अनुसार, "उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है तथा किसी नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नये कच्चे माल, नये बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नये संयोजन को अपनाते हुये अवसर का लाभ उठाता है।"

पीटर एफ ड्रकर (Peter F. Drucker) के अनुसार, "उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तन की खोज करता है उसपर प्रक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में लाभ उठाता है।"

1.10.1 उद्यमी की प्रकृति (Nature of Entrepreneur)

1. व्यक्तियों का समूह (Group of people)- उद्यमी व्यक्तियों का समूह होता है। छोटे उपक्रमों में एकाकी व्यक्ति ही उद्यमी की भूमिका निभाता है। किन्तु वर्तमान समय में व्यवसायिक उपक्रम की स्थापना बड़े स्तर पर की जाने लगी है।

2. **जोखिम वहनकर्ता (Risk Bearer)**- उद्यमी सदैव जोखिम लेना पसन्द करता है। उद्यमी अपने निर्णयों व योजनाओं से जोखिमों का सामना करता है और व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर अधिक लाभ अथवा हानि की सम्भावना रहती है।
3. **साधन प्रदान करने वाला (Resource Provider)**- उद्यमी व्यवसाय के लिये उत्पादन के साधनों को व्यवस्थित करता है और तत्पश्चात व्यवसाय में आवश्यक सूचनायें, तकनीक व तथ्य उपलब्ध कराता है।
4. **नये उपक्रम की स्थापना (Establishment of New Venture)**- विकसित देशों में भी उद्यमी नये नये उपक्रमों की स्थापना करता है तथा आर्थिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का विकास करता है।
5. **नवप्रवर्तनकारी (Innovator)**- किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये उद्यमी को ही नवप्रवर्तक माना जाता है। वह नये नये तकनीकों को खोजता है तथा उसके अनुसार बाजारों की भी खोज करता है।
6. **स्वतन्त्रता प्रेमी (Freedom lover)**- उद्यमी के भीतर स्वतन्त्र प्रकृति होने के कारण स्वतन्त्रता के साथ जीवन व्यतीत करना पसन्द करते हैं। वे प्रत्येक कार्य को अपने ढंग से करना ज्यादा पसन्द करते हैं।
7. **अवसरों का विदोहन (Exploiter of Opportunities)**- उद्यमी सदैव अवसरवादी होते हैं, वे व्यवसायिक अवसरों की खोज करते हैं और अधिकाधिक लाभार्जन करते हैं।

1.10.2 उद्यमी के प्रकार (Types of Entrepreneur)

1. नवप्रवर्तन योग्यता के आधार पर	2. विकास की गति के आधार पर	3. क्रियाओं के आधार पर	4. सामाजिक लाभ की दृष्टि से
नवप्रवर्तक उद्यमी	मूल प्रवर्तक	एकल स्वनियुक्त उद्यमी	शोषक उद्यमी
अनुकरणीय उद्यमी	प्रबन्धक	कार्यशक्ति निर्माता	आदर्श उद्यमी
सावधान उद्यमी	लघु प्रवर्तक	उत्पादक नवप्रवर्तक	
आलसी उद्यमी	प्रारम्भक	प्रारूप प्रवर्धक	
	अनुसंगी	अप्रयुक्त संसाधन विदोहक	

A. नवप्रवर्तक योग्यता के आधार पर (Based on innovative ability)

1. **नवप्रवर्तक उद्यमी (Innovative Entrepreneur)**- यह उद्यमी वह होता है जो व्यवसाय में कोई नवीन परिवर्तन करता रहता है। इन उद्यमियों में रचनात्मकता होती है। ये नये नये उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तथा ये समाज में क्रान्तिकारी व नवीन परिवर्तन लाते हैं।
2. **अनुकरणीय उद्यमी (Exemplary Entrepreneur)**- अनुकरणीय उद्यमी वे होते हैं जो उद्यमी नवप्रवर्तक उद्यमियों द्वारा आरम्भ किये गये सफल प्रयोगों को उद्योग में अपना लेता है वे नकलची उद्यमी भी कहलाते हैं। ये नवप्रवर्तन के जोखिम से बच जाते हैं।

3. सावधान उद्यमी (Cautious entrepreneurs)- ये उद्यमी सफल उद्यमियों की नकल करने में अत्यन्त सावधान रहता है। यह किसी भी प्रकार की जोखिम लेना पसन्द नहीं करता जब तक उद्यमी की सफलता पर विश्वास नहीं हो जाता है।

4. आलसी उद्यमी (Lazy Entrepreneur)- इन उद्यमियों को नवकरणों की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। यह पूर्णतया नवाचारों को प्रति उदासीन होते हैं और ये आरामदायक जीवन चाहता है तथा किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं पसन्द करता है। इनका व्यवसाय दीर्घजीवी नहीं होता है।

B. विकास की गति के आधार पर (Depending on the Pace of Development)

1. मूल प्रवर्तक (The Original Initiator)- यह उद्यमी विकास की प्रक्रियाओं एवं कार्यों को प्रभावी ढंग से गतिमान बनाता है और व्यवसाय को सदैव विकसित करने पर बल देता है।

2. प्रबन्धक (Manager)- प्रबन्धक उद्यमी कुशल प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के द्वारा उपक्रम का सफल संचालन करता रहता है किन्तु वह उपक्रम के विकास हेतु कोई नीतियाँ नहीं बनाता है। इनका कौशल क्षेत्र सिर्फ प्रबन्ध होता है।

3. लघु नवप्रवर्तक (Small Innovators)- ऐसे उद्यमी अल्प मात्रा में नव प्रवर्तक का कार्य करके आर्थिक विकास की गति को बल प्रदान करते हैं। ये उद्यमी समाज के संसाधनों को श्रेष्ठ उपयोग करते हैं।

4. प्रारम्भक (Beginners)- प्रारम्भक उद्यमी नवप्रवर्तन की फैलाव प्रक्रिया में भाग लेकर विकास को गति प्रदान करता है। वह स्वयं नवप्रवर्तन की कल्पना नहीं करता है।

5. अनुषंगी (Ancillary)- प्रारम्भ में अनुषंगी उद्यमी पूर्तिकर्ता की तरह कार्य करता है परन्तु धीरे धीरे वह उद्योग का स्वतन्त्र संचालन करने लगता है।

C. विभिन्न क्रियाओं के आधार पर (Based on Different Activities)

कार्ल वेस्पर (Carl Vesper) ने उद्यमियों के निम्नलिखित प्रकार बताये हैं-

1. एकल स्वनियुक्त उद्यमी (Single Self-Employed Entrepreneur)- ये उद्यमी स्वतन्त्र एवं स्वनियुक्त अपना कार्य करते हैं जैसे-चिकित्सक।

2. कार्यशक्ति निर्माता (Workforce Creator)- ये उद्यमी वे होते हैं जो स्वतन्त्र रूप से कम्प्यूटर, एयरलाइंस, अभियांत्रिकी सेवा फर्मों का निर्माण एवं संचालन करते हैं।

3. उत्पादक नवप्रवर्तक (Productive Innovator)- ये उद्यमी नये नये उत्पादों की डिजाइन तैयार करते हैं तथा इसका उत्पादन करके बाजार में लाते हैं।

4. अप्रयुक्त संसाधन विदोहक (Untapped Resource Exploiter)- ये उद्यमी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करके उनको उत्पादन कार्य में उपलब्ध कराते हैं।

5. प्रारूप प्रवर्धक (Typist Promoter)- ये उद्यमी उत्पादन के विभिन्न सूत्रों का विदोहन करके वस्तुओं के प्रारूप में वृद्धि करते हैं।

D. सामाजिक लाभ की दृष्टि से (From the View Point of Social Benefit)

1. शोषक उद्यमी (Exploitative Entrepreneur)- ये उद्यमी केवल स्वयं के हित में कार्य करता है तथा अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला होता है। ये बहुत स्वकेन्द्रित होते हैं तथा सामाजिक हितों के प्रति उपेक्षित होते हैं।

2. आदर्श उद्यमी (Ideal Entrepreneur)- ये उद्यमी लाभ के साथ समाज के उत्तरदायित्वों को भी पूर्ण करते हैं तथा नवप्रवर्तन, उत्पाद विविधिकरण आदि पर विशेष ध्यान देते हैं। इनका प्रथम उद्देश्य सामाजिक सन्तुष्टि होती है। सामाजिक नवप्रवर्तन इनका मुख्य कार्य होता है।

1.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. नवप्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन किस ने किया था (मैक्लीलेण्ड या जोसेफ ए. शुम्पीटर)
2. मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा के अनुसार, उद्यमिता का प्रमुख उद्देश्य है (नवाचार करना या उच्च उपलब्धियाँ प्राप्त करना)
3. उद्यमिता में वह कार्य है जिसमें नए विचारों, तकनीकों का सृजन किया जाता है। (नवप्रवर्तन या निरीक्षण)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन चुनिये-

1. उद्यमिता का कार्य नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना है, जिससे समाज में नई-नई वस्तुएं और सेवाएं सृजित होती हैं।
2. उद्यमिता द्वारा औद्योगिक और आर्थिक विकास के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

1.12 सारांश (Summary)

उद्यमी द्वारा किये गये कार्य को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त सम्भावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। आर्थिक क्षेत्र में परम्परागत रूप में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। किसी देश की तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के लिये उद्यमिता के कार्य अतिमहत्वपूर्ण हैं। उद्यमिता द्वारा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है जिसे समाज को नयी-नयी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्यमिता समाज के लोगो में नये नये प्रयोग एवं अनुसंधान करने तथा उपयोगिताओं का सृजन करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि को करने का कार्य करता है। उद्यमिता के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है जिनके सम्बन्ध में उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं **पहला** व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना **दूसरा** औद्योगिक इकाई का संगठन करना **तीसरा** औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना।

सामान्यतः उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो नया उपक्रम स्थापित करता है, आवश्यक संसाधनों को जुटाता है, व्यवसायिक क्रियाओं का प्रबन्ध व नियंत्रण करता है, व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों को वहन करता है एवं व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करके लाभ अर्जित करते हुये समाज को अधिकतम लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करता है। उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। उद्यमी स्वयं पूंजी का निर्माण करता है।

1.13 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता (Entrepreneurship):** व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के साथ-साथ नवप्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता उद्यमिता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है।

1.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. जोसेफ ए. शुम्पीटर
2. उच्च उपलब्धियाँ प्राप्त करना
3. नवप्रवर्तन

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य
2. सत्य

1.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1.16 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस - वी. के. मिश्र एवं पुरी।
 2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस - जोशी एवं गुप्ता।
 3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
 4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था – नवलखा, माधुर।
-

1.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमिता से क्या आशय है? उद्यमिता की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइये।
2. उद्यमिता क्या है? इसका क्षेत्र एवं कार्यो की विस्तृत व्याख्या कीजिये।
3. उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। इसके महत्व की विवेचना कीजिये।
4. "उद्यमिता जोखिम उठाने तथा नवाचार योग्यता के साथ साथ व्यूहरचनात्मक लाभ प्राप्त करने की याग्यता है" इस कथन को स्पष्ट कीजिये तथा उद्यमिता के महत्व की विवेचना कीजिये।

इकाई-2 उद्यमी के गुण एवं प्रकार (Traits and Types of Entrepreneurship)

- 2.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 2.2 उद्देश्य (Objectives)
- 2.3 उद्यमी (Entrepreneur)s
- 2.4 उद्यमी के लक्षण एवं गुण (Characteristics and qualities of an entrepreneur)
- 2.5 उद्यमी की विशेषतायें (Characteristics of an entrepreneur)
- 2.6 उद्यमी के लक्षणों का क्रम (Order of characteristics of an entrepreneur)
- 2.7 उद्यमियों के प्रकार (Types of entrepreneurs)
- 2.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 2.9 सारांश (Summary)
- 2.10 शब्दावली (Glossary)
- 2.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 2.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 2.13 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 2.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में उद्यमी के अन्तर्गत कौन से योग्य गुण या लक्षण होने आवश्यक हैं जिससे उद्यमी को समाज में सफल रूप में देखा जा सके के बारे में जानेगें। इसमें आप यह भी जान सकेंगे कि उद्यम कितने प्रकार के होते हैं और उन उद्यमियों में अपने आप को कहां आप पाते हैं। यह इकाई छात्रों के भविष्य की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है, क्योंकि जो छात्र एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिये कि एक उद्यमी में कौन सी विशेषतायें होती हैं एवं उनमें कौन से गुण एवं प्रकार होते हैं। इस प्रकार इकाई के माध्यम से छात्रों में उद्यमिता का भाव विकसित करना है।

2.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- ✓ उद्यमी का अर्थ समझ सकेंगे।
- ✓ उद्यमी में कौन से गुण होते हैं, समझ सकेंगे।
- ✓ एक सफल उद्यमी बनने के लिये कौन से लक्षणों से अवगत हो सकेंगे।
- ✓ एक अच्छे उद्यमी में कौन कौन सी विशेषतायें होनी आवश्यक हैं, की व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ उद्यमी कितने प्रकार के हो सकते हैं।
- ✓ विभिन्न प्रकार के उद्यमी किस प्रकार का उद्यमी बनना चाहते हैं, यह भी जान सकेंगे।

2.3 उद्यमी (Entrepreneur)

उद्यमी (entrepreneur) शब्द का उद्गम फ्रेंच शब्द Enterpendre (इण्टरपेन्डर) से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है नये व्यवसाय की जोखिम को वहन करना (Undertook the risk of enterprise) इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रमुख अभियानों (expedition) के लिये किया गया। तत्पश्चात् 17वीं शताब्दी में उद्यमी शब्द का प्रयोग नागरिक उभियानों के क्षेत्र में एवं 18वीं शताब्दी में आर्थिक क्रियाओं के सम्बन्ध में किया जाने लगा परन्तु 200 वर्ष पूर्व जे.बी.से (J. B. Say) द्वारा विकसित किये गये शब्द उद्यमी के बारे में अभी तक पूर्ण भ्रान्ति बनी हुई है।

अमेरिका में प्रायः उद्यमी उस व्यक्ति को माना जाता है जो अपना स्वयं का नया व्यवसाय प्रारम्भ करता है, जबकि जर्मनी में उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास सत्ता तथा सम्पत्ति होती है। आधुनिक जगत में आर्थर मोल का यह कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि उद्यमी का अध्ययन करना आर्थिक क्रिया में मुख्य पात्र का अध्ययन करना है। उद्यमी वास्तव में वर्तमान समाज का सच्चा नायक या आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का अग्रदूत बन गया है। किसी देश की व्यवसायिक सफलता का निर्धारण उद्यमियों द्वारा नवप्रवर्तन से लेकर रचनात्मक कार्यों के आधार पर ही होता है। उद्यमी भावी समाज का आधार 'स्वप्रदृष्टा' है।

एक संस्था एक व्यक्ति की ही लम्बी छाया होती है। आधुनिक युग में विश्व स्तर पर फोर्ड, रॉकफेलर, वॉटसन, कारनेगी, किसलर, मोरगेन, ड्यूपान्ट, टाटा, बिडला, डालमिया, धीरूभाई अम्बानी आदि उद्यमियों के कारण ही इनकी संस्थाओं के नाम उल्लेखनीय हैं।

साहस की भावना ही व्यक्ति को उद्यमी बनाती है और इसकी भावना ने व्यक्ति को खानाबदोष से एक उद्योगपति के रूप में परिवर्तित कर दिया। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उद्यमी से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो नया उपक्रम प्रारम्भ करता है, आवश्यक संसाधनों को जुटाता है, व्यवसायिक क्रियाओं का प्रबन्ध व नियंत्रण करता है तथा व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों को झेलता है एवं व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करके लाभ अर्जित करते हुये समाज को अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करता है।

अनेक विचारकों ने उद्यमी को अलग अलग अर्थों में व्यक्त किया है। सामान्यतः उद्यमी का अर्थ जोखिम उठाने वाला (Risk Bearer), प्रवर्तक (Promoter), उपक्रम की स्थापना करने वाला, स्वामी एवं प्रबन्धक (Owner and Manager), संगठनकर्ता एवं समन्वयकर्ता (Organizer and Co-Ordinator) से लगाया जाता रहा है परन्तु आधुनिक युग में उद्यमी को एक नव प्रवर्तनकर्ता (Innovator) तथा उद्योग एवं व्यवसायिक जगत का आर्थिक अगुआ (Economic Leader) कहा जाता है।

उद्यमी की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं, विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। **मिचैल पालमर (Michal Palmer)** ने लिखा है कि उद्यमी शब्द में परिभाषात्मक एवं क्रियात्मक अस्पष्टता की भरमार है। वस्तु: उद्यमी की परिभाषा आर्थिक विकास के स्वरूप के अनुसार बदलती रहती हैं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार उद्यमी की परिभाषाओं को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. **परम्परागत अर्थव्यवस्था में (In The Traditional Economy)-** पूर्व औद्योगिक (परम्परागत) समाज में उद्यमी के कार्य अत्यन्त सीमित थे। इसलिये प्राचीन अर्थव्यवस्था में उद्यमी को एक जोखिम वहनकर्ता के रूप में परिभाषित किया। परम्परागत अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित निम्नलिखित परिभाषायें हैं-

- जे. बी. से (J.B. Say)** के अनुसार, “उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ के निम्न क्षेत्रों से उच्च क्षेत्रों की ओर हस्तान्तरित करता है।”
- फ्रैंक नाइट (Frank Knight)** के अनुसार, “उद्यमी वह विशिष्ट समूह अथवा व्यक्ति है जो जोखिम सहते हैं तथा अनिश्चिता की व्यवस्था करते हैं।”
- एफ. वी. हाने (F. V. Hane)** के अनुसार, “उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साधन उद्यमी होता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं में उद्यमी को केवल जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का सामना करने वाले एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। परम्परागत अर्थव्यवस्था के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने उद्यमी को अवैयक्तिक रूप से स्वयं एवं फर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिये यह परिभाषायें साहसी व्यक्तित्व के केवल एक पहलू को ही व्यक्त करती हैं।

2. **विकासशील अर्थव्यवस्था में (In A Developing Economy)-** विकासोन्मुख देशों में उद्यमी को एक नव प्रवर्तक, संगठनकर्ता एवं समन्वयकर्ता के रूप में देखा गया है। इनके अन्तर्गत जो नये व्यवसाय की स्थापना करता है। प्रबन्धकीय निर्णय लेता है तथा समन्वय सम्बन्धी विभिन्न कार्य करता है, उद्यमी कहलाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमी को निम्न ढंग से विद्वानों ने परिभाषित किया है-

- आर्थर डेविंग (Arthur Dewing)** के अनुसार, “उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपान्तरित करता है”
- जेम्स बर्न (James Burn)** के अनुसार, “उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समूह है जो किसी नये उपक्रम की स्थापना के लिये उत्तरदायी होता है”
- अल्फ्रेड मार्शल (Alfred Marshall)** के शब्दों में, “उद्यमी एक व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य के लिये आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह विश्लेषित किया जा सकता है कि उद्यमी उस व्यक्ति अथवा विभिन्न व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है जो किसी व्यवसाय की कल्पना करते हैं, उसकी स्थापना के लिये

आवश्यक संसाधनों को जुटाते हैं तथा उस व्यवसाय के संचालन की जोखिमों को उठाते हुये उसका प्रबन्ध समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं।

3. **विकसित अर्थव्यवस्था में (In A Developed Economy)-** औद्योगिक समाज में औद्योगिक क्रियाएं अत्यन्त विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती हैं। व्यवसायिक जटिलतायें बढ़ जाती हैं, व्यवसाय अनेक प्रारूपों में बंट जाते हैं तथा व्यवसाय की प्रकृति सेवा प्रधान हो जाती है। इन घटकों के परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक समस्याओं में अनेक बदलाव होने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में उद्यमी का कार्य अत्यन्त व्यापक एवं जटिल हो जाता है तथा सामाजिक व्यक्तित्व अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी नव प्रवर्तक एवं सामाजिक नायक (Social Leader) के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। नव प्रवर्तकों को जन्म देता है, नवीन वस्तु तकनीक यंत्र प्रजातियों एवं बाजारों की खोज करके व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाता है। इसलिये उद्यमी को सामाजिक नव प्रवर्तक (Social Innovator) भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाली निम्न परिभाषायें हैं-

- पीटर एफ ड्रकर (Peter F. Drucker) के शब्दों में, “उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तन की खोज करता है उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है”।
- हर्बर्टन इवॉन्स (Harbtron Evons) के शब्दों में, “उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जिसे संचालित किये जाने वाले व्यवसाय के निर्धारक का कार्य करना होता है”
- फ्रेंन्ज (Frantz) के शब्दों में, “उद्यमी प्रबन्धक से बड़ा होता है। वह नवप्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों है।”
- जोसेफ ए0 शुम्पीटर (Joseph A. Shumpeter) के शब्दों में, “उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्ण कल्पना करता है तथा किसी नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नये कच्चे माल, नये बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नये संयोजन को अपनाते हुये अवसर का लाभ उठाता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्तमान युग में उद्यमी की भूमिका अत्यन्त गतिशील हो गई है। उद्यमी को अपने वाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना चुनौतियों एवं सुधारों का पूर्वालोकन करते हुये इनका एक अवसर के रूप प्रयोग करना होता है। वास्तव में आधुनिक युग में उद्यमी को आर्थिक, सामाजिक मूल्यों का सृजनकर्ता, परिवर्तनों का संवाहक, सामाजिक नव प्रवर्तक तथा औद्योगिक क्रियाओं का उत्प्रेरक के रूप में देखा जाने लगा है। यह उसके व्यक्तित्व का बदलता हुआ आयाम है।

सम्बित्त दृष्टिकोण (Equity Approach)- विभिन्न देशों में आर्थिक विकास के स्तर के अनुसार उद्यमी का अर्थ एवं भूमिका बदलती रहती है। प्रतिफल दर, उत्पादन, संसाधनों, पूंजी की मात्रा, बाजार, उत्पादन तकनीक, विनियोजन दर, प्रतिस्पर्धा, आय स्तर, राजकीय दृष्टिकोण, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की दृष्टि से विभिन्न राष्ट्रों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। इस लिये ‘उद्यमी’ की विचारधारा विभिन्न देशों के आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी घटकों के अनुसार बदलती रहती है। आधुनिक युग में उद्यमी का कार्य क्षेत्र एवं दायित्व अत्यन्त व्यापक हो गया है। उद्यमी के मूलभूत तत्वों के तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- (1) जोखिम वहन करना (Taking Risks)
- (2) साधनों का संगठन (Organizing Resources)
- (3) नवप्रवर्तन करना (Innovating)

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि उद्यमी यह व्यक्ति है जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, आर्थिक संसाधनों को संयोजित करता है, नवकरणों को जन्म देता है तथा उपक्रम में निहित विभिन्न जोखिमों एवं अनिश्चिताओं का उचित प्रबन्ध करता है।

2.4 उद्यमी के लक्षण एवं गुण (Characteristics and qualities of an entrepreneur)

इमर्सन (Emerson) का कथन है “व्यवसाय चातुर्थ का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता” जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास, मूल्यों, भावनाओं, प्रेरणाओं, दृष्टिकोणों के द्वारा अपनी कल्पनाओं को साकार करता है उसी प्रकार एक सफल उद्यमी भी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं व्यवसायिक गुणों तथा योग्यताओं से व्यवसाय व उद्योग में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस लिये मेरेडिस एवं नेलसन (Meridith and Nelson) ने कहा है “जब विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं एवं योग्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जो उद्यमी गैर उद्यमी (Non- Entrepreneur) व्यक्तियों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं।” उद्योग एवं व्यवसाय के प्रवर्तन, नवप्रवर्तन व्यक्तियों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। उद्योग एवं व्यवसाय के प्रवर्तन नव प्रवर्तन, जोखिम वहन व तीव्र विकास के लिये उद्यमी कुछ पूर्वापेक्षित व्यक्तिगत गुण एवं योग्यताओं का होना अपरिहार्य है। आधुनिक समय में जबकि व्यवसाय एवं उद्योग प्रवेश, सफलता तथा बहिर्गमन सम्बन्धी बाधाओं से भरपूर है तब मात्र जन्मजात गुणों के आधार पर उद्यमी सफल नहीं हो सकता है। कल्पनाओं (Dreams) की रचना तथा उन कल्पनाओं को साकार करने के लिये सफल उद्यमी गुणों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, परामर्श एवं अध्ययन द्वारा विकसित किया जा सकता है। सफल उद्यमी में कौन-कौन से गुण एवं पूर्वापेक्षाएं होने चाहियें, इस संदर्भ में शोध अध्ययनों तथा विद्वानों ने विभिन्न विवेचनायें की हैं।

1997 में होनेलुलु (Honolulu) में ईस्ट वेस्टर सेन्टर (East West Centre) द्वारा उद्यमिता पर संचालित की गई कार्यशाला (Workshop) में सफल उद्यमी के गुणों की निम्न सूची है-

(Qualities/ Traits of Entrepreneur)

क्र. सं.	विशेषतायें (Characteristics)	लक्षण(Trait)
1	आत्मविश्वास (Confidence)	विश्वास, स्वतन्त्रता, वैयक्तिकता, आशावादी (Faith, Independence, Individuality, Optimism)
2	कार्यपरिणाम अभिमुखी (Outcome Oriented)	उपलब्धि की इच्छा, संकल्प, परिश्रम, प्रेरणा, ऊर्जा, पहलपन (Desire for Achievement, Determination, Diligence, Inspiration, Energy, Initiative)
3	जोखिम वहन (Risk Taking)	जोखिम वहन योग्यता व चुनौती की इच्छा (Risk appetite and willingness to challenge)
4	नेतृत्व (Guidance)	नेतृत्व व्यवहार, मानवीय व्यवहार, सुझावों व आलोचनाओं के प्रति अनुक्रियाशील (Leadership Behaviour, Humanitarian Behaviour, Responsive to Suggestions and Criticism)

5	मौलिकता (Originality)	नवप्रवर्तक, सृजनशील, लोचशी, विचार स्वतंत्रता, साधन सम्पन्न (Innovator, Creative, Flexible, Independence of Thought, Resourceful)
6	भविष्य उन्मुख (Future Oriented)	बहुविज्ञ, सुविज्ञ, दूरदर्शी, अनुबोधक (versatile, knowledgeable, visionary, enlightener)

प्रो. बी. सी. टण्डन ने अपनी पुस्तक "Environment and Entrepreneurs" में एक सच्चे उद्यमी के निम्न गुण बताये हैं-

1. जोखिम वहन क्षमता (Risk Bearing Capacity)
2. तकनीकी ज्ञान एवं परिवर्तन की इच्छा (Technical Knowledge and Willingness to Change)
3. संसाधनों के संयोजन एवं प्रशासनिक योग्यता (Resource Management and Administrative capacity)
4. संगठनात्मक एवं प्रशासनिक योग्यता (Organisational and Administrative Capacity)

डेविड मेक्लीलैण्ड (David McClelland) ने अपनी पुस्तक "Achieving Society" में उद्यमी के निम्न गुणों का वर्णन किया है-

1. सफलता की सम्भावना का बोध (Perception of Possibility of Success)
2. जोखिम वहन की प्राथमिकता (Preference for Risk Taking)
3. ऊर्जस्वी व्यवहार (Energetic Behaviour)
4. भविष्य अभिमुखता (Future Orientation)
5. उपलब्धि प्राप्ति की इच्छा (Desire for Achievement)
6. असाधारण सृजनात्मकता (Exceptional Creativity)

भारत में तमिलनाडु राज्य में उद्यमी अध्ययन के निष्कर्ष (Findings of The Entrepreneurship Study in Tamil Nadu State in India)-

1. वह एक साहसी व्यक्ति, साधन सम्पन्न, नये अवसरों के प्रति सजग, परिवर्तन की दशाओं को समायोजित करने के योग्य तथा परिवर्तन के जोखिमों को वहन करने को तत्पर होता है।
2. वह अपने उत्पाद के गुण को सुधारने एवं तकनीकी प्रगति का इच्छुक होता है।
3. उद्यमी को अपने कार्य संचालन के आकार का विस्तार करने तथा इस दृष्टि से अपने लाभों का विनियोजन करने के लिये तैयार होना चाहिये।

क्रिस्टोफर ने साहसी के 18 गुणों का वर्णन किया है-

1. दृढ़ता एवं परिश्रम (Perseverance and Hard Work)
2. जोखिम वहन करना (Risk Bearing)
3. उच्च आकांक्षा (High Ambition)
4. सीखने की इच्छा (Willingness to Learn)
5. गतिशील एवं सृजनात्मक (Dynamic and Creative)

6. अनुकूलनशील (Adaptable)
7. नव प्रवर्तक (Innovative)
8. कुशल विक्रय कला (Skilful Salesmanship)
9. मित्रों को जीतने तथा संकटों का सामना करने की क्षमता (Ability to Win Friends and Face Crises)
10. पहलपन (Initiative)
11. आत्मविश्वास (Self-Confidence)
12. संकल्प शक्ति (Willpower)
13. सफलता का दृढ संकल्प (Determination to Succeed)
14. आकर्षक व्यक्तित्व एवं कुशल व्यवहार (Attractive Personality and Skilful Behaviour)
15. उच्च चरित्र (High Character)
16. उत्तरदायी (Responsible)
17. कार्य में श्रेष्ठता (Excellence in Work)
18. समय अवबोध (Sense of Time)

उपरोक्त वर्णन के आधार पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निष्कर्ष स्वरूप एक सफल साहसी के अत्यन्त महत्वपूर्ण गुणों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

1. **उद्यमी योग्यता (Entrepreneurial Skills)**- साहसिक योग्यता के लिये उद्यमी का दृष्टिकोण साहसिक एवं मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिये। वह एक ऊर्जस्वी व्यवहार वाला एवं सफलता की सम्भावना का बोध रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये। उसमें संगठन कौशल एवं भविष्य अभिमुखता हो इस प्रकार उत्तरदायित्व के प्रति इच्छा रखने वाला व्यक्ति साहसिक योग्यता रखता है।
2. **जोखिम वहन क्षमता (Risk Bearing Ability)**- किसी भी उद्यम के अन्तर्गत साहसी को सम्भावित सफलता व हानि को संतुलित करते हुये अनिश्चिता के वातावरण में निर्णय लेने होते हैं। जिनके प्ररिणाम अनिश्चित एवं अज्ञात होते हैं। उद्यमी सदैव स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन करते हुये ही जोखिम उठाता है अर्थात् वह सदैव उन योजनाओं को ही हाथ में लेता है जिन्हें पूरा किया जा सकता है। वास्तव में संतुलित व व्यावसायिक जोखिमों को वहन करना ही उद्यमी होने का लक्षण है।
3. **निर्णय क्षमता (Decision Making Ability)**- उद्यमी किसी भी व्यावसायिक अवसर का पूरा लाभ तभी उठा सकता है जबकि उसमें तत्काल निर्णयन की क्षमता हो। इमर्सन का कथन है कि "जो व्यक्ति निर्णय ले सकता है उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है"। उद्यमी के निर्णयों का संगठन के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है अर्थात् वह सदैव उन योजनाओं को ही हाथ में लेता है जिन्हें पूरा किया जा सकता है। वास्तव में संतुलित व व्यावहारिक जोखिमों को वहन करना ही उद्यमी होने का लक्षण है। उद्यमी को वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही किसी समस्या को हल करके निर्णय लेना चाहिये।
4. **नेतृत्व क्षमता (Leadership Ability)**- उद्यमी में नेतृत्व क्षमता होने से कर्मचारियों को प्रेरणा एवं निर्देशन मिलता रहता है जिससे उनके आत्मबल में कमी नहीं होती है। अतः उद्यमी में नेतृत्व क्षमता अवश्य होनी चाहिये। मेरेडिथ एवं नेलसन (Meredith and Nelson) का कहना है कि "सफल उद्यमी सफल नेता होते हैं, चाहे वे कुछ या कई सो कर्मचारियों का नेतृत्व करें।" उनके अनुसार नेतृत्व क्षमता रखने वाले उद्यमियों में निम्न गुण पाये जाते हैं।

A. नये विचारों को विकसित एवं क्रियावित करना।

- B. सामुदायिक जीवन में सक्रिय भाग लेना।
- C. अपनी शक्तियों को बढ़ाने तथा दुर्बलताओं को दूर करनेके लिये निरन्तर प्रयास करना।
- D. अपने व समय की सही योजना बनाना।
- E. अपनी नेतृत्व योग्यताओं को विकसित करने के लिये विशेष प्रयास करना।
- F. अपनी त्रुटियों से सीखना।
- G. अपने कर्मचारियों को अधिकार एवं दायित्व सौंपना।
- H. अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना।
- I. अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना।
- J. व्यक्तियों के साथ पूर्ण सहयोग करना।
- K. संगठन की सफलता में कर्मचारियों को सहभागी बनाना।

इस प्रकार उपरोक्त लक्षण ही उद्यमी में नेतृत्व क्षमता का गुण होने का प्रतीक है। जो कि संगठन को मजबूत करते हैं।

5. कुशल नियोजन की योग्यता (Ability for Efficient Planning)- नियोजन के माध्यम से उद्यमी उपक्रम के भविष्य पर विचार करता है, वातावरण की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करता है तथा इन्हीं के आधार पर कर्मचारियों की क्रियाओं एवं प्राप्त किये जाने वाले परिणामों का निश्चय करता है। अतः उद्यमी में नियोजन शक्ति का होना अति आवश्यक पूर्वपेक्षता है। इसी के द्वारा ही वह संगठन में एक उचित व्यवस्था का निर्माण कर सकता है।

6. तकनीकी कौशल (Technical Skills)- उद्यमी को अपने व्यवसाय विशेष के बारे में विशिष्ट तकनीकी ज्ञान का होना अति आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय मशीन युग है। अतः व्यवसाय में प्रयुक्त विभिन्न यंत्रों व उत्पादन विधियों का तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है जो कि कर्मचारियों को उचित निर्देशन देने में भी सहायक होता है। यह ज्ञान उद्यमी को किसी तकनीकी संस्थान द्वारा मिल सकता है।

7. संगठन कौशल (Organizational skills)- जे.बी. से (J. B. Say) ने लिखा है कि, “उद्यमी को संगठन एवं पर्यवेक्षण की कला आनी चाहिये।” यद्यपि उद्यमी संगठन व प्रशासन सम्बन्धी अनेक कार्यों को अपने कर्मचारियों को सौंप देता है, किन्तु उपक्रम की मूल संगठन योजना साहसी अपने ही निर्देशन में तैयार करता है। अतः उद्यम में संगठन की योग्यता होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

8. व्यवसायिक वातावरण का ज्ञान (Knowledge of business environment)- आज का व्यवसायिक वातावरण काफी विस्तृत होने की वजह से उद्यमी को संगठन संरचना एवं कार्य संचालन के साथ विभिन्न स्रोतों (व्यवसाय से सम्बन्धित) की तकनीकियों का ज्ञान रखना आवश्यक है। बदलती हुई व्यवसायिक नीतियों के युग में उद्यमी-मौडिक नीति, आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार जिस बाजार में वह अपना व्यापार कर रहा है उसको प्रभावित करने वाले घटकों जैसे मांग, पूर्ति, कीमतों, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता, आय व रूचि, वितरण, आदि का भी ज्ञान रखना आवश्यक है तथा व्यवसाय हेतु नवीन तकनीकी परिवर्तन का भी ज्ञान रखना आवश्यक होता है।

9. सामाजिक एवं नैतिक गुण (Social And Ethical Qualities)- उद्यमी में कुछ सामाजिक एवं नैतिक गुणों का समावेश भी होना चाहिये। वह मिलनसार व मिनम्र होना चाहिये उसका चरित्र सुदृढ़ व ईमानदार हो। वह सहयोग की भावना रखने वाला आदरमखी व निष्ठावान व्यक्ति होना चाहिये तथा उसका स्वभाव अत्यन्त सुशील हो। ऐसा गुण रखने वाला उद्यमी व्यवसाय के विभिन्न वर्गों से सफलतापूर्वक व्यवहार कर सकता है एवं उपक्रम को सफलता दिला सकता है।

10. अन्य गुण (Other Qualities)-

- A. उद्यमी को अनेक वर्गों के साथ व्यवहार करना होता है, अतः उद्यमी में व्यक्तियों के साथ कार्य करने तथा मानवीय व्यवहार करने के गुण होने चाहियें। वह कर्मचारियों का दि जीतने में भी सक्षम होना चाहिये।
- B. उद्यमी एक परिश्रमी व्यक्ति होना चाहिये, क्योंकि कार्य की सफलता एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिभा से ही कहीं ज्यादा परिश्रम योगदान देता है।
- C. उद्यमी प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति होना चाहिये। उसकी कल्पना शक्ति सृजनात्मक होनी चाहिये। यदि उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी तो वह अनेक संदर्भों एवं भावी योजनाओं को मस्तिष्क में रख सकता है तथा उन्हें याद रखकर आसानी से कार्य निष्पादित कर सकता है।
- D. उद्यमी में व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग बने रहने के लिये आत्मविश्वास की शक्ति होनी चाहिये।
- E. उद्यमी को हमेशा आशावान होना चाहिये। उसे असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिये वरन् उसे असफलताओं को सफलता की ओर जाने वाली सीढियाँ मानना चाहिये। अपनी दूरदर्शिता के गुण द्वारा भावी घटनाओं का पूर्व मूल्यांकन करना चाहिये। दूरदर्शिता के गुण से वह सम्भावित परिणामों का विश्लेषण कर सकता है।
- F. उद्यमी महत्वकांक्षा व परिपक्व विचारों वाला व्यक्ति होना चाहिये। प्रगतिशील विचारों वाला साहसी आधुनिक प्रबन्ध पद्धति को प्रयोग उपक्रम को प्रगति में बाधक सिद्ध होती है।

2.5 उद्यमी की विशेषतायें (Characteristics of an entrepreneur)

विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर उद्यमी की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह (Person or Group of Persons)**- लघु अथवा छोटे व्यवसायों में एक व्यक्ति ही उद्यमी कहलाता है जबकि बड़े-बड़े निगमों एवं कम्पनियों में केवल एक व्यक्ति इस भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता है इस लिये ऐसे व्यवसायों में कुछ समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह उद्यमी की भूमिका निभाता है।
2. **जोखिम वहनकर्ता (Risk Bearer)**-उद्यमी व्यक्ति सदैव जोखिमों में ही जीना पसन्द करते हैं। परन्तु इसके द्वारा लिये गये जोखिम सदैव सुविचारित होते हैं। इस सम्बन्ध में **लारेंस लेमण्ट (Laurence Lamont)** ने लिख है कि "जोखिम वहन के प्रति झुकाव ही उद्यमीय व्यक्तित्व का वास्तविक लक्षण है।" व्यवसाय में निहित विभिन्न जोखिमों का उपयुक्त पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। इस लिये उद्यमी सदैव अपनी विवेकपूर्ण योजनाओं एवं ठोस निर्णयों से जोखिम का सामना करते हैं। परन्तु उद्यमी सदैव सामान्य जोखिम को ही प्राथमिकता देते हैं।
3. **साधन प्रदान करने वाला (Fund Provider)**- अविकसित राष्ट्रों में उत्पत्ति के साधनों का एकीकरण करना एक कठिन कार्य होता है। परन्तु उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिये सभी आवश्यक साधनों की व्यवस्था करता है तथा आवश्यक सूचनायें एवं तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध कराता है। कुछ परिस्थितियों में उद्यमी स्वयं साधनयुक्त होता है किन्तु बड़े व्यवसायों की स्थापना के लिये उद्यमी सरकार व विभिन्न संस्थानों के सहयोग से साधनों की व्यवस्था करता है।
4. नवीन उद्यमी योग्यता (Innovative Entrepreneurial Qualities)
5. जोखिम वहन क्षमता (Risk bearing capacity)
6. निर्णय क्षमता (Decision making capacity)
7. नेतृत्व क्षमता (Leadership capacity)
8. कुशल नियोजन की योग्यता (Ability for efficient planning)

9. तकनीकी कौशल (Technical skills)
10. संगठन कौशल(Organizational skills)
11. व्यवसायिक वातावरण का ज्ञान (Knowledge of business environment)
12. सामाजिक एवं नैतिक गुण (Social and ethical qualities)
- 13.अन्य गुण (Other Qualities)

उद्यमी की अन्य विशेषताएँ (Characteristics of an Entrepreneur)-

स्थापना (Establishment) - उत्पादन एवं वितरण के कार्य विकासशील राष्ट्रों में अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ उत्पादन सीमित होता है। ऐसी परिस्थितियों में उद्यमी केवल साधनों का एक एकीकरण ही नहीं करता है बल्कि नये उपक्रमों की स्थापना भी करता है तथा औद्योगिक क्रियाओं को विस्तृत रूप प्रदान करता है।

उपक्रम की स्थापना (Establishment of The Enterprise)- उत्पादन एवं वितरण के कार्य विकासशील राष्ट्रों में अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ उत्पादन सीमित होता है। ऐसी परिस्थितियों में उद्यमी केवल साधनों का एक एकीकरण ही नहीं करता है बल्कि नये उपक्रमों की स्थापना भी करता है तथा औद्योगिक क्रियाओं को विस्तृत रूप प्रदान करता है।

5. नवप्रवर्तन कर्ता (Innovator)- उद्यमी अपने उपक्रमों में सदैव नवीन परिवर्तनों एवं सुधारों को जन्म देते हैं। उद्यमी नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नये यंत्र, नये कच्चे माल तथा नये विचारों की खोज करते हैं। नव प्रवर्तन से सम्बन्धित शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है-

INNOVATION	Introduce	नये गुणवत्तापूर्ण उत्पाद नये उत्पाद नये कच्चे माल का स्रोत नये बाजार संगठनात्मक नया ढांचा
------------	-----------	---

6. स्वतंत्रता प्रेमी (Freedom Lover)- उद्यमी व्यक्तियों का स्वभाव स्वतंत्र प्रकृति का होता है। वे प्रत्येक कार्य को अपने ढंग से करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं तथा साहसिक कार्यों को करने में ज्यादा तत्परता दिखाते हैं एवं उनमें पहल करने का गुण विद्यमान रहता है। इस लिये उनको स्वतन्त्रता प्रेमी भी कहा जाता है।

7. कार्य ही लक्ष्य एवं संतुष्टि (Work is The Goal and Satisfaction) - उद्यमियों के लिये उनका कार्य ही अपने आप में लक्ष्य एवं संतुष्टि का बड़ा स्रोत होता है। उद्यमी आत्म संतुष्टि को प्राथमिक उद्देश्य मानते हैं जबकि भौतिक लाभों को गौण मानते हैं। इस लिये कहा जाता है कि “उद्यमियों के लिये कार्य ही उनकी प्रेरणा एवं पूंजी होता है।”

8. उच्च उपलब्धियाँ (High Achievements)- उद्यमी सदैव कुछ असम्भव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तथा समाज में अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इसलिये उद्यमी सदैव कठोर परिश्रम एवं दृढ संकल्प के द्वारा उच्च प्राप्तियों में विश्वास रखते हैं।

9. अवसरों का विदोहन (Exploiting Opportunities)- उद्यमी के अन्दर सदैव एक सृजनात्मक असंतोष छिपा रहता है। जिसकी द्वारा वह नये नये व्यवसायिक अवसरों की खोज करत है तथा उनका विदोहन करके लाभ अर्जित करता है। उद्यमी चुनौतियों को अवसरों की भांति स्वीकार करता है।

10. आशावादी दृष्टिकोण (Optimistic Outlook)- उद्यमी व्यक्तियों का दृष्टिकोण सदैव आशावादी होता है। यह अपने कार्य को भाग्य पर छोड़ने के बजाये अपने श्रम व नीति से सफलता प्राप्त करने में विश्वास करता है। और न ही हानियों की दशा में निराश होता है। यह अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होता

है और सब कुछ गंवाने के बाद भी आशा नहीं छोड़ता है। यही आशावादी दृष्टिकोण उसके व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होता है।

11. प्रबन्धकीय साहसी (Managerial Adventurer)- बड़े उपक्रमों में उद्यमी एवं प्रबन्धक अलग-अलग होते हैं। कभी कभी प्रवर्तक उद्यमी संचालक मण्डल के सदस्य बनकर उच्च प्रबन्धक के रूप में भी कार्य करते हैं। आधुनिक व्यवसाय में 'बहुउद्यमी', 'संयुक्त उद्यमी' व 'समूह उद्यमी' की शाखा महत्वपूर्ण होती जा रही है।

12. गतिशील प्रतिनिधि (Dynamic Representative)- किसी भी राष्ट्र के विकास का मापन वहां के उद्यमियों की सफलता पर निर्भर करता है। क्योंकि उद्यमी ही वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान एवं नीतियों के द्वारा व्यवसाय में सफल परिवर्तन करके सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील बना देता है। क्योंकि उद्यमियों के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साध नहीं बने रहते हैं उनके उपभोग की वस्तुओं का सृजन नहीं हो पाता है। शुम्पीटर ने कहा है कि "उद्यमी का कार्य सृजनात्मक विनाश करना है" क्योंकि बहुत पुरानी वस्तुओं (उत्पादक वस्तुओं) का विनाश करके नई वस्तुओं (उपयोगिता की वस्तुओं) की रचना करता है।

13. नेतृत्वकर्ता (Leader)- उद्यमी व्यवसायिक जगत का अनुगामी होता है। यह केवल व्यवसाय एवं उद्योग को नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ समाज को भी एक गतिशील दिशा प्रदान करता है। यह समाज में व्यक्तिगत की आवश्यकताओं का पता लगाकर एवं उसके अनुरूप उत्पादन करके उद्योग, व्यवसाय व अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर गति प्रदान करता है।

14. पेशेवर प्रकृति (Professional Nature)- प्राचीन समय की यह मान्यता कि 'उद्यमी बनाये नहीं जाते बल्कि जन्म लेते हैं।' वर्तमान में यह धारणा गलत हो चुकी है क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि उद्यमी पैदा नहीं होते हैं बल्कि व्यवसायिक ज्ञान, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं अन्य प्रेरणाओं के द्वारा उन्हें पेशेवर बनाया जाता है। वर्तमान में कई संस्थाएँ इस कार्य को कर रही हैं। 'पेशेवर बनाये जाते हैं' के सम्बन्ध में अमेरिकन सोसाइटी आफ मेनेजमेंट के चेयरमैन ने कहा कि 'हम कोई वस्तु नहीं बनाते हैं हम पेशेवर बनाते हैं और पेशेवर वस्तु बनाते हैं।'

15. एक संस्था (An Organisation)- उद्यमी स्वयं एक संस्था हैं क्योंकि यह विभिन्न संस्थाओं को जन्म देता है। आज विकासशील देशों में अनेक संस्थाएँ उद्यमी के रूप में कार्य कर रही हैं। यहां तक कि सरकार स्वयं एक उद्यमी बनकर राष्ट्र के औद्योगिक विकास में योगदान करती है।

16. कार्य में पूर्ण समर्पित (Totally Committed to Work)- उद्यमी अपने कार्य के प्रति सदैव पूर्ण समर्पित रहते हैं। उद्यमी में अपने लक्ष्य के प्रति तन्मयता, एकग्रता एवं वचनबद्धता होती है। उद्यमी चुपचाप बिना विचलित हुये सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं।

17. विश्वासाश्रित सम्बन्ध (Trust Based Relationship)- वर्तमान युग में उद्यमी समाज में संसाधनों के प्रत्यासी (trustee) होते हैं। आधुनिक युग निगम संस्कृति (Modern Age Corporate Culture) का युग है जिसके तहत उद्यमी बड़ी बड़ी कम्पनियों व निगमों की स्थापना करते हैं एवं ट्रस्टशिप के सिद्धान्त के आधार पर इनका संचालन करते हैं अतः उद्यमी के न केवल उपक्रम सम्पूर्ण समाज के साथ विश्वासाश्रित सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं।

18. प्रतिफल लाभ है (The Reward is Profit)- सामान्यतः उद्यमी लाभ की आशा में ही कार्य करता है परन्तु आधुनिक युग में अमौद्रिक प्रेरणाओं की दृष्टि से भी कार्य करते हैं। उद्यमी को अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के फलस्वरूप लाभ के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है जो सदैव अनिश्चित एवं जोखिम से परिपूर्ण होता है।

19. पूंजीपति एवं विनियोजक से भिन्न (Different from Capitalist and Investor)- उद्यमी पूंजीपति एवं विनियोजक से भिन्न होता है यद्यपि पूंजीपति एवं विनियोजक उस व्यक्ति को माना जाता है जो व्यवसाय के लिये पूंजी की व्यवस्था करता है व उसमें निवेश करता है। पूंजीपति व विनियोजकों का एक मुख्य उद्देश्य लाभ के साथ-साथ सामाजिक एवं अन्य उद्देश्यों को पूरा करना है। अतः पूंजीपति व विनियोजकों को उद्यमी

से अलग माना गया है। इस सम्बन्ध में पीटर एफ. ड्रकर (Peter F. Drucker) ने कहा है कि 'उद्यमी विनियोजक नहीं होता है यद्यपि हो सकता है किन्तु यह अक्सर कर्मचारी होता है अथवा वह अकेला तथा पूर्णतः स्वयं ही कार्य करता है।'

20. अनुसंधान पर बल (Emphasis on research)- आधुनिक उद्यमियों की कार्यशैली परम्परागत विधियों को छोड़कर तथ्यों व सूचनाओं पर आधारित होती है। आधुनिक उद्यमी वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान पर बल देते हैं एवं सदैव प्रयोग व परिवर्तन में विश्वास करते हैं। वर्तमान में उद्यमियों की कार्य प्रणाली वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत होती है।

2.6 उद्यमी के लक्षणों का क्रम (Order of Characteristics of An Entrepreneur)

वैसे तो उद्यमी की विशेषतायें एवं लक्षण समान एवं पूरक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं किन्तु यहाँ पर उद्यमी के लक्षणों का क्रम दे सकते हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. हासिल करने की एक मजबूत आवश्यकता है। (A Strong Need to Achieve)
2. एक दूरदर्शी (A Visionary)
3. अनुभव के साथ बारीकी के जोड़ने की जरूरत है। (Need to Connect Closely with Experiences)
4. लोगों और प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता (Ability to Focus on Goals and Process)
5. कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता (Ability to Work Closely with Employees)
6. सम्बन्धों को प्रेरित करने और निर्माण करने की क्षमता (Ability to Motivate and Build Relationships)
7. अनिश्चितता सहन करने की इच्छा (Willingness to Tolerate uncertainty)
8. अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य (Good Physical Health)
9. एक उच्च स्तरीय ऊर्जा (A high Level of Energy)
10. एक उद्देश्यीय (A Sense of Purpose)
11. जोखिम लेने की इच्छा शक्ति (Willingness to Take Risks)
12. दूसरों से आगे निकलने की क्षमता (Ability to Outsmart Experiences)
13. महत्वाकांक्षा (Ambition)
14. आत्मविश्वास (Self-Confidence)
15. नवप्रवर्तन (Innovation)
16. दक्षतापूर्ण नेतृत्व क्षमता (Skilful Leadership)
17. धैर्य धारण की क्षमता (Ability to Persevere)
18. प्रयास करने की क्षमता (Willingness to Try Ability)
19. मुडा की एक मजबूत इच्छा (A Strong Desire for Muda)
20. सृजनशीलता की इच्छा (A Desire for Creativity)
21. शक्ति की आवश्यकता (Need for Power)
22. प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत (Commitment and Hard Work)
23. आत्मनिर्भरता (Self-Reliance)

24. प्रतियोगिता करने की क्षमता (Ability to Compete)

25. ईमानदारी (Honesty)

2.7 उद्यमियों के प्रकार (Types of entrepreneurs)

उद्यमियों के प्रकारों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-

(A) वैयक्तिक योग्यता के आधार पर (On the Basis of Personal Ability) क्लेरेन्स डेनहाफ ने व्यक्तित्व के आधार पर उद्यमी के चार प्रकार बताये हैं।

1. नवप्रवर्तक उद्यमी (Innovator Entrepreneur)- यह वह उद्यमी होते हैं जो अपने व्यवसाय में निरन्तर खोज एवं अनुसंधान करते रहते हैं और इन अनुसंधानों व प्रयोगों के परिणामस्वरूप व्यवसाय में परिवर्तन करके लाभ अर्जित करते हैं। जैसे नवीन तकनीक का विकास करके, नये उत्पादन करके, पुराने उत्पादन में श्रेष्ठता लाकर आदि। इनमें जोखिम वहन करने का गुण विद्यमान होता है। शुम्पीटर के अनुसार, 'नव प्रवर्तक उद्यमी व्यवसाय में नवीन संयोजनों का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं इस प्रकार के उद्यमी उन राष्ट्रों में पाये जाते हैं जहां अनुसंधान के पर्याप्त साधन हों, जनता की क्रय शक्ति अधिक हो इन राष्ट्रों में विकास एवं परिवर्तन का वातावरण सदैव बना रहता है जिससे प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है और उपभोक्ता नित एवं नवीन वस्तुओं व उच्च क्वालिटी की वस्तुओं को चाहता है।'

2. नकलची उद्यमी (Imitator Entrepreneur)- यह वह उद्यमी होते हैं जो स्वयं कोई अनुसंधान व खोज नहीं करते व खोज पर ना ही कोई धन खर्च करते हैं। यह भी सफल उद्यमियों द्वारा किये गये सफल परिवर्तनों को अपनाते हैं इनमें निर्णय लेने व जोखिम वहन करने की क्षमता शून्य होती है। यह जरा भी जोखिम लेना पसन्द नहीं करते हैं इसलिये सफल उद्यमियों द्वारा उन्हें इन परिवर्तनों को अपनाना आवश्यक नहीं लगता। ऐसे उद्यमी समान्यतः अविकसित राष्ट्रों में विद्यमान होते हैं।

3. जागरूक उद्यमी (Conscious Entrepreneur)- यह उद्यमी भी नकलची उद्यमी की तरह अनुसंधान व खोज पर धन नहीं खर्च करते। यह भी सफल उद्यमियों द्वारा किये गये कार्यों को अपना लेते हैं।

4. आलसी उद्यमी (Lazy Entrepreneur)- इस प्रकार के उद्यमी परम्परागत विचारधारा वाले होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अधिकमत लाभ कमाना नहीं बल्कि व्यवसाय को चलाते रहना है। इसलिये यह ना तो व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना पसन्द करते हैं ना ही लागत में कमी करके व वस्तुओं की श्रेष्ठता में वृद्धि करके लाभ अधिकतम करने का प्रयास करते हैं।

(B) कार्य के आधार पर (On The Basis of Function) कार्म वेस्पर ने उद्यमियों के प्रकारों का उनके कार्यों के आधार पर वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं।

1. स्वनियुक्त उद्यमी (Self-Employed Entrepreneur)- इस प्रकार के उद्यमियों को किसी के द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है बल्कि वह स्वनियुक्त होते हैं इन्हें अपना कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है। ये अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं जैसे डॉक्टर कलाकार आदि।

2. अधिग्रहण उद्यमी (Acquisition Entrepreneur)- यह कभी किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि छोटी छोटी फर्मों का अधिग्रहण करके उनका संचालन करते हैं या उन सभी फर्मों को मिलाकर एक बड़ी फर्म का निर्माण व उनका संचालन करते हैं।

3. कार्यशक्ति निर्माता उद्यमी (Workforce Producer Entrepreneur)- वह उद्यमी जो किसी प्रकार के यंत्र, मशीनों, आदि का निर्माण व निर्माण करने वाली फर्मों का संचालन करते हैं कार्यशक्ति निर्माता उद्यमी कहे जाते हैं जैसे कम्प्यूटर, अभियांत्रिकी यन्त्रशाला आदि।

4. प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी (Prototypical Promoter Entrepreneur)- यह उद्यमी उत्पादन की विभिन्न तकनीकों के आधार पर वस्तुओं के गुण, आकार आदि में परिवर्तन करते हैं। कम्पनियों द्वारा इन्हें इन तकनीकों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है।

5. **उत्पादक उद्यमी (Productive Entrepreneur)**- यह उद्यमी नव प्रवर्तक उद्यमी की भांति ही प्रयोगों द्वारा नये नये उत्पादों का प्रारूप तैयार करके उनका निर्माण करते हैं। ये उद्यमी प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं।
6. **पूंजी संचय करने वाले उद्यमी (Capital Accumulating Entrepreneur)**- यह उद्यमी पूंजी संचय करने वाले कार्य जैसे कि बैंकिंग व्यवसाय बीमा कम्पनी आदि में संलग्न होते हैं।
7. **प्राकृतिक संसाधन विदोहक उद्यमी (Natural Resource Exploiter Entrepreneur)**- अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाने वाले कार्यों में संलग्न उद्यमी को प्राकृतिक संसाधन विदोहक उद्यमी कहा जाता है। जैसे युद्ध सामग्री के व्यापारी, सम्पत्ति व जायदाद को बेचने वाले उद्यमी आदि।
8. **मितव्ययी उद्यमी (Frugal Entrepreneur)**- ये उद्यमी उपभोक्ताओं का बचत करवाते हैं जिससे कि उनकी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है जैसे डाक सेवायें।
9. **सटोरिये उद्यमी (Speculative Entrepreneur)**- ये किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं बल्कि अन्य के कार्यों पर स्वामित्व प्रपत्र के द्वारा लाभ अर्जित करते हैं। इसमें जोखिम वहन करने की क्षमता अधिक होती है।

(C)विकास की गति के आधार पर (On The Basis of Pace of Development) विकास की गति के आधार पर एल. सी. गुप्ता ने उद्यमियों के निम्न प्रकार बताये हैं-

1. **प्राथमिक प्रवर्तक उद्यमी (Primary Promoter Entrepreneur)**- ऐसा उद्यमी विकास की प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहता है। यह व्यवसाय में नित नये परिवर्तन करके विविधता लाने पर बल देता है। यह नई-नई तकनीकों से उत्पादन में गुणवत्ता तथा नवीन उत्पादों के द्वारा विकास की गति को बढ़ाने में योगदान देता है।
2. **अल्प नवप्रवर्तक उद्यमी (Small Promoter Entrepreneur)**- ये उद्यमी उपलब्ध संसाधनों को उत्पादक एवं लाभप्रद कार्यों में विनियोजित करते हैं। अर्थात् उपलब्ध संसाधनों का उत्तम उपयोग करने की सोचते हैं। यद्यपि वैयक्तिक रूप से इन उद्यमियों का योगदान बहुत कम होता है किन्तु यह अल्प मात्रा में नवप्रवर्तक का कार्य करके विकास की गति में बल प्रदान करते हैं।
3. **पहलकर्ता उद्यमी (Initiative Entrepreneur)**- ऐसा उद्यमी नव प्रवर्तकों के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है एवं विकास की गति को बल प्रदान करता है। जबकि स्वयं नवप्रवर्तकों की कल्पना भी नहीं करता। वह नवप्रवर्तन की फैलाव प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर अर्थव्यवस्था के विकास की गति में वृद्धि करता है।
4. **अनुषांगी उद्यमी (Subsidiary Entrepreneur)**- ऐसे उद्यमी प्रारम्भ में स्वयं कोई उद्योग या व्यवसाय नहीं चलाते हैं। बल्कि उनकी भूमिका एवं पूर्तिकर्ता अथवा मध्यस्थ की होती है। किन्तु धीरे-धीरे वे स्वयं स्वतंत्र रूप से उद्योग चलाने लगते हैं। यह उद्यमी सहायक उद्योगों एवं व्यवसायों का संचालन करते हैं।
5. **स्थानीय उद्यमी (Local entrepreneur)**- ऐसे उद्यमी अपने व्यापार को किसी निश्चित क्षेत्र विशेष के अन्दर करते हैं उसके बाहर व्यापार नहीं करते। इनके व्यापार का कार्य क्षेत्र स्थानीय ही होता है अर्थात् यह आर्थिक क्रिया के क्षेत्र को सीमित रखते हैं इस लिये इनको स्थानीय उद्यमी कहते हैं।
6. **प्रबन्धक उद्यमी (Manager entrepreneur)**- प्राथमिक प्रवर्तक बनाई गई योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करता है। यह उपक्रम का बाहरी लोगों से सम्बन्ध स्थापित करता है। तथा उपक्रम का सफल संचालन करता है। ऐसे उद्यमी में प्रबन्धकीय कौशल असीमित होता है।

(D) सामाजिक लाभ की दृष्टि से (From The View Point of Social Benefit) उद्यमी अर्थव्यवस्था में जो भी क्रियाएं करता है वह सामाजिक लाभ की दृष्टि से या जो उसके स्वयं के हित में होता है या समाज के हित में होता है इन दोनों प्रकार की क्रियाएं करने वाले उद्यमी निम्न होते हैं-

1. शोषक उद्यमी (Exploitative Entrepreneur) यह उद्यमी केवल स्वयं के हित में कार्य करता है। यह समाज के प्रति पूर्णतः उदासीन होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है और इसे बढ़ाने के लिये वह निरन्तर प्रयास करता है। इस प्रकार के उद्यमी में श्रम करने की क्षमता अधिक होती है किन्तु उनमें आत्मसम्मान की भावना नगण्य होती है। इस प्रकार के उद्यमी आर्थिक विषमता वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

2. आदर्श उद्यमी (Ideal Entrepreneur) इस प्रकार के उद्यमी स्वयं के हित के साथ साथ सामाजिक हित पर भी ध्यान देते हैं। इनका उद्देश्य केवल अधिकतम लाभ कमाना ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व जैसे रोजगार में वृद्धि करना, वस्तुओं में गुणवत्ता लाना, जीवन स्तर में सुधार करना और आर्थिक विकास को पूरा करना भी है। यह अपनी क्रियाओं के द्वारा सामाजिक दायित्व को पूरा करता है इस प्रकार आदर्श उद्यमी की महत्वपूर्ण योगदान होता है।

(E) प्रेरणात्मक तत्वों की दृष्टि से (From The View point of Motivational Factors) प्रेरणात्मक तत्वों के आधार पर उद्यमी को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. ऐच्छिक उद्यमी (Voluntary Entrepreneur)- ऐसे उद्यमी अपने कार्य निष्पादन की गुणवत्ता को सिद्ध करने या उसकी प्राप्ति करने अथवा अपनी इच्छाओं की स्वपूर्ति हेतु स्वयं प्रेरित होते हैं। इस तरह के उद्यमी प्राकृतिक उद्यमी होती हैं और इन्हें किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उद्यमी को हम शुद्ध उद्यमी भी कह सकते हैं।

2. प्रेरित उद्यमी (Motivated Entrepreneur)- ऐसे उद्यमी अपनी तकनीकी, पेशेवर विशेषता एवं कौशल का प्रयोग इनके जी इच्छा से प्रेरित होते हैं। इनको अपनी योग्यता, साहस और आत्मोधोम (self-pity) पर विश्वास होता है। तथा इस प्रकार यह एक महत्वकांक्षी एवं अपने कार्यों में धीमी प्रगति से असंतोष रखने वाले उद्यमी होते हैं। ऐसे उद्यमी उपभोक्ताओं को नये उत्पाद एवं सेवायें प्रदान कर सकने की सम्भावनायें से उत्पन्न होते हैं। यदि ग्राहक ऐसे उत्पादों या सेवायें भी स्वीकार कर लेता है तो वित्तीय लाभ इस प्रकार उद्यमियों को और प्रेरित करता है।

3. दबावपूर्वक उद्यमी (Coercive Entrepreneur)- ऐसे उद्यमी सरकार द्वारा उद्यमीय विकास की नीति से प्रेरित होकर उद्यमिता स्वीकार करते हैं। सामान्यतः सरकार लोगों को नये उद्यम प्रारम्भ करने के लिये कुछ सहायता, प्रोत्सहन, छूट, अन्य सुविधाएं जैसे संरचनात्मक सुविधा आदि प्रदान करती है। कभी-कभी प्रकाशित उद्यमी कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कार्यहानि अथवा कार्य आदि से प्रेरित होकर अथवा कभी कभी इसके दबाव में आकर उद्यमिता स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ कुछ वर्षों पूर्व लघु उद्योगों के लिये उत्पादों के आरक्षण की मजबूरी से बहुत उद्योगों को अपनी लघु इकाई प्रारम्भ करने के लिये प्रेरित होना पड़ा था। वर्तमान समय में जोखिम कोष (risk fund) आई. टी. क्षेत्र के पेशेवर लोगों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिये बड़ा प्रेरित कर रहा है।

2.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. उद्यमी शब्द का उद्गम शब्द (इण्टरपेन्डर) से हुआ है। (फ्रेंच या इटालियन)
2. उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साधन होता है। (उद्यमी या निवेश)
3. उद्यमी व्यक्तियों का दृष्टिकोण सदैव होता है। (आशावादी या निराशावादी)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. अनुषांगी उद्यमी (Subsidiary Entrepreneur) प्रारम्भ में स्वयं कोई उद्योग या व्यवसाय नहीं चलाते हैं।

2. स्वनियुक्त उद्यमी (Self-employed entrepreneur) को किसी के द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है बल्कि वह इन्हें अपना कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है।

2.9 सारांश (Summary)

आज उद्यमी को बहुआयामी होने के साथ साथ वह जोखिम वहन कर्ता के रूप में भी देखा जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उद्यमी में सब गुण होने की आवश्यकता जो एक सफल उद्यमी बना सकते हैं। उद्यमी में जो प्रमुख लक्षण होने चाहिये उनमें विश्वास, स्वतंत्रता, वैयक्तिकता, आशावादी, जो आत्मविश्वास, के लिये आवश्यक है वहीं उसमें यह भी लक्षण हो उपलब्धि की इच्छा, लाभ आमुखी, अध्यवसाय दृढता, संकल्प, परिश्रम, प्रेरणा, ऊजा आदि जिससे वह अपने कार्यों के प्रति परिणाम आमिमुखी हो सके। उद्यमी में जोखिम वहन योग्यता व चुनौती की इच्छा होनी अतिआवश्यक है। उद्यमी को जोखिम वहन करने में मददगार साबित हो सकती है। उद्यमी स्वयं नेतृत्व व्यवहार, मानवीय व्यवहार, सुझावों व आलोचनाओं के प्रति अन्दुक्रियाशील होना चाहिये। जिससे उसके अन्दर नेतृत्व की भावना प्रबल रूप से कार्य कर सके। उद्यमी में मौलिकता का तत्व अतिआवश्यक है। क्योंकि मौलिकता से वह नवप्रवर्तक, सृजनशील, लोचशील, स्वतंत्र विचार पर साधन सम्पन्न आदि हो सकता है। उद्यमी में यह भी लक्षण हो कि वह भविष्य उन्मुख हो सके जिससे वह बहुविज्ञ, सुविज्ञ, दूरदर्शी और अनुबोधक जैसे भावों को अपने आप में समाहित कर सके।

प्रायः उद्यमी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के देखे जाते हैं। किन्तु उन उद्यमी द्वारा अर्थव्यवस्था को बल मिलता है जो उद्यमी अपना स्वयं का व्यवसाय, मौलिक वस्तुओं का उत्पादन कर्ता, नये व्यापारिक बाजारों का सृजनकर्ता आदि महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ऐसे उद्यमी राष्ट्र में एक धरोहर की तरह होते हैं जिनके द्वारा समाज लाभांविता होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये यदि उद्यमियों के लक्षण एवं प्रकारों को बेहतर ढंग से समझ पये जो शायद आर्थिक विकास की गति और तेजी एवं बल मिलेगा।

2.10 शब्दावली (Glossary)

- **नवप्रवर्तक उद्यमी (Innovative Entrepreneur):** यह वह उद्यमी होते हैं जो अपने व्यवसाय में निरन्तर खोज एवं अनुसंधान करते रहते हैं और इन अनुसंधानों व प्रयोगों के परिणामस्वरूप व्यवसाय में परिवर्तन करके लाभ अर्जित करते हैं।
- **पहलकर्ता उद्यमी (Initiative Entrepreneur):** यह वह उद्यमी होते हैं जो नव प्रवर्तकों के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में प्रवेश करते हैं एवं विकास की गति को बल प्रदान करते हैं।

2.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. फ्रेंच 2. उद्यमी 3. आशावादी

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. सत्य

2.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

2.13 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस - वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस - जोशी एवं गुप्ता।

3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
 4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था - नवलखा, माधुर।
-

2.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमी कौन है? स्पष्ट कीजिये तथा उद्यमी की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
2. उद्यमी को परिभाषित करते हुये उसके गुण एवं लक्षणों की व्याख्या कीजिये।
3. एक सफल उद्यमी में कौन कौन से लक्षण होने आवश्यक है, विस्तार से चर्चा कीजिये।
4. एक सफल उद्यमी के समाज के प्रति दायित्वों पर प्रकाश डालिये।
5. उद्यमी के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से बताइये।

इकाई-3 उद्यमिता का विकास (Development of Entrepreneurship)

- 3.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 3.2 उद्देश्य (Objectives)
- 3.3 उद्यमिता विकास का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship Development)
- 3.4 उद्यमिता विकास की प्रासंगिकता (Relevance of Entrepreneurship Development)
- 3.5 उद्यमिता विकास का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development)
- 3.6 उद्यमिता विकास की उपलब्धियाँ (Achievements of Entrepreneurship Development)
- 3.7 भारत में उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development in India)
 - 3.7.1 भारत में उद्यमिता की धीमे विकास के कारण (Reasons for Slow Growth of Entrepreneurship in India)
- 3.8 केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान (Major Institutions Established by the Central Government)
- 3.9 राज्य स्तर पर स्थापित संस्थान (Institutions Established at the State Level)
- 3.10 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation of Entrepreneurship Development Programmes)
- 3.11 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुधारने एवं प्रभावी बनाने हेतु सुझाव (Suggestions for Improving and Making Entrepreneurship Development Programmes Effective in India)
- 3.12 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 3.13 सारांश (Summary)
- 3.14 शब्दावली (Glossary)
- 3.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 3.16 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 3.17 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 3.18 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्यमिता का विकास एक आधुनिक एवं जटिल विचारधारा है। यह किसी देश के विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में उद्यमिता का विकास एक नवीन विचारधारा है।

विकासशील देशों की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे- असंतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण, न्यून उत्पादकता, बेरोजगारी, अलाभकारी विनियोजन, अकुशल उत्पादन, औद्योगिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कमी आदि जैसी गम्भीर समस्याओं का निवारण उद्यमिता के विकास के कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। यही कारण है कि आज प्रत्येक देश की सरकार विशेषतः भारत जैसे विकासशील देश की सरकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे रही है। इस इकाई के माध्यम से आप उद्यमिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इसके महत्व एवं भारत में उद्यमिता का विकास किस प्रकार है और इसकी विकास की सम्भावनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।

3.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- ✓ उद्यमिता का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व को समझ सकेंगे।
- ✓ परियोजनाओं को कैसे तैयार किया जा सकता है, यह जान सकेंगे।
- ✓ उपक्रम की स्थापना के लिये आवश्यक जानकारी हासिल कर सकेंगे।
- ✓ लघु व्यवसाय की स्थापना से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं कार्यविधि जान सकेंगे।
- ✓ एक अच्छे उद्यमी बनने के लिये गुण एवं दोष जान सकेंगे।

3.3 उद्यमिता विकास का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship Development)

उद्यमिता विकास से आशय किसी ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य सम्भावित उद्यमियों की खोज करना, उसमें उद्यमिता की भावना विकसित करना, उनमें उद्यमीय के गुणों एवं कौशल का विकास करना तथा उन्हें सफलतापूर्वक अपना उपक्रम स्थापित करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम निम्न पांच बातों पर बल देता है-

- A. भौतिक संसाधनों की उपलब्धता (Availability of physical resources)
- B. वास्तविक उद्यमियों का चयन (Selection of genuine entrepreneurs)
- C. व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण (Vocational and industrial education and training)
- D. औद्योगिक इकाइयों का निर्माण (Construction of industrial units)
- E. क्षेत्रीय विकास नीति का निर्माण (Formulation of regional development policy)

यह सभी बातें एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक संगठित एवं व्यवस्थित विकास कार्यक्रम में जो कि उद्यमिता के विकास पर बल देता है।

उद्यमिता विकास की परिभाषा (Definition of Entrepreneurship Development)-

- (1) "उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगिकरण का एक अस्त्र है तथा उद्यमिता के विकास में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं का समाधान करता है।"

(2) प्रो. एस.पी. हिंस (Prof. S.P. Hins) के अनुसार, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न क्रियाएं सम्पन्न की जाती हैं-

- सम्भावित उद्यमियों में उद्यमिता की प्रेरणा जाग्रत करना
- उद्यमिता गुणों तथा कौशल का विकास करना
- दैनिक क्रियाओं में उद्यमिता व्यवहार उत्पन्न करना तथा उसमें सुधार करना
- उद्यमिता के द्वारा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित/विकसित करने में सहयोग प्रदान करना

3.4 उद्यमिता विकास की प्रासंगिकता (Relevance of Entrepreneurship Development)

चाहे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील हो अथवा विकसित, सभी जगह उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रासंगिकता है। यही कारण है कि आज सभी देशों में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उद्यमिता विकास औद्योगीकरण का मूलाधार है तथा बेरोजगारी के निवारण का तंत्र है। उद्यमिता विकास की प्रासंगिकता के प्रमुख तत्व-

- उद्यमिता विकास किसी देश की चहुंमुखी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- उद्यमिता विकास उद्यमियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नियोजित व्यवस्था करता है।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों के कौशल में वृद्धि करता है।
- उद्यमिता विकास उद्यमियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है।
- यह गतिशीलता में वृद्धि करता है।
- इसके द्वारा नवीन परियोजनाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है।
- इसके विकास से बेरोजगारी को दूर करने में विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों का विकास होता है।
- उद्यमिता विकास से देश में लघु एवं सहायक उद्योगों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहन देता है।
- इसकी सहायता से देश में गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है।
- उद्यमिता विकास देश विदेश में नये-नये व्यवसायों की स्थापना पर बल देता है।
- उद्यमिता विकास, विकास एवं अनुसंधान पर बल देता है।

3.5 उद्यमिता विकास का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development)

उद्यमिता विकास के द्वारा देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक का हो या दवाइयों का या इन्जीनियरिंग या कृषि का या दूरसंचार, प्रमाणु ऊर्जा, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में उद्यमिता विकास द्वारा विकास के लक्ष्यों का प्राप्त किया जा सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं निम्न प्रकार बना सकता है-

- उद्यमिता के गुणों का विकास करना।
- गरीबी एवं बेरोजगारी का निवारण करना।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास करना।
- इसके द्वारा औद्योगिक गन्दी बस्तियों की रोकथाम की जा सकती है।
- उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
- उद्यमिता विकास के द्वारा सामाजिक तनाव में कमी लाई जा सकती है।

7. यह परियोजनाओं के निरूपण में सहायक सिद्ध होता है।
8. उद्यमिता विकास नये उपक्रमों की स्थापना में सहायक हो सकता है।
9. यह परियोजना एवं उत्पाद के चयन में सहायता कर सकता है।
10. पूंजी निर्माण में सहायक हो सकता है।
11. उद्यमिता विकास से सरकार की आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सकता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development Programme)-

1. **उद्यमिता के गुणों का विकास (Development of Entrepreneurial Qualities)-** उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यक्ति अथवा उद्यमी के बाहरी गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमी में दूरदर्शिता का गुण होना आवश्यक है। इस गुण का भी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा विकास किया जाता है।
2. **गरीबी एवं बेरोजगारी का निवारण (Removal of Poverty and Unemployment)-** निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी विकासशील देशों की सबसे गम्भीर समस्या है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम बेरोजगारों को स्वरोजगार व उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर पाने में सहायकता प्रदान करता है।
3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development)-** उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करता है तथा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकता है। यह लघु उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देता है।
4. **औद्योगिक गन्दी बस्तियों की रोकथाम (Prevention of Industrial Slums)-** नगरों में आवासों की अत्याधिक कमी होने के कारण बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियों की स्थापना होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन गन्दी बस्तियों के उन्मूलन में सहायकता प्रदान करता है।
5. **स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग (Use of Locally Available Resources)-** स्थानीय स्तर पर असीम स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा इन स्थानीय संसाधनों के विदोहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
6. **समाजिक तनाव में कमी (Reduction of Social Tension)-** नवयुवकों को स्वरोजगार की ओर अकर्षित करके सामाजिक तनाव एवं निराशा में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। ऐसा उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा ही किया जा सकता है।
7. **परियोजना के निरूपण में सहायक (Helpful in Formulation of Project)-** परियोजना निरूपण के अन्तर्गत चयन की गई परियोजना का विश्लेषण तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से किया जाता है। यह आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, यन्त्र एवं सामग्री, कच्चे माल की पूर्ति, उत्पादन तकनीक, भूमि एवं भवन अभिन्यास आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
8. **उपक्रम की स्थापना में सहायक (Helpful in Establishment of Enterprise)-** किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करना अत्यंत कठिन एवं जोखिम पूर्ण कार्य है। इसके लिये विभिन्न क्रियाएं सम्पन्न करनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में उद्यमी को सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग उसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है।
9. **परियोजना एवं उत्पाद के चयन में सहायक (Helpful in Selection of Project and Product)-** उद्यमिता विकास कार्यक्रम विभिन्न परियोजनाओं, उत्पादों का मूल्यांकन करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ

परियोजना एवं उत्पाद का चयन करने से है जो उसे अधिकतम लाभ प्रदान कर सके और जिसके भावी विकास का व्यापक क्षेत्र हो।

10. **पूँजी निर्माण में सहायक (Helpful in Capital Formation)**- पूँजी सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का जीवन रक्त है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम पूँजी निर्माण को गति प्रदान करता है।

3.6 उद्यमिता विकास की उपलब्धियाँ (Achievements of Entrepreneurship Development)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसी देश के आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं-

- 1) **तीव्र औद्योगीकरण (Rapid Industrialization)**- उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि न केवल किसी देश में औद्योगीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने की है अपितु उसने उसे तीव्रता भी प्रदान की है। यह कार्य उसने उद्यमी को शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करके एवं औद्योगीकरण के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा कर किया है।
- 2) **बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायक (Helpful in Solving The Problem of Unemployment)**- अल्पविकास एवं विकासशील देशों की सबसे बड़ी एवं गम्भीर समस्या बढ़ती बेरोजगारी है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा स्वरोजगार परक योजनाओं को लागू करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है।
- 3) **नवीन उपक्रमों की स्थापना एवं विस्तार (Establishment and Expansion of New Enterprises)**- वास्तव में वर्तमान में गलाकाट प्रतियोगिता है तथा मंदी के युग में किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करना एवं उसका विस्तार एक अत्यन्त कठिन एवं जोखिमपूर्ण कार्य है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अधीन जहाँ एक ओर शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा उद्यमी के विभिन्न गुणों का विकास किया जा सकता है जिससे वह नवीन उपक्रम लगा सके।
- 4) **उद्यमिता प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण (Entrepreneurship Education And Training)**- इस प्रक्रिया में उद्यमी अच्छा बनता है, उसका ज्ञान (सामान्य एवं तकनीकी), क्षमता, कल्पना-शक्ति, विवेक-शक्ति, जोखिम उठाने की क्षमता, निर्णय लेने क्षमता में वृद्धि होती है। जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और वह किसी व्यवसाय या उद्योग को प्रगति के शिखर पर ले जाता है।
- 5) **परियोजना निरूपण (Project Formulation)**- अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में संसाधनों की कमी के कारण परियोजनाओं का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि संसाधनों की कमी के कारण कहीं परियोजनाओं को बीच में ही ना छोड़ना पड़े।
- 6) **उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना (Establishment Of Entrepreneurship Development Institutes)**- भारत में उद्यमिता विकास के लिये विभिन्न संस्थान क्रियाशील हैं जैसे- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, प्रबन्धकीय विकास संस्थान, लघु उद्योग विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, लघु उद्यमिता विकास मण्डल, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, लघु उद्योग सेवा संस्थान।
- 7) **संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development)**- जब उद्योग केवल कुछ ही नगरों में केन्द्रीकृत हो जाते हैं जो समूचे देश का विकास रूक जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रोत्सहित किया जा सकता है।
- 8) **विविध (Miscellaneous)**- (1) यह उत्पादकता में वृद्धि करता है। (2) बाजार का विस्तार (3) उपभोक्ताओं के लिये सस्ता एवं टिकाऊ उत्पाद उपलब्ध करता है। (4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है।

(5) आर्थिक सत्ता विकेन्द्रीकरण करता है। (6) सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकास (7) संसाधनों का कुशलतम उपयोग (8) नये-नये उद्यमिता अवसरों का विकास होना आदि।

3.7 भारत में उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development in India)

प्राचीन काल से ही भारतीय उद्यमी अपने कला कौशल एवं व्यवसायिक दक्षता के लिये विश्वविख्यात रहे हैं। चीनी यात्री व्हेनसांग ने भारत के हस्त-कौशल एवं शिल्पकला की प्रशंसा अपने यात्रा वर्णनों में की है। भारत का कलात्मक शिल्प विश्व में बेजोड़ रहा है।

टवर्नियर (Tavernier) के अनुसार, “ भारत में बनी वस्तुएं इतनी हल्की व सुन्दर होती हैं कि हाथ में होते हुये भी यह आभास नहीं होता है कि वे हाथ में हैं”।

सुदृढ़ औद्योगिक ढाँचे के अभाव के कारण भारत में औद्योगिक उद्यमशीलता का उदय 1850 के पूर्व नहीं हुआ था। यद्यपि वाराणसी, इलाहाबाद, गया, पुरी, मिर्जापुर आदि शहरों में दस्तकारों द्वारा कुछ कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। भारत में औद्योगिक उद्यमशीलता का शीघ्र विकास न होने के कारणों में पूंजी की कमी, राजनैतिक इच्छा का अभाव, चुंगी बाधाएं, असंख्य मुद्रा प्रणालियां, क्षेत्रीय बाजार, कर नीतियां आदि प्रमुख हैं। ‘ईस्ट इंडिया कम्पनी’ के आगमन के साथ ही पारसियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रथम जहाज निर्माण कारखाना सूरत में 1673 में स्थापित किया। 1677 में मनजी धनजी को ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिये बम्बई में एक ‘गन पाउडर मिल’ स्थापित करने का अनुबन्ध प्राप्त हो गया। एक पारसी पोरमैन ने भी 1852 में बम्बई में एक स्टील कम्पनी की स्थापना की थी।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में कुछ बड़े औद्योगिक उद्यमियों की जन्म हुआ। उनमें जमशेद जी टाटा का नाम प्रमुख है। इस दौरान देश में स्टील, इन्जीनियरी, विद्युत शक्ति, जहाजरानी उद्योगों का विकास हुआ। संक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में उद्यमियों का विकास बहुत सीमित रहा। औद्योगिक उद्यमियों का विकास मूलतः मुम्बई तथा कोलकाता बन्दरगाहों के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उद्यमियों को विकास भी कुछ ही समुदायों के व्यक्तियों में ही हुआ था।

सन् 1948 में भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें उद्यमियों के विकास के लिये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी थीं। तत्पश्चात् सन् 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना में निजी तथा सार्वजनिक दोनों के लिये ही उद्योगों का स्पष्ट क्षेत्र निर्धारित किया गया। आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सुरक्षित किये गये, जबकि इन्जीनियरी, वस्त्र, सीमेंट, चीनी, दवायें रंग-रौगन आदि उद्योग निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिये छाड़े गये।

सन् 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। यह योजना मूलतः औद्योगिक विकास को समर्पित थी। फलतः इस योजनाकाल में ही नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई तथा निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक साहसीवृत्ति के विकास को महत्वपूर्ण समझा गया तथा निजी क्षेत्र में साहसियों को विशेष छूटें दी गईं।

बाद की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में समय समय पर उद्यमिता तथा औद्योगिक विकास के बारे में बात की गई तथा इसके लिये अनेक साहसी वृत्ति के विकास किये गये। दसवीं योजना (2002-07) में उद्यमिता के विकास पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में उद्यमी के उद्यमिता के विकास के लिये भारत सरकार विभिन्न योजनाएं एवं नीति निर्माण पर प्रगतिशील है।

3.7.1 भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण (Reasons for Slow Growth of Entrepreneurship in India)

अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में भारत में उद्यमिता के विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं-

1. परम्परागत विचारधारा का होना।
2. भारत में दूषित समाजी व्यवस्था का होना।
3. यहां पर अभौतिकवादी संस्कृति पायी जाती है।
4. प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव।
5. तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव।
6. भारत में पूंजी की कमी है।
7. उद्यमिता की मनोवृत्ति का अभाव होना।
8. नौकरशाही प्रवृत्ति एवं लालफीताशाही का बोलबाला।
9. नवाचारों व परिवर्तनों का प्रतिरोध।
10. बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का भय
11. अपर्याप्त सुविधाएं।
12. प्रतिकूल वातावरण।

भारत में उद्यमिता के धीमी विकास के कारण (Reasons for Slow Growth of Entrepreneurship in India)-

1. **परम्परागत विचारधारा (Traditional Ideology)-** समाज में प्रचलित विचार पद्धतियां व्यक्तियों के जीवन एवं व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। परम्परागत विचार शैलियों के कारण समाज में उद्यमिता, साहसवृत्ति, कर्मवादिता व सृजनशील प्रवृत्तियों का विकास नहीं हो पाता है।
2. **दूषित सामाजिक व्यवस्था (Corrupt Social System)-** समाज में जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, धार्मिक उन्धविश्वासों, सामाजिक कुप्रथाओं व पारिवारिक बन्धनों के कारण उद्यमी प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाती है।
3. **अभौतिकवादी संस्कृति (Unmaterialistic Culture)-** जिस देश की संस्कृति अभौतिकवादी होती है वहां धन-सम्पदा के संग्रह, सम्पत्ति निर्माण, निजी लाभों, आर्थिक कार्यों, उत्पादन क्रियाओं आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
4. **प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव (Lack of Training Facilities)-** भारत में उद्यमियों का विकास इस लिये भी अवरूद्ध रहा है कि यहां प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ प्रशिक्षण केन्द्र हैं वे भी बहुत बड़े शहरों में हैं।
5. **तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव (Lack of Facilities for Technical Education)-** हमारे देश में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का आज भी अभाव ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं उसके बाद भी तकनीकी शिक्षण संस्थाएं अत्यंत कम थीं। अब ऐसी संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं।
6. **पूंजी की कमी (Lack of Capital)-** हमारे देश में पूंजी की कमी है। लोग जोखिम ना उठाकर केवल मकान, जमीन, सोने चांदी जैसी वस्तुओं में ही विनियोग करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त ज्यादातर लोगों की बचत क्षमता भी बहुत कम है। अतः पूंजी निर्माण भी बहुत कम हो पाता है।
7. **उद्यमी मनोवृत्ति का अभाव (Lack of Entrepreneurial Attitude)-** जिस देश की युवा पीढ़ी में व्यापक रुचि, जोखिम लेने की क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्यमिता दृष्टिकोण व उद्योग-धन्धे स्थापित करने की भावना का अभाव होता है, वहां उद्यमिता का विकास रूक जाता है।
8. **नौकरशाही प्रवृत्ति एवं लालफीताशाही का बोलबाला (Prevalence of Bureaucratic Attitude and Red-Tapism)-** एक उद्यमी को उद्यम की स्थापना एवं संचालन के लिये विभिन्न सरकारी

कार्यालयों एवं संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सामान्य उद्यमी ऐसी परिस्थितियों से पीछे हट जाता है।

9. **नवाचारों व परिवर्तनों का प्रतिरोध (Resistance to Innovations and Changes)**- जिस समाज में नवाचारों के प्रति उपेक्षा, शोध एवं अनुसंधान का अभाव तथा नवीन परिवर्तनों का प्रतिरोध किया जाता है, वहां उद्यमिता का विकास रूक जाता है।
10. **बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का भय (Fear of Competition from Big Industries)**- हमारे देश में कुछ एक व्यवसायिक घराने ही फूलते फलते रहे हैं व उनका ही व्यवसाय पर एकाधिकार रहा है। ऐसे में भी नये उद्यमियों का विकास सीमित ही होता है।

3.8 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान (Major Institutions Established by the Central Government)

भारत सरकार द्वारा प्रमुख संस्थानों का स्थापना की गई है वे निम्न हैं-

1. प्रबन्धकीय विकास संस्थान (Management Development Institute)
2. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Indian Entrepreneurship Development Institute)
3. लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organization)
4. लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute)
5. अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड (All India Small Industries Board)
6. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (National Small Industries Corporation Limited)
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (National Small Industries Corporation Limited)
8. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मण्डल (National Entrepreneurship Development Board)
9. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद (Indian Entrepreneurship Development Institute, Ahmedabad)
10. राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम (National Research and Development Corporation)
11. राष्ट्रीय वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक (National Commercial and Co-operative Bank)
12. भारतीय विनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre)
13. भारतीय राजकीय व्यापार निगम लिमिटेड (State Trading Corporation of India Ltd.)

3.9 राज्य स्तर पर स्थापित संस्थान (Institutions Established at The State Level)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संगठित करने, विकसित करने एवं सफल बनाने के लिये राज्य स्तर पर निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की गई है-

1. लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute)
2. जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre)
3. राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation)
4. तकनीकी परामर्श संगठन लि. (Technical Consultancy Organization Ltd.)
5. राज्य लघु उद्योग निगम (State Small Industries Corporation)

6. राज्य उद्योग निगम (State Industries Corporation)
7. उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries)
8. राज्य उद्योग संवर्धन निगम (Directorate of Industries)
9. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना (Establishment of Industrial Colony)

उपरोक्त केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित संस्थानों ने भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संवर्धन करने के लिये अनेक प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क प्रेरणाओं रियायतों एवं सुविधाओं की घोषणाएं की हैं। इन संस्थानों ने संतुलित औद्योगिक विकास करने तथा असंतुलन को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

3.10 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation of Entrepreneurship Development Programmes)

यह बात है कि गत कुछ वर्षों से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इनका संगठन एवं संचालन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। बड़े - बड़े तथा मध्यम श्रेणी के नगरों में ऐसे संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। गली-गली में प्रचूर मात्रा में उद्यमिता विकास संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। जिनमें प्रवेश लेने वाले बेरोजगार नवयुवकों से शुल्क एवं दान के रूप में भारी राशि वसूल की जाती है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उचित मूल्यांकन में प्रमुख बाधाएँ (Major Obstacles in Proper Evaluation of Entrepreneurship Development Programmes)

1. अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं एवं प्रेरणाएं (Inadequate Government Facilities and Incentives)- हमारे विशाल देश में उद्यमियों को प्रोत्सहित करने हेतु सरकार में पर्याप्त सुविधाएं एवं प्रेरणाएं उपलब्ध नहीं करायी हैं।
2. प्रशासनिक शिथिलता (Administrative Laxity)- हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी अत्यंत सुस्त एवं जड़ है। सरकारी विभागों व संस्थाओं में अकार्यकुशलता, नौकरशाही, लालफीताशाही, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पक्षपात, विलम्ब आदि बुराइयां व्याप्त हैं। इससे उद्यमियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
3. निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Poor Quality Technical and Vocational Education and Training)- भारत के उद्यमिता विकास संस्थानों में नवयुवकों को जो तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वह बहुत की निम्न श्रेणी का होता है।
4. उपयुक्त चयन प्रक्रिया का अभाव (Lack of Proper Selection Process)- भारत में उद्यमियों का चयन करते समय केवल साक्षात्कार लिया जाता है जबकि इसके लिये विभिन्न जांच आयोजित की जानी चाहिये।
5. उद्यमिता मनोवृत्ति का अभाव (Lack of Entrepreneurial Attitude)- भारत में अधिकांश युवक जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते हैं उनमें उपयुक्त व्यवसायिक रुचि, तकनीकी योग्यता, उद्योग भावना आदि का अभाव हाता है जिसके कारण उद्यमियों का विकास नहीं हो पाता है।
6. उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of Entrepreneurship Development Programmes)- जो संस्था उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं उसे उद्यमिता विकास

कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की व्यापक जानकारी होना आवश्यक है तभी वह अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकेगी।

7. **संगठनात्मक नीतियां एवं संरचनाएं (Organisational Policies and Structures)**- एक स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन करता है उसकी किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से सम्बद्धता के उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध रहती है।
8. **उद्यमियों की संख्या बढ़ाने पर अनावश्यक बल (Unnecessary Emphasis on Increasing the Number of Entrepreneurs)**- उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संघटनकर्ता उद्यमिता के उपयुक्त शिक्षण, प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के स्थान पर उद्यमियों की संख्या बढ़ाने पर अनावश्यक रूप से बल देते हैं।
9. **समन्वय का अभाव (Lack of Coordination)**- आज हमारे देश में अखिल भारतीय स्तर, राज्य स्तर तथा निजी स्तर पर अनेक उद्यमिता विकास कार्यक्रम कार्यरत हैं किन्तु उनमें समन्वय का अभाव है। यह गम्भीर प्रतिकूल स्थिति हमारे देश में प्रचलित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की कमियों के कारण उत्पन्न होती है। उनमें से प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं-
 - a) अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं एवं प्रेरणाएं।
 - b) प्रशासनिक व्यवस्था का शिथिल होना।
 - c) निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
 - d) उपयुक्त चयन प्रक्रिया का अभाव।
 - e) उद्यमिता मनोवृत्ति का अभाव।
 - f) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के असफल।
 - g) संगठनात्मक नीतियों एवं संरचनाओं का त्रुटिपूर्ण होना।
 - h) उद्यमिता विकास की समस्या उसकी ही जड़ में होना।
 - i) उद्यमिता की संख्या बढ़ाने पर अनावश्यक बल देना।
 - j) उद्यमिता विकास में समन्वय का अभाव देखने को मिलता है।

उपर्युक्त समस्याओं की वजह से आज उद्यमिता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। इन समस्याओं को अगर सही तरीके से कम किया जा सके तो देश में उद्यमिता विकास को और तेजी से आगे ले जाया जा सकता है।

3.11 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुधारने एवं प्रभावी बनाने हेतु सुझाव (Suggestions for improving and making entrepreneurship development programmes in India more effective)

भारत 125 करोड़ से भी अधिक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसमें बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्या आज भी है। आज भारत में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसके यहां एक या दो सदस्य बेरोजगार न हों। स्थिति इतनी अधिक भयावह रूप धारण कर चुकी है कि अमुख परिवार के सदस्यों ने बेरोजगारी के कारण सामूहिक आत्महत्या कर ली। हमें इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और इसके समाधान के लिये समुचित उपायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

इस समस्या के समाधान के लिये समुचित उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक महत्वपूर्ण विकल्प है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संगठित करके लागू किया जाये। हमें इनकी कमियों को दूर करना होगा और इन्हे अधिक रोजगार प्रमुख बनाना होगा। हमें इस सम्बन्ध में अन्य देशों, जैसे-जर्मनी, जापान, कोरिया तथा अमेरिका से भी सबक लेना होगा। उनके यहां संचालित कार्यक्रमों को सामने रखकर

अपने यहां के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार लाना होगा। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं-

1. भारत में स्थित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में प्रभावी ढंग से सुधार किया जाना चाहिये।
2. सरकार द्वारा कठोर नियम बनाकर कागज पर चल रहे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जानी चाहिये।
3. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की समय समय पर व्यापक रूप से जांच पडताल होनी चाहिये।
4. प्रशिक्षण लेने वाले नवयुवकों की निष्पादन योग्यता पर बल दिया जाना चाहिये।
5. पिछड़े हुये क्षेत्रों में उद्यमियों की पहचान पद्धति का विकास किया जाना चाहिये।
6. शिक्षा पद्धति को रोजगार व उद्यमिता अभिमुखी बनाया जाना चाहिये। इसमें तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाये।
7. उद्यमियों व कारीगरों के लिये प्रशिक्षण व अभिप्रेरणा की उचित व्यवस्था की जाये।
8. स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिये।
9. उद्यमियों के लिये परामर्श सेवाओं का विस्तार करना चाहिये।
10. नये उद्यमियों को सरकार व विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं व प्रेरणाओं की जानकारी दी जानी चाहिये।
11. उद्यमिता विकास हेतु कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय संस्था की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहिये।
12. सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं में नौकरशाही प्रवृत्तियां को दूर किया जाये।
13. कर ढांचे को उद्यमियों के अनुकूल बनाना चाहिये।
14. देश में पूंजी निवेश का वातावरण तैयार करने हेतु औद्योगिक नीति में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।
15. ग्रामीण व लघु उद्यमियों के विकास हेतु विशिष्ट संवर्धन योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिये।
16. उद्यमी प्रवृत्तियां विकसित की जानी चाहिये। इस हेतु सामाजिक प्रक्रिया का प्रभावी बनाया जाना चाहिये।
17. आर्थिक नीतियों में समय समय पर सुधार होना चाहिये।
18. संस्थागत ढांचा विकसित किया जाना चाहिये।
19. आर्थिक प्रशासन में आवश्यक सुधार होना चाहिये।
20. उद्यमियों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाये।
21. सरकारी तंत्र को लाल फीताशाही से मुक्त करना चाहिये।

3.12 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. राज्य वित्त निगम..... स्तर पर संगठित संस्था है। (राज्य या राष्ट्रीय)
2. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्तर पर संगठित संस्था है।(राज्य या राष्ट्रीय)
3. लघु उद्योग विकास संगठन स्तर पर संगठित संस्था है।(राज्य या राष्ट्रीय)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
2. आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भर है।

3.13 सारांश (Summary)

विकासशील देशों की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे- असंतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण, न्यून उत्पादकता, बेरोजगारी, अलाभकारी विनियोजन, अकुशल उत्पादन, औद्योगिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कमी आदि जैसी गम्भीर समस्याओं का निवारण उद्यमिता के विकास के कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगिकरण का एक अखर है तथा उद्यमिता के विकास में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास के द्वारा देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक का हो या दवाइयों का या इन्जीनियरिंग या कृषि का या दूरसंचार, प्रमाणु ऊर्जा, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में उद्यमिता विकास द्वारा विकास के लक्ष्यों का प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में औद्योगिक उद्यमशीलता का शीघ्र विकास न होने के कारणों में पूंजी की कमी, राजनैतिक इच्छा का अभाव, चुंगी बाधाएं, असंख्य मुद्रा प्रणालियां, क्षेत्रीय बाजार, कर नीतियां आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित संस्थानों ने भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संवर्धन करने क लिये अनेक प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क प्रेरणाओं रियायतों एवं सुविधाओं की घोषणाएं की हैं।

3.14 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development):** इसका आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य सम्भावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना विकसित करना।
- **उपक्रम (Enterprises):** इसे औद्योगिक की एक इकाई के रूप में जाना जाता है।
- **बेरोजगारी (Unemployment):** प्रचलित मजदूरी दर जो व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो उसे काम न मिले बेरोजगार कहलाता है।
- **उद्यमिता शिक्षण एवं प्रशिक्षण (Entrepreneurship education and training):** शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने से उद्यमी में उसका ज्ञान, क्षमता, कल्पना शक्ति, विवेक शक्ति, जाखिम उठाने की क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।
- **अभिप्रेरणा (Motivation)-** वह प्रक्रिया जो व्यक्तियों के संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर सहयोग करने और अपने सर्वोत्तम प्रयासों का योगदान करने के लिये प्रेरित करता है।

3.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. राज्य 2. राष्ट्रीय 3 राष्ट्रीय
- निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-
1. असत्य 2 सत्य

3.16 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

3.17 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस - वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस - जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था - नवलखा, माधुर।

3.18 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमिता विकास के अर्थ व प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए।
2. उद्यमिता विकास के महत्व व उपलब्धियाँ का वर्णन कीजिए।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उद्यमिता के विकास का वर्णन कीजिए
4. भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण कौन-कौन से हैं घ्
5. केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता विकास के लिए भारत में स्थापित प्रमुख संस्थान कौन-कौन से हैं ?
6. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुधारने एवं प्रभावी बनाने के सुझावों का वर्णन कीजिए।

इकाई 4: रचनात्मकता, विचार सृजन, जाँच एवं परियोजना की पहचान (Creativity, Idea Generation, Testing and Project Identification)

- 4.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 4.2 उद्देश्य (Objectives)
- 4.3 सृजनशीलता (Creativity)
 - 4.3.1 अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)
 - 4.3.2 सृजनशीलता में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय (Necessary Measures to Increase Creativity)
 - 4.3.3 सृजनशीलता एवं नवाचार के लाभ / महत्व (Advantages / Importance of Creativity and Innovation)
 - 4.3.4 सृजनशीलता की प्रक्रिया (Process of Creativity)
- 4.4 विचार सृजन (Idea Generation)
 - 4.4.1 विचार सृजन के स्रोत (Sources of Idea Generation)
 - 4.4.2 विचार सृजन की तकनीक (Techniques of Idea Generation)
- 4.5 विचार जाँच/अनुवीक्षण (Idea Testing/Screening)
 - 4.5.1 विचार अनुवीक्षण व प्राथमिक जाँच करना (Idea Screening and Preliminary Testing)
 - 4.5.2 व्यापार विचार की संभव्यता (Feasibility of Business Idea)
 - 4.5.3 विचार अनुवीक्षण का महत्व (Importance of Idea Screening)
 - 4.5.4 विचार अनुवीक्षण में त्रुटियाँ (Errors in Idea Screening)
- 4.6 परियोजना परिचय (Project Introduction)
- 4.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 4.8 सारांश (Summary)
- 4.9 शब्दावली (Glossary)
- 4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 4.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 4.12 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 4.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्यमी तथा उद्यमिता विकास से सम्बन्धित यह चौथी इकाई है। इससे पूर्व आपने उद्यमिता के आधारभूत सिद्धान्तों को पढ़ा होगा। सृजनशीलता एवं नवाचार उद्यमियों के विशिष्ट लक्षण है जिससे वह नए उत्पादों / सेवाओं का सृजन कर सकता है। उद्यमी ना केवल वह व्यक्ति है जो विचारों को जन्म देता है अपितु अवसर की खोज कर उसका दोहन करता है। वह अवसर की नाजुकता को समझकर उसकी संभावनाओं पर विचार कर नवीन उद्योग व्यापार को मूर्त रूप देता है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप उद्यमिता में सृजनशीलता, विचार सृजन व अनुवीक्षण और परियोजना परिचय के आशय, महत्व और प्रक्रिया / तकनीकों को समझ सकेंगे तथा जान पायेंगे कि उद्यमी किस प्रकार अवसर को पहचानकर उसे चिन्हित करता है, विभिन्न संबंधित जानकारी प्राप्तकर उसकी वास्तविका का आंकलन करता है और अपने उद्यम / परियोजना की स्थापना सुनिश्चित करता है।

4.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- ✓ सृजनशीलता की अवधारणा एवं उसके महत्व को जान सकेंगे।
- ✓ विचार सृजन के स्रोत एवं तकनीकों को समझ सकेंगे।
- ✓ उद्यमी किस प्रकार विचार अनुवीक्षण करता और व्यापार विचार की संभव्यता स्थापित करता है, इसकी व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ परियोजना पहचान के लिए उद्यमी को किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए, इसकी व्याख्या कर सकेंगे।

4.3 सृजनशीलता (Creativity)

उद्यमी प्रकृति से मूलतः नवाचारी होता है और नवाचार सृजनशीलता से संभव होता है। जब उद्यमी सृजनशीलता से संभव होता है। जब उद्यमी सृजनशील होता है तो नवीन विचार उत्पन्न करता है नई विधि तकनीक को जन्म देने या विद्यमान तकनीक ज्ञान, विधि में परिवर्तन करने की सोचता है। उस नवीन विचार, ज्ञान विधि को जब अपनाया जाता है तो नवाचार होता है। अतः नवाचार उद्यमी की सृजनशीलता पर आधारित है। उद्यमी के सृजनशील हुए बिना नवाचार की आशा करना व्यर्थ है।

4.3.1 अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

साधारण शब्दों में, सृजनशीलता उद्यमी का वह गुण या क्षमता है जिससे वह नवीन विचारों, विधियों, तकनीकों एवं समस्याओं के समाधानों की नई विधियों को जन्म देता है। सृजनशीलता की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं-

जिम्मेरर तथा स्कारबोरो (Zimmerer and Scarborough)के अनुसार, “सृजनशीलता नये विचारों को विकसित करने तथा समस्याओं एवं अवसरों पर नवीन प्रकार से विचार करने की विधियाँ खोजने की क्षमता है।”

थियोडारे लेविट (Theodore Levitt) ने बहुत छोटी किन्तु, सारगर्भित परिभाषा दी है। उनके शब्दों में, “सृजनशीलता नवीन बातों पर विचार करना है।”

हिक्स एवं गुलैट (Hicks and Gullett) के शब्दों में, “सृजनशीलता किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता तथा जिज्ञासा का किसी क्षेत्र में उपयोग करना है जिसके परिणामस्वरूप किसी नवीन वस्तु या विचार का सृजन या प्रकटीकरण (अविष्कार) होना है।”

बौल्टन तथा थॉम्पसन (Boulton and Thompson) के अनुसार, “सृजनशीलता से तात्पर्य किसी ऐसी चीज की अवधारणा करना, कल्पना करना या संरचना पर विचार करना है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। यह उत्सुकता एवं अवलोकन से सम्बन्धित है।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन विचार, तकनीक या कार्य विधि के विकास पर विचार करता है अथवा किसी विद्यमान विचार, तकनीक या कार्यविधि में सुधार के उपाय ढूंढता है ताकि लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का नवीन एवं बेहतर ढंग से समाधान किया जा सके।

लक्षण या विशेषताएँ (Traits or Characteristics)

सृजनशीलता के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर सृजनशीलता की प्रवृत्ति को ठीक-ठीक समझा जा सकता है। सृजनशीलता के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैं-

1. **मानसिक गुण या क्षमता (Mental Qualities or Abilities)-** सृजनशीलता व्यक्ति का एक मानसिक गुण है। व्यक्ति इस गुण से नवीन विचारों, कार्यविधियों का आविष्कार कर सकता है।
2. **मौलिकता (Originality)-** सृजनशीलता व्यक्ति का मौलिक गुण है यह किसी दूसरे का अनुसरण करके ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु यह उसका मौलिक लक्षण ही होता है।
3. **सर्वव्यापी गुण (Universal Quality)-** सृजनशीलता एक सर्वव्यापी (Omnipresent) गुण है। यह गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, यद्यपि किसी में यह गुण कम होता है जबकि किसी अन्य में यह गुण अधिक होता है। किन्तु, सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता किसी एक ही क्षेत्र में नहीं होती है। कुछ लोग साहित्य में, कुछ लोग गीत-संगीत में, कुछ अन्य लोग अभिनय में, कुछ प्रशासन कार्यों में तो कुछ अन्य लोग लेखन-कार्य में या तकनीकी क्षेत्र में सृजनशील होते हैं।
4. **चिन्तन मनन प्रक्रिया (Thinking Process)-** सृजनशीलता चिन्तन-मनन की प्रक्रिया है जिसके दौरान कई नये विचारों, तकनीकों, ज्ञान आदि का सृजन होता है।
5. **कल्पना एवं अवधारणा (Imagination and Concept)-** सृजनशीलता लोगों को उन चीजों एवं बातों की कल्पना एवं अवधारणा करने का अवसर देती है जो दुनिया में अभी तक विद्यमान ही नहीं हैं।
6. **नवीनता (Innovation)-** सृजनशीलता का एक लक्षण यह है कि यह नवीनता प्रदान करती है यह नये विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों या ज्ञान का प्रकटीकरण एवं आविष्कार करती है।
7. **सुधार (Improvement)-** कुछ लोग यह मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है। सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। ऐसी सोच वाले लोग यह मान सकते हैं कि सृजनशीलता विद्यमान विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों, ज्ञान आदि में सुधार के मार्ग खोजती है।
8. **समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान (Solution of Problems and Challenges) -** सृजनशीलता वह गुण है जिससे लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान खोजा जा सकता है।
9. **उपयोग (Use)-** सृजनशीलता का उपयोग व्यक्तिगत स्तर एवं संस्थागत स्तर पर किया जा सकता है। यह कारण है कि उद्यमी अकेला एवं अपना संगठन बनाकर साथियों के साथ सृजनशीलता का विकास एवं उपयोग कर सकता है।
10. **आविष्कार एवं नवाचार (Invention and Innovation)-** सृजनशीलता से नये विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि को जन्म दिया जाता है। अतः सृजनशीलता से आविष्कार होता है। आविष्कार एवं नवाचार करने के लिए सृजनशीलता अत्यावश्यक है।
11. **शिक्षण एवं प्रशिक्षण (Teaching and Training)-** सृजनशीलता वह गुण है जिसे शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा सीखा एवं सिखाया जा सकता है। इसका लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस हेतु पुस्तकों के उपयोग के साथ-साथ सेमिनार, सभाएँ, सम्मेलन, कार्यशालाओं आदि का आयोजन भी किया जा सकता है। इस प्रकार सृजनशीलता का गुण जन्मजात होना आवश्यक नहीं है। इस गुण को सीखा एवं विकसित किया जा सकता है।

4.3.2 सृजनशीलता में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय (Necessary Measures to Increase Creativity)

सामान्यतः सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि सभी लोगों में सृजनशीलता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। किन्तु, इसमें अभिवृद्धि की जा सकती है।

वस्तुतः सृजनशीलता एक बौद्धिक कौशल है जिसमें प्रयासों एवं अभ्यास से वृद्धि की जा सकती है। केवल उद्यमी या किसी व्यक्ति विशेष को ही सृजनशीलता में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं है। सृजनशीलता का गुण तो उद्यमी के सहयोगियों एवं संगठन के सभी सदस्यों में भी विकसित किया जाना परमावश्यक है। ऐसे में सृजनशीलता में वृद्धि किये जाने वाले उपायों अथवा सृजनशील वृद्धि के लिए आवश्यक बातों को निम्नांकित दो वर्गों में बाँटा जा सकता है।

1. एकाकी व्यक्ति की सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय,
2. संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय ।

1. एकाकी व्यक्ति की सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय (Ways to Increase The Creativity of A Lonely Person) -

किसी व्यक्ति विशेष या उद्यमी विशेष की सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु निम्नांकित उपाय करने चाहिये अथवा निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

1. **सृजनशीलता का मानस (The Mind of Creativity)-** सृजनशीलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि व्यक्ति स्वयं यह सोच लेता है कि वह सृजनशील नहीं है। किंतु सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु सर्वप्रथम ऐसी नकारात्मक सोच को बदलना परमावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति / उद्यमी को सकारात्मक रूप से यही सोचना चाहिये कि उसकी सृजनशीलता में वृद्धि हो सकती है। ऐसी सकारात्मक सोच से सृजनशीलता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। फलतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि करना आसान हो जाता है।
2. **विचारों का स्वतन्त्र आवागमन (Free Flow of Ideas)-** सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने के लिए मस्तिष्क के सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को पूर्णतः खोल देना चाहिये ताकि मस्तिष्क में विचारों का स्वतन्त्र आवागमन हो सके। इससे नये-नये विचार मस्तिष्क में आयेंगे। फलतः सृजनशीलता में वृद्धि होगी।
3. **विचारों के स्रोतों तक पहुँच (Access to The Sources of Ideas)-** प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करना चाहता है तो उसे सृजनशीलता के स्रोतों में जाना चाहिये। रेडियो, टी.वी., पुस्तकों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, बाहरी वातावरण, शॉपिंग माल, रेलवे स्टेशन आदि विचारों के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। उद्यमी को ऐसे स्रोतों तक पहुंचना चाहिये। उनसे नये-नये विचार उत्पन्न हो सकते हैं जिनसे सृजनशीलता में अभिवृद्धि हो सकती है।
4. **विचारों को नोट करना (Noting Down Ideas)-** व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार कभी भी आ सकते हैं। विचारों के क्रमबद्ध रूप से आना भी आवश्यक नहीं हैं अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नोट-बुक अपनी पहुँच में ही रखनी चाहिये और विचार आते ही उसमें नोट कर लेना चाहिये। अमरीका के एक बहुत बड़े उद्यमी पेट्रिक मेक्राटन का कहना है कि मेरी सृजनशीलता सफलता का अधिकांश श्रेय इसी बात को जाता है कि मैंने अपने मस्तिष्क में आने वाले प्रत्येक विचार को लिख लिया था और उसे अपने विशेष फोल्डर में संजो लिया था। इस प्रकार सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक विचार को नोट करना एवं संजोकर रखना भी आवश्यक है।
5. **अन्य लोगों के विचारों को सुनना (Listening to Other People's Ideas)-** कहावत है कि समझदार व्यक्ति अन्य लोगों के अनुभवों से सीख ग्रहण करते हैं। अतः उद्यमी को अन्य व्यक्तियों के अनुभवों एवं विचारों को सुनना चाहिये। अन्य लोगों के खट्टे मीठे अनुभवों एवं विचारों में कई महत्वपूर्ण सूत्र मिल

जाते हैं जिससे सोच को नई दिशा मिल जाती है। कई बार अन्य व्यक्ति जो सामान्य विचार व्यक्त करते हैं वही विचार उद्यमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। वह उसी विचार के आधार पर बहुत गंभीर चिन्तन कर लेता है और असाधारण नवाचार कर लेता है। अतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि के लिए दूसरों के विचारों को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये।

6. **बच्चों से सम्पर्क रखना (Keeping in Touch With Children)**- आजकल सामान्यतः कहा जाता है, आज के बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। वस्तुतः बच्चों की सोच पर कोई विशेष पाबन्दी नहीं होती है वे समाज की सीमाओं एवं बंधनों से परे होकर सोच एवं बोल सकते हैं। किन्तु, बड़ों को समाज की सीमाओं के भीतर सोचने बोलने एवं करने को बाध्य होना पड़ता है। अतः बच्चों के सोच की सीमा विस्तृत होती है। फलतः उनकी सृजनशीलता भी अधिक व्यापक होती है। अतः उद्यमियों को उनसे संपर्क रखना चाहिये उनके बीच उठ बैठकर नये-नये विचारों को जानना चाहिये। इससे उद्यमियों की सृजनशीलता में वृद्धि होगी।
 7. **खेल खिलौने में रूचि रखना (Taking Interest in Games and Toys)**- हम कई चीजें खेल-खेल में ही सीख जाते हैं। खेल खिलौने हमें सोचने के नये आयाम दे देते हैं, अतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि के लिए खेल खिलौने में भी रूचि रखनी चाहिये।
 8. **फुरसत के क्षण निकालना (Take Time Out for Leisure)**- सामान्यतः उद्यमी अत्यन्त व्यस्त होते हैं। उन्हें फुरसत एवं आराम के क्षण बहुत ही कम मिलते हैं। किसी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु उद्यमियों को कुछ समय निकालकर फुरसत से आराम करना चाहिये। इससे वे अपने कार्य के वातावरण से दूर होंगे एवं उनका ध्यान अन्य विषयों पर जायेगा। फुरसत के इन क्षणों में मानव मस्तिष्क के सोचने का नजरिया बदलता है। तब मानव मस्तिष्क किसी भी समस्या पर नये ढंग से विचार प्रारम्भ कर सकता है। फलतः फुरसत के क्षणों में उद्यमी को सृजनशीलता के नये आयाम प्राप्त होने लगते हैं।
 9. **विचार मंथन करना (Taking Time Out to Brainstorm)**- सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु विचार-मंथन भी करना चाहिये। उद्यमी बैठे-बैठे अपनी या अपने व्यवसाय की किन्हीं काल्पनिक या वास्तविक समस्याओं पर विचार करना एवं उनका समाधान ढूँढना शुरू कर सकते हैं। इससे उसके मस्तिष्क में अनेक वैकल्पिक समाधान जन्म ले सकते हैं। उन वैकल्पिक समाधानों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर उनके गुण दोषों का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया में उनकी सृजनशीलता में वृद्धि होना स्वाभाविक है।
 10. **प्रशिक्षण प्राप्त करना (Ideas Getting Training)**- उद्यमियों को अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिये। उचित प्रशिक्षण द्वारा सृजनशीलता सीखी जा सकती है जिम्मेरर तथा स्कारबोरो (Zimmerer and Scarborough) के अनुसार, सृजनशीलता के सिद्धान्तों को समझ एवं उपयोग कर नये एवं नवाचारी विचारों को विकसित करने की क्षमता का चमत्कारी ढंग से विकास किया जा सकता है।
 11. **बेहतर कार्यविधि खोजना (Finding Better Working Methods)**- उद्यमियों को सृजनशीलता के विकास के लिए वर्तमान या परम्परागत कार्यविधि से संतुष्ट होने की आदत छोड़नी होगी। उन्हें सदैव यह विचार एवं प्रयास करना चाहिये कि कार्य की कोई बेहतर कार्यविधि मिल जाए। उन्हें आलोचना के भय से मुक्त होकर कार्य की नई एवं बेहतर विधि खोजने का प्रयास करना चाहिये। इससे सृजनशीलता में अभिवृद्धि अवश्य होगी।
2. **संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय (Methods to Increase Organisational Creativity)**- संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि करने के लिए संगठन के वातावरण को अनुकूल बनाना होता है। इस हेतु निम्नांकित प्रयास किये जा सकते हैं।

- a. **नवीन विचारों को प्रोत्साहन (Encouragement of New Ideas)**- संगठन में सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु संगठन के सभी स्तरों पर नवीन विचारों को प्रोत्साहन देना चाहिये। संगठन के सभी स्तरों के प्रबन्धकों / अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों एवं आचरण से सभी कर्मचारियों को बता देना चाहिये कि नवीन विचारों को स्वागत किया जायेगा। इतना ही नहीं, सभी स्तरों के अधिकारियों / प्रबन्धकों को अपने अधीनस्थों से सुझाव आमंत्रित करने तथा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। जो सुझाव अच्छे हों उन्हें तत्काल क्रियान्वित करने हेतु अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसा करने से लोगों को नवीन विचारों के सृजन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- b. **आपसी विचार विमर्श को प्रोत्साहन (Encouragement of Mutual Discussions)**- संगठन में सृजनशीलता बढ़ाने हेतु संगठन के कर्मचारियों / अधिकारियों को अपने तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों / अधिकारियों के बीच आपसी विचार-विमर्श को प्रोत्साहन देना चाहिये। ऐसा करने से वे एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे तथा समस्याओं के समाधान हेतु नये उपाये भी ढूँढ पाएंगे।
- c. **उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वतन्त्रता (Freedom to Achieve Objectives)**- यह एक सामान्य सत्य है कि स्वतन्त्रता मुक्त विचारों को प्रोत्साहित करती है। अतः उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान करके संगठन के सदस्यों को अधिक सक्रियता से विचार करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के लिए केवल उद्देश्य निर्धारित करने चाहिये। उन उद्देश्यों की प्राप्ति की विधि एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने की छूट अधीनस्थों को ही दे देनी चाहिये। इससे वे कार्य करने में अधिक स्वतन्त्रता अनुभव करेंगे। फलतः उनकी सृजनशीलता में अभिवृद्धि होगी।
- d. **मान्यता या सम्मान प्रदान करना (To Grant Recognition or Honour)**- संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि हेतु सृजनशील कर्मचारियों / अधिकारियों को मान्यता या सम्मान प्रदान करना चाहिये। सृजनशील कर्मचारियों / अधिकारियों को पुरस्कार, बोनस या वेतन द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। ऐसा करने से अन्य सभी व्यक्ति प्रभावित होंगे एवं सृजनशील कार्य करने को प्रेरित होंगे।
- e. **विविध पृष्ठभूमि एवं अनुभव के लोगों की नियुक्ति (Hiring People from Diverse Backgrounds and Experience)**- संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि के लिए एक उपाय यह भी है कि संगठन में विविध पृष्ठभूमि के एवं विविध प्रकार के अनुभवों वाले व्यक्तियों की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों की आदतों, शौक, रुचियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि में भिन्नता होने से वे एक ही समस्या एक-दूसरे पर प्रभाव भी पड़ेगा। फलतः लोगों की सृजनशीलता पर सकारात्मक प्रभाव होगा।
- f. **सृजनशीलता की आशा रखना (Expect Creativity)**- संगठन के सदस्यों से अधिकारी कई आशाएँ रखते हैं। उन आशाओं में सृजनशीलता की आशा भी सम्मिलित होनी चाहिये। सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि संस्था को उनसे सृजनशील विचारों एवं कार्यों की अपेक्षा है। अधिकांश लोग अपने अधिकारियों की आशाओं को पूरा करने के प्रयास करते हैं। अधिकारियों को इस हेतु आवश्यक स्वतन्त्रता देनी चाहिये ताकि संगठन के प्रत्येक सदस्य की सृजनशीलता उजागर हो सके।
- g. **असफलता की आशा करना एवं सहन करना (Expecting and Tolerating Failure)**- विद्वानों का माना है कि जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे सृजनशील नहीं हो सकते हैं। दुनिया में सभी लोगों के विचार एवं कार्य सदैव सफल एवं उपयोग सिद्ध नहीं होते हैं। अतः संगठन के सदस्यों के विचार एवं कार्य भी सदैव सफल नहीं हो सकते। कभी-कभी उनके विचार एवं कार्य बुरी तरह असफल भी हो सकते हैं। जिससे समय एवं संसाधन व्यर्थ जा सकते हैं। किन्तु, अधिकारियों को ही नहीं, अधीनस्थों को भी इन असफलताओं को सहन करना सीखना चाहिये बल्कि अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के मन से

असफलता का भय निकाल देना चाहिये। इससे संस्था का सृजनशील वातावरण बनेगा एवं सदस्यों की सृजनशीलता में अभिवृद्धि होगी।

- h. **उत्सुकता को प्रोत्साहन (Encourage Curiosity)**- संगठन के सभी सदस्यों में नवीन विचारों एवं कार्यों के परिणामों के प्रति उत्सुकता को प्रोत्साहित करना चाहिये। प्रत्येक नये विचार या कार्य से अच्छे परिणाम की सम्भावना मान कर कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिये। ऐसा इसलिए कि किसी विचार या कार्य का परिणाम पूर्व निश्चित नहीं होता है। अतः सम्भावना ही आशा एवं उत्सुकता जागृत करती है। ऐसी भावना सदैव सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती है।
- i. **समस्याओं को चुनौतियाँ मानना (Treating Problems as Challenges)**- संगठन के प्रत्येक सदस्य को समस्या से हार मानकर बैठने की बजाय समस्या को चुनौती मानना एवं उसका समाधान ढूँढने का प्रयास करना चाहिये। चुनौतियाँ सृजनशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- j. **प्रशिक्षण (Training)**- संगठन के सदस्यों में सृजनशीलता की अभिवृद्धि करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिये। इस हेतु सृजनशीलता पर व्याख्यान, सेमीनार, कार्यशालाएं, सभाएँ, सम्मेलन आदि का आयोजन करना चाहिये। संगठन के सदस्यों को इनमें भागीदारी करने का अवसर प्रदान कर उनकी सृजनशीलता में अभिवृद्धि की जा सकती है।
- k. **संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करना (Providing Resources and Equipment)**- संगठन के सदस्यों की सृजनशीलता में वृद्धि करने हेतु उन्हें आवश्यक संसाधन एवं उपकरण भी उपलब्ध कराने चाहिये। संसाधनों में प्रमुख संसाधन है समय संगठन के सदस्यों को संगठन के कार्यों से मुक्त कर कुछ समय देना चाहिये। जिम्मेर तथा स्कारबोरो (Zimmerer and Scarborough) ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि सृजनशीलता के लिए प्रायः कार्य विहीन अन्तरालों की आवश्यकता पड़ती है और इसी दौरान कर्मचारियों को दिन में ही सपने देखने का अवसर देना इस प्रक्रिया (सृजनशीलता) का महत्वपूर्ण अंग है।
- l. **विचार संकलन करना (Collecting Ideas)**- सभी संस्थाओं में सृजनशील सदस्य होते हैं किन्तु सभी संस्थाएँ उनके सृजनशील विचारों का संकलन नहीं कर पाती है। फलतः उनका सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। अतः सभी सदस्यों के विचारों के संकलन की व्यवस्था होनी चाहिये। सुझाव पुस्तिकाओं, सुझाव पेटियों आदि की व्यवस्था करके विचारों का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी समय-समय पर कर्मचारियों से सम्पर्क करके उनके विचारों का संकलन कर सकते हैं। इससे संस्था में सृजनशीलता का वातावरण बना रहेगा।
- m. **पुरस्कार या सम्मान देना (Award or Honour)**- संगठन में सृजनशीलता के लिए पुरस्कार या सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिये। जो लोग सृजनशील विचार प्रस्तुत करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिये। पुरस्कार वित्तीय या गैर वित्तीय भी हो सकते हैं। अतः प्रशंसा, प्रमाण-पत्र, बोनस, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि के द्वारा सृजनशील सदस्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- n. **आदर्श प्रस्तुत करना (Presenting The Ideal)**- संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि का एक प्रमुख उपाय है। अधिकारियों को सृजनशील विचार एवं कार्य करके दिखाना चाहिये। उनकी सृजनशीलता सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। इससे संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि का वातावरण बनेगा।
- o. **परिवर्तन हेतु सहमत होना (Agree to a Change)**- सृजनशीलता के परिणामस्वरूप नये विचारों के अनुरूप नये कार्य या नये तरीकों से कार्य किया जाते हैं। फलतः संगठन में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। संगठन के सदस्यों को ऐसे परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिये। परिवर्तन के लिए सहमति देकर भी संगठन में सृजनशीलता के वातावरण को जीवित रखा जा सकता है।

4.3.3 सृजनशीलता एवं नवाचार के लाभ / महत्व (Advantages / Importance of Creativity and Innovation)

सृजनशीलता एवं नवाचार के अनेक लाभ हैं, इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं-

1. **अधिक अच्छे उत्पाद (More Good Products)**- सृजनशीलता से अधिक अच्छे उत्पादों का निर्माण संभव है। इसके परिणामस्वरूप विद्यमान उत्पादों के गुणों एवं लक्षणों में सुधार किया जा सकता है तथा बेहतर नए उत्पादों का निर्माण भी किया जा सकता है।
2. **लागत में कमी (Cost Reduction)**- सृजनशीलता व नवाचार के उपयोग से उत्पादन तकनीक, विपणन तकनीक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। फलतः उत्पादन वितरण एवं प्रशासनिक लागतों में कमी लाई जा सकती है जिससे उत्पाद / सेवा की लागत में भी कमी आती है।
3. **प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार (Improve Competitive Ability)**- सृजनशीलता व नवाचार वह महत्वपूर्ण साधन है जिससे उद्यमी अपनी संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार कर सकता है। यह उत्पादों की गुणवत्ता एवं उनके लक्षणों में सुधार तथा लागतों में कमी आने से संभव होता है।
4. **उपभोक्ता की संतुष्टि (Consumer Satisfaction)**- सृजनशीलता व नवाचार अपनाने से उत्पादों के गुणों व विशेषताओं में सुधार होता है, लागतों में कमी आती है तथा उपभोक्ताओं के अनुरूप उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है इन सबके फलस्वरूप उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है।
5. **ग्राहकों की निष्ठा (Customer Loyalty)**- सृजनशीलता व नवाचार के चलते ग्राहक उसी उद्यमी के उत्पाद क्रय करने लगते हैं तथा स्थायी ग्राहक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अन्य लोगों को भी उन्हीं उत्पादों को क्रय करने की सलाह भी देते हैं। इससे उद्यमी एवं उसके उत्पादों के प्रति ग्राहक की निष्ठा बन जाती है जो दीर्घकाल में उद्यमी के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होती है।
6. **कर्मचारियों को प्रेरणा (Motivation of Employees)**- सृजनशीलता व नवाचार करने एवं अपनाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलतः उन्हें भी इनके द्वारा उत्पन्न लाभों में भागीदारी मिलती है उन्हे सृजनशीलता व नवाचारी विचारों के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है तथा पुरस्कार एवं प्रशंसा भी मिलती है। अतः कर्मचारियों को सदैव प्रेरणा मिलती है व उनका विकास भी होता है।
7. **संस्था की ख्याति एवं छवि (Reputation and Image of The Organisation)**- सृजनशील संस्था अच्छे, सस्ते एवं नए उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। अतः वह संस्था बाजार में अग्रणी नजर आती है। ऐसी संस्था की ग्राहकों एवं जनता के बीच अच्छी ख्याति एवं छवि बन जाती है।
8. **उद्यमिता का विकास (Evolution of Entrepreneurship)**- पीटर ड्रकर (Peter Drucker) ने कहा है नवाचार उद्यमी का महत्वपूर्ण उपकरण एवं साधन है। सृजनशीलता व नवाचार की प्रवृत्ति उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सफल उद्यमी बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचानकर तथा सृजनशीलता से नवाचार करते रहते हैं और भविष्य में और भी सफलता प्राप्त करते हैं।

4.3.4 सृजनशीलता की प्रक्रिया (Process of Creativity)

विचार आमतौर पर एक सृजनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है जिससे कल्पनाशील व्यक्ति उन विचारों की अंकुरित करते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक विकसित करते हैं।

सृजनशीलता प्रक्रिया के चरण (Stages of The Creativity Process)- अधिकांश सामाजिक वैज्ञानिक सृजनशीलता के निम्न पांच चरणों पर सहमत होते हैं- विचार अंकुरण, विचार चिंतन, उद्भवन, प्रदीपन व सत्यापन। हर चरण में रचनात्मक व्यक्ति अंकुरण से सत्यापन चरण के लिए एक विचार को स्थानांतरित करने के लिए अलग-अलग व्यवहार करता है।

1. **विचार अंकुरण (Idea Germination)**- यह चरण एक प्रकार से बीज बोने की प्रक्रिया है। परन्तु यह चरण एक किसान की तरह आयोजित नहीं है जिसे किसान विकसित करता है। अपितु यह प्राकृतिक बीज बिखा की तरह अधिक होता है जब हवा द्वारा बिखरे हुए फूलों से बीज उपजाऊ जमीन लेते हैं। विचार का कैसे, कहाँ अंकुरण होता है यह सही रूप से बताया नहीं जा सकता परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिकांश सृजनशील विचार किसी विशिष्ट समस्या या क्षेत्र के बारे में व्यक्ति की जिज्ञासा के परिणाम से उत्पन्न होते हैं।
2. **विचार चिंतन (Idea Contemplation)**- एक बार जिज्ञासा का बीज विचार का रूप लेने लगता है, तब रचनात्मक लोग उत्तर के लिए एक सचेत खोज शुरू करते हैं। यदि यह एक ऐसी समस्या है जिसे वे हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे एक बौद्धिक यात्रा शुरू करते हैं और समस्या के बारे में तथा दूसरों ने इसे हल करने के कैसे प्रयास किए हैं इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। और यदि यह एक नए उत्पाद या सेवा के लिए विचार है तो व्यापार समकक्ष बाजार अनुसंधान है। तब उद्यमी आविष्कारक प्रयोगशाला प्रयोग स्थापित करेंगे, डिजाइनर इंजीनियरिंग नए उत्पाद विचार शुरू करेंगे और विपणक उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे।
3. **उदभवन (Emergence)**- व्यक्ति कभी-कभी किसी विचार पर गहन ध्यान केंद्रित करते हैं, परन्तु अधिकतर वे बिना किसी इरादे के विचारों को विकसित करने की अनुमति देते हैं। हम सभी ने जीनियस के शानदार व अचानक उत्पन्न विचारों के बारे में सुना है परन्तु कुछ महान विचार अंतर्दृष्टि के बादलों से आते हैं। इनमें कई विचार रचनात्मक लोगों के दिमाग में सबसे अधिक विकसित होते हैं जब वे अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं। एक बार विचार का बीज दिमाग की जमीन पकड़ लेता है और उसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है तब उद्यमी अवचेतन मन को जानकारी एकत्र करने के लिए समय देता है।
4. **प्रदीपन (Illumination)**- चौथा चरण तब होता है जब विचार यथार्थवादी सृजन के रूप में पुनरुत्थान करता है रचनात्मक लोग सामान्यतः विचार चिंतन व उदभवन के कई चक्रों से गुजरते हैं, जिसमें वे विचार के पूर्ण अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं। जब सृजनात्मक व्यवहार का एक चक्र उत्प्रेरक घटना में परिणामस्वरूप विफल रहता है तब इस चक्र को तब तक दोहराया जाता है जब तक विचार को उचित आकार न प्राप्त हो या विचार गायब न हो जाए। यह चरण उद्यमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश विचार रचनात्मक व्यक्ति के भ्रम की दुनिया में कम व्यावहारिक होते हैं और कई बार एक उपयुक्त घटना से ही प्रदीपन हो जाता है।
5. **सत्यापन (Verification)**- एक व्यक्ति के दिमाग में एक बार प्रकाशित होने वाले विचार का तब तक कोई अर्थ या मूल्य नहीं है जब तक वो यथार्थवादी व उपयोगी विचार के रूप में सत्यापित न हो जाये। एक प्रबुद्ध विचार को एक सत्यापित, यथार्थवादी और उपयोगी अनुपयोग में अनुवाद करने के लिए उद्यमी प्रयास आवश्यक होता है। सत्यापन चरण ज्ञान को उपयोग में परिष्कृत करने का विकास चरण है। यह प्रायः कठिन होता है और इसमें सृजन के व्यावहारिक परिणामों का लाभ पाने का रास्ता खोजने के एक लिए प्रतिबद्ध उद्यमी द्वारा दृढ़ता की आवश्यकता होती है।
इस चरण के दौरान कई विचार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि वे असंभव साबित होते हैं या कम मूल्य रखते हैं और सामान्यतः जो विचार अच्छे होते हैं वे या तो विकसित किये जा चुके होते हैं या उनके प्रतियोगी पहले से मौजूद होते हैं।
कई बार आविष्कारकों को इस कठोर निष्कर्ष के बारे में तब जानकारी मिलती है जब वे अपने उत्पादों को पेटेंट कराना चाहते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह आविष्कार पहले से ही पंजीकृत है।

4.4 विचार सृजन (Idea Generation)

विचार सृजन अवस्था / चरण उद्यमी गतिविधि का पहला कदम है। इस चरण में कई नवीन विचारों का विकास होता है अप्रयोगात्मक तथा अव्यवहारिक विचार को छोड़ दिए जाते हैं तथा वो विचार जो अधिक से अधिक उपलब्ध संसाधनों को नियोजित करने की सक्षमता रखते हैं उन्हें आगे मूल्यांकन के लिये चुना जाता है। विचारों को उपभोक्ता की आवश्यकतों का ध्यान रखना चाहिये। एक अच्छे विचार को इन विभिन्न तत्वों को परिभाषित करना चाहिए।

- आवश्यकता के प्रकार
- आवश्यकता पूरी करने के स्पर्धीत्मक तरीके
- कथित लाभ और जोखिम
- कीमत बनाम निष्पादन
- बाजार का आकार व विक्रय संभाव्यता
- ग्राहक की भुगतान क्षमता आदि

व्यापार विचार सृजन, व्यापार के विकास के नए अवसरों की तलाश है। पीटर ड्रकर (Peter Drucker) के अनुसार अवसर तीन प्रकार के होते हैं।

1. **योगज (Additive)**- इस प्रकार के अवसर निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों का बेहतर और गहन उपयोग करने की विधियाँ तलाश करना है। इसमें उत्पादन व विपणन रणनीतियों में बदलाव शामिल है।
2. **पूरक अवसर (Complementary Opportunity)**- ऐसे अवसर मौजूदा उत्पादों में नए विचारों को लाना अथवा बाजार में वांछित बदलावों या वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं इसमें व्यवसाय का स्वरूप बदलने की संभावना अधिक होती है तथा व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है।
3. **नवोन्मेष अवसर (Innovation Opportunities)**- ये अवसर नये उत्पाद, नई तकनीक या नये क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करते हैं। नवोन्मेष व्यवसाय की संरचना, रणनीतियाँ तथा स्वरूप को पूरी तरह बदल लेता है। इसमें जोखिम की मात्रा सर्वाधिक होती है और सफलता की सूरत में इसमें उद्यमी को लाभ भी सर्वाधिक प्राप्त होता है।

व्यापारिक विचार खोजने और चुनने में निम्नलिखित कदम शामिल हैं।

1. व्यावसायिक विचारों का सृजन
2. विचारों का अध्ययन व विकास
3. सबसे अच्छे विचार का चयन

व्यावसायिक विचार विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं फिर उनका प्रारंभिक मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। एक बार व्यवसाय के विचार उत्पन्न होते हैं तत्पश्चात् इन विचारों का अध्ययन, जांच (inspection) और परीक्षण (testing) किया जाता है जिसमें उद्यमी अपने अनुभव तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का सहारा लेता है।

4.4.1 विचार सृजन के स्रोत (Sources of Idea Generation)

1. **उपभोक्ता (Consumer)**- एक नया उद्यम अथवा मौजूदा संगठन को उपभोक्ता की आवश्यकताओं को लगातार अद्यतन (update) और पूरा करना होता है क्योंकि उपभोक्ता किसी भी व्यवसाय के बुनियादी मुखिया होते हैं और उपभोक्ता से ही किसी व्यवसाय का अस्तित्व होता है। उपभोक्ता के साथ बातचीत और उनकी प्रतिक्रिया पर लगातार निगरानी रखना उद्यमी के लिए नए अवसरों का स्रोत होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे नारियल तेल की शीशी की पैकिंग में बदलाव उपभोक्ता की जरूरत की अनुसार किया गया।

बॉल पेन की जगह जेल पेन, लकड़ी के फर्नीचर की जगह टीवी के दरवाजे और ऐसे कई बेहतरीन विचार उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए बनाए गए हैं। उपभोक्ता संबाधित विभिन्न आँकड़े उपभोक्ता आवश्यकताएँ, उपभोक्ता शिकायतें, प्राथमिकताओं आदि का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने से गुणात्मक आँकड़ों तक पहुंचा जा सकता है जो निर्णय लेने के लिए लाभदायी हो सकते हैं। शुरुआत में सीमित संख्या के उत्पादों और उपभोक्ताओं के लक्षित अनुभाग के लिए सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं ताकि एक उद्यमी उत्पादों की सीमा को सीमित कर सके। उपभोक्ता सर्वेक्षण इसी प्रकार के उत्पादों की बाजार में उपलब्धता, बाजार में प्रतिस्पर्धा, उत्पादों की लोकप्रियता, प्रतिस्थापन आदि के आँकड़े देने में सक्षम होते हैं, जिससे उपभोक्ता की उम्मीदों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतः उपभोक्ता विचार सृजन के सबसे प्रबल स्रोत होते हैं।

2. मौजूदा कंपनी (Existing Company)- मौजूदा कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, बाजार क्षेत्र, मांग स्वरूप, मूल्य रूझान आदि व्यापार का व्यापक अवलोकन करने में मददगार होते हैं। मौजूदा कंपनी के आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि व्यवसाय की कौन सा सबसे लाभदायक स्रोत है कौन से दुर्लभ क्षेत्र है तथा उत्पाद का सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण रूझान क्या है कई उपलब्ध आँकड़ों के मूल्यांकन से जैसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा छपे सूची पत्र आदि से मांग स्वरूप, खंड अनुसार मुनाफे तथा प्रचलित रणनीतियों के बारे में भी उद्यमी को जानकारी प्राप्त हो सकती है। फलतः इन जानकारियों से उद्यमी नए अवसरों की पहचान कर सकता है।

3. अन्य देशों में विकास (Development in Other Countries)- अन्य, देशों में उपभोक्ता का रूझान, उसका व्यवहार तथा फैशन आदि का अध्ययन विचार सृजन में कारगर साबित होते हैं। यह तो कई सिद्धान्तों द्वारा स्पष्ट है कि वो उत्पाद जो विकसित देशों में आज प्रचलित है वे विकासशील देशों में कल प्रचलन में आयेगें। अतः उद्यमी को चाहिए कि वह विकसित देशों में चल रहे बाजार विकास पर निगरानी रखे जिससे उन्हें बाजार में नये उत्पाद सेवाएँ, तकनीकी, प्रक्रिया तथा रूझानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही उद्यमी को अन्य कई पहलुओं का भी पता चलता है जो विचार सृजन व चयन को प्रभावित करते हैं जैसे- निर्यात संभावित क्षेत्र, सरकारी प्रोत्साहन, उच्च लाभ वाले क्षेत्र, वे उत्पाद जिनकी मांग आपूर्ति से अधिक है, दुर्लभ क्षेत्र जहां मांग अधिक है, आदि।

4. मौजूदा उत्पाद और सेवाएँ (Existing Products and Services)- मौजूदा उत्पाद व बाजार की आवश्यकताओं के विस्तृत अवलोकन व विश्लेषण से इन नए क्षेत्रों में नए व्यापार विचार उत्पन्न होते हैं- वे उत्पाद जो उपभोक्ता को विशिष्ट लाभ देते हैं।

मूल्यांकन के साथ उत्पाद।

जिन उत्पादों के लिए सरकार विकास क्षेत्रों पर विचार करती है और औद्योगिक सुविधाएँ और प्रोत्साहन प्रदान करती है।

वे उत्पाद जहां निर्यात प्रतिबंधित है या सरकारी नीतियों द्वारा वर्जित है।

वे उत्पाद जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है।

ऐसे उत्पाद जिनके लिए मूल इकाई के रूप में बड़ी संरचना की आवश्यकता होती है अथवा कई उत्पादों व सेवाओं के लिए व्यवसायिक उद्यान (Industrial Park) का गठन किया गया हो।

व्यावसायिक विचार सृजनात्मक दृष्टिकोण से भी उत्पन्न होते हैं जिसमें मौजूदा उत्पादों को नए डिजाइन, नई तकनीक, नए माल आदि के द्वारा उनमें मूल्य वृद्धि कर ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है।

5. प्रतिस्थापन (Substitution)- कई बार ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से नए प्रतिस्थापन माल की खोज की जाती है जैसे- कच्चे माल की कमी, आयात निर्भर माल की कमी, ऐसे पुर्जे व अनयत (Spare Parts & Accessories) जो किसी की बौद्धिक संपत्ति है आदि परिस्थितियाँ प्रतिस्थापन कार्य को प्रेरित करती है। भारत जैसे विकासशील देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ प्रतिस्थापन कार्य ने नए विचारों को

जन्म दिया है जिसके कारण कई नए उपकरण, नए पुर्जे, नए माल आदि का इस्तेमाल खूबी से प्रयोग में लाया गया है।

- 6. मध्यस्थ व मीडिया (Intermediaries and Media)-** मध्यस्थों (Intermediaries) के विभिन्न श्रेणियों (Different Categories) कई लाभदायक विचार के उत्पन्न में मदद करते हैं जैसे ठेकेदार व मध्यस्थ (Contractors and Intermediaries) जो मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में शामिल हैं ये बाजार व उपभोक्ताओं के सीधे संपर्क में होते हैं तथा ये विभिन्न कार्य जैसे उत्पादन परिवहन (Production Transportation) संचयन तथा संभालने (Storage and Handling) से जुड़े होते हैं। अतः ये ऐसे कई विचारों के सृजन व चयन में उद्यमी की व्यावहारिक (Practice of Entrepreneur) रूप से सहायता कर सकते हैं।
- 7. मीडिया और व्यापार (Media and Business)-** व्यावसायिक विचारों के लिए उपजाऊ स्रोत की तरह है। टी वी उपभोक्ता की पसंद, रूझान आदि दर्शाता है। व्यापार व व्यवसाय संबंधी पत्रिका (Business and Business Magazine) अपने अवलोकन व आंकड़ों से दर्शाते हैं कि कौन से बाजार क्षेत्र व निवेश लाभ उद्यमी के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार की पत्रिकाएँ (Magazines) विशिष्ट क्षेत्रों के रूझान व विकास पर भी विस्तृत जानकारी देते हैं।
- 8. शोध संस्थाएँ (Research Institutes)-** शोध आंकड़े विवरणिका (Research Data Brochure) नए विचारों के सृजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इस प्रकार की शोध संस्थाओं से नियमित जुड़े रहने से उद्यमी इन शोध परिणामों से कई नए विचारों का विकास कर सकता है। सरकारी शोध संस्थाएँ व विभाग ऐसे कई आंकड़े बदलाव, अर्थशास्त्र, संबंधी आंकड़े आदि द्यापती है जो कि नए विचारों के सृजन में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते हैं।
- 9. प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक (Technology Supervisor)-** विश्व बाजार में सलाहकार, बाजार शोध एंजसी, प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक (Technology Supervisor) आदि भी नए विचार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए उत्पाद, नई तकनीकों आदि के बारे में एक विस्तृत जानकारी देते हैं। विश्व बाजार में इनके अनुभव व विशिष्ट ज्ञान के कारण, ये बेहतर नए विचार के सृजन व अभिमूल्यन (Creation and appreciation) में सहायक होते हैं।
- 10. आपूर्तिकर्ताओं और विपणन के प्रणाली (Suppliers and Marketing Systems)-** विपणन व खरीद से जुड़े बिक्री के लिए जैसे वितरकों, एजेंट, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता एवं गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता आदि बाजार की नब्ज से परिचित होते हैं। ये ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं जो तेजी से बदलते व्यावसायिक पर्यावरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है जैसे -
- कच्चा माल व अवयव (Raw materials and components) के नए स्रोत।
 - उत्पाद व सेवाओं की मांग का आकार व प्रकृति।
 - कीमत व मूल्य में संबंध।
 - प्रतिस्थापन माल व उनमें तुलना।
 - प्रतिस्थापन का स्तर
 - मांग व पूर्ति की परिस्थिति।
 - विकास क्षेत्र।
 - प्रतिस्पर्धियों के आंकड़े।

- i. उपभोक्ता लाभ व रूझान।
- j. मांग पर मौसमी प्रभाव
- k. मांग व पूर्ति का भौगोलिक वितरण आदि।

अतः ये भी विचार सृजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।

11. सरकारी नीतियाँ (Government Policies)- उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा नई संस्थाओं की स्थापना की गई है एवं कई नीतियाँ का भी गठन किया गया है। सरकार की विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ व परियोजनाएँ उद्यमी को उचित विचार सृजन में सहायता देती हैं। सरकारी संगठनों द्वारा व्यापार मेले, प्रदर्शनियों व थीम संगोष्ठी को प्रयोजन किया जाता है जिससे उद्यमी को नए उत्पाद, नई तकनीकों नए बाजारों से सम्बन्धित जानकारी मिल सके है और विभिन्न विशेषज्ञों संगठनों तथा लोगों से विचार विमर्श करने का मंच प्राप्त हो सके।

उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त उद्यमी विभिन्न संस्थाओं जैसे एन.सी.ए.ई.आर (NCAIR) वित्तीय संस्थाओं तथा प्रचार संस्थाओं जैसे सी.आई.आई. (CII) द्वारा किए अध्ययनों की सहायता से भी नए विचारों का सृजन का सकता है।

4.4.2 विचार सृजन की तकनीक (Techniques of Idea Generation)

उद्यमी को आवश्यक है कि वो विचार सृजन व परीक्षण में विभिन्न तकनीकों को इस्तेमाल करें। सामान्यतः इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

1. फोकस समूह (Focus Group)- इस पद्धति में व्यक्तियों का एक समूह संरचना प्रारूप में चर्चा और जानकारी प्रदान करता है जिससे नए विचारों का सृजन हो सके। इसमें एक समूह नेता या एक मध्यस्थ लोगों के समूह के साथ बैठता है और व्यापार या सेवा संबंधी नये विचारों पर स्वतंत्र तरीके से एक चर्चा आयोजित की जाती है-

इस पद्धति की निम्न विशेषताएँ हैं-

1. समूह का नेता फोकस ग्रुप के रचनात्मक सोच के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
2. समूह में कुल 10 से 14 प्रतिभागी होते हैं और सभी चर्चा में भाग लेते हैं।
3. बाजार की मौजूदा जरूरतें और भविष्य में होने वाली जरूरतों के अनुसार नए विचारों को दिशा दी जाती है।
4. यदि समूह में अन्त उपभोगी होते हैं तो वे नए उत्पाद के रूप में विचार देते हैं।
5. समूह इस विषय में भी चर्चा करते हैं कि उत्पाद को किस प्रकार बाजार में लाया जाए, किस प्रकार की पैकेजिंग हो तथा उसका विज्ञापन कैसे होना चाहिए। यह पद्धति सामान्यतः कपड़ों के डिजाइन के चयन में, जेवर के डिजाइन, स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, सुन्दरता संबंधित उत्पाद आदि में अधिक प्रयोग में लाई जाती है इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इनमें कम समय में अधिक विचारों का सृजन संभव होता है। और व्यावहारिक दृष्टिकोण () से बेहतर तकनी हैं।

2. विचार मंथन (Brainstorming)- यह नए विचारों और व्यापार समाधान ढूँढने की समूह पद्धति है। इसमें समूहों को संगठित कर एक साथ बैठाया जाता है और प्रेरित किया जाता है जिससे वे अपने अनुभवों से तथा चर्चा में शामिल होकर सृजनात्मकता से नए विचार उत्पन्न कर सकें।

को विशिष्ट सेवा / उत्पाद रेखा वर्ग के लिए प्रणालीबद्ध किया जाता है। विचार मंथन (Brainstorming) करने की प्रक्रिया में निम्न बातों का होना आवश्यक है-

1. समूह को चर्चा के क्षेत्र या विषय के बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए।

2. समूह में विभिन्न क्षेत्रों व विभागों जैसे विपणन उत्पादन, योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि से तथा संगठन के विभिन्न स्तरों से लोग शामिल किए जाने चाहिए।
3. विचार मंथन अधिवेशन सत्र को एक उचित वातावरण में आयोजित किया जाना चाहिए जिससे समूह का हर व्यक्ति खुल कर अपने विचार व्यक्त कर सके।
4. समूह के किसी भी व्यक्ति को अपने पर या विभाग को लेकर कोई हिचक या बाधा महसूस नहीं होनी चाहिए। चर्चा में खुलापन व मनोरंजन होना चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी को हावी नहीं करता है।
5. दिवा स्वप्न देखना (Daydreaming) तथा अव्यवाहारिक विचारों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
6. किसी को भी नकारात्मक टिप्पणी देने की अनुमति नहीं होती है।
7. हर व्यक्ति को अधिकतम तीन विचार तक देने का मौका मिलता है जिसे रिकार्ड कर लिया जाता है या लिख लिया जाता है चाहे वह कैसा ही विचार हो एक विचार को बेहतर करके कोई अन्य प्रस्तुत कर सकता है पर वही विचार दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

यदि इस पद्धति का सही रूप से प्रयोग किया जाए कई नए सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न किया जा सकता है यह पद्धति खासतौर से नई पैकिंग विधि तथा नई (Distribution) विधि के सृजन के लिए उपयुक्त होती है। तो रिजर्व विचार मंथन (Reserve Brain Storming) यह ब्रेनस्टार्मिंग जैसी ही पद्धति है पर इसमें आलोचना (Criticism) की अनुमति होती है इस तकनीक में नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। समस्या का समाधान नकारात्मक प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर के निकालने का प्रयास किया जाता है।

3. जाँच सूची (Check List)- व्यापार के नए विचारों का विकास विशिष्ट (Specific) क्षेत्र के मुद्दों (Issues) के चर्चा की सूची के आधार पर किया जाता है। अतः उद्यमी विशिष्ट (Specific) क्षेत्र के चर्चा की सूची तैयार करता है और साथ ही प्रश्नों की सूची, सुझाव व विवरण (Statements) का विकास करता है जिस पर गहन चर्चा के उपरान्त एक उत्तम नए विचार का सृजन तथा चयन हो सके।

निम्न प्रकार के उत्पाद संबंधी प्रश्न पूछने पर उद्यमी को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है:-

1. उत्पाद कौन कर रहा है? इसको किस प्रकार और क्यों उपयोग किया जाता है ?
 2. क्या इस उत्पाद के अन्य उपयोग हैं?
 3. उत्पाद को किस प्रकार बेहतर किया जाए जिससे ये ग्राहक को अधिक मूल्य प्रदान कर सके ?
 4. क्या उत्पाद के और विकल्प (Substitutes) बाजार में उपलब्ध हैं? क्या वे उतनेही प्रतिस्पर्धात्मक हैं? क्या उन उत्पादों से कुछ विशेषताओं (Feature) को जोड़ कर एक नया उत्पाद तैयार किया जा सकता है?
 5. क्या उत्पाद की आकार (Shape) रंग, पैकेजिंग को बदला जा सकता है?
 6. क्या तकनीक को बदल कर बेहतर उत्पाद बनाया जा सकता है?
 7. क्या विभिन्न कच्चा माल प्रयोग करके उत्पाद की मूल्य वृद्धि संभव है?
 8. विभिन्न देशों में किस प्रकार के उत्पाद मौजूद हैं तथा उनके प्रयोग क्या हैं? आदि।
4. समस्या वस्तुसूची विश्लेषण (Problem Inventory Analysis)

इस पद्धति में व्यापार के लिए नए विचार व समाधान समस्या पर केन्द्रित (Focus) कर उत्पन्न किए जाते हैं। यह फोकस समूह से मिलती जुलती पद्धति है परन्तु इसमें चर्चा एक उत्पाद की श्रेणी (Category) तक सीमित होती है।

इस पद्धति में -

1. समूह को वो समस्याएँ दी जाती हैं जो सामान्यतः ग्राहक, वितरक (Dealers) परिवहन (Transport) या आम जनता महसूस करती हैं।
2. चर्चा को अधिक केन्द्रित (Focussed) रखा जाता है और विशिष्ट उत्पाद से संबंधित किया जाता है।
3. यह प्रक्रिया सामान्यतः कोई बिल्कुल नए उत्पाद का उत्पाद विचार देने में भले ही सक्षम न हो परन्तु या उत्पाद की मूल्य वृद्धि में अति सहायक सिद्ध होती है।

सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के स्वामी इन पद्धति को इस प्रकार करते हैं जिसमें वे स्वयं अपने संगठन के नजदीकी संबंधित लोगों के साथ मिलकर चर्चा करते हैं।

इस पद्धति में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चर्चा संबंधित मुद्दों पर ही हो तथा उचित (Relevant) हो और एक क्षेत्र की समस्या कहीं दूसरे क्षेत्रों की समस्या को अधिक बढ़ा न दें

गार्डन पद्धति (Gordon Method) -जब समूह के लोगों को विचार सृजन के लिए समस्या ठीक की प्रकृति (Exact Nature) का न पता हो तब इसे गार्डन पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में उद्यमी समूह को सामान्य अवधारणाओं (Concepts), जो समस्या से जुड़े हों, की जानकारी देता है तथा उनसे सुझाव मांगता है समूह को असल समस्या से चर्चा के उपरान्त अवगत कराया जाता है। उस पर अब दोबारा चर्चा की जाती है और उन्हीं विचारों को परिष्कृत कर विकसित किया जाता है।

इस समस्या सुलझाने की तकनीक में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर छोटे समूहों में विविध अनुभव और विशेषज्ञता के लोगों को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता विभक्तिकरण (Consumer Segmentation) समय सीमा उत्पाद श्रेणी (Product Category) आदि कारक कभी कभी उद्यमी को विभिन्न पद्धतियों के मिश्रण का उपयोग कर नए विचारों का सृजन करने पर मजबूर कर देता हैं। आज के दौर में ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण (Electronic Communication) का उपयोग कर कम समय में नए विचारों का विकास संभव है।

4.5 विचार जाँच / अनुवीक्षण (Idea Testing/Screening)

इस चरण के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, उन विचारों को खत्म व खारिज करना है, जो स्पष्ट रूप से आगे ध्यान देने में अयोग्य हैं और दूसरा उन शेष विचारों में से उन विचारों का चयन करना जो तकनीकी शोध के अन्वेषण के काम को पूर्ण करने के लिए सक्षम हैं अथवा पर्याप्त ताकत रखते हैं। मुख्य रूप से अस्वस्थ अवधारणाओं को संसाधन लगाने से पहले खत्म करना है जिससे उद्यमी नुकसान से बच सकें।

अतः विचार अनुवीक्षण (Idea Screening) उपलब्ध विचारों की लाभप्रदता को जानने के लिए उनकी संभाव्यता (Feasibility) व व्यवहार्यता (Viability) के संदर्भ में उन विचारों की समीक्षा करने की प्रक्रिया है।

4.5.1 विचार अनुवीक्षण व प्राथमिक जाँच करना (Idea Screening and Preliminary Testing)

विचारों का एक मजबूत प्रवाहन होना, एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु होता है। जितने अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं, उतना कम प्रति आय लागत पर विचारों का उत्पादन किया जाता है।

इसके उपरान्त एक कंपनी की अच्छे व बुरे विचारों को जांचने की प्रभावशीलता काम आती है जितना जल्दी एक संगठन ऐसे विचारों को खारिज करने में सक्षम होती है जिनमें वास्तविक क्षमता की कमी हो उतना बेहतर होता है। इसी कारण से प्रत्येक विचार के अनुवीक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है जो इसे बहुत जल्दी अच्छे या बुरे के रूप में स्थापित करता है।

निम्नलिखित कुछ मानदंड हैं जो मौलिक हैं और जिन्हें पहले लागू किया जा सकता है-

1. प्रस्ताव रखने की कंपनी की क्षमता।
2. कंपनी की उत्पादन क्षमताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञता के साथ तालमेल व उपर्युक्तता।
3. कंपनी के उद्देश्यों एवं छवि के साथ उपर्युक्तता।
4. बाजार की बिक्री और लाभ क्षमता एवं।
5. वर्तमान प्रस्ताव और वितरण प्रणाली के साथ उपयुक्तता

यह प्रारंभिक अनुवीक्षण सबसे कारगर तरीके से जांच के लिए कमजोर विचारों को खारिज कर देगी। फिर शेष विचारों को अधिक अनुवीक्षण के अधीन किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच में ग्राहक की कंपनी के प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है व प्रतिस्पर्धी कैसे प्रतिक्रिया करेंगे यह भी शामिल होता है।

4.5.2 व्यापार विचार की संभव्यता (Feasibility of Business Idea)

व्यापार विचार के चयन के उपरान्त, विचार की संभव्यता को जानने के लिए उसका परीक्षण करना आवश्यक है जाता है कुछ उद्यमी अथवा व्यवसायी विचार को चयन करके तत्काल आगे बढ़ जाते हैं परन्तु विचार को जांचने के लिए थोड़ा रुक कर और समय खर्च करना बेहतर होता है।

एक व्यापारिक विचार के गुणों के माध्यम से सोचने और व्यवसाय शुरू करने में उचित अनुक्रम निम्नानुसार है-

1. **व्यवसाय शुरू करना (Starting a business)**- उद्यमी को इस प्रक्रिया को पूरा करने में मेरा विचार है, इसमें कोई कमी नहीं है यह जाल से सावधान रहना चाहिए। सभी व्यवसायिक विचारों के मजबूत व कमजोर पहलू होते हैं और आगे बढ़ने से पूर्व उद्यमी को इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अध्ययनों से यह भी पता चला है भावी उद्यमी या व्यवसाय मालिक अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। अतः किसी को भी असल क्षमता के ज्ञान के लिए यथार्थपरक मूल्यांकन की आवश्यकता है। व्यवसायिक विचार की प्रारंभिक व्यवहार्यता के परीक्षण में चार क्षेत्रों पर विचार किया जाना चाहिए।
 - a. उत्पाद या सेवा का विवरण और इसके लाभ।
 - b. लक्षित लक्ष्य बाजार
 - c. उत्पाद का सेवा कैसे बेची जाएगी इसका विवरण।
 - d. कंपनी की प्रारंभिक प्रबंधन टीम का एक संक्षिप्त विवरण।
2. उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त अन्य लोगों सम्बंधित कारक भी है जिन्हें स्टार्टअप की सफलता से जोड़ा जाता है जैसे-
 - a. संबंधित उद्योग अनुभव या पूर्व व्यवसाय स्टार्टअप अनुभव।
 - b. नकदी प्रवाह प्रबंधन में अनुभव और विशेषज्ञता।
 - c. स्टार्टअप सलाह प्रदान करने वाले लोगों व सलाहकारों तक पहुंच।
 - d. रचानात्मकता का स्तर।

e. स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री।

यह आवश्यक नहीं है कि उद्यमी इन सभी कारकों में श्रेष्ठ हो परन्तु इन सब कारकों के आंकलन से उद्यमी को यह सामान्यतः ज्ञान होता है कि प्रस्तावित व्यवसाय शुरू करने के लिए वह कितना तैयार है। उद्यमी को यह समझ होनी चाहिए कि व्यवसाय शुरू करने में कितना खर्च आएगा। उद्यमी की चाहिए कि व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए परिचालन खर्चों और पूंजीगत खरीद की सूची से एक प्रारंभिक बजट तैयार करें। कुल आंकड़ों तक पहुंचने के बाद पूंजी / निवेश कहां से आएगा इसका स्पष्टीकरण प्रदान करें। यदि उद्यमी अपेक्षा करता है कि यह निवेश बैंक ऋण किसी निवेशक अथा दोस्तों या परिवार से आएगा तो उसे यह विचार करना चाहिए कि वे विकल्प कितने यथार्थवादी है। आज के तकनीकी युग में इंटरनेट खोज भी उपयोगी व मददगार है जिससे उद्यमी अपने संभावित व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित कर सकता है।

4.5.3 विचार अनुवीक्षण का महत्व (Importance of Idea Screening)

1. **प्रतिफल को अधिकतम करते समय जोखिम को न्यूनतम रखना (Minimizing risk while maximizing returns)-** विचार अनुवीक्षण का सर्वप्रथम महत्व यह है कि यह उद्यमीय को विवश करता है कि वह निर्णय ले कि उद्यमीय प्रयास के लिए उनके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है तथा इस उद्यम को आगे बढ़ाने में उद्यमी के लक्ष्य क्या है? संभावित तथा क्षमतापूर्ण विचारों का मूल्यांकन उसमें संयुक्त प्रतिफल तथा जोखिम के आधार पर करना चाहिए। एक अच्छे विचार में जोखिम के मुकाबले प्रतिफल अधिकतर होना चाहिए।
2. **महत्वपूर्ण विचार पर निर्णय लेने में मदद (Helping in Deciding on Important Ideas)-** हर विचार बराबर नहीं होता तथा हर विचार को वास्वविकता में नहीं बदला जा सकता है। अतः किसी नये विचार को व्यवसाय में बदलने से पूर्व अवसर की गहनता से जांच कर लेनी चाहिए। यदि उद्यमी नये अवसर को बिना विश्लेषण के विचार को उद्यम में परिवर्तित करता है तो यह एक उद्यम की असफलता का कारण भी हो सकता है। विचार अनुवीक्षण उद्यमी को उचित विचार पहचान में तथा उसके भली - भांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्णय लेने में मदद करता है।
3. **सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग (Best Use of Limited Resources)-** यह स्पष्ट है कि संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। अधिकांश उद्यमी के पास पैसा, समय, लोग अथवा अन्य संसाधन सीमित रूप में मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वह अपने व्यवसायिक विचार को नवीन उद्योग व्यापार का रूप दे सकता है। व्यवसायिक विचारों व अवसर के विश्लेषण से उद्यमी सीमित संसाधनों के सही उपयोग पर निश्चित हो सकता है।
4. **विचारों के ताकत व कमजोरी की पहचान करना (Identifying Strengths and Weaknesses of Ideas)-** विचार अनुवीक्षण की प्रक्रिया द्वारा विचार के उचित अध्ययन व विश्लेषण के उपरान्त उद्यमी हर विचार की ताकत व कमजोरी से अवगत हो जाता जो उसे उचित विचार व अवसर का चुनाव करने में सहायक सिद्ध होती है।

4.5.4 विचार अनुवीक्षण में त्रुटियाँ (Errors in Idea Screening)

विचार अनुवीक्षण अथवा जाँच की प्रक्रिया में, उद्यमी को दो प्रकार की त्रुटियों से बचना चाहिए।

1. **'ड्रॉप त्रुटि' ('Drop' error)-** यह त्रुटि तब होती है जब उद्यमी एक अच्छे विचार या अवसर को अस्वीकार कर त्याग देता है। उदाहरण स्वरूप - फ्लड कंपनी ने पर्सनल कम्प्यूटर के बाजार में आने के विचार को यह सोचकर त्याग दिया कि इस बाजार का आकार उनके लिए बहुत छोटा है व लाभदायी नहीं है। इस त्रुटि के चलते फ्लड ने एक बहुत बड़े अवसर को खो दिया।

2. 'गो' त्रुटि ('Go' error)- ऐसा तब होता है जब उद्यमी विकास और व्यवसायिकरण में आगे बढ़ने के लिए एक अनुचित विचार को अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप उसे उत्पाद विफलताओं का समाना करना पड़ सकता है। 3 प्रकार की उत्पाद विफलताएँ हो सकती हैं-
- A. पूर्ण उत्पाद विफलता (Complete Product Failure)- जब बिक्री परिवर्तनीय लागत (Variable cost) को वसूल नहीं कर पाती है। और उद्यमी को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है।
- B. आंशिक उत्पाद विफलता (Partial Product Failure)- बिक्री सभी परिवर्तनीय लागत तथा कुछ निश्चित लागत को वसूल कर पाती है और उद्यमी को मामूली हानि होती है।
- C. सापेक्ष उत्पाद विफलता (Relative Product Failure)- उद्यमी लाभ तो कमाता है परन्तु अपेक्षित नहीं।

4.6 परियोजना परिचय (Project Introduction)

विभिन्न कारकों के आधार पर एक विशेष समस्या के लिए परियोजनाओं/समाधानों की पहचान करने को परियोजना अभिज्ञान कहा जाता है।

किसी भी समस्या के विभिन्न समाधान संभव हो सकते हैं अतः उस समाधान का विचार या उन विभिन्न समाधानों की पहचान करना ही परियोजना अभिज्ञान कहलाता है।

परियोजना अभिज्ञान परियोजना चक्र का पहला चरण होता है। एक उद्यमी को चाहिए कि वह उस परियोजना को पहचाने व उसका चयन करे कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनकी उद्येश्य पूर्ति में मदद करें।

इस अवस्था में परियोजना के सम्बन्ध में उत्पन्न या प्राप्त सभी विचारों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा किसी परियोजना की पहचान की जाती है। परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न विचारों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करना होता है। ऐसे कुछ विचारणीय पहलू निम्नानुसार हैं-

1. प्रत्येक परियोजना विचार के सम्बन्ध में उद्यमी की अभिरूचि।
 2. परियोजना को क्रियान्वित करने में राजकीय सुविधाएं एवं अनुदान।
 3. प्रत्येक विचार का वास्तविक एवं अनुभूति मूल्य (Perception value)
 4. प्रत्येक परियोजना विचार की लागत
 5. प्रत्येक परियोजना विचार के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन एवं उनकी उपलब्धता।
 6. प्रत्येक परियोजना विचार के लिए उपलब्ध बाजार एवं उसमें व्याप्त प्रतिस्पर्धा।
 7. प्रत्येक परियोजना विचार के लिए आवश्यक कौशल एवं तकनीक की उपलब्धता।
 8. प्रत्येक परियोजना विचार में निहित जोखिम की मात्रा एवं प्रतिफल।
 9. उस परियोजना विचार को प्रभावित करने वाली राजकीय नीतियाँ, कानून एवं नियम।
 10. प्रत्येक परियोजना विचार को प्रभावित करने वाले वातावरण के घटक एवं उनके प्रभाव की सीमा।
- उद्यमी को प्रत्येक परियोजना विचार के इस सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। तत्पश्चात् उन सभी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अन्त में जो परियोजना उद्यमी को उत्तम लगे उस परियोजना की पहचान कर लेनी चाहिए। तब उसी पहचानी गई परियोजना के नियोजन की आगे प्रक्रिया को जारी रखा जाता है।

4.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. एक प्रक्रिया है जो नए उत्पादों या सेवाओं की पहचान करने में मदद करती है। (परियोजना अभिज्ञान या बाजार अनुसंधान)
2. वह प्रक्रिया है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यापार विचार उत्पाद या सेवा में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। (संभाव्यता परीक्षण या विचार उत्पन्न करना)
3. संभाव्यता परीक्षण गॉर्डन पद्धति में समूह को प्रारंभ में दी जाती हैं, लेकिन समस्या का वास्तविक स्वरूप नहीं बताया जाता। (सामान्य अवधारणाएँ या बाजार डेटा)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. एक व्यापार विचार को सफल होने के लिए हमेशा नया होना चाहिए।
2. बाजार अनुसंधान एक व्यापार विचार की व्यवहार्यता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4.8 सारांश (Summary)

उद्यमिता अवसर की खोज और उसके दोहन (Exploitation) में संबंधित है। उद्यमी एक व्यक्ति है जो विचारों को जन्म देता है व वातावरण में से अवसर की खोज करता है परन्तु हर विचार वास्तविकता में नहीं बदला जा सकता है। अतः किसी नए विचार को व्यवसाय में बदलने से पूर्व अवसर की गहनता से जांच कर लेनी चाहिए। यदि उद्यमी नए अवसर को बिना विश्लेषण के विचार को उद्यम में परिवर्तित कर देता है तो यह एक उद्यम की असफलता का कारण भी हो सकता है।

4.9 शब्दावली (Glossary)

- **सृजनशीलता (Creativity):** एक मानसिक क्षमता जिससे किसी नवीन विचार, कार्यविधि, तकनीक आदि का अविष्कार किया जाता है ताकि आवश्यकताओं को नवीन एवं बेहतर ढंग से संतुष्ट किया जा सके।
- **नवाचार (Innovation):** नवाचार किसी ऐसे नवीन विचार, कार्यविधि या तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया है।
- **विचार मंथन (Brainstorming):** सृजनात्मक विचार व समाधान उत्पन्न करने हेतु किया जो समूह के गहन विचार-विमर्श द्वारा की जाती है।
- **सिनेक्टिक्स (Synectic):** एक समस्या सुलझान की तकनीक जो रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, आमतौर पर विविध अनुभव और विशेषज्ञता के लोगों के छोटे समूहों में।
- **संभव्यता अध्ययन (Feasibility study):** संभव्यता अध्ययन एक प्रस्ताविक परियोजना या प्रणाली की व्यवहारिकता का आकलन है।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. परियोजना अभिज्ञान 2. संभाव्यता परीक्षण 3. सामान्य अवधारणाएँ
- निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

2. असत्य 2. सत्य

4.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

4.12 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. “उद्यमिता के आधारभूत तत्व” डॉ. आर.एल.नौलखा, रमेश बुक डिपो, नई दिल्ली ।
 2. “Entrepreneurial Developmen”, Dr. S.S. Khankha S.Chand Publication, New Delhi,
 3. “Entrepreneurship Development and small Busniess Enterprise”, Poornima M. Charanti Math, Persaon, New Delhi.
-

4.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- प्रश्न 1. परियोजना पहचान को विस्तार से समझाइए।
- प्रश्न 2. व्यवहार्यता परीक्षण की अवधारणा व महत्व की व्याख्या कीजिए।
- प्रश्न 3. सृजनशीलता क्या है ? सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु उपायों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न 4. सृजनशीलता की प्रकृति एवं प्रक्रिया को समझाइए।
- प्रश्न 5. विचार सृजन के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न 6. विचार अनुवीक्षण के महत्व को समझाइए।

इकाई-5 उद्यमिता विकास के सामाजिक निर्धारक (Social Determinants of Entrepreneurship Development)

- 5.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 5.2 उद्देश्य (Objectives)
- 5.3 सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण (Social and Cultural Environment)
 - 5.3.1 जाति प्रभाव (Caste Influence)
 - 5.3.2 पारिवारिक पृष्ठभूमि (Family Background)
 - 5.3.3 शिक्षा (Education)
 - 5.3.4 समाज का दृष्टिकोण (Attitude of Society)
 - 5.3.5 सांस्कृतिक मूल्य (Cultural Values)
 - 5.3.6 सामाजिक गरीमा (Social Dignity)
 - 5.3.7 सामुदायिक संबंध (Community Relations)
 - 5.3.8 गरीबी (Poverty)
 - 5.3.9 सामाजिक निर्भरता (Social Dependence)
 - 5.3.10 सामाजिक परिवर्तन (Social Change)
 - 5.3.11 शहरीकरण (Urbanisation)
 - 5.3.12 आबादी की गतिशीलता (Population Mobility)
 - 5.3.13 शैक्षणिक संरचना (Educational Structure)
 - 5.3.14 प्रेरणास्त्रोत (Motivation)
 - 5.3.15 सूचना अभिगम (Access to Information)
 - 5.3.16 सामाजिक जालतंत्र या संज्ञाल (Social Networks)
- 5.3 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 5.4 सारांश (Summary)
- 5.5 शब्दावली (Glossary)
- 5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 5.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 5.8 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 5.9 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्यमशीलता मुख्यतः चार अलग-अलग कारकों आर्थिक कारक, तकनीकी, विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक कारक तथा शिक्षा से प्रभावित होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां ये कारक पर्याप्त मात्रा में उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं वहां उद्यमी विकास देखा जा सकता है। उद्यमशीलता के उद्भव पर इन स्थितियों के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव उद्यमशीलता के उद्भव के लिए सुविधाजनक तथा अनुकूल स्थितियों का गठन करते हैं, जबकि नकारात्मक प्रभाव उद्यमशीलता के उभरने के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं।

इस इकाई में मुख्यतः सामाजिक कारकों की विस्तृत व्याख्या की गई है जो उद्यमशीलता के विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं अथवा प्रेरित करते हैं।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान सकेंगे कि-

- ✓ ऐसे मुख्य सामाजिक कारक को बता पाएंगे जिनका प्रभाव उद्यमशीलता पर पड़ता है।
- ✓ उद्यमशीलता के विकास या प्रेरित करने हेतु सामाजिक कारकों का क्या योगदान होता है, की व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ सामाजिक कारकों की समस्याएं क्या हैं एवं इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न सुझावों को भी बता पाएंगे।

5.3 सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण (Social and Cultural Environment)

उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, व्यापक रूप में सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में दोनों सामाजिक प्रणाली तथा लोगों की संस्कृति शामिल होती है। यह मुख्य रूप से मनुष्य को बनाया गया अमूर्त तत्व है जो लोगो के व्यवहार, संबंधों, धारणा तथा जीवन के तरीके को प्रभावित करता है, अन्य शब्दों में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में सभी तत्व, परिस्थितियां तथा प्रभाव होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करते हैं तथा संभावित रूप से उसके दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यवहार, निर्णय तथा गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण अथवा परिवेश उद्यमशील गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में समाज में वैध तथा कुशल गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक संस्थानों के बारे में विश्वास तथा मानसिकता भी शामिल होती है जो विशिष्ट जीवन शैली का समर्थन करते हैं।

इसी प्रकार ऐसे सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान उद्यमियों की गतिविधियों, क्षमताओं तथा अनुमानित जोखिमों की वांछनीयता को प्रभावित करने के माध्यम से उद्यमियों के लिए अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कई प्रकार प्रभावित हो सकता है-

पहला- सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड समाज के सदस्यों के बीच उद्यमशीलता गतिविधियों की स्वीकार्यता की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, लाभ अधिग्रहण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उद्यमशीलता गतिविधियों से होने वाले लाभ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण समाज में उद्यमशीलता गतिविधियों के स्तर को बढ़ा सकता है। परिणाम स्वरूप, समाजों में उद्यमियों की गतिविधियों के प्रति भोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण उद्यमी अवसरों के शोषण को कम करता है।

दूसरा- सामाजिक मानदंड उन लोगों की संख्या को प्रभावित करते हैं जो गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार उद्यमशील गतिविधियों के लिए सकारात्मक सूत्रपात मौजूद होते हैं। अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि प्रेरणास्त्रोतों के अस्तित्व से उन गतिविधियों के शोषण में वृद्धि हो सकती है।

तीसरा- ऐसी विशिष्ट सांस्कृतिक मान्यताओं का होना है जो उद्यमी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं। उद्यमशीलता के अवसरों के शोषण में विशिष्ट प्रकार के निर्णय लेने, स्त्रोतों, विशिष्ट रणनीतियों तथा संगठनात्मक डिजाइनिंग विधियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक दृष्टिकोण शामिल होने से है। इस प्रकार की

गतिविधियों का संबंध विशिष्ट सांस्कृतिक मानदंड तथा मान्यताओं से होता है। उदाहरण के तौर पर सामाजिक मानदंड, निर्णय लेने के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं तथा उद्यमशील गतिविधियों की दर में वृद्धि का कारण बनते हैं। इसी प्रकार, सांस्कृतिक मान्यतायें नैतिक प्रतिबद्धता पर भी जोर देती हैं जिसके परिणामस्वरूप सूचनात्मक अनिश्चितता तथा असमानता की परिस्थितियों में स्रोतों के अधिग्रहण की सुविधा हेतु उद्यमी गतिविधियों में वृद्धि संभव हो पाती है। अनेक अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है कि उद्यमशील गतिविधियों की दर भौगोलिक क्षेत्रों पर भी निर्भर होती है।

उद्यमिता विकास देश के आर्थिक विकास पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है, किसी उद्यमी की सफलता अनेक कारकों जैसे, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, राजनैतिक तथा तकनीकी कारकों जैसे पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होती है, इस इकाई में उद्यमिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना की जाएगी।

5.3.1 जाति प्रभाव (Caste Influence)

इसमें कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं तथा मूल्य हैं जो समाज में व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित करते हैं ये व्यवहार तथा मूल्य सौ से अधिक वर्षों में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत में हिंदु धर्म की जाति व्यवस्था पर विचार करे जिसके आधार पर (वर्ण प्रणाली) जनसंख्या को विभाजित किया गया है।

हिंदु धर्म में जाति को चार वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण (पुजारी), क्षत्रिय (योद्धा), वैश्य (व्यापारी) तथा शूद्र (कारीगर) इन वर्णों की सीमाओं को भी परिभाषित किया गया है जिससे व्यक्तियों की सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता से है, वर्ण व्यवस्था एक जाति से दूसरी जाति में जाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती एक व्यक्ति जिसने क्षूद्र जाति में जन्म लिया हो वह उच्च जाति में स्थानांतरित नहीं हो सकता। इसी प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियां वैश्यों के एकाधिकार के अंतर्गत आती थी, अन्य तीन जातियों के सदस्य इन गतिविधियों में रूचि नहीं रखते थे, तब भी भारत के अनेक विदेशी देशों के साथ व्यापक व्यावसायिक अंतर-संबंध थे। उद्यमशीलता में कुछ जातीय समूहों का प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर रहा है उदाहरण के लिए, पश्चिम में प्रदर्शनकारी नैतिकता, जापान में समुराई, अमेरिका में व्यापारिक समूह तथा फ्रांस के पारिवारिक व्यवसाय के तौर पर उद्यमियों के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है।

5.3.2 पारिवारिक पृष्ठभूमि (Family Background)

इस कारक के अनुसार उद्यमशीलता को परिवार का आकार, परिवार का प्रकार (संयुक्त तथा पृथक) तथा परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे कारक प्रभावित करते हैं। एक अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि जमींदार परिवारों के राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने में अधिक सरलता होने से उद्यमिता के उनके प्रदर्शन में तुलनात्मक रूप से उच्च प्रदर्शन होता है।

ऐसे परिवार जिनकी पृष्ठभूमि विनिर्माण से संबंधित होती है वे भविष्य में उद्यमिता का अच्छा स्रोत प्रदान कर सकते हैं। परिवारों की व्यावसायिक तथा सामाजिक स्थिति गतिशीलता को प्रभावित करती है इसी कारण ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती हैं। जिनके कारण ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती हैं जिनके कारण लोग उद्यमशील हो सकें। उदाहरण के लिए ऐसे समाज में जहां संयुक्त पारिवारिक प्रणाली प्रचलित है, उन संयुक्त परिवारों के सदस्य कड़ी मेहनत द्वारा जो धन अर्जित करते हैं वे अपने श्रम के फल का आनंद भी नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी संपत्ति को साझा करना पड़ता है, इन कारणों से उद्यमशीलता प्रभावित होती है तथा नए उद्यमी के लिए अवसरों का लाभ उठाने की संभावना भी काफी कम हो जाती है, जोखिम वहन की क्षमता प्रभावित होती है फलस्वरूप नए उद्यमी शुरुआत ही नहीं कर पाते।

5.3.3 शिक्षा (Education)

उद्यमशीलता को प्रभावित करने में शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, शिक्षा व्यक्ति को बाहर की दुनिया को समझने में सक्षम बनाती है तथा दिन-प्रतिदिन की समस्याओं से निपटने के लिए व्यक्ति को बुनियादी ज्ञान तथा कौशल प्रदान करती है इन सभी गुणों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

किसी भी समाज में उद्यमशीलता के मूल्यों को स्थापित करने में वहां की शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

भारत में 20 वीं शताब्दी से पहले शिक्षा व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी, इस प्रकार की कठोर व्यवस्था में समाज की ओर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले व्यवहार को हतोत्साहित किया जाता था, ऐसे लोगों को विधर्मी माना जाता था।

इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली ने जाति व्यवस्था तथा व्यापारिक संरचना को और मजबूत बनाया, इसने इस विचार को बढ़ावा दिया कि व्यापार एक सम्मानजनक व्यवसाय नहीं है, बाद में जब देश में ब्रिटिश आए तो उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क तथा लेखाकारों का निर्माण किया जा सके, परिणामस्वरूप ऐसी शिक्षा प्रणाली से उद्यमी विरोधी स्थितियां उत्पन्न हो गईं, इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि युवा पुरुष तथा महिलाएं केवल नौकरियों तक ही सीमित रह गए, उनकी प्रतिभा तथा क्षमताओं का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया बल्कि पारंपरिक नौकरियों के प्रदर्शन में इसे बर्बाद किया गया। वर्तमान में भी हमारे शैक्षिक तरीकों में काफी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारी शिक्षा प्रणाली में छात्रों को मानक नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है उनको अपने पैरों पर खड़ा होने अथवा उन्हें स्वावलम्बी बनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, शिक्षा के पिछड़ा होने से देश में उद्यमशीलता के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो पाती।

5.3.4 समाज का दृष्टिकोण (Attitude of Society)

उद्यमशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों में उद्यमिता के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी काफी भी काफी महत्वपूर्ण है, कुछ समाज नवाचारों को प्रोत्साहित करते हैं और इसी प्रकार उद्यमियों के कार्यों तथा नए उपक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं।

कुछ समाजों में परिवर्तनों को बर्दाश्त नहीं किया जाता ऐसे कठोर तथा कर्कश समाजों में उद्यमशीलता को बढ़ावा नहीं मिलता।

इसी प्रकार, कुछ समाजों में किसी भी प्रकार की पैसा बनाने की गतिविधियों के लिए निहित नापसंद होती है। ऐसा कहा जाता है कि, रूस में उन्नीसवीं सदी में, उच्च वर्ग उद्यमियों को पसंद नहीं करते थे उनके लिए, भूमि की खेती करना ही अच्छा जीवन होता था। उनका मानना था कि भूमि भगवान द्वारा प्रदान की गई है तथा इस पर उत्पादन करना भगवान का आशीर्वाद है। इस अवधि के दौर की रूसी लोक कथाओं, नीतिवचनों तथा गीतों द्वारा यह संदेश दिया जाता था कि व्यापार के माध्यम से धन अर्जित करना सही नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि चूंकि मुनष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा जिस समाज में वह रहता है यदि उसका दृष्टिकोण उद्यमशीलता के प्रतिकूल हो तो ऐसे समाज में निश्चित ही लोग उद्यमी बनना नापसंद करेंगे।

5.3.5 सांस्कृतिक मूल्य (Cultural Values)

प्रेरणा मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उद्यमशीलता की वृद्धि हेतु प्रतिष्ठा तथा प्राप्ति के अधिग्रहण, लाभशीलता जैसे उचित उद्देश्यों की आवश्यकता होती है इन उद्देश्यों के आधार पर ही उद्यमशीलता में वृद्धि की जा सकती है। यदि इन उद्देश्यों में पर्याप्त शक्ति हो तो महत्वकांक्षी तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति जोखिम वहन करने से भी नहीं चूकते, इन उद्देश्यों की ताकत इस पर निर्भर करती है कि समाज की संस्कृति किस प्रकार की है। यदि संस्कृति आर्थिक रूप से धन की दृष्टि से उन्मुख है तो, उद्यमशीलता की सराहना तथा प्रशंसा की जाएगी जीवन में धन संचय करने की ज्वीन शैली को बढ़ावा मिलेगा तथा नए उपक्रमों में वृद्धि होगी।

कम विकसित देशों में आर्थिक रूप से प्रेरित मौद्रिक प्रोत्साहनों की ओर अपेक्षाकृत कम आकर्षण होता है, लोगों में गैर-आर्थिक कार्यों द्वारा सामाजिक अंतर प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। संगठनात्मक

क्षमताओं वाले लोगों को व्यापार में घसीटा नहीं जाता, वे अपनी प्रतिभाओं को गैर-आर्थिक गतिविधियों में लगाते हैं। उचित आर्थिक उद्देश्यों की अनुपस्थिति की वाले समाज में कृषि व्यवसाय एक सामान्य विशेषता है, जिसमें लोग व्यापारिक प्रतिभाओं को औद्योगिक नेतृत्व आदि कार्यों में पर्याप्त इस्तेमाल नहीं करते तथा इसी कारण ऐसे समाज उद्यमशीलता की वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो पाते। फलस्वरूप औद्योगिक विकास की वृद्धि धीमी पड़ जाती है।

5.3.6 सामाजिक गरीमा (Social Dignity)

सामाजिक गरिमा अक्सर उद्यमी के अवसरों के शोषण की संभावना में वृद्धि का कारण बनती है। उद्यमशीलता के अवसरों का लाभ उठाने हेतु, सूचनात्मक अनिश्चितता तथा असमानता के अलावा इन अवसरों के बारे में किसी व्यक्ति को अन्य लोगों को यह समझाना होगा कि जो अवसर उन्हें मिला है वह मूल्यवान है क्योंकि अवसरों के बारे में दूसरों को समझाने के लिए स्रोतों को प्राप्त करने तथा आयोजन के लिए दोनों आवश्यक हैं।

शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि जब अन्य लोगों को समझने की संभावना सूचन अनिश्चितता तथा विषमता की परिस्थितियों में बढ़ जाती है, तब लोग सामाजिक सम्मान बढ़ाते हैं क्योंकि लोग उच्च प्रतिष्ठित लोगों के दावों को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास सामाजिक गरिमा तथा प्रतिष्ठा होती है वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी का महत्व कम करने तथा उनके दावों की पुष्टि करने के थोड़े प्रयास करते हैं, फलस्वरूप उद्यमियों को बढ़ावा मिलता है तथा उद्यमी व्यक्ति अवसरों का लाभ उठाने में अधिक सक्षम होते हैं।

5.3.7 सामुदायिक संबंध (Community Relations)

सामुदायिक संबंधों से उद्यमशीलता के अवसरों के शोषण की संभावना में वृद्धि हुई है। उद्यमशीलता के अवसरों का लाभ उठाने के लिए, उद्यमी को सूचना स्रोतों तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए जो शोषण प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकें, ये स्रोत अक्सर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामुदायिक संबंधों के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं।

यह उम्मीद की जा सकती है कि किसी व्यक्ति के सामुदायिक संबंध उसके उद्यमी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जोखिम पूर्ण कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रदर्शन स्रोतों के अधिग्रहण पर निर्भर करता है, परिणामस्वरूप इन अवसरों को प्राप्त करना सामाजिक परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। वास्तव में जो उद्यमी अधिक विविध और व्यापक सामाजिक नेटवर्क (जाल-तंत्र) तक पहुँचने में सफल होते हैं, वे बेहतर वित्तीय स्रोतों तक पहुँच पाते हैं, वे ग्राहकों तथा प्रदाताओं के साथ अधिक मजबूत संबंध बनाने में सफल होते हैं, अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अधिक कुशल कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर पाते हैं। अंततः उनका जोखिमपूर्ण व्यवसाय बेहतर प्रदर्शन कर पाता है यह सब सामुदायिक संबंधों के कारण ही सिद्ध हो पाता है।

5.3.8 गरीबी (Poverty)

उद्यमिता पर गरीबी के दोनों रचनात्मक तथा अरचनात्मक प्रभाव होते हैं। किसी समाज में गरीबी का सामान्य स्तर गरीब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उद्यमशीलता वित्त की कमी के कारण समाज में उद्यमशीलता की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, इसी कारण अनेक बार यह देखा गया है कि जीवित रहने तथा गरीबी से बाहर निकलने के लिए लोगों की भारी संख्या उद्यमशीलता का सहारा लेती है, इस प्रकार वास्तविकता में समाज में गरीबी की सामान्य स्थिति उद्यमियों के उद्भव पर अरचनात्मक प्रभाव डालती है। अल्पविकसित देशों में गरीबी का एक बड़ा कारण समाज में उच्च बेरोजगारी का स्तर होता है,

अतीत में शिक्षित लोगों को स्व-रोजगार की कई आवश्यकता नहीं होती थी। क्योंकि वे असानी से रोजगार प्राप्त कर अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते थे, परन्तु वर्तमान में बेरोजगारी की दर में वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों को नए व्यवसाय तथा स्व रोजगार की स्थापना तथा गठन करने की प्रेरणा मिली है। सामाजिक-आर्थिक पीड़ा तथा बेरोजगारी के शर्मिंदगी के परिणामस्वरूप, कई लोगों ने विशेष रूप से 1990 के दशक से उद्यमिता के पक्ष में अपना अभिविन्यास बदल दिया है। यह देखा गया है कि 1990 से “सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से छोटे तथा मध्यम आकार” के व्यवसायों में शिक्षित वर्ग के भीतर उद्यमिता व्यवसाय में वृद्धि हुई है। उद्योगों के सभी पहलुओं में पहले से कहीं ज्यादा युवाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

सेवा, फैशन, मनोरंजन उद्योगों के साथ-साथ वाणिज्य में वृद्धि होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्पष्ट रूप से बेरोजगारी की वर्तमान समस्या ने विशेष रूप से समाज के शिक्षित लोगों के बीच उद्यमियों के उद्भव को प्रभावित किया है।

5.3.9 सामाजिक निर्भरता (Social Dependence)

जानकारी का उपयोग करने के लिए समाज के लिए समाज के अन्य लोगों के साथ बातचीत करना एक महत्वपूर्ण तरीका है, इसलिए, अवसरों की पहचान करने के लिए अपने सामाजिक जाल-तंत्र ढूँढना जानकारी तक पहुंचने के तरीके में से एक है। सामाजिक जालतंत्र की संरचना किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्ति की गुणवत्ता, मात्रा तथा गति को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, सामाजिक जाल-तंत्र को उन सूचनाओं को प्रभावित करना चाहिए जो अवसरों की खोज को सुविधाजनक बनाता है। सामाजिक निर्भरता के कारण ही सामाजिक जाल-तंत्र विकसित होता है इसी तंत्र के कारण ही अवसरों की पहचान तथा उन तक पहुंचने में सुविधा होती है तथा उद्यमशीलता विकसित होती है।

5.3.10 सामाजिक परिवर्तन (Social Change)

सामाजिक परिवर्तन उद्यमशीलता के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि ये स्रोतों को आवंटित करने में लोगों की शैलियों से संबंधित जानकारी को बेहतर ढंग से स्थानांतरित करते हैं, बिक्री से संबंधित बचत लाते हैं तथा अतिरिक्त अनुरोध बना सकते हैं। सामाजिक जनसांख्यिकीय संसाधनों के तीन प्रमुख समूह जो उद्यमी अवसरों के स्रोत हैं उनमें शामिल हैं: शहरीकरण, आबादी की गतिशीलता तथा शैक्षणिक आधारभूत संरचनाएं।

इन कारकों की सहायता से उद्यमशीलता के अवसरों में वृद्धि होती है तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

5.3.11 शहरीकरण (Urbanisation)

शहरीकरण उद्यमी अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि उद्यमशीलता अन्य स्रोतों से स्थानांतरित जानकारी के अवसरों को पहचानने में इसी आधार पर सक्षम हो पाती है। इसी प्रकार अधिक आबादी वाले क्षेत्रों (अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण) में संचार उच्च स्तर पर रहता है और अवसरों से संबंधित सूचना हस्तांतरण को सुविधाजनक बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शहरीकरण उद्यमशीलता की भूमिका के लिए मॉडल की संख्या को बढ़ाता है तथा अवलोकन के माध्यम से जानकारी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इसी बीच, शहरीकरण इस कारण के लिए अवसरों का स्रोत है जो जनसंख्या के संकेन्द्रण पैमाने से संबंधित बचत के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करती है। शोधकर्ताओं ने भी यह सुझाव दिया है कि शहरीकरण लोगों के स्व-रोजगार में वृद्धि कर सकता है। अनुभवजन्य अवलोकन यह भी दिखाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अक्सर नए जोखिमपूर्ण व्यवसायों के बेहतर प्रदर्शन का कारण बनते हैं।

5.3.12 आबादी की गतिशीलता (Population Mobility)

आबादी की गतिशीलता उद्यमशीलता के अवसर के लिए एक और स्रोत है। कई अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या गतिशीलता के तीन महत्वपूर्ण आयामों में शामिल है। आबादी का आकार, जनसंख्या वृद्धि दर तथा जनसंख्या की गतिशीलता। आबादी का आकार उद्यमशीलता के अवसर का स्रोत है क्योंकि अधिकांश अवसरों का संबंध बचत के पैमाने से होता है।

चूंकि कम लागत वाले क्षेत्रों में कुछ अवसरों को लागू करने लिए स्थिर लागत इतनी अधिक होती है इसलिए वे अधिक आबादी वाले इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक बन गए।

जनसंख्या वृद्धि उद्यमशीलता के अवसर के लिए एक स्रोत है, क्योंकि इससे पैमाने से संबंधित बचत तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप अवसरों में भी वृद्धि होती है। क्योंकि मांग अधिक होने पर स्रोतों को फिर से संयोजित करने की क्षमता अधिक होती है और उत्पाद या सेवा की तलाश करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है। जनसंख्या गतिशीलता भी अवसर का एक स्रोत है क्योंकि लोग अपनी निहित जानकारी को समय के साथ-साथ तथा स्थान में परिवर्तन होने से स्थानांतरित करते हैं, जिसके कारण नए अवसरों का उदय होता है।

अन्य शब्दों में कहा जाए तो, लोग एक खोजी गई जगह से अवसरों को स्थानांतरित करते हैं जिसमें उन्हें एक अनदेखा तथा अनछुआ अभ्यास होता है जिसके कारण कई बार अवसरों का जन्म होता है।

5.3.13 शैक्षणिक संरचना (Educational Structure)

शैक्षणिक आधारभूत संरचना भी एक अवसर का स्रोत है क्योंकि शैक्षिक संस्थानों में वैज्ञानिक अध्ययन तथा शोध को प्रोत्साहन मिलता है इसी कारण अधिकांश उद्यमी अवसरों के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थान जानकारी वितरित करने तथा सूचना हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है इसी कारण ये संस्थान नए अवसरों को जन्म देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है, तो वह उच्च संभावना वाले अवसरों का फायदा उठाएगा क्योंकि प्रशिक्षण के परिणाम-स्वरूप जानकारी तथा कौशल अवसरों के शोषण के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षित क्षमता में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति अवसरों को खोजने तथा उनका लाभ उठाने में अधिक सक्षम होते हैं। जिन लोगों के पास नई जानकारी तथा कौशल है, वे उन लोगों की तुलना में उच्च संभावनाओं वाले अवसरों का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास यह जानकारी तथा कौशल नहीं होता। प्रशिक्षण उद्यमिता के अवसरों का सफलतापूर्वक शोषण करने के लिए सूचना भंडारण तथा व्यक्ति के कौशल को बढ़ाता है। वर्तमान समय में शोधकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषयों में से एक है कि क्या वे एक उद्यमी के रूप में पैदा हुए थे या वे उचित प्रशिक्षण के द्वारा उद्यमी बन गए, यह बिंदु शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करता है। अधिकांश सफल उद्यमियों का मानना है कि वर्तमान युवा पीढ़ी से पहले के उद्यमियों के लिए शिक्षा का बहुत अधिक महत्व नहीं था, हालांकि आजकल सूचना प्रौद्योगिकी में हो रही तीव्र वृद्धि तथा विकास एवं बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शिक्षा के संदर्भ में अनेक विद्वानों का मानना है कि कुछ ऐसे उद्यमी हैं जो अपने कैरियर में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव था परंतु शिक्षा का अभाव था। दूसरे उद्यमियों का समूह वह है जिनके विफल होने की संभावना पहले समूह की तुलना में काफी अधिक है क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित किया गया है परन्तु वे अनुभवहीन होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे उद्यमी जिन्हें भली-भांति प्रशिक्षित किया गया है तथा उन्हें पर्याप्त अनुभव भी है ऐसे उद्यमी सर्वाधिक लाभदायक गतिविधियों का नेतृत्व कर सकते हैं।

5.3.14 प्रेरणास्रोत (Motivation)

परिवार के सदस्य तथा मित्र प्रेरणास्रोत के रूप में किसी व्यक्ति के उद्यमी बनने में भूमिका निभाते हैं। अनेक शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि सबसे सफल उद्यमियों के पिता बड़े पैमाने के उद्योगों के मालिक या

प्रबंधक रहे है। अपने परिवारों में कम से कम 40 प्रतिशत उद्यमियों ने उद्यमशील अनुभवों को देखा है। एक उद्यमी का छोटा बच्चा भी सप्ताहांत, शाम या ग्रीष्म ऋतु में भोजन के समय, पिता या मां के अवकाश के समय में अपने उद्यमिता के अनुभवों से अवगत हो जाता है।

जब कोई उद्यमी उद्यमशीलता के क्षेत्र में अन्य लोगों की सफलता का निरीक्षण करते है, तो उन्हें उद्यमशीलता के जोखिम को स्वीकार करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर, एक प्रेरणास्त्रोत किसी व्यक्ति के भीतर उद्यमशीलता के गुणों को विकसित कर सकता है, ये प्रेरणास्त्रोत सामान्यतः कार्यशीलता वातावरण में मौजूद होते है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई वातावरण रचनात्मकता के अहसास के लिए पृष्ठभूमि स्थापित नहीं कर सकता है, किसी व्यक्ति को जोखिम पूर्ण गतिविधि शुरू करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

5.3.15 सूचना अभिगम (Access to Information)

कई लोग संभवतः दूसरों की तुलना में अवसरों की खोज अधिक कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारी होती है जो दूसरों के पास नहीं होती, जानकारी व्यक्ति को अवसर प्रदान करती है जबकि अन्य इसे आसानी से अनदेखा करते है। इसी कारण कई बार अनजाने में ही अनेक अवसर सामने होते हुए भी नजर नहीं आते। अनेक अनुभवजन्य अध्ययन मूल्यवान जानकारी के लिए लोगों की पहुंच बढ़ाने में तीन कारकों को चिन्हित करते है-

- जीवन का पिछला अनुभव
- सामाजिक संजाल (जाल-तंत्र)

तथा, जानकारी की खोज

5.3.16 सामाजिक जालतंत्र या संजाल (Social Networks)

इस दृष्टिकोण के अनुसार, उद्यमशीलता समुदाय संबंधों के एक परिवर्तनीय जालतंत्र में खोजने वाली प्रक्रिया है तथा ये संबंध स्रोतों तथा अवसरों के साथ किसी उद्यमी के संबंध को सुविधाजनक बना सकते हैं अथवा इन्हें सीमित भी कर सकते हैं। सामाजिक जालतंत्र अथवा संजाल के तीन सामान्य गुण होते हैं- जिसके द्वारा जालतंत्र या संजाल की दक्षता मापी जा सकती है: एकाग्रता, अभिगम्यता तथा केन्द्रीयकरण एकाग्रत लोगों के मध्य संचार की बहुलता है।

अभिगम्यता जालतंत्र या संजाल के संवादात्मक अंतः फलक या समूहों की संख्या है। केन्द्रीयकरण से तात्पर्य है अन्य लोगों से व्यक्ति की दूरी तथा उन लोगों की संख्या से है जो ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। सामान्यतः जालतंत्र या संजाल ऐसे लोगों का संग्रह होता है जिनमें एक-दूसरे के साथ कुछ संबंधों के माध्यम से संचार होता है तथा उपक्रमों की स्थापना की प्रक्रिया में पांच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो निम्न हैं-

1. वास्तविक योजना में विचार रूपांतरण की सरलता (Facilitate The Conversion of Ideas into Practical Plans)
2. प्रेरणा को बढ़ाना (Increase Motivation)
3. विचारों को उत्तेजित करना (Stimulate Ideas)
4. व्यावहारिक सहायता प्रस्तुत करना तथा समर्थन प्रदान करना। (Offer Practical Help and Support.)

ताकि वे उद्यमिता के लिए प्रेरणास्त्रोत बन सकें। उद्यमशीलता गतिविधियों के क्षेत्र में अधिकांश ज्ञान अभ्यास के माध्यम से पढ़ाया जाता है तथा सामाजिक जाल-तंत्र, इंटरनेट या दूसरों के व्यवहार के अवलोकन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।

उद्यमिता के लिए प्रेरणास्त्रोत का अस्तित्व एक सामाजिक समूह में उद्यमिता के ज्ञान स्तर को बढ़ाता है तथा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, नए उद्यमी ऐसे समाजों में दिखाई देते हैं जिनमें उद्यमिता के प्रेरणास्त्रोत उच्च स्तर के होते हैं।

5.3 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. संबंध उद्यमियों के लिए संसाधनों, जानकारी और अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। (सामुदायिक या निजी)
2. वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कम उम्र में उद्यमिता के अनुभवों से अवगत होता है, जो भविष्य में उसे उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। (प्रेरणा या अध्ययन)
3. की बढ़ती संख्या उद्यमिता के अवसरों को उत्पन्न करती है, क्योंकि यह अधिक जनसंख्या के केंद्रों को बनाती है और सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनती है। (शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. भारत में जाति व्यवस्था का उद्यमिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि लोग आसानी से विभिन्न व्यवसायों में बदल सकते हैं।
2. शिक्षा उद्यमिता कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह वास्तविक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और क्षमताएँ प्रदान करती है।

5.4 सारांश (Summary)

परिवर्तन तथा रूपांतरण आज की दुनिया में पुष्टि किये गए वैज्ञानिक तथ्य तथा सिद्धान्त हैं, यहां तक की भौतिक तथा स्थिर घटनाएं भी उपवाद नहीं है वर्तमान में विश्व परिवर्तन से परिपूर्ण है। आने वाले वर्षों में वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम दिखाई देगा तथा ये परिवर्तन बहुत बड़े तथा चौंकाने वाले होंगे। ये परिवर्तन समाज, परिवार तथा उत्पादन पद्धति की संरचना, संस्कृति तथा सामाजिक समग्र संरचना एवं व्यापारिक तरीकों में भी पिछले परिवर्तनों की तुलना में अधिक गहरे तथा तेज होंगे। वर्तमान समय में उद्यमशीलता के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका प्रभाव समय के साथ-साथ प्रदर्शित होगा। ऐसे अनेक कारक हैं जिनका उद्यमशीलता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है, सामाजिक कारकों का सदा से ही उद्यमशीलता से गहरा संबंध रहा है जिनकी विस्तृत विवेचना इस अध्याय में की गई है। समाज के स्तर में सुधार एवं विकास तभी संभव हो पाता है जब समाज के लोग विकसित हो इसी कारण उद्यमशीलता लोगों के लिए आवश्यक हो जाती है उद्यमशीलता द्वारा न सिर्फ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है बल्कि उनकी मानसिकता भी परिवर्तित हो पाती है।

5.5 शब्दावली (Glossary)

- सामाजिक जालतंत्र (Social network)- सामाजिक संचार तथा व्यक्तिगत संबंधों का जालतंत्र
- नवाचार (Innovation)- किसी विचार या अविष्कार को एक बेहतर सेवा में अनुवाद करने की प्रक्रिया।
- सांस्कृतिक जटिलता (Cultural complexity)- विभिन्न मानवीय समूहों के संचार तथा मूल्यों के स्तर में मतभेद होना।

- जाति व्यवस्था (Caste system)- एक ऐसी व्यवस्था वर्ग संरचना है जो जन्म से निर्धारित होती है।
- सामाजिक मूल्य (Social values)- व्यक्तियों तथा समुदाय की भलाई हेतु विभिन्न कार्यक्रम, संगठनों तथा हस्तक्षेपों का व्यापक रूप।
- प्रेरणास्रोत (Inspiration)- ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा होने की इच्छा लोग वर्तमान या भविष्य में रखते हों।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. सामुदायिक 2. प्रेरणा 3. शहरी क्षेत्र

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. असत्य

5.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

5.8 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

- 1) “उद्यमिता के आधारभूत तत्व” डॉ. आर.एल.नौलखा, रमेश बुक डिपो, नई दिल्ली ।
 - 2) “Entrepreneurial Development”, Dr. S.S. Khankha S.Chand Publication, New Delhi,
 - 3) “Entrepreneurship Development and small Business Enterprises”, Poornima M. Charanti Math, Persaon, New Delhi.
-

5.9 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

प्रश्न-1 उद्यमशीलता की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए?

प्रश्न-2 सामाजिक जालतंत्र या संजाल उद्यमशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए?

प्रश्न-3 शिक्षा तथा गरीबी के उद्यमशीलता पर पड़ने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को बताइये?

इकाई-6: नये उद्यम प्रबन्धन के मुद्दे: स्थानीय, पर्यावरण एवं प्रबंधकीय (Issues in New Venture Management: Locational, Environmental and Managerial)

-
- 6.1 प्रस्तावना (Introduction)
 - 6.2 उद्देश्य (Objectives)
 - 6.3 स्थान (Location)
 - 6.3.1 किसी स्थान के मूल्यांकन / चयन करने के कारक (Factors for Evaluating/Selecting a Location)
 - 6.4 पर्यावरण (Environment)
 - 6.4.1 बाजार में प्रवेश (Market Entry)
 - 6.4.2 उपभोक्ता की शक्ति (Power of Consumers)
 - 6.4.3 विक्रेताओं की शक्ति (Power of Sellers)
 - 6.4.4 विकल्प का खतरा (Threat of Substitutes)
 - 6.4.5 प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वन्द्विता (Rivalry Among Competitors)
 - 6.5 प्रबन्धन (Management)
 - 6.5.1 प्रबन्धन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय गुण (Managerial Qualities Required for Management)
 - 6.5.2 प्रबंधकीय भूमिकाएँ व कार्य (Managerial Roles and Functions)
 - 6.5.3 प्रबंधकीय कौशल (Managerial Skills)
 - 6.5.4 नये उद्यम में मुद्दों का प्रबंध (Managing Issues in New Ventures)
 - 6.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
 - 6.7 सारांश (Summary)
 - 6.8 शब्दावली (Glossary)
 - 6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
 - 6.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
 - 6.11 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
 - 6.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

नये उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ-साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। पर्यावरण जिसमें नये उद्यम को कार्य करना है स्थिर न होकर परिवर्तित होते रहते हैं। रणनीति विकसित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ-साथ पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा कानूनों का अवलोकन कर इसकी पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक है। व्यापार की वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबन्धन आवश्यक है। इस इकाई में आप नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु विभिन्न कारक, नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों, इनके संचालन में प्रबन्धकीय भूमिका, कौशल तथा अन्य आवश्यक गुणों व संसाधनों के प्रबन्धन में शामिल विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप कि-

- ✓ नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु विभिन्न कारकों को समझ सकें।
- ✓ नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों को समझ सकें।
- ✓ एक नये उद्यम के संचालन में प्रबन्धकीय भूमिका, कौशल तथा अन्य आवश्यक गुणों को समझ सकें।
- ✓ संसाधनों के प्रबन्धन में शामिल विभिन्न मुद्दों की व्याख्या कर सकें।

6.3 स्थान (Location)

किसी भी नये उद्यम की स्थापना के साथ ही उस उद्यम के उत्पादों तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए स्थान सम्बन्धी निर्णय लेना विनिर्माण कम्पनियों के लिए एक रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण पहलू होता है। नये उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ-साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। यह मौद्रिक तथा मानवीय संसाधनों के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है।

6.3.1 किसी स्थान के मूल्यांकन / चयन करने के कारक (Factors for Evaluating / Selecting a Location)

ऐसे बहुत से कारक हैं जिनका मूल्यांकन उचित स्थान के चयन के लिए आवश्यक है इनका वर्णन निम्नवत किया गया है-

1. श्रम सम्बन्धी कारक (Labour Related Factors)

श्रम सम्बन्धी कारकों को निम्नवत सूचीबद्ध कर मूल्यांकित किया जा सकता है-

- a. श्रमिकों की उपलब्धता (Availability of workers)
- b. कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता (Availability of skilled and unskilled workers)
- c. पुरुष तथा महिला श्रमिकों की उपलब्धता (Availability of male and female workers)
- d. श्रमिकों का शैक्षिक स्तर (Educational level of workers)
- e. श्रमिकों की जीवन लागत (Cost of living of workers)
- f. मजदूरी की दर, श्रमिक संघों का अस्तित्व (Wage rate, existence of labour unions)

2. परिवहन सम्बन्धी कारक (Transport related factors) -

परिवहन सम्बन्धी कारकों में निम्न बिन्दुओं का अध्ययन / मूल्यांकन आवश्यक है।

- a) राजमार्ग सुविधाओं की उपलब्धता (Availability of Highway Facilities)
- b) वायुमार्ग सुविधाओं की उपस्थिति (Presence of Airway Facilities)
- c) रेलवे सुविधाओं की उपस्थिति (Presence of Railway Facilities)
- d) ट्रैकिंग सेवाओं की उपलब्धता (Availability of Tracking Services)
- e) पानी (बन्दरगाह) की उपलब्धता (Availability of Water (Port))
- f) कच्चे माल परिवहन की लागत (Cost of Transportation of Raw Materials)
- g) तैयार माल परिवहन लागत (Cost of Transportation of Finished Goods)
- h) डाक सेवाओं की उपलब्धता (Availability of Post Services)

3. बाजार सम्बन्धी कारक (Market related factors)-

- a. उपभोक्ता सामान के बाजारों में निकटता (Proximity to Consumer Goods Markets)
- b. उत्पादक सामान के बाजार की निकटता (Proximity to Producer Goods Markets)
- c. बाजारों के विकास की सम्भावनायें (Possibilities of Development of Markets)
- d. विपणन सेवाओं की उपलब्धता (Availability of Marketing Services)
- e. आय की सम्भावना (Possibility of Income)
- f. जनसंख्या का रुझान (Population Trends)
- g. अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति (Favourable Competitive Situation)
- h. उपभोक्ता विशेषतायें (Consumer Characteristics)
- i. भविष्य के विस्तार के अवसर (Opportunities for Future Expansion)

बाजार का आकार (Size of Market)

4. कच्ची सामग्री से सम्बन्धित कारक (Factors related to raw materials)-

- a. कच्चे माल की उपलब्धता (Availability of raw materials)
- b. कच्चे माल के मण्डारण सुविधा (Storage facilities of raw materials)
- c. आपूर्तिकर्ताओं का स्थान (Location of suppliers)
- d. कच्चे माल तथा अन्य सम्बन्धित घटकों की लागत (Cost of Raw Materials and Other Related Components)

5. औद्योगिक स्थल सम्बन्धी कारक (Factors related to industrial site)

- a. औद्योगिक भूमि की लागत (Cost of industrial land)
- b. विकसित औद्योगिक पार्क की उपस्थिति (Presence of developed industrial park)
- c. बीमा सुविधाओं की उपस्थिति तथा लागत (presence and cost of insurance facilities)
- d. उधार सस्थाओं की उपस्थिति (presence of credit institutions)
- e. अन्य उद्योगों से निकटता (proximity to other industries)

6. सरकारी व्यवहार सम्बन्धी कारक (Factors related to government behaviour)-

- a) बीमा कानून (Insurance laws)

- b) मुआवजा कानून (Compensation laws)
 - c) सुरक्षा निरीक्षण कानून (Safety inspection laws)
 - d) पर्यावरण तथा प्रदूषण सम्बन्धी कानून (Laws related to environment and pollution)
 - e) उद्यम स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों से सम्बन्धित कानून व नियम (Laws and rules related to various activities related to establishment of enterprises)
 - f) कर निर्धारण के आधार (Basis of tax assessment)
 - g) औद्योगिक सम्पत्ति कर दरें (Industrial property tax rates)
 - h) राज्य कार्पोरेट कर दरें (State corporate tax rates)
 - i) बिक्री कर (Sales tax)
 - j) कर मुक्त संचालन (Tax-free operation)
7. **उपयोगिता सम्बन्धी कारक (Utility related factors)-**
- a) पानी की आपूर्ति (Water supply)
 - b) पानी की गुणवत्ता (Water quality)
 - c) पानी की लागत (Water availability Cost)
 - d) अवशेष तथा कचरे के निस्तारण सुविधाओं की उपस्थिति (Presence of waste and garbage disposal facilities)
 - e) ईंधन की उपलब्धता (Availability of fuel)
 - f) ईंधन की लागत (Cost of fuel)
 - g) बिजली की लागत (Cost of electricity)
8. **समुदाय सम्बन्धी कारक (Community related factors)-**
- a) स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों की उपस्थिति (Presence of schools, colleges and universities)
 - b) पुस्तकालय सुविधा (Library facilities)
 - c) मनोरंजक सुविधाओं की उपलब्धता (Availability of recreational facilities)
 - d) धार्मिक सुविधाओं की उपलब्धता (Availability of religious facilities)
 - e) व्यवसाय के प्रति समुदाय के नेताओं का रवैया (Attitude of community leaders towards business)
 - f) चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता (Availability of medical facilities)
 - g) होटल/मोटल की उपलब्धता (Availability of hotels/motels)
 - h) मॉल (शॉपिंग सेन्टर) की उपस्थिति (Presence of malls (shopping centers))
 - i) वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता। (Availability of financial institutions.)
9. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कारक (Global competition related factors)-**
- a) उन्नत सामग्री की उपलब्धता (Availability of advanced materials)

- b) बाजार के अवसर (Market opportunities)
- c) प्रयोगशाला की उपलब्धता (Availability of laboratories)
- d) विदेशी पूंजी सम्बन्धी कानून तथा विदेशी पूंजी की उपलब्धता (Laws related to foreign capital and availability of foreign capital)
- e) अन्य अन्तराष्ट्रीय बाजारों के निकटता। (Proximity to other international markets.)

10. सरकारी नियमों से सम्बन्धित कारक (Factors related to government regulations)-

- a) कारपोरेट निवेश सम्बन्धी कानूनों की स्पष्टता (Clarity of laws related to corporate investment)
- b) सयुक्त उद्यम तथा विलय से सम्बन्धित कानून (Laws related to joint ventures and mergers)
- c) देश से कमाई के हस्तान्तरण पर कानून (Laws on transfer of earnings from the country)
- d) विदेशी स्वामित्व कानून (Foreign ownership laws)
- e) मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी नियम (Laws related to price control)
- f) स्थानीय नियमों की स्थापना सम्बन्धी कानून। (Laws related to establishment of local rules)

11. आर्थिक कारक (Economic Factors)-

- a) प्रति व्यक्ति आय का आकार (Size of per capita income)
- b) भुगतान संतुलन की स्थिति (Position of balance of payments)
- c) सरकारी सहायता की उपलब्धता और आकार (Availability and size of government assistance)
- d) डालर के मुकाबले मुद्रा की ताकत। (Strength of currency against the dollar)

12. विदेशी सम्बन्ध सम्बन्धी कारक (Factors related to foreign relations)-

- a) शासन की स्थिरता (Stability of the regime)
- b) देशों के मध्य सन्धियों तथा परिस्थितियों के प्रकार (Type of treaties and conditions between countries)
- c) देशों के मध्य सैन्य गठजोड़ का प्रकार (Type of military alliance between countries)

6.4 पर्यावरण (Environment)

पर्यावरण में सम्मिलित है वातावरण जिसमें एक उद्योग या उद्यम का व्यवसाय संचालित होता है, बाजार जिसके साथ व्यवसाय किया जाता है, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा लोग व व्यवसाय जिनके साथ व्यवसाय किया जायेगा। इसलिए इस पर्यावरण का ज्ञान तथा मूल्यांकन अति आवश्यक है। यह भी सच है कि पर्यावरण जिसमें नये उद्यम को कार्य करना है स्थिर न होकर परिवर्तित होते रहते हैं। रणनीति विकसित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ-साथ पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा कानूनों का अवलोकन कर इसकी पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक है। पर्यावरण विश्लेषण करते समय पाँच प्रमुख क्षेत्रों की विस्तृत जाँच पडताल जरूरी है यह पाँच क्षेत्र हैं -

6.4.1 बाजार में प्रवेश (Market Entry)

नये उद्यम को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है बाजार में प्रवेश। परन्तु कभी-कभी विभिन्न प्रकार के उद्यमों के लिए प्रवेश सम्बन्धी बाधाएँ या मजबूरियाँ इतनी ऊँची होती है कि उनकी मौजूदगी उद्यमियों को हतोत्साहित कर देती हैं। इनमें से प्रमुख निम्नवत हो सकती है।

1. **पैमाने की अर्थव्यवस्थायें (Economies of scale)**- नया उद्यम पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने से पूर्व की अवधि में नये उद्यम को सम्भावित हानि या इच्छानुसार मुनाफा प्राप्त नहीं हो सकता है अतः इस अवधि में उद्यमियों का आर्थिक तथा मानसिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है।
2. **ब्रांड वफादारी (Brand loyalty)**- नये उद्यमों को वर्तमान के लिए या एक अवधि के लिए उपभोक्ताओं की ब्रांड वफादारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नये उद्यमियों को अपना उत्पादन एवं सेवाओं को बेचने तथा एक नया बाजार उत्पन्न करने के लिए विपणन अभियानों पर एक बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता होती है।
3. **पूंजीगत आवश्यकतायें (Capital Requirements)**- नये उद्यमियों को उद्यम को स्थापित करने तथा सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी रकम पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करनी पड़ती है जिनका लाभ भविष्य के आने वाले कुछ वर्षों में दिखायी देता है। यह अग्रिम लागत चौंका देने वाली ही सकती है जो उद्यम के प्रकार तथा आकार पर निर्भर करती है।
4. **वितरण चैनलों तक पहुँच (Access to distribution channels)**- उद्यमियों द्वारा अपने उद्यम के उत्पाद के अनुसार विभिन्न प्रकार के वितरण चैनलों को समझना आवश्यक है जिनके माध्यम से उद्यम का उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जायेगा।
5. **स्वामित्व कारक (Ownership Factor)**- सामान्य उद्यमों की स्थापना के लिए स्वामित्व कारक सामान्य नियमावली से सम्बन्धित होते हैं। परन्तु यदि उद्यम को प्रारम्भ करने के लिए पेटेंट की आवश्यकता है तो उद्यमियों को इस से सम्बन्धित नियमावली का पालन तथा पेटेंट धारक की सहमति आवश्यक है।
6. **सरकारी नियमावली (Government rules)**- नये उद्योगों की स्थापना के समय विभिन्न मुद्दों पर सरकारी नियमावली का मूल्यांकन भी आवश्यक है इनमें लाइसेन्स सम्बन्धी आवश्यकतायें, कर सम्बन्धी नियमावली महत्वपूर्ण है।

6.4.2 उपभोक्ता की शक्ति (Power of Consumers)

नये उद्यम की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को इसका भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को कितनी शक्ति देना चाहते हैं। अतिआवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है। इसलिए नये उद्यम के उत्पादों/सेवाओं के सम्बन्ध में यदि उपभोक्ताओं के पास सौदेबाजी की शक्ति रहती है तो उद्यम को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं।

6.4.3 विक्रेताओं की शक्ति (Power of Sellers)

विक्रेताओं के पास कीमतों से सम्बन्धित तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित शक्तियाँ निहित हैं। विक्रेता कीमत बढ़ा सकते हैं या गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। कभी-कभी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है इन शक्तियों के प्रयोग का उद्देश्य उद्योग में आपूर्ति पर नियंत्रण बनाये रखना होता है लेकिन विक्रेताओं द्वारा ऐसी किसी भी शक्ति का दीर्घकालीन प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनसे कुछ उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पीछे छोड़ने की जिद में स्वयं का उद्यम दीर्घकालिक नुकसान सहन करना पड़े।

6.4.4 विकल्प का खतरा (Threat of Substitutes)

आज की बाजार दशाओं में प्रत्येक उत्पाद का विकल्प उपलब्ध है। विशेषकर नये उपक्रम की स्थापना पर भी इसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विकल्प बाजार में उपलब्ध होते हैं या उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए बाजार में यदि विकल्प उपस्थित होता है तो क्या रणनीति उद्यमी द्वारा अपनायी जायेगी यह निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है इसके लिए निरन्तर शोध एवं अनुसंधान करते रहने तथा अपने उपभोक्ता वर्ग के आवश्यकताओं इच्छाओं तथा अन्य घटकों के निरन्तर शोध की आवश्यकता होती है।

6.4.5 प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वन्दिता (Rivalry Among Competitors)

प्रतिस्पर्धी उद्यमी अपना मुनाफा कम कर भी मूल्य युद्ध का सहारा ले सकते हैं, विपणन की स्पर्धा हो सकती है, विज्ञापन अभियान द्वारा यह लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए नये उपक्रम की स्थापना के समय यह मूल्यांकन भी आवश्यक है कि सम्बन्धित व्यवसाय वर्ग में किस-किस प्रकार के, आकार के उद्यम हैं तथा वह किस तरह से नये उद्यम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

6.5 प्रबन्धन (Management)

प्रभावी प्रबन्धन व्यवसाय की स्थापना तथा विकास की कुंजी है। सफल प्रबन्धन की कुँजी बाजार के माहौल की जाँच करना, रोजगार और लाभ के अवसरों को बनाये रखने के लिए है जो सम्भावित विकास को प्रदान करता है। व्यापार की वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबन्धन आवश्यक है। कभी-कभी प्रबन्धन को कम आँका जाता है या खराब रूप में लागू किया जाता है क्योंकि व्यवसायी प्रबन्धन की बजाय सिर्फ उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

6.5.1 प्रबन्धन के लिए आवश्यक प्रबन्धकीय गुण (Managerial Qualities Required for Management)

निम्नांकित गुण प्रभावी प्रबन्धन के लिए आवश्यक हैं:

1. **रचनात्मक (Creative)**- प्रभावी प्रबन्धन के लिए आज के बाजार युग में आवश्यक है कि उद्यमी में समस्याओं के नये समाधान खोजने की क्षमता आवश्यक है। समाधान प्रतिस्पर्धियों से बेहतर तथा अलग होना चाहिए।
2. **लक्ष्य उन्मुख (Goal-oriented)**- लक्ष्यों का निर्धारण वास्तविक होना चाहिए। अपने ससाधनों तथा सामर्थ्य को समझकर उपक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का हर सम्भव प्रयास अतिआवश्यक गुण है। स्वयं की ताकत, आत्मविश्वास, सहयोग, समन्वय तथा मजबूत विश्वास से लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव होगी।
3. **आरम्भिकता (Initiative)**- निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रास्ते पर चलना आवश्यक है लक्ष्यों तक पहुँचे के लिए नई सम्भावनायें और समाधान ढूँढने का एक प्रयास आवश्यक है।
4. **स्वतंत्रता (Independence)**- अपने फैसले के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण गुण है।
5. **सतर्कता (Caution)**- तनाव तथा आकस्मिकताओं के तहत निर्णयन का गुण तथा निर्णय लेने में सक्षमता।
6. **अध्यात्मिकता (Spirituality)**- सामाजिक मूल्यों, मानदण्डों तथा कारणों का समर्थन करने का विशेष गुण अतिआवश्यक है।
7. **आत्मनियंत्रण एवं विनियमन (Self-control and regulation)**- स्वयं के व्यवहार पर अनुशासन आवश्यक विशेषता है।
8. **दृढ़ता और धैर्य (Perseverance and patience)**- लक्ष्य प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ता व धैर्य गुण की आवश्यकता होती है।

9. आशावादी (Optimistic)- भविष्य के लिए सपने तथा कल्पनाओं का श्रृजन, जक्ष्यों का सकारात्मक प्राप्ति और भविष्य के प्रति दृढ विस्वास आवश्यक है।

6.5.2 प्रबन्धकीय भूमिकायें व कार्य (Managerial Roles and Functions)

प्रत्येक ब्यक्ति में क्षमतायें छिपी होती है। प्रबन्धकीय कार्यक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां प्रबन्धकों को अपनी क्षमताओं की प्रदर्शित करना होता है तथा अपने आधीन कार्य करने वालों को भी उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करना होता है। यहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रबन्धक अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। प्रबन्धकों को उद्यम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी समताओं के उपयोग के साथ-साथ उद्यम में कार्य कर रहे लोगों/कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने की भी आवश्यकता होती है। प्रबन्धकीय कार्यों में प्रमुखतः नियोजन, संगठन, निर्देशन, तथा नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है।

6.5.3 प्रबन्धकीय कौशल (Managerial Skills)

चार मूल प्रबन्धकीय कौशल है जिनका वर्णन निम्नवत किया गया है-

तकनीकी कौशल (Technical skills)- आज के युग में तकनीकी कौशल गुण अति आवश्यक है जहाँ अधिकतर कार्य किसी न किसी तकनीक द्वारा किये जाते हैं यह विशिष्ट विधियों का उपयोग करने की प्रबन्धक की समता है। यह तकनीक कौशल न केवल प्रौद्योगिकीसे सम्बन्धित है बल्कि अर्थमित्र उपकरण तथा तकनीकों के उपयोग से भी सम्बन्धित है। प्रबन्धकों के लिए तकनीकी कौशल नियोज से प्रारम्भ होकर नियंत्रण तक कई प्रकार से आवश्यक है।

अन्तर्व्यक्तिक कौशल (Interpersonal skills)- मानव संसाधन किसी भी उपक्रम की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है। अन्तर्व्यक्तिक कौशल में मानव ससाधनों के बीच सहयोग, समन्वय, प्रेरणा, संचार कर उद्यम के लक्ष्यों की आसान प्राप्ति से है इसलिए प्रबन्धन के हर स्तर पर पारस्परिक कौशल आवश्यक है।

वैचारिक कौशल (Conceptual skills)- मध्य तथा शीर्ष प्रबन्धन के लिए वैचारिक कौशल अति आवश्यक है यह एक पूरी तस्वीर को समझने की क्षमता है। प्रासंगिक प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आस-पास के माहौल के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर संगठन को देखने का तात्पर्य है।

संचार कौशल (Communication skills)- जानकारी प्रसारित करने और प्राप्त करने की क्षमता बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। प्रबन्धकों, को निर्णय लेने के लिए सूचनाओं की जानकारी की आवश्यकता होती है। संचार कौशल से तात्पर्य है कि प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक सूचनाये समय-समय पर प्राप्त की जाये तथा जिन सूचनाओं के प्रचार प्रसार तथा निम्नवत सम्प्रेषण की आवश्यकता है यह भी अवश्य होना चाहिए यह केवल लिखित तथा मौखिक संचार से ही सम्बन्ध नहीं रखता बल्कि उपलब्ध जानकारी से सही निर्णय लेने में वह गैर मौखिक संकेतों, मनोदशा और भावनाओं को अलग करने में सक्षमता का बोध कराता है। मानव संसाधन का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए प्रबन्धक को इस कौशल का ज्ञान आवश्यक है।

6.5.4 नये उद्यम मे मुद्दा का प्रबन्ध (Managing Issues in New Ventures)

निम्नांकित मुद्दों का प्रबन्धन अति आवश्यक है:

1. मानव संसाधन समस्यायें (Problems Related to Human Resource)- प्रभावी संचार किसी भी सफल व्यवसाय के संचालन में व प्रबन्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह खुले संचार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खुला संचार का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने विचारों को प्रबन्धकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके कारण संगठन में परिवर्तन तथा उनके प्रभाव शीघ्र साझा किये जाते हैं। संगठनों के पास समय और कौशल है जो परिवर्तनों का जवाब देने और भविष्य में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। एक प्रभावी प्रबन्धन संरचना को कम कर सकती है और कर्मचारियों की उत्पादक क्षमताओं को व्यवसायिक विकास और लाभ बढ़ाने में सहयोगी बना सकती है।

एक उद्यम आम तौर पर कुछ लोगों के साथ प्रारम्भ होता है अक्सर कर्तव्यों का आयोजन करने वाले केवल एक या दो व्यक्ति होते हैं जैसे-जैसे फर्म का कारोबार बढ़ता है अधिक लोगों को एक कार्यात्मक आधार पर अक्सर विशेष भूमिकाएँ निभाने के लिए काम पर रखा जाता है। व्यवसाय एक मानव लेखांकन प्रणाली को विकसित करता है जिसमें निम्न कर्मचारी जानकारी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सटीकता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

- a) नाम (Name)
- b) पता, (Address)
 - a. वैवाहिक स्थिति (Marital status)
 - b. आश्रितों (Dependents)
- c) शामिल होने की तिथि (Date of joining)
 - a. कम्पनी में नौकरी का इतिहास (Employment history in the company)
 - b. वेतन ग्राफ, डिग्री सहित शिक्षा (Salary graph, Education including degrees)
 - c. व्यवसायिक लाइसेन्स या प्रमाण पत्र, (Professional licenses or certifications)
 - d. व्यवसायिक प्रकासन (Professional publications)
 - e. नेतृत्व सबूत (Leadership evidence)
 - f. कैरियर के लक्ष्य। (Career goals.)

संघर्ष पर नियंत्रण, सफल प्रबन्धन की एक अन्य विशेषता संघर्ष को नियंत्रित करने में है व्यापार से और उद्यम की पारस्परिक गतिविधियों से संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है। किसी संगठन को विकसित करने के लिए इसे सकारात्मक तरीके से चैनलित करने की आवश्यकता है।

2. संरचनात्मक मुद्दे (Structural issues)- किसी विशेष संगठन की संरचनात्मक विभिन्न प्रकार के आन्तरिक तथा वाह्य वातावरण पर निर्भर करती है जैसे -

- a. प्रतिस्पर्धा प्रौद्योगिकी (Competition Technology)
- b. विनियामक वातावरण (Regulatory environment)
- c. सरकारी नीतियाँ, कानून (Government policies, laws)
- d. ग्राहक विशेषताये (Customer characteristics)
- e. आपूर्तिकर्ता विशेषताये (Supplier characteristics)
- f. आर्थिक वातावरण (Economic environment)
- g. संगठन में कर्मचारी विकास (Employee development in the organization)
- h. रणनीति उत्पादों या बाजारों सहित (Strategy including products or markets)

3. नीति और प्रक्रियात्मक मुद्दे (Policy and procedural issues)- संगठनात्मक प्रबंधन को केन्द्रीय तत्व प्राधिकरण है प्राधिकरण संगठन के भीतर नियंत्रण का अभ्यास है। नियंत्रण की एक पूरी व्यवस्था फर्म के संचालन को बनाए रखती है और प्राधिकरण को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रतिनिधिमंडल व्यवसाय में प्राधिकरण के प्रभावी अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए सीमित अधिकार को सौंपने के द्वारा संगठन के कर्मचारियों की प्रतिभा का उपयोग प्रबंधक के कौशल और अनुभव को उपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। प्रभावी ढंग से एक संगठन में जिम्मेदारी और प्राधिकारी को निपुणता के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए

- प्रतिनिधिमंडल की शक्ति को स्वीकार करें। (Acknowledge the power of delegation.)
- अधीनस्थों की क्षमता का पता लगाएं। (Find out the potential of subordinates.)
- सुनिश्चित करें कि विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। (Ensure specific training is provided.)
- विशिष्ट जिम्मेदारियों को नियुक्त करने के लिए कर्मचारी चुनें। (Select employees to assign specific responsibilities.)
- नियमित निगरानी और ब्याज प्रदान करें। (Provide regular monitoring and interest.)
- परिणामों पर चर्चा करें और उचित प्रतिक्रिया दें। (Discuss results and give appropriate feedback.)
- एक सकारात्मक तरीके से किसी भी संगठन में प्राधिकरण को प्रभावी ढंग से नियुक्त करने के द्वारा प्रत्येक स्तर के अधिकारों की क्षमता और क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है।

4. उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन (Management by objectives)- कई कम्पनियों ने उद्देश्यों (एमबीओ) द्वारा प्रबंधन का उपयोग किया है यह प्रबंधन की एक तकनीक है जहां उपनगरीय और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थों के लक्ष्यों को निर्धारित किया।

अपने लक्ष्य और लक्ष्य उपलब्धि में कर्मचारी यह प्रणाली संगठन की समन्वय सुनिश्चित करने और प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से नियुक्त करने के लिए एक संरचना प्रदान करती है। एक एमबीओ सिस्टम की स्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं-

- अधीनस्थ (Subordinates)-** प्रगति को मापने के उद्देश्यों और साधनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। एक पर्यवेक्षक, विकसित व्यवसाय के प्रकाश में प्रस्तावित उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है, अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की क्षमता की जरूरत है। पर्यवेक्षक और अधीनस्थ साथ माप के मानकों और मानकों पर चर्चा उचित समय सारिणी और संभावित सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं।

पर्यवेक्षक और अधीनस्थ परिणामों पर बातचीत करते हैं, पुरस्कार निर्धारित करते हैं और चक्र को फिर से शुरू करते हैं परिचालन रिपोर्ट किसी भी व्यवसाय का प्रदर्शन कार्ड बनाती है।

5. अन्य मुद्दे जोखिम प्रबंधन (Other issues Risk management)- एक छोटा या नया व्यवसाय कोई अपवाद नहीं है। ऐसी अनदेखी घटनाओं की पहचान करना और जल्दी से निपटना मुख्य जिम्मेदारी है प्रबंधन की। केवल प्रबंधन में समग्र संगठन पर इन घटनाओं के पूर्ण प्रभावशाली प्रभाव का आकलन करने की क्षमता है। कुछ विनाशकारी घटनाएं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं नीचे उल्लिखित हैं।

- संपत्ति की चोरी। (Theft of property)
- कानून का उल्लंघन। (Violation of law.)
- सूचना पौद्योगिकी अपराधों। (Information technology crimes.)
- धोखेबाजी प्रथाओं। (Fraudulent practices.)
- बाढ़ से प्रभावित। (Affected by flood)

वास्तविक समाधान संगठन के भीतर से आना चाहिए और दैनिक लागू किया जाना चाहिए। सरकार और संस्थागत नीतियां यह एक और पहलू है जिसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। व्यवसाय पर सरकारी एजेंसियों के प्रभाव और उनके प्रभाव को चुनौती देने के लिए उठाए गए कदमों की पहचान करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार करें-

- एजेंसियां जो व्यापार के संचालन को प्रभावित करती हैं (Agencies that affect business operations)
- प्रत्येक एजेंसी में प्रमुख संपर्क (Key contacts at each agency)
- वर्तमान में व्यापार को प्रभावित करने वाले नियम (Regulations currently affecting business)
- एजेंसी के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए नीतियों का ज्ञान (Knowledge of policies for challenging agency findings)
- लंबे समय से एजेंसी के साथ काम करने की इच्छा अवधि (Willingness to work with the agency over a long period of time)

6.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

- अतिआवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है। (जीवनदायक या विलासिता)
- का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने विचारों को प्रबन्धकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। (खुले संचार या संचार कौशल)
- संगठन के कर्मचारियों के बीच सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान से संबंधित कौशल कहलाता है। (खुले संचार या संचार कौशल)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

- प्रतिस्पर्धी उद्यमी अपना मुनाफा कम कर भी मूल्य युद्ध का सहारा ले सकते हैं।
- अतिआवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है।

6.7 सारांश (Summary)

एक नया उद्यम शुरू करने के लिए निर्णय लेने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है। ऐसे कई निर्णय हैं जिनके दीर्घकालिक प्रभाव हैं और भारी निवेश की आवश्यकता होती है। स्थान का चयन एक रणनीतिक निर्णय है जिसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कच्चे माल के करीब, परिवहन कारक, आर्थिक कारक, और बाजार संबंधी कारक, सामुदायिक कारक आदि के विकास में किसी भी बाधा से बचने के लिए बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है इसके अलावा संगठनों के वातावरण में मौजूदा बाजार बलों का अध्ययन करना जरूरी है। उन्हें अनुकूल होना चाहिए और किसी संस्था के चिकनी चलन को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

6.8 शब्दावली (Glossary)

- कौशल (Skills):** यह ज्ञान का आवेदन है।
- तकनीकी कौशल (Technical Skills):** यह तकनीकी जानकारी से संबंधित है।
- संचार कौशल (Communication Skills):** संगठन के कर्मचारियों के बीच सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान से संबंधित कौशल।
- परास्परिक कौशल (Interpersonal Skills):** श्रमिकों को प्रेरित करने, काम के संघर्ष को हल करने, लोगों के साथ संवाद करने और काम करने की योग्यता।

- **एमबीओ (MBO):** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त रूप से निर्दिष्ट समय में प्राप्त किए जाने वाले कर्मचारी के उद्देश्य के बारे में पहचान करते हैं।
- **पर्यावरण (Environment):** यह सभी कारकों का योग है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है।
- **उपभोक्ताओं की शक्ति (Power of Consumers):** नये उद्यम की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को इसका भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को कितनी शक्ति देना चाहते हैं। अति आवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है।
- **विक्रेताओं की शक्ति (Power of Sellers):** विक्रेताओं के पास कीमतों से सम्बन्धित तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित शक्तियाँ निहित हैं। विक्रेता कीमत बढ़ा सकते हैं या गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। कभी-कभी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. विलासिता, 2. खुले संचार, 3. संचार कौशल
निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. सत्य
-

6.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

- Arauzo Carod, Josep Maria. "Determinants of industrial location: An application for Catalan municipalities*." *Papers in Regional Science* 84.1 (2005): 105-120.
 - Audretsch, David B., and Paula E. Stephan. "Company -scientist locational links: The case of biotechnology." *The American Economic Review* 86.3 (1996): 641-652.
 - Badri, Masood A., Donald L. Davis, and Donna Davis. "Decision support models for the location of firms in industrial sites." *International Journal of Operations & Production Management* 15.1 (1995): 50 -62.
 - Badri, Masood A. "Dimensions of industrial location factors: review and exploration." *Journal of Business and Public Affairs* 1.2 (2007): 1-26.
 - Stevenson, H. & Jarillo, C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, *strategic Management Journal*, 11: 17-27.
-

6.11 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

Websites:

- <http://home.snu.edu/~jsmith/>
- <http://web.ewu.edu/groups/cbpacea>
- <http://www.bbc.co.uk/schools>
- <http://www.bms.co.in>

- <http://www.fao.org/docrep/x5744e>
- <http://www.hse.go>
- [v.uk/research/rrpdf](http://www.uk/research/rrpdf)
- <http://www.investopedia.com/terms>
- <http://www.translationdirectory.com/articles>
- <https://strategiccco.com>

6.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. बाजार सम्बन्धी कारक तथा उपभोक्ता सम्बन्धी कारकों को विस्तार पूर्वक समझाइये तथा इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए।
2. सकारी व्यवहार सम्बन्धी कारक तथा समुदाय सम्बन्धी कारकों की विवेचना कीजिए।
3. नये उद्यम स्थापना में पर्यावरण कारक से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण कारक में कौन से मुख्य पाँच बिन्दु हैं? विवेचना कीजिए।
4. प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वन्द्विता से आप क्या समझते हैं।
5. प्रभावी प्रबन्धन के लिए प्रबन्धक के आवश्यक गुणों की व्याख्या कीजिए।
6. प्रबन्धकीय कौशल से आप क्या समझते हैं यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? व्याख्या करें।

इकाई 7 उद्यमिता के सिद्धांत (Theories of Entrepreneurship)

- 7.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 7.2 उद्देश्य (Objectives)
- 7.3 उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषाएँ विचारधाराएँ (Meaning and definitions of entrepreneurship)
- 7.4 उद्यमिता का ऐतिहासिक विकास (Historical development of entrepreneurship)
- 7.5 उद्यमिता के जन्म एवं विकास की विचारधाराएँ (Ideologies of the birth and development of entrepreneurship)
- 7.6 प्रमुख विद्वानों की उद्यमिता की विचारधाराएँ (Ideologies of entrepreneurship of major scholars)
 - 7.6.1 आर्थिक विचारधाराएँ (Economic ideologies)
 - 7.6.2 मनोवैज्ञानिक विचारधाराएँ (Psychological ideologies)
 - 7.6.3 सामाजिक-सांस्कृतिक (Socio-cultural ideologies)
 - 7.6.4 एकीकृत विचारधाराएँ (Integrated ideologies)
- 7.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 7.8 सारांश (Summary)
- 7.9 शब्दावली (Glossary)
- 7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 7.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 7.12 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 7.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्यमशीलता विकास से सम्बन्धित यह सातवीं इकाई है। इससे पूर्व आपने आधारभूत सिद्धान्तों एवं महत्व को पढा होगा। इस इकाई में आप उद्यमशीलता से सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराओं जो उद्यमशीलता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन करेंगे। इस इकाई में उद्यमशीलता के जन्म एवं क्रमिक विकास को भी उल्लेखित किया गया है। जिसके द्वारा आप जान सकेंगे कि विभिन्न काल अवधि में उद्यमशीलता के विकास में विद्वानों द्वारा क्या-क्या योगदान दिया गया।

7.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- ✓ उद्यमिता को विभिन्न विद्वानों द्वारा किस प्रकार परिभाषित किया गया है, की व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ उद्यमिता का इतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ है, की व्याख्या कर सकेंगे।
- ✓ विभिन्न विद्वानों द्वारा उद्यमिता के विकास की विचारधाराओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, का वर्णन कर सकेंगे।
- ✓ इनमें से प्रचलित एवं प्रमुख विचारधाराओं की अवधारणा एवं महत्वता क्या है, को समझ सकेंगे।

7.3 उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषाएँ विचाराधाराएँ (Meaning and definitions of entrepreneurship)

अल्फ्रेड व्हाइटहेड (Alfred Whitehead) के अनुसार- “महान समाज वह है जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति उद्यमिता का चिन्तन एवं व्यवहार करता है।”

उद्यमिता शब्द की परिभाषा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। विभिन्न विद्वान इसे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी के नजरिए में उद्यमिता शब्द विशेषण है और कोई इसे क्रिया के रूप में देखता है। जब उद्यमिता शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता उसके दृष्टिकोण व चिन्तन को दर्शाता है तब वह विशेषण के रूप को प्रकट करता है।

ऐसी कुछ परिभाषाएँ निम्नानुसार है।

प्रो. पारीक एवं नडकणी (Prof. Pareek and Nadkani) के अनुसार- “उद्यमिता से आशय समाज में नये उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से हो।”

एच जानसन (H. Johnson) के अनुसार- “उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है -अविष्कार, नवाचार तथा अनुकूलन।”

इन परिभाषाओं में उद्यमिता से तात्पर्य व्यक्ति की जोखिम प्रवृत्ति पर आधारित है जो उसे नवाचार करने एवं नवीन उपक्रम की स्थापना के लिए प्रेरित करती है।

क्रिया के रूप में उद्यमिता एक प्रक्रिया है तकनीक एवं कार्य पद्धति है। आज के दौर में उद्यमिता को क्रिया या प्रक्रिया के रूप में ही परिभाषित किया जाता है।

इसी रूप की कुछ व्यापक परिभाषाएँ इस प्रकार है -

शुम्पीटर (Schumpeter) के मतानुसार -“उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य है।”

फ्रेन्कलिन लिन्डसे (Franklin Lindsay) के अनुसार -“उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं / अपेक्षाओं का पूर्वानुमान करने तथा संसाधनों के नवीन सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संगठन एवं सयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का अर्थ है।”

पीटर एफ. ड्रुकर (Peter F. Drucker) के अनुसार - “व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है, वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है।”

उपर्युक्त परिभाषाएँ प्राचीन एवं नव प्राचीन मत दर्शाती हैं। आधुनिक मत के विचारक उद्यमिता को सामाजिक नवप्रवर्तन एवं गतिशील से सम्बन्धित करते हैं। ये उद्यमिता के व्यावहारिक दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। वर्तमान समय की कुछ परिभाषायें निम्न प्रकार हैं -

रॉबर्ट लैम्ब (Robert Lamb) के अनुसार - “उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप है। जो आर्थिक नवप्रवर्तकों द्वारा सम्पादित किया जाता है।”

रिचमैन तथा कोपेन (Richman and Koppen) के अनुसार- “उद्यमिता किसी सृजनात्मक ब्राह्म अथवा खुली प्रणाली की ओर संकेत करती है। यह नवप्रवर्तन जोखिम वहन तथा गतिशील नेतृत्व का कार्य है।”

जॉन के ओ (John K. O.) के अनुसार- “उद्यमिता के विकास एक नहीं अपितु अनेक घटकों के समूहों से प्रभावित होता है जैसे व्यक्तित्व सम्बन्धी घटक, कार्य सम्बन्धी घटक, वातावरण सम्बन्धी घटक एवं संगठनत्मक सम्बन्धी घटक।”

इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्यमिता मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं वरन् कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास की भी प्रभावी तकनीक है। राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास उद्यमिता का ही परिणाम है।

7.4 उद्यमिता का ऐतिहासिक विकास (Historical development of entrepreneurship)

चित्र 7.1 उद्यमिता के ऐतिहासिक विकास की समय सारणी

काल/अवधि	विचारक	प्रचलित विचारधारा
1680-1734	रिचार्ड कैन्टिलॉन	इनके द्वारा उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया
1767 - 1832	जीन बैपटिस से	उद्यमिता से प्राप्त लाभ, पूंजी स्वामित्व से प्राप्त लाभ से भिन्न है।
1864	मेक्स वेबर	नैतिक मूल्य व्यवस्था
1885-1972	प्रो. फ्रेक. एच. नाइट	जोखिम वहन विचारधारा
1890	एल्फ्रेड मार्शल	आर्थिक विचारधारा
1971 - 1988	में क्वलीलैण्ड	उपलब्धि विचारधारा
1922	लीबेनस्टीन	एक्स कुशलता विचारधारा
1949	शुम्पीटर	नवाचार विचारधारा
1962	हेरोन	पीड़ित अल्पसमूह विचारधारा
1964	पीटर ड्रुकर	उद्यमी वह है जो अवसरों को अधिकाधिक करता है।
2000-10		वैश्वीकरण और तकनीकी की वृद्धि के कारण उद्यमिता की परिभाषा का विस्तार हुआ।

उद्यमिता का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। इस अवधि में कई विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म एवं विकास की नई विचाराधाराओं को प्रतिपादित किया है। उद्यमिता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उद्यमिता का विकास किसी एक घटक से नहीं बल्कि अनेक घटकों के सामूहिक प्रभाव से प्रभावित होता है। किसी विचारक को उद्यमिता के विकास में आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण लगे, तो कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है कई विचाराकों के मत में उद्यमिता के विकास का मूल कारण मनोवैज्ञानिक घटक है वर्तमान युग के कई विद्वानों का मानना है कि उद्यमिता को जन्म एवं विकास आर्थिक समाजिक, सांस्कृतिक, परिवारिक, मानसिक तथा वातावरण सम्बन्धी सभी घटकों के सामूहिक प्रभाव से होता है। अतः उन्होंने विभिन्न घटकों के एकीकरण पर आधारित विचार धाराओं का प्रतिपादन किया है।

7.5 उद्यमिता के जन्म एवं विकास की विचारधाराएँ (Ideologies of the birth and development of entrepreneurship)

उद्यमिता की अवधारणा में तीन सदियों में प्रमुख परिवर्तन आया है। अभी तक अवधारणा स्पष्ट नहीं है। वर्षों से सामाजिक वैज्ञानिकों ने उनकी धारणा और वातावरण के अनुसार उद्यमिता के जन्म व विकास की अलग - अलग ढंग से व्यवस्था की है। हम पाँच चरणों में उद्यमिता के विकास की पहचान कर सकते हैं।

पहला चरण	अवधारणा अस्पष्ट और विस्तृत नहीं थी। उद्यमी साहसी के रूप में देखा गया।
दूसरा चरण	उद्यमिता को एक सट्टा गविविधी के रूप में देखा गया।
तीसरा चरण	इस स्तर पर उद्यमिता को सुरक्षा संसाधनों के समन्वयक के रूप में देखा गया।
चौथा चरण	उद्यमिता का झुकाव अभिनव एवं रचनात्मक तरीकों पर अधिक था।
पांचवा चरण	इस चरण को सामाजिक निर्णय लेने में उच्च उपलब्धि के एक अधिनियम के रूप में देखा गया जहाँ उद्यमी एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभर कर आया।

जोसेफ मैसी (Joseph Massey) के अनुसार- “उद्यमशीलता के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण की विविधता के कारण उद्यमिता या उद्यमी को परिभाषित करने में बहुत कठिनाई है। उद्यमिता के उत्थान पर अलग-अलग राय हैं। ये विचार चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।”

1. आर्थिक विचारधारा (Economic ideology)
2. सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा (Sociocultural ideology)
3. मनोवैज्ञानिक विचारधारा (Psychological ideology)
4. एकीकृत विचारधारा (Integrative ideology)

1. आर्थिक विचारधारा (Economic ideology)- उद्यमी शब्द अर्थशास्त्र में 'कैन्टीलॉन' द्वारा शुरू किया गया था। किन्तु इसे प्रचलित एवं प्रमुख जे.बी.से द्वारा किया गया। जेम्स मिल द्वारा इस शब्द को इंग्लैंड में लोकप्रियता हासिल हुई।

यह विचार धारा उद्यमिता के विकास के लिए आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण मानती है अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्यमशीलता और आर्थिक वृद्धि जहाँ विशेष आर्थिक स्थितियाँ सबसे अनुकूल है उन परिस्थितियों में विद्यमान होती है।

इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक पेपनेक एवं हेरिस (Papanek and Harris) ने कहा है कि “आर्थिक प्रेरणाएँ ही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरक शक्ति है।” विद्वानों का मानना है कि कुछ मामलों में भले ही यह स्पष्ट दिखाई न दे, परन्तु व्यक्तियों में आंतरिक ड्राइव हमें शा आर्थिक लाभ के साथ संबंधित होता है। इन परिस्थितियों में से कुछ प्रमुख परिस्थितियाँ इस प्रकार है।

1. उत्पादन के संसाधनों का उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध होना।
2. सृद्ध और नियन्त्रित बाजार व्यवस्था।
3. उपभोक्ता के पास क्रय शक्ति हो।

4. सरकार की सकारात्मक औद्योगिक नीतियाँ योजनाएँ एव उद्योगों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करना।

उद्यमिता की आर्थिक विचारधारा में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख विचारकों में प्रो. नाइट एवं प्रो. लीबेनस्टीन का नाम उल्लेखनीय है।

प्रो. नाइट (Prof. Knight) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उत्पादन का जोखिम तभी उठायगा जब उसे उचित लाभ मिलेगा। अर्थात् **“लाभ ही जोखिम उठाने का पुरस्कार है।”**

प्रो. लीबेनस्टीन (Prof. Leibenstein) के अनुसार उत्पादन के सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु ही उद्यमी का जन्म एवं विकास होता है। वे अवसरों के अनुरूप संसाधनों का सदुपयोग करते हैं विभिन्न बाजारों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तथा लाभ कमाते हैं। इन दोनों की विचार धाराओं का वर्णन इस पाठ में आगे विस्तार से किया जा रहा है।

अतः अर्थशास्त्रियों के अनुसार सकारात्मक आर्थिक परिस्थितियाँ ही उद्यमिता के जन्म एव विकास के लिए उत्तरदायी एवं सहायक होती हैं। किसी भी देश में बाजार की खामियाँ और अक्षम आर्थिक नीतियाँ ही उद्यमिता की कमी के मुख्य कारण होते हैं।

2. सामाजिक सांस्कृतिक विचार धारा (Sociocultural ideology)- इस विचारधारा के अनुसार उद्यमिता का विकास या उसमें कमी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होती है। जो व्यवस्था रचनात्मक सुविधाओं, प्रयोग एवं नवाचार के लिए अवसर से इनकार करती है वहाँ उद्यमिता में कमी देखी जाती है। उद्यमिता के विकास के लिए सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एव व्यक्तिगत परिस्थितियाँ अनुकूल होनी चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्ति से समाज की अपेक्षाएँ, लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि, प्राप्त आर्थिक अधिकार आदि इन सबको सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सकता है। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उद्यमियों का जन्म सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है जैसे की जापान में समुदारी समुदाय, भारत में गुजराती व मारवाड़ी समुदाय आदि की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने उद्यमिता के विकास को प्रेरित किया है। इस विचार धारा के विकास में वेबर, क्रोकोन हॉसलिज आदि विद्वानों की विचारधाराओं का इस पाठ में आगे विस्तार पूर्वक वर्णन है।

3. मनोवैज्ञानिक विचारधारा (Psychological ideology)- मनोवैज्ञानिक मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि उद्यमिता की पूर्ति एवं प्रेरणा मनोवैज्ञानिक शक्तियों से प्रभावित होती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति उद्यमी होगा या नहीं, उसके व्यक्तित्व या मानसिक गुणों पर निर्भर करेगा। जब समाज में पर्याप्त मात्रा में मनोवैज्ञानिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों की पूर्ति होती है तब उद्यमिता के विकसित होने के अधिक अवसर रहते हैं। उद्यमिता के विकास पर व्यक्ति की आन्तरिक इच्छाओं, मनोवृत्तियों, आदतों, आकांक्षाओं, प्रेरणाओं, संवेगों व दृष्टिकोण का अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के प्रेरक विभिन्न मानसिक या व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों को प्रेरणा मानते हैं। मैक्क्लीलैण्ड के अनुसार उपलब्धि की उच्च आकांक्षा वाले व्यक्ति अधिक सफल उद्यमी बनते हैं। हेगेन का मत है कि समाज में किसी पीड़ित अल्प समूह की सृजनात्मकता ही उद्यमिता का मुख्य स्रोत है।

जॉन कुनकेल ने साहस पूर्ति के सम्बन्ध में एक व्यवहारिक विचारधारा को प्रस्तुत किया है। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी का प्रमुख कार्य व्यवसाय में नवप्रवर्तनों को प्रारम्भ करना है। अतः उद्यमी का व्यवहार प्रत्येक स्थिति में सृजनात्मक होता है एवं उद्यमी एक नवप्रवर्तक हैं ऐसी कुछ विचारधाराओं की आगे संक्षिप्त विवेचना की गई है।

4. एकीकृत विचारधारा (Integrative ideology)- उद्यमिता के विकास की एकीकृत विचार धाराएँ कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों पर आधारित हैं। इस

विचारधारा का मत रखने वाले विचारकों का मानना है कि उद्यमिता के विकास पर इन सभी घटकों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है।

टी.वी. राव ने उद्यमिता के विकास के लिए साहसिक मनोवृत्ति के साथ अवबोधक घटक, वैयक्तिक संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों को भी आवश्यक बताया है।

जॉन के ओ के अनुसार उद्यमिता के विकास में व्यक्तित्व सम्बन्धित घटक, वातावरण सम्बन्धी घटक, कार्य सम्बन्धी घटक एवं संगठनात्मक घटक सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं।

7.6 प्रमुख विद्वानों की उद्यमिता की विचारधाराएँ (Ideologies of entrepreneurship of major scholars)

(इन सभी विचारधाराओं की क्रमशः संक्षिप्त विवेचना की जा रही है।)

1. अर्थिक विचारधाराएँ	2. मनोवैज्ञानिक विचार धाराएँ	3. सामाजिक-संस्कृतिक विचार धाराएँ	4. एकीकृत विचार धाराएँ
1. नाइट की जोखिम वहन की विचार धारा	1. में क्वलीलैण्ड की उपलब्धि विचार धारा	1. यंग की समूह स्तरीय प्रतिक्रिया विचारधारा	1. टी.वी.राव की विचारधारा
2. लीबेनस्टीन की एक्स कुशलता विचारधारा	2. शुम्पीटर की नवाचार विचार धारा	2. में क्सवेबर की विचारा धारा	2. उदय पारीक तथा मनोहर नाडकर्णी की विचारधारा
3. पैपनिक एवं हैरिस की आर्थिक विचार धारा	3. हेगेन की पीड़ित अल्प समूह विचार धारा	3. कोक्रोन की विचार धारा	3. जॉन के ओ
	4. कुन्कैल की व्यवहार वादी विचार धारा	4. हासलिज की विचार धारा	
	5. पीटर एफ ड्रकर की विचार धारा	5. स्टॉक्स की विचार धारा	

7.6.1 आर्थिक विचारधाराएँ (Economic ideologies)

1. नाइट की जोखिम वहन विचारधारा (Knight's Risk-Taking Philosophy)

प्रो. नाइट की मान्यता है कि प्रत्येक उद्यमी लाभ कमाता है क्योंकि वह जोखिम उठाता है। अतः लाभ ही जोखिम का प्रतिफल या पुरस्कार है। यही प्रतिफल उद्यमी को अपना कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। इस विचार धारा के कुछ प्रमुख तथ्य हैं -

- A. जोखिम से ही लाभ उत्पन्न होता है - इस विचारधारा के अनुसार उद्यमी को लाभ होता है, क्योंकि वह जोखिम उठाता है।
- B. जोखिम जितना अधिक होता है लाभ भी उतना अधिक होता है - विभिन्न उद्योगों में जोखिम की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। उद्यमी का जोखिम उतना ही होता है जैसा एवं जिस प्रकार का कार्य वह करता है प्रो. नाइट का यह भी मानना है कि जोखिम जितना अधिक होता है उद्यमी को उतना ही लाभ मिलना चाहिए।
- C. लाभ जोखिम का पुरस्कार है एवं लागत का हिस्सा है - उद्यमी को जोखिम वहन करने का पुरस्कार मिलता है जिसे लाभ कहते हैं। उसे उत्पादन के सभी घटकों को पूर्व निर्धारित मूल्य देना ही पड़ता है। चाहे उस उपक्रम से लाभ हो या हानि। परन्तु उत्पादन में जोखिम वहन करनी ही पड़ती है, इसके बिना उत्पादन अंशम्भव है। उद्यमी का जोखिम उठाना उत्पादन का ही एक प्रमुख घटक है। अतः जोखिम उठाने के पुरस्कार को उत्पादन के लागत का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- D. उद्यमी का पारिश्रमिक अनिश्चित है - क्योंकि उसे यह तभी मिलता है जब कुछ बचता है परन्तु उद्यमी को जोखिम वहन करने के प्रतिफल के रूप में कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होती है। जिन अनिश्चितताओं के बीमा करवाकर निश्चित किया जा सकता है उनके लिए उसे लाभ नहीं मिल सकता। जिन अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान ठीक से लगा कर निश्चित नहीं किया जा सकता है। उनका बीमा नहीं करवाया जा सकता है उद्यमी को केवल ऐसी ही गैर बीमा योग्य जोखिमों का प्रतिफल मिलता है। जिसे लाभ कहा जाता है निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है। कि इस विचार धारा के अनुसार उद्यमी जोखिम तभी उठायेगा जब उसे उसका अपेक्षित लाभ पुरस्कार के रूप में प्राप्त होने की सम्भावना न हो।
- E. जब यह प्रतिफल उचित होगा तो उद्यमियों एवं उद्यमिता का विकास होगा। अतः देश में उद्यमिता के विकास की दर उद्यमी के जोखिम वहन करने की प्रतिफल की दर पर निर्भर करेगी।

2. लीबेनस्टीन की एक्स कुशलता विचार धारा (Leibenstein's X-efficiency idea)- यह विचार धारा मूल रूप से किसी और कारण के लिये विकसित हुई थी परन्तु हाल ही में इस विचार धारा को उद्यमी की भूमिका से जोड़ा जा रहा है। इस विचार धारा की मान्यता है कि किसी भी संस्था में संसाधनों को विभिन्न प्रकार की कुशलताओं के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। यह संसाधन जितनी अधिक कुशलता से उपयोग किये जायेंगे कुल उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। किन्तु यदि एक संसाधन का कुशलता से उपयोग नहीं होता है तो उस संसाधन का वास्तविक उत्पादन तथा उससे अपेक्षित अधिकतम उत्पादन के बीच का अन्तर ही एक्स कुशलता है। अतः एक्स कुशलता वास्तव में अकुशलता की वह मात्रा है जो किसी संस्थान में किसी संसाधन की अधिकतम क्षमता के उपयोग नहीं कर पाने के कारण उत्पन्न हुई है।

एक्स-कुशलता उत्पन्न होने के निम्न कारण हो सकते हैं -

- संसाधनों का अकुशल उपयोग (Inefficient use of resources)
- संसाधनों का अपव्यय अथवा (Waste of resources)
- संसाधनों को अप्रयुक्त छोड़ना (Leaving resources unused)


उद्यमी की भूमिका इस एक्स कुशलता को दूर या समाप्त करना होती है। लीबेनस्टीन के अनुसार उद्यमी दो प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं।

- दूरियों या कमियों को पाटने वाला (Bridging gaps or deficiencies)
- संसाधन पूर्णकर्ता (Resource completer)

ये दोनों भूमिकाएँ इस विचार धारा की मान्यताओं पर आधारित हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यदि उत्पादन के सभी संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं अथवा यदि बाजार अपूर्ण (Market imperfection) है तो उद्यमी को इन कमियों या दूरियों को पाटना होगा। उद्यमी इसे अपनी नेतृत्व क्षमता, अभिप्रेरणा क्षमता,

सहयोग प्राप्त करने की योग्यता आदि से इन कमियों को दूर सकता है। संसाधन पूर्णकर्ता की भूमिका में उद्यमी सभी संसाधनों को उपलब्ध करने का कार्य करता है जिनसे विद्यमान उत्पादन विधियों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अथवा उनमें सुधार किया जा सके। लीबेनस्टीन की विचार धारा प्रतिस्पर्धा की परम्परागत विचार धारा को नकारती है। यह इन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है -

1. सभी संसाधनों का ज्ञान एव उपलब्धि की जानकारी सम्पूर्ण उद्योग के सभी उद्यमियों को नहीं होती है।
2. संसाधनों तथा उनसे होने वाले उत्पादन के बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है।



चित्र 7.3: लीबेनस्टीन की एक्स-कुशलता विचार धारा

इन्ही मान्यताओं के आधार पर उन्होंने यह माना कि उद्योग में उत्पादन कार्य (Production work in industry) के सम्बन्ध में ज्ञान की बहुत खाई (Gap) है। अतः लीबेनस्टीन के अनुसार उद्यमी वह है जो बाजार सम्बन्धी तथा उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता एवं उत्पादकता की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक्स-कुशलता को दूर करता है। उनके अनुसार उद्यमी दो प्रकार के होते हैं -

1. नैतिक उद्यमी (Routine Entrepreneur)- ऐसे उद्यमी विद्यमान उपक्रम के कार्यों का अन्य बाजारों से समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है।
2. नवाचारी उद्यमी (Innovative Entrepreneur)- ऐसे उद्यमी बाजार या संसाधनों में विद्यमान कमियों को पाटते या दूर करते हैं तथा अपने उपक्रम का सफल बनाने को जोखिम उठाते हैं।

अतः यह विचार धारा स्पष्टता से इन प्रश्नों को उत्तर देती है कि -

1. प्रत्येक देश में विभिन्न अवधियों में आर्थिक विकास की दर में भिन्नता क्यों पायी जाती है।
2. किसी भी संस्थानों की अधिकतम कुशलता संसाधनों की एक्स-कुशलता की निम्नता पर निर्भर करती है।
3. पैपनिक एवं हैरिस की आर्थिक विचारधारा (Economic Ideology of Pepanic and Harris)-

पैपनिक एवं हैरिस का मानना है कि किसी भी देश में प्रोत्साहन ही उद्यमिता की मुख्य शक्तियाँ होती हैं। ऐसे कई आर्थिक कारक होते हैं जो किसी देश में उद्यमिता को उन्नत अथवा अवगत कर सकते हैं।

यह कारक निम्नलिखित हैं -

1. बैंक साक की उपलब्धता।
2. उच्च पूंजी निर्माण अच्छे बचत एवं निवेश के प्रवाह के साथ।
3. निम्न ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता।
4. उत्पादन संसाधनों की उपलब्धता।

5. उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं के लिए मांग में बढ़ोतरी।

6. कुशल मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति।

7. संचार एवं यातायात सुविधाएँ।

उदाहरण - एक शोध में विशेषण किया गया कि हलांकि जैन व वैश्य समुदाय के लोग भारत के हर कोने में मौजूद थे फिर भी क्यों केवल गुजराती, मारवाड़ी, वैश्य एवं जैन समुदाय के लोग उद्यमिता के क्षेत्र में अधिक पाये गये। इसका कारण गुजरात में व्यवसाय एवं उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियों पाई गई।

अतः औद्योगिक वातावरण का उद्यमिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

7.6.2 मनोवैज्ञानिक विचाराधाराएँ (Psychological ideologies)

1. मैक्क्लीलैण्ड की उपलब्धि विचारधारा (McClelland's Achievement Ideology)

मैक्क्लीलैण्ड ने उपलब्धि की इच्छा (Desire for Achievement) को व्यक्ति के उद्यमिता व्यवहार का मुख्य कारण माना है उनके अनुसार सर्वात्तम रहने की भावना उद्यमिता के विकास का मुख्य आधार है।

प्रो. डेविड मैक्क्लीलैण्ड (Prof. David McClelland) ने अपनी पुस्तक 'द अचीविंग सोसाइटी' में शोध के आधार पर इस विचार धारा को प्रस्तुत किया है। यह विचार धारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में तीन प्रकार की प्रेरणाओं अथवा आवश्यकताओं की अनुभूति करता है जिनकी संतुष्टि उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु तत्पर करती है। ये तीन आवश्यकताएँ हैं-

1. **उपलब्धि की आवश्यकता (Need for achievement)**- ऐसे व्यक्ति उत्कृष्टता की ऊँचाइयाँ छूना चाहते हैं एवं विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं और अपने कार्यों के करने के निरन्तर बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। इनमें नया सीखने की गति व क्षमता सामान्यतः अधिक होती है। वे सामाजिक दबावों, भावनाओं अथवा मौद्रिक पुरस्कार के आगे नहीं झुकते हैं।

2. **सत्ता की आवश्यकता (Need for power)**- सत्ता पाने की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। ऐसी आवश्यकता वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभाव व सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा से अधिक प्रेरित होते हैं। वे सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करके संतुष्ट होते हैं उनकी रूचि उन सभी कार्यों में होती है जिनसे उन्हें सत्ता प्राप्त हो सके।

3. **अपनत्व की आवश्यकता (Need for belonging)**- ऐसी आवश्यकता वाले व्यक्ति दूसरों से अपनत्व पाना एवं देना चाहते हैं। इन्हें दूसरों से मित्रता एवं अपनत्व का भाव बनाने में ही अधिक संतुष्टि मिलती है। वे उन कार्यों से प्रेरित होते हैं जिसमें उन्हें सम्बन्ध बनाने एवं अपनत्व के भाव का अनुभव होता है। प्रायः यह तीनों आवश्यकताएँ हर व्यक्ति में भिन्न-भिन्न मात्राओं में होती हैं परन्तु जो आवश्यकता व्यक्ति सबसे ज्यादा अनुभव करता है वह उसे संतुष्ट करने के लिए वैसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है।

मैक्क्लीलैण्ड के शोध का निष्कर्ष (Conclusion of McClelland's research)- उद्यमियों के विकास में इन तीनों आवश्यकताओं का प्रभाव होता है। उन्होंने पाया कि प्रथम स्थान पर उपलब्धि की आवश्यकता व दूसरे स्थान पर सत्ता की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति प्रायः अधिक सफल उद्यमी होते हैं। परन्तु इनमें की आवश्यकता सबसे निम्न स्तर की होती है।

अतः "उपलब्धि पाने की तीव्र इच्छा व्यक्ति को उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है।" इस प्रकार उपलब्धि की प्रबल इच्छा को एक प्रमुख घटक मानते हुये मैक्क्लीलैण्ड ने उद्यमिता के विकास के लिए 'अभिप्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम' के आयोजन पर बल दिया है।

2. शुम्पीटर की नवाचार विचार धारा (Schumpeter's Innovation School)-

शुम्पीटर ने आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका को नये सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया है। 1949 में प्रस्तुत की गई इस विचार धारा में उन्होंने उद्यमिता को एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जो ठहरे हुए


अर्थव्यवस्था के चक्रिय प्रवाह में रूकावट उत्पन्न कर विकास की एक नई प्रक्रिया का सृजन करते हैं। उनका मानना है कि उद्यमी स्वभाव से सृजनशील है। अतः उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव नवाचार के अवसर खोजता रहता है। ये नवाचार के अवसर निम्न रूप से हो सकते हैं -

1. उत्पादन की नई तकनीक (New technology of production)
2. नये उत्पाद का विकास (Development of new product)
3. उत्पाद सामग्री के नये स्रोत (New sources of product material)
4. नये बाजार क्षेत्र खोलना एवं विकसित करना (Opening and development of new market areas)
5. किसी नयी सामग्री का उत्पाद में उपयोग (Use of any new material in the product)
6. नये प्रकार के संगठन की स्थापना आदि। (Establishment of a new type of organization etc)

अर्थात्, उद्यमी विभिन्न उत्पादन के संसाधनों का नवीन संयोजन करता है जिसे नवाचार कहा गया है जिससे अर्थव्यवस्था विकास के नये पर स्तर पहुँचने के लिए सक्रिय हो जाती है। शम्पीटर ने उद्यमियों को पूंजीपति एवं श्रमिकों की भांति किसी वर्ग में नहीं रखा। अपितु एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के रूप परिभाषित किया है जो सृजनात्मक नवाचार एवं परिवर्तन करता है। उनका यह भी मानना है कि उद्यमी का पूंजीपति होना अनिवार्य नहीं है तथा उनमें प्रबन्धकीय क्षमता होनी भी आवश्यक नहीं है एवं उसके पास उत्पादन के अन्य संसाधन भी होने आवश्यक नहीं है। उद्यमी सामान्यतः अन्वेषक (Investigator) भी होता है। उद्यमी वह व्यक्ति है “जो नये अविष्कारों एवं संसाधनों का उपयोग करके कुछ नवाचार करता है तथा कुछ नया करके दिखाता है, अथवा कुछ नये समीकरण या संयोजन बनाता है।”

उनके विचार में उद्यमी वह है जो परम्परावादी नहीं बल्कि आधुनिक है, जो कल्पनाशील है, उत्साही है, महत्वाकांक्षी है तथा आत्मकेन्द्रित है।

अतः उद्यमी की प्रकृति एक विशिष्ट प्रकार की होती है जो केवल लाभ के लिए कार्य नहीं करता बल्कि व्यवसाय जगत की प्रतिस्पर्धा की जंग को जीतना एवं अपना अधिरूप के सृजन का सुख भोगने की कामना से कार्य करता है।



चित्र 7.4 शुम्पीटर की नवाचार विचारधारा

शुम्पीटर ऐसे पहले प्रमुख - विचारकों में से है जिन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव को अभिकर्ता के रूप में केन्द्र बिंदु माना। उन्होंने उद्यमी को 'आर्थिक वृद्धि का चालक' माना है। उनका दृढ़ विश्वास है कि नवाचार के अवसरों के विद्यमान होने से ही देश का आर्थिक विकास नहीं होता बल्कि देश के आर्थिक हेतु नवाचार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उद्यमियों का होना अपरिहार्य है। अतः शुम्पीटर के योगदान को अति महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा।

3. हेगेन की पीड़ित अल्प समूह विचारधारा (Hagen's Victim Minority Group Ideology)-

इस विचारधारा को हेगेन की "प्रतिष्ठा का हनन" (जबरन वसूली और अस्वीकृति) की विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है। उनके अनुसार किसी सामाजिक समूह की प्रतिष्ठा का प्रतिहार ही उद्यमी के व्यक्तित्व के विकास का कारण है। हेगेन ने निम्न चार प्रकार की घटनाओं का पता लगाया है जो कि प्रतिष्ठा का प्रतिहार कर सकती हैं:-

- प्रतिष्ठा का शक्ति अथवा जबरदस्त प्रतिहार करना
- प्रतिष्ठा चिन्ह से वंचित करना या
- आर्थिक सत्ता के वितरण में परिवर्तन हो जाने अर्थात् शक्ति कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठा में गिरावट आना, तथा
- नये समाज में प्रवेश करने में आशंका प्रतिष्ठा का प्राप्त न होना। उन्होंने इस विचारधारा का विकास जापान में समुराई समुदाय से प्राप्त अनुभव के आधार पर किया है। ऐसा माना जाता है कि परम्परागत

रूप से इस समुदाय के लोग बहुत समृद्ध, प्रतिष्ठित, परिश्रमी व बलवान थे। किन्तु समय परिवर्तन के साथ उनमें इन बातों का अभाव हो गया। फलस्वरूप उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट आ गई। इस समुदाय के लोगों ने फिर पुनः परिश्रम से सृजनात्मक कार्य प्रारम्भ किया और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा अर्जित कर लिया। अतः इस विचारधारा के मत से पद व सम्मान घट जाने की दशा में व्यक्ति या समूह उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिये सृजनात्मक व्यवहार करेगा। जिससे उद्यमिता का विकास संभव होगा। जब ऐसा अनुभव होगा तब उस समाज में निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्तित्वों का जन्म होता है:-

- मौनव्रती या निवृत्त (Silence Or Retirement)-** ऐसे व्यक्ति समाज में कार्य तो करते हैं किन्तु मौन प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये अपने कार्य या अपनी स्थिति के प्रति उदासीन रहते हैं।
- विधिवादी या कर्मकाण्डी (Legalistic Or Ritualistic)-** ऐसे व्यक्ति बचाव की मुद्रा में रखकर जैसा समाज को मंजूर होता है वैसा व्यवहार करते हैं। इन्हें समाज में सुधार की आशा नहीं दिखती हैं।
- सुधारवादी (Reformist)-** ऐसे व्यक्ति विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं तथा समाज के नवनिर्माण का प्रयास करते हैं।
- नवाचारी (Innovative)-** ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक नवाचार करते हैं। फलतः समाज में उद्यमियों का जन्म होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज में 'प्रतिष्ठा विसंगति' ('Prestige Discrepancy') साहसियों के उद्यमी के रूप में जन्म देती हैं जो समाज की समस्याओं के समाधान में व आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

4. कुन्केल की व्यवहारी विचार धारा (Kunkel's practical school of thought)

इस विचार धारा के अनुसार उद्यमिता का विकास किसी भी समाज के विगत एवं विद्यमान सामाजिक संरचना पर निर्भर करता है। यह संरचनाएँ चार प्रकार की हो सकती हैं:-

- परिसीमन संरचना (Limitation Structure)-** प्रत्येक समाज की अपनी कार्य अथवा व्यवहार की सीमा निर्धारित होती है जो कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती है यह परिसीमा सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा सभी को इसी सीमा के भीतर रहकर कार्य या व्यवहार करना पड़ता है। ऐसी संरचना में उद्यमी को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो इस परिसीमा से विचलित होकर संरचना का उल्लंघन करता है। किन्तु समाज की परिसीमा उसके व्यवहार को प्रतिबन्धित अवश्य करती है।
- माँग संरचना (Demand Structure)-** प्रत्येक समाज की माँग या अपेक्षा संरचना होती है जो आर्थिक विकास एवं सरकारी नीतियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जब इस संरचना के कुछ घटकों में (जैसे पुरस्कार आदि) में परिवर्तन किया जाता है तो समाज में उद्यमिता सम्बन्धी व्यवहार को विकसित किया जा सकता है।
- अवसर संरचना (opportunity structure)-** प्रत्येक समाज में उद्यमिता सम्बन्धी व्यवहार को प्रेरित करनी वाली संरचना भी होती है। जिस समाज में ऐसी अवसर संरचना के सभी घटक जैसे - पूँजी, प्रबंधक, तकनीक, तकनीकी चातुर्य, उत्पाद की विधि, श्रम तथा बाजार सम्बन्धी सूचनाएँ आदि उपलब्ध होते हैं, उस समाज में उद्यमिता के विकास की सम्भावना अधिक होती है।
- श्रम संरचना (labour structure)-** समाज की श्रम संरचना भी उद्यमिता के विकास में योगदान देती है। जिस समाज में सक्षम एवं श्रम में रूचि रखने वाले श्रामिक होते हैं उसकी श्रम संरचना को सुदृढ़ कहा जा सकता है। और ऐसी सुदृढ़ संरचना उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कुन्केल का मानना है कि 'किसी भी देश में उद्यमिता का विकास उस देश की इन चारों संरचनाओं के स्तर पर निर्भर करता है।

5. पीटर एफ ड्रकर की विचारधारा (ideas of Peter F Drucker)

पीटर ड्रकर (Peter Drucker) के अनुसार “उद्यमिता न तो कला है और न ही विज्ञान, अपितु यह प्रक्रिया है।” ज्ञान के माध्यम से ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। व्यवहार से ज्ञान निर्मित होता है और ज्ञान एवं व्यवहार पर आधारित प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है जिसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार ‘नवाचार’, संसाधनों व उद्यमियों के बीच जाटिल संबंध है।

पीटर एफ ड्रकर निम्न तीन मुख्य बिंदुओं के द्वारा उद्यमियों की भूमिका की व्याख्या करते हैं -

- उद्यमियों द्वारा संसाधनों का कुशल उपयोग कर ग्राहकों के मूल्य और संतुष्टी में वृद्धि।
- उद्यमियों द्वारा नए मूल्यों के लिए जिम्मेदार, एवं
- उद्यमियों द्वारा मौजूद साम्रगी और संसाधनों का उचित गठबंधन या संयोजन।

7.6.3 सामाजिक-सांस्कृतिक (Socio-cultural ideologies)

1. **यंग की समूहस्तरीय प्रतिक्रिया विचार धारा (Young's Mass Response Ideology)-** फ्रेक डबल्यू यंग उद्यमिता को वैयक्तिक स्तर पर अस्वीकार कर उसे समूह स्तर पर होने वाली प्रतिक्रिया का परिणाम मानते हैं। उनका मत है कि व्यक्तियों से नहीं बल्कि साहसी समूहों से ही क्रियाओं का विस्तार संभव है क्योंकि समूहों में विशिष्टता के कारण प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। समूह स्तर पर ये प्रतिक्रिया निम्नकृत दशाओं में होती है -

1. जब समूह के लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश का अवसर नहीं मिलता है।
2. जब समूह यह अनुभव करता है कि मान्यता या सम्मान का स्तर कम हो रहा है।
3. जब समूह के पास समाज के उसी स्तर के अन्य समूहों की तुलना में अच्छे संस्थागत संसाधन होते हुए भी उन्हें विकास का अवसर नहीं मिलता है।

जब समाज के समूहों में प्रतिक्रिया होती है तो समाज और सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। फलतः उद्यमियों का विकास होता है।

2. **मेक्स वेबर की विचारधारा (Max Weber's ideology)-** मेक्स वेबर की विचारधारा बतलाती है कि व्यक्ति जिस धर्म सम्प्रदाय में जीता है तथा जिन धार्मिक मूल्यों व विश्वासों को स्वीकार करता है, वे उसके व्यावसायिक जीवन पेशे तथा साहसिक ऊर्जा व उत्साह को प्रभावित करते हैं। उनका मत है कि जिन धार्मिक समुदायों ने पूंजीवाद, भौतिकवाद और अर्थ विवेकशीलता पर बल दिया है, वे उद्यमियों धन - सम्पदाओं, पूंजीवादियों आदि को जन्म देते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रोटेस्टेन्ट्स (Protestants) समाज जो कि ईसाई समाज का एक वर्ग है, इस वर्ग में उद्यमिता ज्यादा विकसित होती है क्योंकि उनमें भौतिकवादी मनोवृत्ति पाई जाती है। किन्तु हिन्दु धर्म, जैन धर्म आदि समाजों में इस प्रकार के भावों के अभाव के कारण उद्यमिता का विकास धीमी गति से होता है। इस उदाहरण के कारण उनकी विचारधारा का काफी विरोध हुआ। किन्तु भारत में इसी विचार धारा के आधार पर ब्रिटिश शासकों ने भौतिकवाद की मनोवृत्ति को विकसित कर उद्यमिता के विकास का प्रयास किया था।

3. **कोक्रोन की विचारधारा (Cocron's Ideology)-** कोक्रोन ने उद्यमिता के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों, भूमिका आकांक्षाओं एवं सामाजिक अनुमोदन को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता का विकास सामाजिक मूल्यों तथा व्यक्ति से समाज की अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। उनका मानना है कि उद्यमी समाज के आदर्श व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व (Representation of Ideal Personality) करते हैं। उनके अनुसार उद्यमी की सफलता निम्न घटकों से प्रभावित होती है।

1. अपने व्यवसाय धन्धे के प्रति उद्यमी की रूचि एवं समाज का रूख।
2. समाज द्वारा अपेक्षित साहसी की भूमिका, एवं
3. उद्यमी के व्यवसाय द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति।

उन्होंने पाया कि देशों में उद्यमियों का जन्म एक निश्चित सामाजिक आर्थिक वर्ग से हुआ है। उदाहरण स्वरूप जापान में समुराई, कीनिया में किक्वा, पाकिस्तान में हलाई में मॉन, भारत में पारसी, मरवाड़ी व गुजराती आदि समुदाय उद्यमियों के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं।

4. हॉसलीज की विचारधारा (Hosli's ideology)- यह विचारधारा कहती है कि उद्यमिता का विकास उस समाज में होता है जिसमें लोचशीलता होती है न कि जड़ता व सामाजिक प्रक्रियाएँ अस्थिर होती हैं। इस प्रकार का समाज विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अपनाने की छूट देता है तथा उसमें प्रोत्साहन व सहयोग देता है। फलतः ऐसे समाज में उद्यमिता विकास के अच्छे अवसर होते हैं।

हॉसलीज की विचार धारा निम्न दृष्टिकोण पर आधारित है -

1. सीमांत पुरुष (Marginal men)- उन्होंने पाया कि सीमांत उद्यमियों के विकास का संचय है। ये पुरुष अपनी अस्पष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बावजूद चर स्थितियों समायोजन की क्षमता रखते हैं तथा इस समायोजन की प्रक्रिया में वे नये सामाजिक व्यवहार का सृजन करते हैं।

2. प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल का महत्व (Importance of managerial and leadership skills)- हॉसलीज ने पाया कि उद्यमियों में असाधारण नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल होने चाहिए जिससे उन्हें लाभ अर्जित करने की प्रेरणा मिले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये दोनों कौशल किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए न केवल मददगार है अपितु उचित नेतृत्व के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत भी है।

3. विशिष्ट सामाजिक वर्गों की भागीदारी (Involvement of Specific Social Classes)- हलांकि उद्यमशीलता की प्रतिभा हर देश में प्रचलित है किन्तु वो व्यक्ति जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, उद्यमशीलता के कौशल में चमक रहे हैं। एक उदाहरण भारत से तैयार किया जा सकता है जहाँ मारवाड़ी व पारसी, उद्यमियों के क्षेत्रा में अग्रणी सामाजिक वर्ग के रूप में पाये जाते हैं।

5. स्टॉक्स की विचारधारा (Stock's ideology)- इस विचारधारा के अनुसार आर्थिक - सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित क्रियाओं का औद्योगिक उद्यमिता के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। स्टॉक्स उद्यमिता के विकास में मनोवैज्ञानिक अभिरूचि की तुलना में सामाजिक - सांस्कृतिक मूल्यों पर अधिक बल देते हैं। उनका कहना था कि सकारात्मक 'समूह जनित मूल्यों व्यवस्था' (Group Generated Value System) लोगों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करती है।

7.6.4 एकीकृत विचारधाराएँ (Integrated Ideologies)

1 टी.वी. राव को विचार धारा (T.V.Rao's ideology)-

इन्होंने उद्यमिता के विकास के लिए साहसिक मनोवृत्ति ; मजदूरमजदतमदनतपंस क्पेचवेपजपवदद्ध को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। किन्तु इसके अतिरिक्त उन्होंने अवबोधन घटकों, वैयक्तिक संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों को भी व्यवहार की स्थापना के लिए आवश्यक बताया।

राव के अनुसार उद्यमिता का मूलाधार ही साहसिक मनोवृत्ति का होना है। उद्यमी का समूचा अस्तित्व इसी पर निर्भर है। ये साहसिक मनोवृत्ति ही है जो उसे जोखिम उठाने, आगे बढ़ाने तथा नये-नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिए अभिप्रेरित करती है। उन्होंने साहसिक मनोवृत्ति के अन्तर्गत निम्न घटकों को सम्मिलित किया है -

- गतिशील प्रेरणा (Dynamic motivation)
- वैयक्तिक, सामाजिक एवं भौतिक संसाधन (Personal, social and material resources)
- सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली (Social and political systems)

राव का यह स्पष्ट मत है कि उद्यमी की साहसी मनोवृत्ति के विकास पर इन सभी घटकों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है और वे प्रौद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

2. उदय पारीक तथा मनोहर नाडकर्णी की समग्र या व्यापक विचार धारा (Holistic or comprehensive ideology of Uday Pareek and Manohar Nadkarni)


उदय पारीक तथा मनोहर नाडकर्णी ने अपने एक लेख में लिखा है कि “उद्यमिता अनेक घटकों का परिणाम है व यह कम से कम चार प्रकार के घटकों के समूहों से प्रभावित होती है।” ये घटक निम्नानुसार हैं -

1. व्यक्तिगत घटक (Personal Components)- उद्यमियों का जन्म एवं विकास समाज के लोगों में से होता है। उनके व्यक्तिगत घटकों का समूह, जैसे- पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्य, पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, पृष्ठभूमि आदि उद्यमिता के जन्म एवं विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

2. सामाजिक-सांस्कृतिक घटकों (Socio-Cultural Components)- ये घटक प्रायः उद्यमिता के जन्म एवं विकास को अप्रत्यक्ष रूप से ही अधिक प्रभावित करते हैं। इन घटकों में व्यक्ति से परिवार व समाज की अपेक्षाएँ, जोखिम वहन करने वाले की समाज में स्थिति, रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, कार्य स्वतंत्रता एवं स्वावलम्बन का समाज में महत्व आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये घटक न केवल व्यक्तियों को, बल्कि उपलब्ध सहायता व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं।

3. सहायता व्यवस्था घटक (Support System Components)- सहायता व्यवस्था घटकों से तात्पर्य उद्यमिता के जन्म एवं विकास में योगदान देने वाले घटकों से हैं जिनमें सरकारी प्रेरणाएँ, आधारभूत ढाँचागत संसाधनों (विद्युत, परिवहन, संचार आदि) की उपलब्धता, तकनीकी विकास एवं सुविधाएँ, वित्तीय संसाधनों, की उपलब्धता, प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

4. वातावरणीय घटक (Environmental Factors)- देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक जनांकिकी, भौगोलिक, तकनीकी, शैक्षिक वातावरण आदि सभी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं।



चित्र (7.5): उदय पारीक तथा नाडकर्णी की उद्यमिता की व्यापक विचारधारा

अतः पारीक व नाडकर्णी की व्यापक विचारधारा उद्यमिता के जन्म व विकास में विभिन्न घटकों के समूहों को महत्वपूर्ण मानती है और मानती है। कि सभी के प्रभावी संयोजन से ही उद्यमिता का तीव्र गति से विकास होता है।

3. जॉन केओ को इको मॉडल (John Keough as Echo Model)-

यह विचारधारा भी पारीक एवं नाडकर्णी की विचारधारा से मिलती जुलती है। जॉन केओ के अनुसार उद्यमिता के विकास में निम्न घटकों का योगदान होता है - उद्यमी के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी घटक, कार्य सम्बन्धी घटक, वातवरण सम्बन्धी घटक एवं संगठनात्मक घटक। जे केओ का वैचारिक मॉडल ई सी ओ मॉडल का आधार बनता है। (ई सी ओ विश्लेषण तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं उद्यमिता, रचनात्मकता और संगठन से ली गई है।)

के ओ के अनुसार उद्यमशीलता और रचनात्मक तीन घटकों - व्यक्ति, कार्य और संगठनात्मक संदर्भ के बीच आपसी संबंध से उत्पन्न होती है।

7.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. शम्पीटर के विचार में उद्यमी है। (पूँजीवादी या नवाचारी)
2. की विचारधारा "नैतिक मूल्य व्यवस्था" विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। (कोक्रान या मेक्स वेबर)
3. जॉन केओ की विचारधारा में घटकों के सामूहिक प्रभाव से उद्यमिता के जन्म व विकास पर प्रभाव पड़ता है। (व्यक्तिगत, सामाजिक-सांस्कृतिक, या व्यक्तिगत, कार्य सम्बन्धी व संगठनात्मक घटक)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. हेगन की पीड़ित अल्प समूह विचारधारा क प्रतिपादन किया।
2. नये संगठन आरम्भ करने की क्षमता को उद्यमिता कहते है।

7.8 सारांश (Summary)

इस इकाई में सर्वप्रथम उद्यमिता के अर्थ को विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। तत्पश्चात् उद्यमिता के इतिहासिक विकास को पहचाना गया है। फिर इस इकाई में उद्यमिता के विकास की विभिन्न विचार धाराओं को चार वर्गों में बांट कर अध्ययन किया गया है।

इन श्रेणियों में प्रमुख सोलह विचारधाराओं की संक्षिप्त विवेचना की गई है। आर्थिक विचारधाराओं के अन्तर्गत प्रो. नाइट की जोखिम वहन विचारधारा, लीबेनस्टीन की एक्स. कुशलता विचारधारा व पैपनिक एवं हैरिस की आर्थिक विकासधारा का विवरण किया गया है। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में प्रमुखतः मैक्क्लीलैण्ड की उपलब्धि विचारधारा, शम्पीटर की नवाचार विचारधारा, हेगन की पीड़ित अल्प समूह विचारधारा, कुन्केल की व्यवहारवादी विचारधारा एवं पीटर ड्रकर की विचारधारा की विवेचना की गई है। यंग, मेंक्सवेबर, कोक्रान, हॉसलिज व स्टॉक्स की विचारधाराओं को सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराओं के समर्थकों के रूप में प्रो. राव, पारीक व नाडकर्णी एवं केओ की व्यापक विचारधाराओं की विवेचना की गई है।

7.9 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता (Entrepreneurship)**- नये संगठन आरम्भ करने की क्षमता को उद्यमिता कहते है।
- **सामाजिक निर्णय (Social decision making)**- सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप होने वाला निर्णय।

- **जोखिम (Risk)**- किसी कार्य या व्यापार में नुकसान या घाटे की संभवना।
- **मनोवैज्ञानिक संवेगी (Psychological emotions)**- मानसिक, प्रक्रियाओं को गति प्रदान करने वाला।
- **सृजनात्मकता (Creativity)**- किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या या समाधान निकालने के क्षेत्र में कुछ नया रचने की प्रक्रिया।
- **नवीन संयोजन (Innovative combinations)**- दो या अधिक कार्य या चीजों को नये तरीके से संयोग करना।

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

नवाचारी 2. मेक्स वेबर 3. व्यक्तिगत, कार्य सम्बन्धी व संगठनात्मक घटक

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. सत्य

7.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

7.12 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

- Entrepreneurship and Small Business Management
- Entrepreneurship Development and small Business Enterprises
- Entrepreneurial Development (S.S. Khanka)

7.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमिता की विभिन्न प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं की विवेचना कीजिए।
2. उद्यमिता के इतिहासिक विकास पर प्रकाश डालें।
3. प्रो. नाईट की "जोखिम वहन विचारधारा" तथा लीबेनस्टीन की एक्स कुशलता विचारधारा की विवेचना कीजिए।
4. वर्तमान युग में उद्यमिता की एकीकृत विचारधारा को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 8 उद्यमी के लिए कानूनी मुद्दे (Legal Issues for Entrepreneurs)

- 8.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 8.2 उद्देश्य (Objectives)
- 8.3 नवीन इकाई/उपक्रम सम्बन्धी नियमन (Regulations for New Units/Undertakings)
 - 8.3.1 स्वामित्व प्रारूप सम्बन्धी अधिनियम (Acts Related to Ownership Pattern)
 - 8.3.2 उद्योग एवं श्रम संबंधी अधिनियम (Acts Related to Industries and Labour)
 - 8.3.3 दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम (Shops and Commercial Establishments Act)
 - 8.3.4 प्रदूषण नियन्त्रण संबंधित अधिनियम (Acts Related to Pollution Control)
 - 8.3.5 औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम (Industries (Development and Regulation) Act)
- 8.4 विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 2000 (Foreign Exchange Management Act, 2000)
- 8.5 भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872)
- 8.6 वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 (Sale of Goods Act, 1930)
- 8.7 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 (Information Technology Act, 2011)
- 8.8 प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002)
- 8.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986)
- 8.10 बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)
 - 8.10.1 कॉपीराइट (Copyright)
 - 8.10.2 ट्रेडमार्क (Trademark)
 - 8.10.3 पेटेंट (Patents)
 - 8.10.4 औद्योगिक डिजाइन (Industrial Design)
 - 8.10.5 ट्रेड सीक्रेट (Trade Secrets)
 - 8.10.6 भौगोलिक संकेत (Geographical Indications)
- 8.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 8.12 सारांश (Summary)
- 8.13 शब्दावली (Glossary)
- 8.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 8.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 8.16 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 8.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रतिदिन अनेक नवीन इकाईयों की स्थापना की जाती है। किन्तु स्थापित की जाने वाली सभी इकाईयाँ सफल नहीं हो पाती है। इस असफलता के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि उनकी स्थापना के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं को विधिवत् पूरा नहीं किया गया होता है। आधुनिक समय में व्यवसाय विभिन्न वैधानिक जटिलताओं से भरा हुआ है। जिसकी स्थापना करने से पूर्व बहुत ही सोच विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना चाहिए। इमरसन () का कहना है “व्यवसाय चातुर्थ का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता।” अतएव किसी नवीन इकाई की स्थापना करने के पूर्व एवं नियमों का पालन करना आवश्यक है। उद्यमी को इन सभी अधिनियमों से परिचित होना चाहिए। जिससे वे इनका पालन कर अपने उद्योग का विकास एवं संचालन सुचारू रूप से कर सकें।

8.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- ✓ नवीन इकाई के नियमन, नियोजन एवं नियन्त्रण से सम्बन्धी विभिन्न नियमन किस के प्रकार हैं, की व्याख्या कर सकें।
- ✓ स्थापना हेतु कुछ प्रमुख अधिनियम कौन से हैं, का वर्णन कर सकें।
- ✓ संचालन में कुछ प्रमुख अधिनियम कौन से हैं, की व्याख्या कर सकें।
- ✓ कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अधिनियमों के उद्देश्य व उनके मुख्य प्रावधान क्या हैं, का वर्णन कर सकें।

8.3 नवीन इकाई / उपक्रम सम्बन्धी नियमन (Regulations for New Units / Undertakings)

भारत में व्यवसायिक/औद्योगिक इकाई की स्थापना एवं संचालन में कई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इकाई की स्थापना का पंजीयन कराने से उसके भूमि, भवन, विकास, पेटेण्ट, ट्रेडमार्क आदि को क्रय करने, ऋण प्राप्त करने, उनके आधीन अनुबन्धों का निष्पादन कराने आदि तक सभी चरणों में अनेक वैधानिक अधिनियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है।

भारत में नवीन उद्योगों के नियमन, नियोजन व नियन्त्रण के लिए कुछ प्रमुख अधिनियम का उल्लेख तालिका 8.1 और 8.2 में किया गया है।

तालिका 8.1- नवीन इकाई की स्थापना में प्रमुख अधिनियम

	अधिनियम	उद्देश्य
1	स्वामित्व प्रारूप सम्बन्धी अधिनियम	
	1. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932	साझेदारी प्रारूप में उपक्रम की स्थापना हेतु।
	2. सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008	पारस्परिक समझौते पर आधारित साझेदारी को नया रूप देने का लचीलापन प्रदान करने हेतु।
	3. कम्पनी अधिनियम, 1956	व्यावसायिक स्वामित्व के कम्पनी प्रारूप की स्थापना हेतु।
	4. भारतीय सहकारी अधिनियम 1912	समानता के आधार पर परस्पर आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए।

2	उद्योग एवं श्रम सम्बन्धी अधिनियम	
	1. कारखाना अधिनियम, 1948	कारखानों की स्वीकृति, लायसेंसिंग एवं पंजीयन हेतु तथा श्रमिकों की कार्यदशाओं के संदर्भ में।
	2. न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948	उद्योगों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूदरी का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।
	3. श्रम संच अधिनियम, 1926	श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच सम्बन्धों का विनियम करने हेतु। औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु।
	4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु।
	5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	बीमित कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ तथा सुविधाएँ प्रदान करता है।
	6. मजूदरी भृत्ति/भुगतान अधिनियम, 1936	मजूदरी, मजूदरी की अवधि तथा भुगतान का समय से संबंधित।
3.	उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम	औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने व उसके पर्याप्त विस्तार करने हेतु।
4.	प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम	प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए
	1. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 2. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981	
5.	दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम	नयी दुकान अथवा नये वाणिज्यिक संस्थान को अपने राज्य में पंजीकृत कराने हेतु।
6.	वाणिज्यिक कर अधिनियम	केन्द्रीय व राज्य स्तर पर जो इकाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उनका पंजीयकन कराने हेतु।
7.	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	नवीन इकाई द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित।
8.	बौद्धिक संपदा अधिकार	बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
9.	विभिन्न पंजीयन	
	अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र	एक वर्ष की अवधि के एक लिए नवीन उद्यम की स्थापना हेतु राज्य के जिला उद्योग द्वारा निर्गमित किया जाता है।
	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र	अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
	पंजी निर्गमन प्रमाण पत्र	पंजी निर्गमन के लिए पंजी निर्गमन नियन्त्रण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु।

(पूँजी निर्गमन अधिनियम 1947)	
आयात लाईसेन्स	यदि नवीन इकाई में आयातित कच्चा माल एवं अन्य सामग्री का उपयोग हो, तो उसे आयात निर्यात नियन्त्रण से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
लघु इकाई पंजीयन प्रमाण पत्र	नवीन लघु इकाई की स्थापना करने हेतु।
शक्ति एवं जल संयोजन के लिए आवेदन (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910)	नवीन इकाई के प्रयुक्त के लिए राज्य विद्युत मण्डल तथा पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति के लिए जल निगम में आवेदन

तालिका 8.2- अन्य प्रमुख अधिनियम/कानून जिनका नवीन इकाई की स्थापना व संचालन पर प्रभाव होता है -

क्रम संख्या	अधिनियम	उद्देश्य
1	भारतीय अनुबन्धन अधिनियम, 1872	व्यापारिक व्यवहारों में निश्चितता लाना तथा उसे व्यावस्थित करना।
2	वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930	वस्तुओं के क्रय-विक्रय एवं इससे संबन्धित विविध क्रियाओं को सम्पन्न करने हेतु कानूनी आधार प्रदान करना।
3	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986	उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा शेषित होने पर उचित क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु।
4	विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 1999	आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी विनियम का बेहतर प्रबन्ध करना।
5	प्रतियोगिता अधिनियम, 2002	औद्योगिक संस्थाओं में स्वस्थ प्रतियोगिता एवं विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने हेतु।
6	सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000	इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों को विनियमित एवं नियंत्रण करने तथा साइबर अपराधों के निवारण हेतु।
7	अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनीज (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985	औद्योगिक अस्वस्थता की गंभीरता, कारकों तथा उपायदेयता की जानकारी देने हेतु।

उपर्युक्त सभी अधिनियमों/कानूनों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनकी आवश्यकताओं/औपचारिकताओं को इकाईयों को स्थापना व स्थापना के बाद भी जीवनपर्याप्त पालन करना पड़ता है।

इस इकाई में हम केवल प्रमुख प्रावधानों का ही उल्लेख कर रहे हैं।

8.3.1 स्वामित्व प्रारूप सम्बन्धी अधिनियम (Acts Related to Ownership Pattern)

व्यवसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूप के चयन में अलग-अलग अधिनियमों का पालन करना पड़ता है।

1. एकाकी स्वामित्व (Sole Proprietorship)- यदि संगठन का प्रारूप एकाकी स्वामित्व है तो इस दशा में कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता है।

2. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (Indian Partnership Act 1932)- भागीदारी या साझेदारी व्यवसायिक संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने हेतु एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं। इस व्यवसाय को 'फर्म' कहा जाता है। साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत नियंत्रित होती है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है किन्तु जब फर्म का पंजीयन करवाया जाता है तो सामान्यतः यह अनुबन्ध लिखित होता है जिसे साझेदारी संलेख ;ञ्जतदमतीपच कममकद्ध के नाम से जाना जाता है। पंजीकरण न कराने के कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं जैसे विवाद की स्थिति में उसके समाधान के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती, फर्म दावों के निपटारे के लिए दूसरी पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते आदि।

साझेदारी के लक्षण दो प्रकार के होते हैं - वैधानिक एवं सामान्य लक्षण। साझेदारी के वैधानिक लक्षण वे हैं जिनका उल्लेख साझेदारी अधिनियम, में किया गया है, जो निम्न हैं -

- कम से कम दो व्यक्तियों का होना। (There should be at least two persons.)
- किसी वैद्य कारोबार का होना। (There should be a legal business.)
- साझेदारों के बीच समझौता अथवा अनुबन्ध होना। (There should be an agreement or contract between the partners.)
- कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना। (The purpose of the business should be to earn profit.)
- प्रत्येक साझेदार का अपनी फर्म का एजेंट एवं स्वामी दोनों होना। (Every partner should be both the agent and the owner of his firm.)

3. सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008)-

सीमित दायित्व साझेदारी एक ऐसा वैकल्पिक व्यवसाय संगठन है जो सीमित दायित्व के लाभ उपलब्ध कराने के साथ इसके सदस्यों को पारस्परिक समझौते पर आधारित साझेदारी के रूप में आंतरिक संरचना को संगठित करने का लचीलापन भी प्रदान करता है। इसके लाभों को देखते हुए संसद ने 2008 में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम को पारित किया जिसे 2009 में स्वीकृति मिली। यह प्रावधान साझेदार को उनकी इच्छानुसार समझौते को नया रूप देने का लचीलापन उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की साझेदारी एक पृथक कानूनी इकाई होगी तथा अपनी संपत्तियों की सीमा तक उत्तरदायी होगी, साथ ही सभी साझेदारी का दायित्व भी सीमित दायित्व साझेदारी में उनके सहमत अनुपात तक सीमित होगी।

इस अधिनियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा व्यावसायिक संगठन निर्मित करना है जिसका दायित्व सीमित हो तथा उसका संचालन कानूनी रूप से करना सरल हो अर्थात् कानूनी आवश्यकताएँ अधिक न हो एवं निर्माण तथा संचालन में सरलता हो।

4. कम्पनी अधिनियम 1956 (Companies Act 1956)- सन् 1950 में श्री ए.एच. भामा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय "भामा समिति" गणित की गई जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1953 में कम्पनी अधिनियम (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1956 में इसे स्वीकृति प्राप्त हुई और भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 658 धाराएँ व 15 अनुसूचियाँ हैं जो 13 खण्डों में विभक्त है। संसद द्वारा इस अधिनियम में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार अनेकों संशोधन व परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013 कार्यरत है।

इस अधिनियम के अनुसार "कम्पनी" से आशय इस अधिनियम के अधीन निर्मित कम्पनी से है या किसी पूर्व के कम्पनी अधिनियम से बनी कम्पनी से है। एक कम्पनी के निम्न लक्षण अथवा विशेषताएँ हैं -

1. विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति (Artificial person created by legislation)
2. अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual succession)
3. पृथक् वैधानिक अस्तित्व (Separate legal existence)
4. लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था (Voluntary organization for profit)
5. सदस्यों की संख्या - न्यूनतम 7 (सार्वजनिक कम्पनी के लिए) न्यूनतम 2 व अधिकतम 200 (निजी कम्पनी के लिए)
6. सीमित दायित्व (Limited liability)
7. प्रतिनिधि व्यवस्था (Representative system)
8. सार्वमुद्रा (Universal seal) जो उसके अस्तित्व का प्रतीक है।
9. कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमाएँ। (Fixed limits of work area.)
10. अभियांग चलाने का अधिकार। (Right to run the office)
11. अंश हस्तान्तरण एवं (share transfer and)
12. अधिनियम के अन्तर्गत ही स्थापना एवं समापन (Establishment and closure under the Act)

8.3.2 उद्योग एवं श्रम संबंधी अधिनियम (Acts Related to Industries and Labour)

1. कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948)

औद्योगिककरण के प्रारम्भिक काल से ही देश के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशाओं, रोजगार एवं कल्याण हेतु विशेष प्रावधानों के सम्बन्ध में मांग उठती रही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया था। स्वाधीनता के पश्चात् 1948 में देश के औद्योगिक विकास, श्रम शक्ति को विकसित करने तथा कल्याणकारी कार्यों की दृष्टि से कारखाना अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल, 1949 से लागू हुआ। इसमें सन् 1954, 1976 व 1986 में आवश्यक संशोधन भी किए गए। इस अधिनियम में 120 धाराएँ हैं।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं -

1. क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान जहाँ शक्ति का प्रयोग होता हो वहाँ 10 व्यक्ति तथा जहाँ शक्ति का प्रयोग नहीं होता वहाँ कम से कम 20 व्यक्ति कार्यरत हो।
2. लाईसेन्स का पंजीयन एवं सम्बन्धी प्रावधान - जिससे कारखानों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित किया जा सके।
3. निरीक्षण एवं प्रमाणन सम्बन्धी प्रावधान - कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति, कर्तव्यों एवं अधिकारों सम्बन्धी।
4. श्रमिकों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान
5. स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान - जैसे निकासी, सफाई, प्रकाश, हवा, स्वच्छ पानी, शौचालय आदि से सम्बन्धित।
6. श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान - जैसे आराम कक्ष, बैठने की सुविधा, शिशुगृह सुविधा आदि। 500 या इससे अधिक श्रमिक होने पर श्रम-कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान हैं।

7. कार्य घंटे संबंधी प्रावधान
8. महिलाओं एवं बच्चों संबंधी विशेष प्रावधान
9. अन्य प्रावधान- जैसे सवैतनिक वार्षिक अवकाश, विशिष्ट बीमारियों सम्बन्धी प्रावधान तथा श्रमअधिकारियों के दायित्वों से सम्बन्धित प्रावधान।

8.3.3 दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम (Shops and Commercial Establishments Act)

हमारे देश की प्रत्येक राज्य सरकार ने एक दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम बना रखा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक नई दुकान अथवा नये वाणिज्यिक संस्थान को अपने राज्य के इस अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना पड़ता है।

दुकान से तात्पर्य किसी भी ऐसे परिसर से है, जहाँ पर किसी व्यापार या व्यवसाय का संचालन किया जाता है अथवा ग्राहकों की सेवाएँ उपलब्ध की जाती है। इसमें उसी परिसर में या अन्यत्र स्थित कार्यालय, संग्रहालय, गोदाम या माल गोदाम, जो ऐसे व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध में उपयोग किये जाते हैं, भी सम्मिलित हैं। किन्तु इसमें वह वाणिज्य संस्थान या दुकान शामिल नहीं है, जो किसी कारखाने के साथ संलग्न है तथा उस दुकान में नियुक्त व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन लाभ उपलब्ध होते हैं।

निम्न संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन वाणिज्य संस्थान माना गया है-

1. वाणिज्यिक, व्यापारिक, बैंकिंग या बीमा संस्थान।
2. ऐसे संस्थान के प्रशासकीय सेवा का स्थान, जहाँ पर कार्यालयी कार्य किए जाते हैं।
3. होटल, रेस्टोरेन्ट, आवासगृह, भोजनालय, कैफे या अन्स कोई जलपान या विश्रान्तिगृह।
4. नाट्यशाला अथवा जनता के मनोरंजन के लिए अन्य कोई स्थान।
5. कोई भी संस्थान जिसे राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर वाणिज्यिक संस्थान घोषित कर दें।

8.3.4 प्रदूषण नियन्त्रण संबंधित अधिनियम (Acts Related to Pollution Control)

सम्पूर्ण विश्व में प्रदूषण की समस्या एक विकट रूप धारण कर चुकी है उद्योग को इस प्रदूषण का स्रोत माना जा रहा है। अतः केन्द्र को औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या पर भी नियन्त्रण पाना हो। अतः प्रत्येक उद्यमी को नवीन उद्यम की स्थापना से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण निकासी प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है।

प्रथम प्रमाण-पत्र वायु (प्रदूषण निवारण, एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत लिया जाता है तथा दूसरा प्रमाण पत्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निर्गमित किया जाता है यदि किसी नई इकाई के परिचलन प्रक्रिया से मल निस्सारण की संभावना हो तो उस इकाई को अपना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन अधिनियमों के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती है जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है -

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जिसका प्रारूप निर्धारित होता है।
2. तत्पश्चात् राज्य बोर्ड द्वारा आवेदन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया से आवश्यक जाँच पड़ताल होती है।
3. इसके बाद राज्य बोर्ड आवेदन को अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दे सकती है। यदि बोर्ड आवेदन अस्वीकार करती है तो उसके कारणों का लिखित अभिलेख तैयार किया जाएगा और यदि बोर्ड उस आवेदन को स्वीकार करता है तो मल निस्सारण के स्थान, निकास अथवा नये मल के निस्सारण के सम्बन्ध में शर्तें लगा सकता है जिसे मानने के लिए आवेदक बाध्य होगा।

4. प्रत्येक राज्य बोर्ड इस धारा के अधीन लगायी शर्तों के विवरण को दर्शाने वाला एक रजिस्ट्रार रखेगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि अनुमति अलिखित शर्तों के अन्तर्गत दी गई है।
 5. आवेदन के चार महीनों तक यदि राज्य बोर्ड की ओर से स्वीकृति अथवा अस्वीकृति न मिले तो स्वतः ही बिना शर्तें अनुमति दी गई मान ली जायेगी।
 6. अनुमति से इनकार अथवा उसके खण्डन करने की दशा में बोर्ड उस प्रतिष्ठान को अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड समय-समय पर लगायी शर्तों का पुनरावलोकन कर सकता है।
- वायु, (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया उपर्युक्त प्रक्रिया से मिलती जुलती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य बोर्ड किसी भी अनुमति को उसकी अवाधि समाप्त होने से पूर्व कभी निरस्त कर सकता है या उस अनुमति की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर सकता है। ये दोनों प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित उद्यम अथवा उद्योग जल व वायु प्रदूषण से मुक्त है तथा इन दोनों की निकासी के लिये उपयुक्त यन्त्र स्थापित किये गए हैं।

8.3.5 औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम (Industries (Development and Regulation) Act)

औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम अक्टूबर 1951 में पार्लियामेन्ट द्वारा पास किया गया था तथा उसके बाद इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए। यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है। यह अधिनियम देश में नियमन एवं नियन्त्रण द्वारा योजनाबद्ध औद्योगिक विकास पर बल देता है, और उन उद्योगों को सम्मिलित करता है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अर्थात् इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होते हैं जो सूचीबद्ध उद्योगों (Listed Industries) के अन्तर्गत किसी भी वस्तु का निर्माण करती हो, तथा जिन्हें अधिनियम की प्रथम अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित किया गया हो -

इस नियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

1. सरकार की औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
2. उद्योगों का विकास तथा नियमन।
3. भावी विकास के लिए मजबूत तथा सन्तुलित योजनाएँ।
4. केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन।
5. छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से सुरक्षा प्रदान करना।
6. औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन का प्राथमिकता के आधार पर नियमन करना तथा योजना को लक्ष्य निर्धारित करना।
7. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना।

इस अधिनियम को 31 भागों में विभाजित किया गया है तथा सभी प्रावधानों को विस्तार पूर्वक तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

1. **प्रतिबन्धात्मक प्रावधान (Restrictive Provisions)-** इसके अन्तर्गत पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग से सम्बन्धित प्रावधान हैं।
2. **सुधारात्मक प्रावधान (Reformative Provisions)-** इसके अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों में आवश्यक सुधारों जैसे मूल्य, आपूर्ति तथा विवरण पर नियन्त्रण आदि से है।
3. **सृजनात्मक प्रावधान (Creative Provisions)-** इसके अन्तर्गत सृजनात्मक उपाय जैसे विकास समितियों का गठन, कर तथा अधिकार वसूलना तथा सलाहकार समितियों को गठन कर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, उद्योग तथा केन्द्रीय सरकार के बीच आपसी सहयोग तथा विश्वास को बढ़ाना है।

8.4 विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 2000 (Foreign Exchange Management Act, 2000)

वैश्वीकरण के पश्चात् आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से फेरा ;थम्त्।द्ध अधिनियम का पुनरावलोकन किया गया और उसमें आवश्यक संशोधन कर उसके स्थान पर 1 जून, 2000 से विदेशी विनियम प्रबन्ध लागू किया गया ताकि देश में विदेशी विनियम ठीक प्रकार से हो सके। इस अधिनियम में कुल 49 धाराएँ हैं। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम भारत के निवासी सहित किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण वाली भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा एजेन्सियों पर लागू होता है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देकर कानून को सुदृढ़ बनाना, साथ ही देश में विदेशी विनियम का बेहतर प्रबन्धन करना, उदारीकरण की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, विदेशी विनियमों को प्रोत्सहित करना तथा विदेशी मुद्रा बाजार का भारत में सुव्यवस्थित विकास करना है। इस अधिनियम में विदेशी विनियम व प्रतिभूति व्यवहार, विदेशी विनियम, नियन्त्रण, चालू खाता व्यवहार, पूँजी खाता व्यवहार, माल व सेवाओं के निर्यात सम्बन्धी प्रावधान, विदेशी विनियम की वसूली एवं प्रत्यावर्तन व्यवहार तथा छूट सम्बन्धी प्रावधान प्रमुख हैं।

8.5 भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872)

इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापारिक व्यवहारों में निश्चितता लाना तथा उसे व्यवस्थित करना है। इस अनुबन्ध अधिनियम के लागू होने से पूर्व व्यापारिक सौदों में पारस्परिक परम्पराओं का निर्वहन किया जाता था। क्योंकि व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य विभिन्न अनुबन्धों पर ही आधारित होते हैं, अतः यह अनुबन्ध अधिनियम व्यापारिक वर्ग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अनुबन्ध के माध्यम से पक्षकारों को सुरक्षा मिलती है तथा वे वचनपालन के लिए बाध्य होते हैं। 25 अप्रैल, 1872 को भारतीय संसद में इसे पारित हुआ जो 1 सितम्बर, 1872 से लागू किया गया। यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू है। आरंभ में इस अधिनियम में कुल 266 धाराएँ तथा 11 अध्याय थे, परन्तु 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम एवं भारतीय अधिनियम 1932 के अलग होने के पश्चात् भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के अन्तर्गत निम्नांकित धाराएँ सम्मिलित की गई हैं -

1. धारा 1 से 75 - इन धाराओं के अन्तर्गत ठहराव, वैद्य अनुबन्ध के लक्षण, अनुबन्धों का निष्पादन, संयोग अनुबन्ध भंग करना आदि सम्मिलित किये जाते हैं।
2. धारा 124 से 238 - हानि रक्षा एवं प्रत्या भूति अनुबन्ध (धारा 124 से 147), निक्षेप एवं गिरवी अनुबन्ध (धारा 148 से 181), एजेन्सी के अनुबन्ध (धारा 182 से 238) सम्मिलित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में समय-समय पर कई संशोधन भी हुए हैं। वर्ष 1886, 1891, 1899, 1930, 1932, 1951, 1988 तथा 1992 में आवश्यक संशोधन किए गये।

इस अधिनियम के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि यह अधिनियम काफी पुराना है तथा एक शताब्दी बीत जाने के बाद भी इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किए गये हैं। साथ ही बीमा, वस्तु विक्रय, विनियम साध्य विलेख आदि विषयों पर अलग से अधिनियम पारित किए जा चुके हैं। अतः आज के समय में इस अनुबन्ध अधिनियम का क्षेत्र काफी सीमित हो गया है।

8.6 वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 (Sale of Goods Act, 1930)

इस अधिनियम को 1 जुलाई, 1930 में पारित किया गया था। 1930 से पूर्व देश के आर्थिक विकास, बढ़ते व्यावसायिक सौदे एवं नवीन वस्तु विक्रय से संबंधित प्रावधान वंछित आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ थे। फलस्वरूप इस अधिनियम का आरम्भ हुआ जो वस्तुओं के क्रय-विक्रय एवं इससे संबंधित विविध क्रियाओं को सम्पन्न करने हेतु कानूनी आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार वस्तु विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण करता है अथवा हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हो जाता है।

यह अधिनियम देश में व्यवसायिक सौदों के नियमान करने, उनके व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए प्रभावी है।

8.7 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 (Information Technology Act, 2011)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में पारित 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को मान्यता देने के साथ ही साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

इस अधिनियम के कुल 12 अध्यायों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली कम्प्यूटर शब्दावली, इसे पारित करने की आवश्यकता, डिजीटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, प्रपत्रों आदि के साथ ही देश में इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स (electronic governance) से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

बदलते समय और साइबर अपराधों की बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अंतर्गत विशेष संसोधन कर इसे और अधिक सशक्त बनाए जाने की दशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

8.8 प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002)

भारत में 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम की सार्थकता नहीं रही गई थी। इसके फलस्वरूप श्री.एस.वी.एस. राघवन की अध्यक्षता में प्रतियोगिता नीति के सम्बन्ध में बिल पेश किया गया और दिसम्बर 2002 में प्रतियोगिता अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम अखिल भारतीय अधिनियम के रूप में लागू है।

इस अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. बाजार में स्वतंत्रता एवं न्यायोचित प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।
2. प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना।
3. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
4. प्रभावी शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाना।
5. सघों (कार्टेल) का नियमन करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतियोगिता अधिनियम में प्रावधान रखे गये हैं, जो प्रतियोगिता विरोधी समझौतों पर रोक, प्रभावी शक्तियों के दुरुपयोग तथा संघ/कार्टेल के नियमन से सम्बन्धित हैं।

8.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986)

देश में तीव्रगति से व्यावसायिक सौदों की बढ़ोतरी, संचार माध्यमों का त्वरित विकास, विज्ञापन एवं प्रचार साधनों के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए तथा मूल्यों की विविधता, विक्रेता आधारित बाजार जैसी स्थिति के चलते सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा शोषित होने पर उचित क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता परिषदों एवं न्यायिक मंचों के माध्यम से त्वरित न्याय व्यवस्था सुरक्षित की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक व्यवस्था के स्थान पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को अधिक महत्व दिया गया है।

8.10 बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)

वह कोई भी वस्तु, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हो जैसे कोई साहित्यिक या कलात्मक कार्य, कोई शब्द, प्रतीक, डिजाइन, संगीत, खोज एवं अविष्कार आदि, जिसका कोई आर्थिक या सामाजिक विकास में महत्व हो, वह व्यक्ति की बौद्धिक सम्पदा कहलाती है। शब्द बौद्धिक सम्पदा का उपयोग उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ तथा 20 वीं शताब्दी में यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित हुआ। बौद्धिक संपदा की सांवैधानिक सुरक्षा जरूरी है क्योंकि एक व्यक्ति की संपदा किसी और के हाथ जा सकती है जो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर मुनाफा कमा सकता है। साथ ही, जो किसी देशी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी, किसी व्यक्ति अथवा स्थान तक ही सीमित रह जायेगी, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा।

सामान्यतः विश्व के सभी देशों ने इन बौद्धिक संपदाओं के संरक्षण हेतु कानून बना रखा है जिसे देश का बौद्धिक संपदा संरक्षण कानून कहते हैं। इस कानून के अन्तर्गत संपत्ति के मालिक को यह अधिकार है कि वह एक निश्चित समय तक अपनी बौद्धिक संपदा का बाजारीकरण कर, पूरा आर्थिक लाभ उठा सके। साथ ही नियम यह भी सुरक्षा करता है कि यह संपदा आम आदमी की जरूरत के अनुसार उस तक पहुँच सके।

बौद्धिक सम्पदा को मुख्यरूप से निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है -

1. कॉपीराइट (Copyright)
2. ट्रेडमार्क (Trademark)
3. पेटेंट (Patent)
4. इंडस्ट्रियल डिजाइन (Industrial Design)
5. ट्रेड सेक्रेट्स (Trade Secrets)
6. भौगोलिक संकेत (Geographical Indications)

8.10.1 कॉपीराइट (Copyright)

यह एक प्रकार का अधिकार है जिसके अन्तर्गत किसी लेखक या रचनाकार को उसके कार्य के कॉपी, विवरण एवं उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कॉपीराइट नियम के अन्तर्गत सुरक्षित रचना का उपयोग रचनाकार की अनुमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा कॉपीराइट एक्ट, 1957 जो 1958 में लागू हुआ, जिसका पाँच बार संशोधन भी हुआ, किसी रचना के रजिस्ट्रेशन पंजीयन का आवेदन निर्धारित शुल्क के समपि, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के कॉपीराइट कार्यालय में जमा किया जा सकता है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह पंजीयन रचनाकार के जीवन पर्यन्त तथा तत्पश्चात् 50 वर्षों तक मान्य रहता है।

8.10.2 ट्रेडमार्क (Trademark)

किसी व्यक्ति, व्यापारिक संगठन अथवा कानूनी इकाई के द्वारा, उसके उत्पाद अथवा सेवा को अन्य किसी उत्पाद या सेवा से पृथक करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे किसी विशिष्ट संकेत या सूचक को उसका ट्रेडमार्क कहते हैं। इस संकेत या सूचक द्वारा कंपनी ग्राहकों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता तथा भिन्नता दर्शाती है।

भारत में ट्रेडमार्क 1999 जो कि 15 सितम्बर 2003 से कार्यरत हुआ, इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति उत्पाद या सेवा का पंजीयन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफिस (Trade Mark Registration office) जो मुंबई, दिल्ली,

चेन्नई, कोलकत्ता तथा अहमदाबाद में स्थित है, करवा सकता है। एक पंजीयन ट्रेडमार्क का प्रत्येक 10 वर्ष पर नवीनीकरण कराना पड़ता है।

8.10.3 पेटेंट (Patents)

पेटेंट एक प्रकार का अन्नय एकाधिकार (Exclusive Monopolistic Right) है, जो किसी आविष्कारिक या उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा कानूनन व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए, सम्बन्धित सरकार के द्वारा, निश्चित समयावधि तक, प्रदान किया जाता है।

इस समयावधि में, आविष्कारक अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वह अपने आविष्कार का व्यापारिकरण कर सके और आर्थिक लाभ कमा सके। चूंकि एक व्यक्ति एक आविष्कार के पीछे अपने जीवन का बहुमूल्य समय और धन लगाता है अतः पेटेंट ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक पुरस्कार है जिसका लाभ उसे 20 वर्षों तक मिलता है। इन 20 वर्षों के बाद, यह पेटेंटेड आविष्कार, पूरे समाज / देश की सम्पत्ति कहलता है।

भारतीय पेटेंट एक्ट, 1990 जिसका संशोधन 2005 में हुआ, इसके अन्तर्गत किसी आविष्कार को सुरक्षित करने की निम्न प्रक्रिया है -

पेटेंट अनुदान का आवेदन (Application for Grant of Patent)

प्रक्रियात्मक आपत्ति को सतुष्ट करना (Satisfaction of Procedural Objection)

आवेदन का प्रकाशन (Publication of Application)

परीक्षा के लिए अनुरोध (Request for Examination)

पूर्व अनुदान विरोध (Pre-Grant Opposition)

पहली परीक्षा रिपोर्ट (First Examination Report)

सरकारी आक्षेपों की संतुष्टि (Satisfaction of Government Objections)

पेटेंट को अनुमति (Grant of Patent)

पद अनुदान विरोध (Post Grant Opposition)

8.10.4 औद्योगिक डिजाइन (Industrial Design)

किसी वास्तविक वस्तु का सौंदर्य मूल्य युक्त, ऐसा कोई भी आकार या ढाँचा, (जो किसी रंग, लाइन अथवा अन्य सामान के मिश्रण से बना हो) जिससे किसी तैयार वस्तु का पूर्णतः पूर्वानुमान लगता हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है।

TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights Agreement, 1994) समझौता, सभी विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों पर लागू होता है। भारत में यह औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा अधिनियम डिजाइन एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है, इस नियम के अन्तर्गत, किसी भी औद्योगिक डिजाइन का पंजीयन करवाया जा सकता है, जो कि 10 वर्षों तक मान्य रहता है। तत्पश्चात् पुनः 5 वर्षों के लिए इसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

8.10.5 ट्रेड सीक्रेट (Trade Secrets)

ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोई तकनीकी डाटा, अंदरूणी, तरीका, प्रक्रिया आदि की सुरक्षा के लिए कोई अलग नियमन नहीं बनाया गया है। इस बनाए रखने के लिए भारत, जल्द ही समझौता के सामान्य नियमों का पालन करता है।

8.10.6 भौगोलिक संकेत (Geographical Indications)

किसी-किसी वस्तु की गुणवत्ता उस वस्तु के उत्पादन के जगह पर निर्भर करती है। और उत्पादन की जगह बदलने से उसकी गुणवत्ता भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए ब्रींचहदम एक विशेष प्रकार की पदम का नाम है जो वास्तव में फ्रांस के एक प्रांत का नाम है और इसे यही बनाया जाता है, भारत की कश्मीरी शॉल आदि। अतः भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद का नाम या उस पर अंकित किसी एक प्रकार का चिन्ह है जो उसके उत्पादन की जगह के बारे में बताता है।

भारत में वस्तु के भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 जो सितम्बर 2003 में लागू हुआ, के अन्तर्गत भौगोलिक संकेत का पंजीयन एवं सुरक्षा निश्चित की जा सकती है।

8.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. एक पंजीयन ट्रेडमार्क का प्रत्येक वर्ष पर नवीनीकरण कराना पड़ता है। (10 या 15)
2. कारखाना अधिनियम के अनुसार या अधिक श्रमिक होने पर श्रम-कल्याण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। (500 या 1000)
3. औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम ऐसी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होते हैं जो उद्योगों के अन्तर्गत वस्तु का निर्माण करती हो। (असूचीबद्ध या सूचीबद्ध)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. कम्पनी अधिनियम 'भामा समिति' की रिपोर्ट पर आधारित है।

8.12 सारांश (Summary)

प्रत्येक व्यवसाय के लिए अनेकों कानून तथा सरकारी अधिनियम होते हैं। एक उपक्रमी (व्यवसायी) की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वह उन्हें पूर्ण रूप से समझे तथा उनकी अनुपालन करे। अधिनियम स्थिर तथा निरन्तर विकास, शासनात्मक तत्वों का आधार होते हैं। अधिनियम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है एवं अपनायी गयी नीतियों के अनुकूल हो रहा है तथा स्थापित सिद्धान्तों एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। सरकारी नियमनों को कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, प्रतिस्पर्धियों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में, विशेषतया भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के सन्दर्भ में, रक्षात्मक कानूनी वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। व्यवसाय तथा व्यावसायिक कानूनों का सम्बन्ध आपसी लाभों को बढ़ाता है तथा दोनों ही एक-दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

8.13 शब्दावली (Glossary)

- लाईसेंस (License)- कोई विशेष कार्य करने के लिए दिया जाने वाला अनुज्ञापत्र।
- अनुबन्ध (Contract)- आपस में या एक दूसरे के साथ बाँधने वाला तत्त्व या संबंध।
- अस्वस्थ उद्योग (Unhealthy Industries)- वह इकाई जो गत एक वर्ष से नकद हानि वहन कर रही है तथा आगामी दो वर्षों में भी हानि वहन करने की संभावना विद्यमान है।

- इलेक्ट्रॉनिक गर्वमेन्स (Electronic Governments)- एक ऐसी प्रणाली जिससे काम - काज में पारदर्शिता हो तथा आम नागरिकों के लिए सुविधाओं को इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
- कार्टेल (Cartel)- किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करने अथवा प्रतियोगिता को सीमित करने के लिए उत्पादकों द्वारा बनाया गया अनौपचारिक स्वतंत्र संगठन।

8.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. 10 2. 500 3. सूचीबद्ध

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. असत्य 2. सत्य

8.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

वेबसाइट

- 1- www.laws4india.com
2- www.legalserviceindia.com

8.16 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस - वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस - जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था - नवलखा, माधुर।

8.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. किसी नयी इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी को कौन - कौन सी वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं?
2. फेमा के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
3. साइबर अपराधों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की उपयोगिता समझाइए।
4. बौद्धिक संपदा अधिकार व उससे संबंधित अधिनियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
5. किसी नई इकाई को स्वामित्व के प्रारूप में स्थापित करने हेतु वैधानिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

इकाई 9 छोटे और मध्यम उद्यम (Small and Medium Scale Enterprises)

- 9.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 9.2 उद्देश्य (Objectives)
- 9.3 लघु उद्योग का अर्थ (Meaning of Small Scale Industry)
 - 9.3.1 लघु उद्योग की परिभाषा (Definition of Small Scale Industry)
- 9.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की चारित्रिक विशेषताएँ (Characteristic Features of Micro, Small and Medium Enterprises)
- 9.5 भारत में लघु उद्यमों की भूमिका (Role of Small Scale Industries in India)
- 9.6 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास की दशा में सरकार के कार्यक्रम (Government Programmes for Development of Micro, Small and Medium Enterprises)
 - 9.6.1 एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का गठन (Formation of Ministry of MSME)
 - 9.6.2 एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006)
 - 9.6.3 लघु उद्यमों के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न (Efforts Made by Government for Development of Small Scale Industries)
- 9.7 मंत्रालय द्वारा हाल के वर्षों की पहलें (Initiatives by the Ministry in Recent Years)
- 9.8 भारत में लघु उद्यमों का निष्पादन (Performance of Small Scale Industries in India)
- 9.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 9.10 सारांश (Summary)
- 9.11 शब्दावली (Glossary)
- 9.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 9.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 9.14 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 9.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

पैमाने की दृष्टि से औद्योगिक इकाईयों को दो भागों में विभागीय किया जा सकता है -

1. बड़े पैमाने वाली औद्योगिक इकाईयाँ तथा (2) लघु पैमाने वाली औद्योगिक इकाईयाँ। इन दोनों में कुल विनियोजित पूँजी, नियुक्त श्रमिकों की संख्या, संगठन और प्रबन्ध का प्रारूप तथा बिक्री की मात्रा में अन्तर होता है। लघु उद्यमों का वर्गीकरण तीन प्रकार के उद्यमों में किया है।

(1) सूक्ष्म उद्यम (2) लघु उद्यम (3) मध्यम उद्यम।

मुख्यतः इनका वर्गीकरण इनमें विनियोजित राशि के आधार पर किया जाता है। लघु पैमाने के उद्यम छोटे अथवा मध्यम स्तर के विनियोग की मात्रा की सहायता से स्थायी पूँजी के रूप में उत्पादन प्रारम्भ करते हैं। वे बड़े पैमाने के उद्यमों की अपेक्षा कम मात्रा में श्रम शक्ति का उपयोग करते हैं एवं कम मात्रा में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं एवं आगतों एवं निर्गतों का प्रवाह, यंत्रीकरण आदि भी भिन्न बड़े पैमाने वाले

उद्योगो से भिन्न होता है। अधिकांश उद्यमी लघु उद्योग स्थापित कर अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं। इस इकाई में आप लघु उद्योग की प्रकृति, महत्व और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे। इस इकाई में अनेक जगह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थान पर लघु उद्योग अथवा एमएसएमई लिखा गया है अतः छात्र इन्हें इसी सन्दर्भ में समझें।

9.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- ✓ लघु उद्योगों की परिभाषा व इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कर सकें।
- ✓ भारतीय अर्थ विकास में इन उद्योगों की भूमिका का क्या महत्व है, का वर्णन कर सकें।
- ✓ सरकार द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, का वर्णन कर सकें।
- ✓ सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की वर्तमान स्थिति / निष्पादन से अद्यतन हों सकें।
- ✓ इन उद्योगों के लिए किस प्रकार के अवसर हैं, व इनकी समस्याएँ क्या हैं, की व्याख्या कर सकें।

9.3 लघु उद्योग का अर्थ (Meaning of Small Scale Industry)

लघु पैमाने के उद्योगों का आशय भाषा की दृष्टि से भले ही एक साथ व समान रूप से लगाया जाता है परन्तु इनमें आधारभूत अन्तर है। जैसे तो लघु उद्योग से आशय उस उद्योग से है जिसका संचालन छोटे पैमाने पर यंत्रों के माध्यम से होता है, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योग का अर्थ है - वे औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें विद्युत शक्ति के प्रयोग की दशा में 50 श्रमिक तक तथा बिना विद्युत शक्ति के प्रयोग की दशा में 10 श्रमिक तक कार्यरत है। परन्तु कुटीर उद्योग या सूक्ष्म उद्योग में प्रायः हाथ द्वारा उत्पादन अथवा परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है कई बार इसमें वेतन भोगी श्रमिक नहीं होते हैं, अपितु किसी एक परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। लघु व मध्यम उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है, पूंजी निवेश भी अधिक है पर इनकी अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा निर्धारित होती है। लघु उद्योग की परिभाषा का स्पष्टीकरण अगले भाग में किया गया है।

9.3.1 लघु उद्योग की परिभाषा (Definition of Small Scale Industry)

भारत में 'उद्यम' में विनिर्माण तथा सेवा संस्थाएँ, दोनों शामिल हैं। इन श्रेणियों के अन्तर्गत संयंत्र एवं मशीनरी, उद्यमों के लिए उपकरणों के आधार पर तथा अपने निवेश (निर्माण उद्यम) के आधार पर एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परिभाषित किया गया है। उद्यमों के लिए निवेश पर मौजूद सीमा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है:-

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम में संयंत्र और मशीनरी और मशीनरी में निवेश की सीमा	सेवा उद्यम में उपकरण में निवेश की सीमा
सूक्ष्म	रु. 25 लाख तक	रु. 10 लाख तक
लघु	रु. 25 लाख से - रु. 5 करोड़ तक	10 लाख से - रु. 2 करोड़ तक
मध्यम	रु. 5 करोड़ से - रु. 10 करोड़ तक	2 करोड़ से - रु. 5 करोड़ तक

किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन करने वाले उद्यम निम्न के अनुसार, अतः अति लघु (माइक्रो) उद्यम वह होता है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश रु. 25 लाख तक होता है, लघु उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश रु. 25 लाख से अधिक किन्तु रु. 5 करोड़ से अधिक नहीं होता, तथा मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी पर व्यय रु. 5 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 10 करोड़ से अधिक नहीं होता।

वे उद्यम जो सेवा प्रदान करते हैं अथवा उपलब्ध कराते हैं, उनमें अति लघु उद्यम (माइक्रो) वह है जिसमें उपस्करों / उपकरणों पर निवेश रु. 10 लाख से अधिक नहीं होता है। लघु उद्यम में यह निवेश रु. लाख से अधिक किन्तु रु. 02 करोड़ से अधिक नहीं होता तथा मध्यम उद्यम में उपकरणों पर व्यय रु. 2 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 5 करोड़ से अधिक नहीं होता।

(उक्त उद्यमों में निवेश उनकी मूल लागत होती है जिसमें भूमि, भवन तथा फर्नीचर, आदि तथा लघु उद्योग मंत्रालय के 05 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना में उल्लिखित मदें शामिल नहीं होती है।)

9.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की चारित्रिक विशेषताएँ (Characteristic Features of Micro, Small and Medium Enterprises)

लघु उद्योग की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं (Characteristic features of micro, small and medium enterprises)-

1. **सीमित कार्य क्षेत्र (Limited work area)**- लघु उद्योगों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। कई बार तो यह स्थानीय ही होता है।
2. **स्वामित्व का प्रारूप (Form of ownership)**- वैसे तो अधिकांशतः इसका स्वरूप एकाकी व्यापार अथवा साझेदारी के रूप में पाया जाता है परन्तु आधुनिक समय ने विनियोजित स्थायी पूँजी की मात्रा में वृद्धि होने के कारण अब लघु उद्योग कम्पनी के प्रारूप में भी स्थापित होती है।
3. **आकार (Size)**- लघु उद्योगों का आकार बड़े उद्योगों की तुलना में छोटा होता है।
4. **सुगम स्थापना (Easy establishment)**- बड़े उद्योगों की अपेक्षाकृत लघु उद्योगों को सरलता से स्थापित किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु और प्रयास किए जा रहे हैं।
5. **उत्पादन (Production)**- लघु उद्योगों की उत्पादन तकनीक श्रम-प्रधान पर आधारित होती है। इन उद्योगों द्वारा परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।
6. **श्रमिकों की संख्या (Number of workers)**- वे लघु उद्योग जिनमें विद्युत शक्ति का उपयोग होता हो उनमें 50 तक तथा बिना विद्युत शक्ति का उपयोग करने की दशा में 100 तक श्रमिक हो सकते हैं।
7. **रजिस्ट्रेशन वांछनीय (Registration desirable)**- लघु उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य न होकर वांछनीय है, किन्तु रजिस्ट्रेशन कराने पर ही वे सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
8. **सरकारी संरक्षण एवं सुविधाएँ (Government protection and facilities)**- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भारतीय औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए एम.एस.एम.ई. (लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम) मंत्रालय का गठन किया गया जो ऐसी नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ बनाता है, जो इन उद्यमों को बढ़ावा दे, विकास में सहायता दें तथा उनके क्रियान्वयन पर नजर रखें।
9. **व्यापक विपणन क्षेत्र (Wide marketing area)**- लघु उद्योगों का विपणन क्षेत्र स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है।
10. **बड़े उद्योगों के पूरक (Complementary to big industries)**- एम.एस.एम.ई. सहायक इकाईयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक है और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी इस क्षेत्र का काफी योगदान है।
11. **रोजगार के अवसर व ग्रामीण विकास (Employment opportunities and rural development)**- लघु उद्योग न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूँजी लागत पर रोजगार के व्यापक

अवसर प्रदान करने में सहायक है। अपितु ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व क्षेत्रीय अंसतुलन को कम करने में भी योगदान प्रदान करते हैं।

12. **विशिष्ट रूप से निर्माण करना (Specialized manufacturing)-** लघु उद्योग स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और उन्हीं के अनुरूप उत्पादन करने पर विशेष बल देते हैं।
13. **स्थानीय संसाधनों का उपयोग (Use of local resources)-** हमारे देश में विभिन्न राज्य भिन्न-भिन्न प्राकृतिक संसाधनों से सुशोभित हैं और उनका कुशलतम उपयोग इन उद्योगों द्वारा ही सम्भव है। लघु उद्योग बेकार पड़ी विशाल श्रम-शक्ति का भी समुचित उपयोग करते हैं। माल के लिए इनकी विदेशों पर भी निर्भरता कम है।
14. **व्यापार-चक्रों का कम प्रभाव (Less impact of business cycles)-** चूंकि लघु उद्योग में उत्पादन मांग के आधार पर होता है, अतः मन्दी या तेजी की समस्या अपेक्षाकृत कम उत्पन्न होती है।
15. **परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा (Protection of traditional talent and art)-** भारत अपनी परम्परागत प्रतिभा एवं कला के लिए विश्वविख्यात है। इसकी रक्षा व वृद्धि लघु उद्योगों के विकास पर बहुत अधिक निर्भर है।
16. **विदेशी विनिमय की प्राप्ति (Receipt of foreign exchange)-** भारत की कलात्मक वस्तुओं की विदेशी बाजारों में बहुत मांग है। हाथ की बनी कलात्मक वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सदैव आकर्षण का केन्द्र रहती हैं। यदि इन वस्तुओं का प्रचार सही ढंग से किया जाए तथा सही तकनीक से किया जाए तो भारत को पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो सकती है।

9.5 भारत में लघु उद्योगों की भूमिका (Role of Small Scale Industries in India)

पिछले पाँच दशकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक जीवन्त और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। एम.एस.एम.ई. एक ऐसा उद्यम है जो कम पूंजी लागत पर रोजगार के अनेकों अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह उद्यम देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी सहयोग देता है।

एम.एस.एम.ई. उद्यम सम्पूर्ण देश में औद्योगिक विकास को प्रसारित कर सकने की क्षमता रखने के साथ समावेशी विकास की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे रहा है। 36 मिलियन इकाईयों वाला यह क्षेत्र आज 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। 6000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से इन उद्योगों का विनिर्माण में 45 प्रतिशत घरेलू उत्पादन में 8 प्रतिशत, तथा देश के निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान है।

भारत में इन उद्योगों की भूमिका निम्नांकित तथ्यों से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहायक (Helpful in solving the problem of unemployment)-** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वर्तमान स्थिति में 100 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार प्रदान करने में यह दूसरे स्थान पर है।
2. **देश की अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय उत्पादन) में महत्वपूर्ण योगदान (Important contribution to the country's economy (national production)-** एम.एस.एम.ई. उद्योग का देश के जी.डी.पी. राष्ट्रीय उत्पादन में 9 प्रतिशत योगदान है।
3. **निर्यात में योगदान (Contribution to exports)-** मंत्रालय द्वारा जारी वर्षवार ब्यौरा के अनुसार एम.एस.एम.ई. उद्योगों का कुल निर्यात में 45 प्रतिशत का योगदान है जो बहुत सराहनीय है।

4. **अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास (Balanced development of the economy)-** तत्कालीन समय में भारत ने 55 प्रतिशत एम.एस.एम.ई. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। अतः ये कहा जा सकता है कि ये उद्योग अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
5. **स्थानीय श्रम शक्ति का समुचित उपयोग (Proper use of local labour force)-** किसी भी देश का विकास तब तक अधूरा है जब तक उसके स्थानीय प्रवासियों को उचित अवसर व जीवन के महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध नहीं है। एम.एस.एम.ई. उद्योग श्रम-प्रधान होने के कारण बेकारी, अर्द्ध-बेकारी और मौसमी बेकारी के निवारण में मदद करते हैं तथा विशाल श्रम-शक्ति का समुचित उपयोग कर स्थानीय विकास में भी योगदान देते हैं।
6. **ग्रामीण क्षेत्रों का विकास (Development of rural areas)-** चूंकि एम.एस.एम.ई. में बहुत कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोगों के लिए इसकी स्थापना वरदान स्वरूप है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों शहरों की तरफ रूख नहीं करते जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है और कृषि पर आधारित जनसंख्या के भार में भी पर्याप्त कमी होती है।
7. **विदेशी विनिमय की प्राप्ति (Receipt of foreign exchange)-** लघु उद्योग विदेशी विनिमय में निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं - प्रथम, इनके द्वारा मशीनों तथा कच्चे माल के आयात पर अपेक्षाकृत कम विदेशी विनिमय व्यय करना पड़ता है। दूसरा, इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात करने से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
8. **उद्यमिता का आधार (Base of entrepreneurship)-** लघु उद्योग लोगों को स्वतन्त्र व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करते हैं। चूंकि इनकी स्थापना सरल होती है तथा इन्हें कई सरकारी संरक्षण सुविधाएँ प्राप्त हैं, इसी कारण ये उद्यमिता तथा उद्यमियों को नई इकाईयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
9. **देश की सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा (Protection of the country's civilization and culture)-** लघु उद्योगों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित रहती है। अधिकांशतः लघु उद्योगों द्वारा कलात्मक एवं परम्परागत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है एवं अधिकांशतः ये उद्योग श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित होते हैं। जिससे उद्योगों में पारस्परिक सदभावना, समानता, एवं मातृत्व की भावना को बल मिलता है।

यह स्पष्ट है कि यह उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निर्वाह करते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इनको पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे इनका उचित विकास सम्भव हो सके।

9.6 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास की दशा में सरकार के कार्यक्रम (Government Programmes for Development of Micro, Small and Medium Enterprises)

9.6.1 एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का गठन (Formation of Ministry of MSME))-

09 मई 2007 को भारत सरकार द्वारा नियम, 1961 के संशोधन के बाद पूर्व लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का गठन किया गया। तत्कालीन समय में यही मंत्रालय नीतियों का डिजाइन करता है तथा कार्यक्रमों एवं नई परियोजनाओं/योजनाओं को प्रोत्साहित करता है। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की भूमिका आर्थिक परिदृश्य में राज्यों को रोजगार और आजीविका के अवसरों की ओर प्रोत्साहित करना है। उद्यम मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं की सुविधा निम्न प्रकार है:-

1. बैंको से ऋण की पर्याप्त सुविधा।
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकरण के लिए समर्थन।
3. एकीकृत ढांचागत सुविधाएँ।
4. आधुनिक परीक्षण सुविधाएँ और गुणवत्ता प्रमाणन।
5. आधुनिक प्रबन्धन तरीकों का उपयोग।
6. उचित प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमशीलता का विकास एवं कौशल उन्नयन।
7. कारीगरों और श्रमिकों का कल्याण।
8. घरेलू और निर्यात बाजार के बेहतर उपयोग के लिए सहमत।
9. उत्पाद, विकास, डिजाइन में हस्तक्षेप एवं पैकेजिंग के लिए समर्थन।
10. इकाईयों और उनके सामुदायों की क्षमता एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर का उपयोग।

9.6.2 एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006)

सरकार द्वारा इस अधिनियम का प्रख्यापन एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल थी, जिसमें 'उद्यम' नामक संकल्प, जिसमें विनिर्माण और सेवा संस्थाएँ, दोनों शामिल हैं, को मान्यता देने के लिए पहली बार कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित किया गया और इन उद्यमों के तीन स्तरों अर्थात् सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम को निम्न प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विनियमित किया गया है -

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की परिभाषाओं को कानूनी मजबूती प्रदान करना।
2. एम.एस.एम.ई. के संवर्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाना।
3. इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
4. एम.एस.एम.ई. को प्रभावित करने नीतिगत मुद्दों को सुलझाना।
5. एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के कवरेज और निवेश सम्बन्धी सीमा को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझाना।
6. इन उद्यमों के विलम्बित भुगतान से सम्बन्धित दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करना तथा
7. सभी वर्गों के हित धारकों का संतुलित प्रतिनिधित्व करना।

9.6.3 लघु उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न (Efforts Made by Government for Development of Small Scale Industries)

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में लघु उद्योगों का भारी महत्व था। भारत को विश्व का औद्योगिक कारखाना कहा जाता था। इन उद्योगों को राजाओं व नवाबों का संरक्षण प्राप्त था। किन्तु अंग्रेजों के आवगमन के पश्चात् ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण लघु उद्योगों का पतनकाल प्रारम्भ हो गया। सन् 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी आन्दोलन तथा ग्रामीण उद्योग संस्थान की स्थापना के कारण लघु उद्योग फिर विकास के मार्ग पर अग्रसर हुए, परन्तु फिर कुछ राजनीतिक कारणों व द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से भारत में लघु उद्योगों का विकास अवरूद्ध हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में राष्ट्रीय सरकार बनने पर लघु उद्योगों को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सरकार द्वारा लघु उद्योगों के उत्थान एवं विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सरकार द्वारा किए प्रयत्नों को हम दो श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं:-

1. सरकार द्वारा कई संगठनों की स्थापना (संगठनात्मक ढांचा प्रदान करना)
 2. सरकार द्वारा कई नियोजनात्मक योजनाओं की शुरुआत
- सरकार द्वारा संगठनात्मक ढांचा प्रदान करने हेतु निगमों एवं बोर्डों की स्थापना:-

सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई। इनमें से कुछ प्रमुख संगठन निम्नांकित हैं:-

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, 1955 (National Small Industries Corporation, 1955)
2. लघु उद्योग विकास संगठन, 1954 (Small Industries Development Organisation, 1954)
3. लघु उद्योग बोर्ड, 1954 (Small Industries Board, 1954)
4. अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, 1952 (All India Handicrafts Board, 1952)
5. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, 1953 (Khadi and Village Industries Board, 1953)
6. भारतीय लघु उद्योग परिषद्, 1979 (Indian Council of Small Industries, 1979)
7. जिला उद्योग केन्द्र, 1977 (District Industries Centre, 1977)
8. भारतीय साख गारण्टी निगम, 1971 (Credit Guarantee Corporation of India, 1971)
9. नारियल जटा बोर्ड, 1955 (Coir Board, 1955)
10. राष्ट्रीय साहस एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, 1983 (National Institute of Adventure and Small Business Development, 1983)
11. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (एन.बी.एम.एस.एम.ई.), 2006 (National Board for Micro, Small and Medium Enterprises (NBMSME), 2006)
12. लघु उद्योग विकास बैंक, 1990 (Small Industries Development Bank, 1990)

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की भांति राज्य सरकारों ने भी राज्य स्तर पर लघु उद्योगों के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश उद्योग विकास एवं विनियोग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम आदि संगठनों की स्थापना।

इन संगठनों से लघु उद्योगों को तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण, विपणन, वित्तिय आदि सहायता प्राप्त होती है, तथा इन संगठनों के माध्यम से लघु उद्योगों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है।

सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रमुख नियोजनात्मक योजनाएँ:-

भारत की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाएँ तैयार की गईं जिनका मुख्य उद्देश्य लघु उद्यमों को पूँजी व अन्य वित्तिय सहायता प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, तकनीकी सहायता व ज्ञान प्रदान करना, विपणन सहायता प्रदान करना विभिन्न प्रेरणाएँ, रियायतें एवं अनुदान प्रदान करना है।

इनमें से कुछ प्रमुख नियोजनात्मक योजनाएँ निम्न प्रकार हैं:-

1. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (National Manufacturing Competitiveness Programme)-** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुधार द्वारा भारतीय एमएसएमई, उनकी प्रतिक्रियाओं, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बाजार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा करना है।
2. **लीन (बर्बादी के बिना) विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना (Lean (Waste-less) Manufacturing Competitiveness Scheme)-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएसएमई को उचित कार्मिक प्रबन्धक, स्थान का उपयुक्त उपयोग, वैज्ञानिक/तकनीकी सूची प्रबन्धन सुधार प्रक्रिया, कम अभियान्त्रिकी समय के माध्यम से अपने निर्माण लागत को कम करने के लिए मदद प्रदान की जा रही है।

3. **प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन समर्थन (Technology Upgradation and Quality Certification Support)-** इस घटक का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में, एमएसएमई को जागरूक करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणीकरण द्वारा उत्पादों की स्वीकृति में सुधार, और इस प्रकार के समर्थन कार्यों द्वारा इन उद्यमों को विश्वस्तरीय बाजार में प्रतियोगी बनाना है।
4. **डिजाइन क्लिनिक स्कीम (Design Clinic Scheme)-** इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र और डिजाइन विशेषता को एक साझे मंच पर लाना और मौजूदा उत्पादों के लिए वास्तविक डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह और समाधान प्रदान कर निरन्तर सुधार व मूल्य संवर्धन करना है।
5. **बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता पैदा करना (Awareness Creation on Intellectual Property Rights)-** इस योजना को भारतीय लघु उद्योगों को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने तथा अधुनातन परियोजनाओं के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) के उपकरणों को प्रभावी रूप से उपयोग करने में उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।
6. **ऋण गारण्टी स्कीम (Credit Guarantee Scheme)-** सरकार ने उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को राहत उपलब्ध कराने के लिए एक ऋण गारण्टी निधि की स्थापना की है जो अपने उद्यमों के विकास के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्रतिज्ञा को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं।
7. **एकल बिन्दु पंजीकरण योजना (Single Point Registration Scheme)-** राष्ट्रीय लघु उद्योग द्वारा अति लघु उद्योगों और लघु उद्योगों का पंजीकरण एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत करवाया जाता है ताकि सरकार इन पंजीकृत उद्योगों से सरकारी खरीदारी नीति के आधार पर उत्पाद खरीद सके। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाली इकाईयाँ सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार लाभ प्राप्त कर पायेंगे जैसे-लागत मुक्त टेंडर जारी करना, बयाना जमा के भुगतान से छूट, 358 वस्तुओं को सिर्फ अति लघु उद्योगों से खरीदने के लिए आरक्षण आदि।
8. **ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज (Policy Package for Increasing Credit Flow)-** इसकी घोषणा सरकार द्वारा लघु उद्यमों के लिए ऋण वितरण को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई जिसके फलस्वरूप ऋण प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
9. **कीमत प्राथमिकता (Price Preference)-** कई राज्य सरकारों द्वारा अपने लिए माल का क्रय करते समय लघु इकाईयों में निर्मित माल पर 15 प्रतिशत तक की कीमत प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में त्रिपुरा, केरल, मणिपुर, सिक्किम आदि राज्यों में ये सुविधाएँ उपलब्ध है।
10. **ऋण संबन्धी पूंजी सब्सिडी स्कीम (Capital Subsidy Scheme)-** इस योजना का लक्ष्य छोटे, कृषि और औद्योगिक ग्रामीण इकाईयों सहित, लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी के नवीकरण की सुविधा के लिए उनके द्वारा उठाए गए ऋण की 15 प्रतिशत अग्रिम संस्थागत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराना है।
11. **एम.एस.ई. समूह विकास कार्यक्रम (M.S.E. Cluster Development Programme)-** इस कार्यक्रम को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समेकित विकास के लिए समग्र रूप से लागू किया गया है। इस योजना के तहत, मौजूदा औद्योगिक सम्पदा में छोटे हस्तक्षेप (जैसे क्षमता निर्माण, विपणन विकास, कौशल विकास आदि) बड़े हस्तक्षेप (जैसे सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना) तथा अवसरचनना विकास के माध्यम से क्लस्टरों में समग्र एवं एकीकृत विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
12. **विपणन सहायता योजना (Market Assistance Scheme)-** यह योजना निम्न उद्देश्य पूर्ति के लिए आरम्भ की गई है -

- a) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की विपरण और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ाना, तथा विपरण कौशल को समृद्ध बनाना।
 - b) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा एम.एस.एम.ई. एवं उसके उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना।
 - c) लघु उद्योगों को मौजूदा विपरण परिदृश्य और उनकी गतिविधियों से अवगत कराना।
 - d) बड़े संस्थागत खरीदारों के साथ वार्तालाप हेतु लघु उद्योगों को मंच प्रदान करना तथा
 - e) एम.एस.एम.ई. द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की विपरण हेतु सुविधाएँ प्रदान करना।
13. **महिला उद्यम निधी योजना (Mahila Udyam Nidhi Scheme)-** यह योजना महिला उद्यमियों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य से लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू की गई है।
 14. **अनुदान (Grants)-** विभिन्न राज्य सरकारें लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान देती हैं जैसे-ब्याज अनुदान, परिवहन अनुदान, आधुनिकीकरण/विस्तार अनुदान, तकनीकी ज्ञान अनुदान आदि।
 15. **लघु उद्योगों के लिए वस्तुओं का आरक्षण (Reservation of Items for Small Scale Industries)-** सरकार ने बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से लघु उद्योगों को बचाने के लिए 358 वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया है।
 16. **रूग्ण इकाईयों के लिए सहायता (Assistance to Sick Units)-** सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में विद्यमान रूग्ण इकाईयों के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करती है। इस सम्बन्ध में सरकार ने 16 दिसम्बर, 1985 को 'रूग्ण उद्योग कम्पनी' (विशेष प्रावधान) बिल भी पारित किया है।
 17. **उपकर (Cess)-** सरकार ने बड़े उद्योगों के उन कुछ उत्पादनों पर उप-कर लगाया है जिनका उत्पादन बहुतायत में लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। इससे लघु उद्योग न केवल बड़े उद्योगों के सामने टिकने की स्थिति में आ जाते हैं बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है।
 18. **औद्योगिक बस्तियाँ (Industrial Settlements)-** इनका निर्माण लघु इकाईयों को कारखानों के लिए उपयुक्त स्थान तथा सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार की औद्योगिक बस्तियों में कई सुविधाएँ और सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जो इन उद्योगों में सहायक होती हैं।
 19. **निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग स्कीम (Performance and Credit Rating Scheme)-** इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की योग्यता और कमजोरियों पर एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष की राय प्रदान करना है जिससे उनको उनकी मौजूदा ताकतों और कमजोरियों के बारे में पता चलें।
 20. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग योजना (International Cooperation Scheme)-** इसका प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई उद्यमों के उन्नयन, आधुनिकीकरण और उनके निर्यातों को प्रोत्साहित करना है। Credit Linked

9.7 मंत्रालय द्वारा हाल के वर्षों की पहलें (Initiatives by the Ministry in Recent Years)

1. **एस्पिर (ASPIRE)-** ग्रामीण उद्यमिता और अभिनव योजना को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई जिसका उद्देश्य उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल सेट उपलब्ध कराना है और उद्यमों के लिए आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार के विभागों या संस्थाओं अथवा सरकार के क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों में प्रौद्योगिकी

- व्यापार इन्क्यूबेटर एवं ऊष्मायन केन्द्रों को स्थापित करना है जिससे स्टार्ट अप एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिल सकें।
2. **पारम्परिक इंडस्ट्रीज के उत्थान के लिए निधि के पुनोत्थान की योजना (स्फूर्ति) (Scheme for Revival of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI))-** पारम्परिक और ग्रामीण उद्योग के आवंटन, उत्थान तथा पुनोत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई। यह स्कीम उद्योगों को अत्यधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने तथा ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के विचार से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य खादी, ग्राम एवं कयर क्षेत्रों में परम्परागत उद्योगों के एकीकृत क्लस्टर आधारित विकास के मॉडल को स्थापित करना है।
 3. **पी.एम.ई.जी.पी. 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (P.M.E.G.P. 'Pradhan Mantri Rojgar Srijan Karyakram')-** पूर्व की योजनाएँ जैसे 'पी.एम.आर.वाई.और आर.ई.जी.पी.' को विलय करके अगस्त 2008 में 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' की एक राष्ट्र स्तरीय ऋण सम्बन्ध सन्धि योजना की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक के लागत वाले सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत सन्धि (कमजोर वर्ग के लिए 35 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 15 प्रतिशत (कमजोर वर्ग के लिए 25 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है।
 4. **तकनीकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (Technical Centre System Programme)-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मौजूदा टूल रूमों का विश्व बैंक के सहयोग से उन्नतीकरण करने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम द्वारा सूक्ष्म उद्योगों के क्लस्टर नेटवर्क प्रबन्धकों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूती प्रदान होगी तथा प्रौद्योगिकी भागीदारों द्वारा आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जीवन्त और इंटररेक्टिव मंच बनाने के लिए यह उचित तंत्र साबित होगा।
 5. **उद्यमिता ज्ञापन दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (National Portal for Filing of Entrepreneur Memorandum)-** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मंत्रालय (एन.आई.सी.) उद्यमिता ज्ञापन (ई.एम.) ऑनलाईन दाखिल करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त सरकार भी ट्रैकिंग के रूप में उचित निगरानी रख सकती है। वर्तमान में इस पोर्टल को 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा रहा है।
 6. **एमएसएमई मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा कॉयर बोर्ड (Khadi & Village Industries Board and Coir Board) में गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली (आई.एस.ओ.)-** एमएसएमई मंत्रालय को प् 9001 रू 2008 से सम्मानित किया गया है, जो मंत्रालय की ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और विकास को बढ़ावा देने के मिशन का प्रदर्शन करता है। आई.एस.ओ. के मानकों का कार्यान्वयन मंत्रालय को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी तरह मंत्रालय के संगठनों में से के.वी.आई.सी. और कायर बोर्ड ने भी आई.एस.ओ. प्रमाणन हासिल किया है।
 7. **उद्यमशीलता और कौशल मानचित्रण (Entrepreneurship and Skill Mapping)-** एमएसएमई मंत्रालय उद्योग द्वारा कुशल जनशक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए युवाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का संवर्धन करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाता रहा है। ये कार्यक्रम दूसरे संगठनों एवं तकनीकी संस्थानों (जैसे आई.टी.आई., इंजीनियरिंग कॉलेजों) के सहित विकसित किया गया है। इसके अलावा,

उद्योग समूहों को उत्पादों का उत्पादन करने और कौशल के प्रकार के आधार पर प्रशिक्षण का प्रबन्धन भी किया जा रहा है।

8. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (Rajiv Gandhi Udyam Mitra Yojana)- इस योजना का उद्देश्य उन संभाव्य प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथ प्रदर्शन के माध्यम से नए उद्यमों को स्थापित करना है जिन्होंने पहले ही निम्नतम दो सप्ताह की अवधि का उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) कौशल विकास कार्यक्रम (एस.डी.पी)/उद्यमशीलता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ई.एस.डी.पी.) पूरा कर लिया है अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त (वीटी) कर लिया है। पथ प्रदर्शन के कुछ निम्न उद्देश्य हैं -

- प्रक्रियात्मक तथा कानूनी बाधाओं से अवगत कराना।
- विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन।
- विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचना प्राप्त कराना।
- बुनियादी सूचना प्राप्त कराना आदि।

इस स्कीम के घटक के रूप में मंत्रालय ने 1800-180-6763 निःशुल्क संख्या वाला एम.एस.एम.ई. कॉल सेन्टर (उद्यमी हेल्पलाइन के रूप में ज्ञात) भी शुरू किया है।

9. डिजिटल पहल (Digital Initiatives)- अप्रैल 2014 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 95 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्यम, कौशल विकास संस्थानों, उद्योग आयुक्त जैसे कई वर्ग डिजिटल बना दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं -

आधार आधारित बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की उपस्थिति तथा समय की पाबन्दी सफल रूप से अमल में आ गई है।

सामाजिक मीडिया जैसे फेसबुक और टिटर पर इंटरैक्टिव इंटरफेस शुरू किया गया है जिसके माध्यम से मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

मंत्रालय की वेबसाइट मोबाइल के अनुकूल बनायी गयी है, जिससे मोबाइल व टैबलेट द्वारा अनुकूल सामग्री तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

सूलन उद्यमों की नौकरी के लिए 2014 में रोजगार सुविधा वेब पोर्टल www.msmenaukri.com शुरू किया गया। यह नौकरी इच्छुकों के लिए अपनी पसन्द अनुसार रोजगार का अवसर खोजने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। साथ ही इसे खोज प्रणाली में सूलन उद्यमों के डेटा बेस के साथ राष्ट्रीय कैरियर केन्द्र की पहल से भी जोड़ा जा रहा है।

एमएसएमई खरीदारी के लिए वेब पोर्टल, जो कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का बी 2 सी वेब पोर्टल है, 31 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। इस पोर्टल <http://www.msmeshopping.com> के माध्यम से 61.18 लाख रुपये से भी अधिक की बिक्री हुई है।

वर्चअल कलस्टर्स का आरम्भ जो कि एक समर्पित वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से देश में कहीं भी अवस्थित लघु व्यवसायों तथा अन्य स्टेक होल्डरों, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठन, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षा जगत, संस्थाओं, परामर्शदाताओं आदि को शीघ्र पंजीकृत करने एवं एक दूसरे के साथ तुरन्त सम्बन्ध बनाने में समर्थ है।

9.8 भारत में लघु उद्योगों का निष्पादन (Performance of Small Scale Industries in India)

सरकार ने उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रूग्णता सम्बन्धी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए 'नायक समिति' का गठन किया था जिसने सितम्बर 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2004-05 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र

की विकास दर कुल औद्योगिक क्षेत्र विकास दर से 8.4 प्रतिशत अधिक थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की तीसरी अखिल भारतीय संगणना की तुलना में चौथी संगणना में इस क्षेत्र में कई परिवर्तन देखे गए। इनमें से कुछ प्रमुख अवलोकन इस प्रकार हैं:-

1. चौथी संगणना में एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के तहत मध्यम उद्यम के शामिल होने के कारण तथा गैर कृषि सेवा उद्यम के विस्तार होने से इस क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सूक्ष्म उद्यमों की संख्या लघु तथा मध्यम उद्यमों की तुलना में काफी अधिक है।
2. कुल कार्यशील उद्यमों में ग्रामीण उद्यमों की हिस्सेदारी 45.23 प्रतिशत है जो कि आधे से भी कम है।
3. महिलाओं के उद्यमों की संख्या, कुल कार्यशील उद्यमों का सातवां हिस्सा है।
4. ये संकेत दर्शाते हैं कि उत्पादक इकाइयों का 67.10 प्रतिशत का प्रभुत्व सेवा इकाइयों से अधिक है इसके बाद मरम्मत और रखरखाव के उद्यम आते हैं।
5. संगठन के प्रारूप में 'एकल स्वामित्व' प्रारूप सबसे प्रसिद्ध प्रारूप के रूप में पाया गया (90.08 प्रतिशत) इसके पश्चात् साझेदारी प्रारूप (4.01 प्रतिशत) और उसके बाद निजी कम्पनी (2.78 प्रतिशत) पाया गया।
6. लघु उद्योगों द्वारा पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगार प्राप्त हुआ।
7. लघु उद्योगों का सकल उत्पाद, सूक्ष्म उद्योगों से अधिक देखा गया, तथा सबसे कम सकल उत्पाद मध्यम उद्योगों का रहा।

तालिका: एमएसएमई की चौथी संगणना का संक्षिप्त परिणाम

क्र०सं०	गुण	संख्या (लाखों में)
1	कुल उद्योग	15.64
2	ग्रामीण उद्योग	7.07 ;45.23 %)
3	महिला उद्योग	2.15 (13-72%)
4	उद्यमों के प्रकार	
	सूक्ष्म	14.85 (94-94%)
	लघु	0.76 (4-89%)
	मध्यम	0.03 (0-17%)
5	क्रियात्मक के आधार पर उद्योग	
	उत्पादन इकाइयाँ	1049 (67-10%)
	मरम्मत और रखरखाव	2.52 (16-13%)
	सेवा	2.62 (16-78)
6	रोजगार	
	सूक्ष्म	65.34 (70-19%)
	लघु	23.43 (25-17%)
	मध्यम	4.32 (4-64%)
7	लिंग के आधार पर रोजगार	

9.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. लघु उद्योगों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: सूक्ष्म, _____ और मध्यम उद्योग। (लघु या मझौला)
2. योजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। (प्रधानमंत्री रोजगार योजना या एस्पायर)
3. 2006 में एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के माध्यम से लघु उद्योगों के लिए _____ सीमा तय की गई। (निवेश या उत्पादन)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. लघु उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
2. एम.एस.एम.ई. मंत्रालय का गठन 2007 में हुआ था।

9.10 सारांश (Summary)

लघु उद्योगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है - बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयाँ और लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ। इन दोनों के बीच कई तरह के अंतर होते हैं, जैसे विनियोजित पूंजी, श्रमिकों की संख्या, प्रबंधन की संरचना और उत्पादन की मात्रा। लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकारों में किया गया है: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इनका वर्गीकरण मुख्यतः विनियोजित पूंजी के आधार पर किया जाता है। लघु उद्योगों का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है और इनकी तुलना में श्रम का उपयोग भी कम होता है। लघु उद्योग आम तौर पर कम पूंजी निवेश और परंपरागत उत्पादन पद्धतियों का पालन करते हैं। लघु उद्योगों की परिभाषा और विशेषताएँ भारतीय उद्योग की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का योगदान अधिक है क्योंकि वे रोजगार सृजन में मदद करते हैं और छोटे स्तर पर उत्पादन करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का योगदान राष्ट्रीय उत्पादन, निर्यात और रोजगार के मामले में अहम है। उदाहरण के लिए, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र भारत में 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और घरेलू उत्पादन में 45 प्रतिशत योगदान करता है। यह क्षेत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक साबित हुआ है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।

सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 2007 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया था, जो इन उद्योगों के विकास के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है जैसे कि तकनीकी उन्नति के लिए सहायता, प्रौद्योगिकी सुधार, कौशल विकास, और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के माध्यम से कई योजनाएँ जैसे एस्पायर (ग्रामीण उद्यमिता और नवाचार), स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों का पुनर्निर्माण), और पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) शुरू की गईं, जिनसे इन उद्योगों की वृद्धि में मदद मिल रही है।

इसके अलावा, 2006 में एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम लागू किया गया, जो इन उद्योगों को कानूनी रूप से परिभाषित करता है और उनके विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। यह अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए निवेश सीमा तय करता है और इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाता है।

लघु उद्योगों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में सीमित कार्यक्षेत्र, स्वामित्व का स्वरूप, उत्पादन तकनीक, श्रमिकों की संख्या, और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता शामिल हैं। यह उद्योग श्रम-प्रधान होते हैं और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों की स्थापना की गई है जो इन उद्योगों के विकास में मदद करती हैं, जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, और जिला उद्योग केंद्र।

इन प्रयासों के बावजूद, लघु उद्योगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पूंजी की कमी, तकनीकी सुधार की कमी, और बाजार की अस्थिरता। सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इन उद्योगों को सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

9.11 शब्दावली (Glossary)

- कौशल विकास
- सूक्ष्म उद्योग
- लघु उद्योग
- मध्यम उद्योग
- व्यापार-चक्र
- बेरोजगारी

9.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. लघु 2. निवेश 3.

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. असत्य 2. सत्य

9.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

9.14 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

9.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर निबंध लिखें। विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के गठन और इसके उद्देश्यों को समझाएं।
2. भारत में लघु उद्योगों के विकास में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें और इन समस्याओं का समाधान सरकार किस प्रकार कर सकती है, इस पर विचार करें।

3. लघु उद्योगों के लिए विपणन क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करें और बताएं कि इन उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बेहतर किया जा सकता है।
4. लघु उद्योगों के रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास में भूमिका को समझाएं। यह भी बताएं कि ये उद्योग किस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में मदद करते हैं।
5. लघु उद्योगों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान पर निबंध लिखें। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता, और सरकारी संरक्षण पर चर्चा करें।

इकाई -11 उद्यम हेतु नियोजन प्रक्रिया (Planning Process for The Enterprise)

- 11.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 11.2 उद्देश्य (Objectives)
- 11.3 उद्यमिता: क्यों (Entrepreneurship: Why)
- 11.4 उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक कदम (Essential Steps for Entrepreneurship Success)
- 11.5 उद्यमिता योजना (Entrepreneurship Plan)
- 11.6 उद्यमिता योजना निर्माण की प्रक्रिया (Process of Entrepreneurship Plan Making)
- 11.7 अच्छी उद्यमिता योजना का निर्माण (Creating a Good Entrepreneurship Plan)
- 11.8 व्यवसाय योजना का नमूना / खाका (Template of a Business Plan)
 - 11.8.1 कार्यकारी/एग्ज़ीक्यूटिव संक्षेप (Executive Brief)
 - 11.8.2 व्यावसायिक पृष्ठभूमि (Business Background)
 - 11.8.3 बाजार विश्लेषण (Market Analysis)
 - 11.8.4 बाजार रणनीति (Market Strategy)
 - 11.8.5 कार्यप्रणाली (Methodology)
 - 11.8.6 वित्तीय योजना (Financial Plan)
- 11.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 11.10 सारांश (Summary)
- 11.11 शब्दावली (Glossary)
- 11.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 11.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 11.14 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 11.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी व्यवसाय / उद्यम को शुरू करने से पहले योजना बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लिखित उद्यमिता योजना बनाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। उद्यमिता योजना एक तरह से आपके व्यवसाय का नक्शा या ब्लूप्रिन्ट होता है जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें सन्दर्भित रहती हैं। व्यवसाय योजना न केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, बल्कि बैंक ऋण, स्टार्टअप फंडिंग या व्यवसाय साझेदारी आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करने के लिए जरूरी होता है। उद्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज रहता है जो किसी भी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों', और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। उदाहरण स्वरूप - हमारा व्यवसाय क्या है? हमसे व्यवसाय क्यों करना चाहते हैं? हम इस व्यवसाय को कैसे करेंगे?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें व्यवसाय योजना के द्वारा मिलते हैं। उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी (उद्यमी) अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है। किसी भी योजना का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाता है। यही बात उद्यमिता योजना बनाते समय भी लागू होती है।

11.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- ✓ उद्यमिता क्यों, की व्याख्या कर सकें।
- ✓ उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक कदमों की व्याख्या कर सकें।
- ✓ उद्यमिता योजना का वर्णन कर सकें।
- ✓ उद्यमिता योजना निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कर सकें।
- ✓ अच्छी उद्यमिता योजना के निर्माण की व्याख्या कर सकें।

11.3 उद्यमिता: क्यों (Entrepreneurship: Why)

उद्यमिता में एक उद्यमी अपने विचारों का कार्यान्वयन स्वयं करता है। उद्यमिता का एक प्रमुख लाभ यह है कि आपको अपने खुद के विचारों तथा अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाने की आजादी हासिल होती है। आप अपना समय और ऊर्जा अपने विचारों को विकसित करने तथा उन्हें एक सफल उद्यमिता मॉडल में तब्दील करने में लगाते हैं।

उद्यमिता में आपका बॉस कोई दूसरा नहीं आप खुद होते हैं। आप निर्णय करते हैं। किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है, यह सब आप तय करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप किसी फर्म की कॉर्पोरेट संस्कृति या उनके कारोबार के तौर-तरीकों से सहमत नहीं होते। लेकिन यहां आप चुनते हैं कि उद्यमिता कैसे चलाना है, किस तरह की कॉर्पोरेट संस्कृति विकसित करनी है। आरंभिक चरण में गूगल का सीधा-सादा आदर्श वाक्य था –“बुराई मत बनो।” ("Don't be evil.") वे एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जो प्रचलित कॉर्पोरेट संस्कृति के बहुत अलग है। अपनी निजी कंपनी शुरू करने से संस्थापकों को यह अवसर मिला कि ऐसी संस्कृति और उद्यमिता पद्धतियाँ विकसित करें जिनमें उनकी आस्था हो। अपनी खुद की कंपनी शुरू करके आप भी ऐसा कर सकते हैं।

स्थान का चयन (Location selection)- उद्यमिता के स्थान का चुनाव आपका अपना निर्णय होगा। आप चाहें तो अपने बाजार के निकट कारोबार कर सकते हैं, चाहें तो अपने घर के निकट कर सकते हैं। फैसला पूरी तरह आपका है।

बड़ी आय की संभावना (Big income potential)- अपना उद्यमिता शुरू करने पर आप मालिक होंगे और अधिकांश ईक्विटी आपकी होगी। यदि आपका उद्यमिता सफल रहा, तो काफी आय होने की संभावना रहेगी। कुछ लोगों को अपनी नोकरियों में करियर विकास या आर्थिक विकास की कोई संभावना नजर नहीं आती। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो शायद आपके लिए यही समय है कि आप भी अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोचें। पर नकारात्मक पहलू यह है कि यहाँ वेतन का चेक मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर कर्मचारी के तौर पर आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी इसी की क्या गारंटी है।

अपने काम के घंटे खुद चुनें (Choose your own working hours)- खुद के कारोबार की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यहाँ काम के घंटों में लचीलापन रहता है, यद्यपि काम कम नहीं रहता। अधिकतर सफल नए उद्यम अधिक समय तक काम तथा कड़ी मेहनत का परिणाम हैं। पर सकारात्मक पहलू यह है कि कब छुट्टी पर जाना है, कब काम करना है आदि बातें आपकी पसंद के अनुसार होती हैं। जब तक अपेक्षित काम होता रहता है, तब तक लचीलापन बना रहता है।

अपने कारोबार के परिचालनों में शामिल होने का अवसर (Opportunity to be involved in your business operations)- शुरू किया गया नया उद्यम आपका अपना विचार है, आपका अपना कारोबार है। इसलिए इस कारोबार के किसी भी पहलू से जुड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसे एक उदाहरण के जरिए बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स ने खुद को उद्यमिता के हर चरण में शामिल रखा - विचार सृजन, डिजाइन, विनिर्माण, विपणन तथा स्टोर। वे खुद पूरी तरह अपने कारोबार के प्रति समर्पित रहे और इसलिए उनके उत्पादों और उनकी कंपनी की गणना दुनिया के सर्वोत्तम उत्पादों और कंपनियों में होती है। अपने उद्यमिता को आरंभ से विकसित होते हुए देखना बहुत ही संतुष्ट और निहाल कर देने वाला अनुभव है।

अपने कारोबार को पारिवारिक आस्ति बनाइए (Make your business a family asset)- हम अक्सर अपने पीछे अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा बोध छोड़ जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, चूंकि कंपनी की अधिकांश ईक्विटी आपकी होगी, अतः आप उसे अगली पीढ़ियों को दे जाएंगे, ताकि उनमें सुरक्षा को बोध रहे। हो सकता है कि जब आप रिटायर होने वाले हों, तब आपके बच्चे आपका कारोबार संभाल लें। पारिवारिक कारोबार परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार दे सकता है।

11.4 उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक कदम (Essential Steps for Entrepreneurship Success)

1. उद्यमिता संगठनों के स्वरूप (Forms of Entrepreneurial Organisations)
2. अपने उद्यमिता को कॉर्पोरेट दर्जा दिलाएँ (Get your Entrepreneurship Corporate Status)
3. दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं को समझिए (Understand the Guidelines and Procedures)
4. वित्त की मूल बातें (Finance Basics)
5. मूलभूत कानूनी बातें (Legal Basics)
6. अपनी शुरुआती (स्टार्टअप) लागत को समझें (Understand your Startup Costs)
7. अपनी नकदी आरक्षिति (कैश रिजर्व) बनाएँ (Build Your Cash Reserve)
8. अपनी वित्त व्यवस्था की योजना बनाएँ (Plan Your Finances)
9. एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for Preparing a Detailed Project Report)

11.5 उद्यमिता योजना (Entrepreneurship Plan)

किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले योजना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लिखित उद्यमिता योजना बनाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्यमिता योजना एक तरह से आपके व्यवसाय का नक्शा होता है जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय के लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें लिखी होती हैं। व्यवसाय योजना न केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है बल्कि बैंक ऋण, स्टार्टअप फंडिंग या व्यवसाय साझेदारी आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है।

लगभग सभी तरह के व्यवसाय ऋण के लिए व्यवसाय योजना बनाना बहुत जरूरी है नहीं तो बैंक, ऋण देने से मना कर सकते हैं।

उद्यमिता योजना क्या है

कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यही बात व्यवसाय के ऊपर भी लागू होती है जहां इस योजना का लिखित रूप उद्यमिता योजना कहलाता है। दरअसल उद्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे-

1. हमारा व्यवसाय क्या है ?
2. हम ये व्यवसाय क्यों करना चाहते हैं?
3. हम इस व्यवसाय को कैसे करेंगे ?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमे व्यवसाय योजना के द्वारा मिलता है। प्रमुख रूप से उद्यमिता योजना नये व्यवसाय के लिए होता है लेकिन कोई वर्तमान व्यवसाय कुछ नया कर रहा है तो भी उद्यमिता योजना बनाकर व्यवसाय को आगे बढ़ा जा सकता है। उद्यमिता योजना से सिर्फ जंतज.नच नहीं बनती है बल्कि व्यवसाय को स्थापित भी करती है। समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार उद्यमिता योजना में बदलाव भी किए जा सकते हैं।

11.6 उद्यमिता योजना निर्माण की प्रक्रिया (Process of Entrepreneurship Plan Making)

आप यह सोच सकते हैं कि उद्यमिता योजना को बनाने की जरूरत क्या है। अपने उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है। व्यावसायिक योजना या व्यवसाय योजना निम्न उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी होता है:-

1. बैंक में व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करना
2. अपने लघु व्यवसाय या स्टार्टअप के लिए उधम पूंजी बाजार या क्राउडफंडिंग जैसे अन्य तरीकों से पूंजी जुटाना
3. व्यवसाय से सम्बंधित किसी भी प्रकार की अनुवृत्ति या कोई योजना के लिए लागू करना
4. व्यवसाय साझेदारी और फ्रेंचाइजी आदि के लिए

एक अच्छी तरह से बनाए गए उद्यमिता योजना से न केवल बैंक और अन्य बाहरी स्रोतों से वित्त प्राप्त करना सरल होता है बल्कि आंतरिक संचालन में भी यह सहायक होता है।

11.7 अच्छी उद्यमिता योजना का निर्माण (Creating a Good Entrepreneurship Plan)

किसी भी योजना का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया जाता है। यही बात उद्यमिता योजना बनाने समय भी लागू होती है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी योजना उद्यमिता योजना के रूप में

तैयार की जाती है। इसलिए एक अच्छे उद्यमिता योजना को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। इनमें प्रमुख हैं-

1. इस उद्यमिता योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
2. उद्यमिता योजना को किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। अथार्थ इसे पढ़ने वाले लोगों में निवेशक या बैंकर्स हैं जिनका धन व्यवसाय में निवेश हुआ है ?
3. आपके उद्यमिता योजना में क्या-क्या शामिल है?
4. आपको एक संक्षिप्त या विस्तृत उद्यमिता योजना चाहिए ?

जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो एक व्यवसायी अपना उद्यमिता योजना बनाना शुरू करता है। किसी भी एक सफल और स्पष्ट उद्यमिता योजना में निम्न विषयों पर केंद्रित किया जाता है:-

1. **उद्यमिता का उद्देश्य क्या है? (What is the purpose of entrepreneurship?)**- अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ उद्यमिता योजना किसी भी व्यवसाय के उद्देश्यों को बता सकता है। इस उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी ने अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है, इसका पता चलता है। इन उद्देश्यों से व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा, इसका ब्यौरा भी उद्यमिता योजना से ही चलता है।
2. **व्यवसाय के स्पष्ट विवरण का वर्णन (Description of a clear description of the business)**- उद्यमिता योजना के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक इकाई के बारे में पूरा विवरण का पता लगता है। इस उद्यमिता योजना के द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति को यह पता चलता है की आपने अपना व्यवसाय कैसे शुरू किया था और आपका क्या उद्देश्य है।
3. **व्यवसाय के उत्पाद और सेवाएँ क्या हैं (What are the products and services of the business)**- उद्यमिता योजना को डिजाइन करते समय व्यवसायी यह निश्चित कर सकता है की उसे किस प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करना है और क्या सेवाएं देनी है।
4. **बाजार विश्लेषण में सहायक द (Helps in market analysis)**- व्यवसायी जब उद्यमिता योजना को बनाता है तो उससे पहले वह अपने संबन्धित बाजार का विश्लेषण भी कर लेता है। इस विश्लेषण के माध्यम से ही भविष्य में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पता लग सकता है।
5. **व्यावसायिक ढांचे का विवरण (Description of the business structure)**- किसी भी व्यावसायिक ढांचे में उसके कर्मचारी और प्रबंधकीय क्षमता का पता लगता है। उद्यमिता योजना को बनाने से व्यवसाय संरचना के बारे में भी पता लग जाता है।
6. **संसाधनों का उपयोग (Use of resources)**- किसी भी व्यावसायिक इकाई का सबसे अच्छा साधन उसमें लगाया गया धन और व्यवसायी का समय होता है। उद्यमिता योजना को बनाते समय आपको यह निश्चय करना होगा की इन दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग कैसे करना है।
7. **लक्ष्य निर्धारण (Goal setting)**- किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उसका लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। उद्यमिता योजना को बनाते समय व्यवसाय के लक्ष्यों का निर्धारण सरल हो जाता है।

11.8 व्यवसाय योजना का नमूना/खाका (Template of a Business Plan)

हालाँकि किसी भी उद्यमिता योजना का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है और इसे आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। सामान्यतः एक उद्यमिता योजना के निम्न भाग होते हैं-

11.8.1 कार्यकारी/एग्ज़ीक्यूटिव संक्षेप (Executive Brief)

उद्यमिता योजना में एक्ज़िक्यूटिव सारांश अवश्य होना चाहिये। इसमें उद्यमिता की मुख्य बातों का सारांश दिया जाता है। यदि आप बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा वेंचर कैपिटल फ़र्म से निवेश करवाना चाहते हैं तो निम्न बातों को शामिल करें-

1. कम्पनी की सूचना (Company Information)- नाम, प्रस्तावित विधिक रूप, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक निवेशक। आपकी सूचना के लिये हमने उद्यमिता संस्थाओं के रूप पर एक अलग सेक्शन रखा है। विधि संबंधी परिस्थितियों की बेहतर समझ उपलब्ध कराने हेतु हमने मूलभूत विधिक बातों पर भी एक सेक्शन रखा है।
2. परियोजना का संक्षिप्त परिचय
3. ऋण की राशि तथा अवधि (यदि आप बैंक से संपर्क कर रहे हैं।)
4. वांछित निवेश की राशि (यदि वेंचर कैपिटल फ़र्म से संपर्क कर रहे हैं।)
5. कम्पनी बैंक का पैसा लौटाने में सक्षम हैं यह दर्शाने हेतु निम्नांकित विवरण प्रदान करें
6. विगत वित्तीय कार्य निष्पादन
7. प्राप्तियों के भावी स्रोत
8. भावी प्राप्तियों के स्रोत पर विश्वास हो सके इसके लिये यदि कोई अनुबंध किये हों
9. समाप्य मूल्य (वेंचर कैपिटल फ़र्म हेतु)
10. विपणन के उपलब्ध अवसर तथा कंपनी द्वारा इनके दोहन हेतु रणनीति
11. कार्यकारी/एग्ज़िक्यूटिव संक्षेप किसी भी उद्यमिता योजना का पहला भाग होता है और इसके अंतर्गत उद्यमिता योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को सारांश के रूप में लिखा जाता है। व्यवसाय प्रकृति, कानूनी संरचना, उत्पाद अथवा सेवाएं, लक्षित बाजार, व्यवसाय मॉडल, प्रबंधन दल, विपणन योजना, लक्ष्य, वित्तीय प्रोजेक्शन, फंड या ऋण आवश्यक है आदि को संक्षेप में बताया जाता है।

बाकि के उद्यमिता योजना का पूरा सार इस भाग में लिखा होता है, इसलिए भाग को सबसे अंत में बनाना बेहतर होता है।

11.8.2 व्यावसायिक पृष्ठभूमि (Business Background)

उद्यमिता योजना के इस भाग में आपके व्यवसाय से सम्बंधित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता जैसे-

1. व्यवसाय की प्रकृति
2. आप क्या बेचेंगे- उत्पाद तथा सेवा विवरण
3. आपका लक्षित बाजार क्या है
4. व्यवसाय का कानूनी ढांचा, यानि कि व्यवसाय एकल, साझेदारी या कंपनी है,
5. कर्मचारी और मैनेजमेंट टीम,
6. व्यावसायिक स्थल

इसके आलावा इस भाग में व्यवसाय के उत्पाद या सेवा से सम्बंधित सभी बातों को विस्तृत में लिखा जाता है जैसे-

- a. आपका उत्पाद या सेवाएं कौन सी समस्या सुलझ रही हैं या यह लोगों के क्या काम आ रही हैं?
- b. आपका उत्पाद या सेवाएं दूसरों से कितना अलग हैं?
- c. लोग आपके उत्पाद को क्यों खरीदेंगे
- d. आप अपने उत्पाद को कैसे बनायेंगे और क्या वह तरीका सबसे बेहतर है?

- e. क्या आपने उत्पाद और सेवाएं का ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है
- f. उत्पाद/सेवा विवरण को अलग भाग में भी दिखाया जा सकता है।

11.8.3 बाजार विश्लेषण (Market Analysis)

इस भाग में आपके उत्पाद तथा सेवाएं के लक्षित बाजार से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण किया जाता है जैसे:-

1. लक्षित बाजार, मार्केट साइज़ और मांग
2. आप किसे बेचेंगे ? लक्ष्य ग्राहक, उनका व्यवहार, वर्ग और खरीद शक्ति
3. आपके प्रतियोगियों कौन हैं और उनके पास कितना बाजार में हिस्सेदारी है, उनकी शक्तियां और कमजोरियां
4. भविष्य में मांग और बाजार में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्त

11.8.4 बाजार रणनीति (Market Strategy)

उद्यमिता योजना का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों वर्णन होता है जो आप अपने उत्पाद तथा सेवाएं को ग्राहक तक पहुंचाने और बाजार संवर्धन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। इस भाग के अंतर्गत आपको निम्न बातों को निर्धारित करना होता है:-

1. आपके उत्पाद या सेवाएं मार्केट में अपनी जगह कैसे बनायेंगे?
2. आपके लक्ष्य ग्राहक कौन हैं जो सबसे पहले आपके उत्पाद या सेवाएं में रुचि दिखायेंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे?
3. आपकी मूल्य निर्धारण नीति क्या होगी?
4. आप अपने उत्पाद या सेवाएं को किस तरह से को बढ़ावा देगे जैसे प्रत्यक्ष विपणन, विज्ञापन सोशल मीडिया इत्यादि।
5. आप किस तरह से अपने उत्पाद या सेवाएं को उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे?
6. वितरण चैनल आपकी विक्रय रणनीति क्या होगी?

11.8.5 कार्यप्रणाली (Methodology)

यह एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें व्यवसाय संचालन यानि कि "व्यवसाय कैसे चलेगा" इससे सम्बंधित सभी बातों की विस्तृत जानकारी होती है जैसे

व्यवसाय स्थल (Business Location)- आप किस जगह पर अपना व्यवसाय करेंगे। क्या आप जगह खरीदेंगे या किराये पर लेंगे।

उत्पादन सुविधा और प्रणाली (Production Facility and Systems)- आपके पास उत्पादन सुविधा किस प्रकार की है और क्या यह जरूरत के मुताबिक है।

खरीद योजना (Procurement Planning)- आप अपने इनपुट को किस तरह से खरीदेंगे और क्या यह सबसे बेहतर तरीका है।

उत्पादन योजना (Production Planning)- आप किस प्रकार अपने उत्पाद का उत्पादन करेंगे। मांग के आधार पर या अनुमान के आधार पर।

कार्यबल संरचना और उनकी भूमिकाएं (Workforce Structure and their Roles)- आपके कर्मचारियों के पद, कार्यक्षेत्र और उनकी जिम्मेदारियां।

सिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी (Systems and Information Technology)- आपके व्यवसाय का मुख्य आईटी सिस्टम किस तरह का होगा।

स्टोर सुविधा (Store Facility)- आप कितना भण्डार रखेंगे और कहाँ पर रखेंगे।

11.8.6 वित्तीय योजना (Financial Plan)

वित्तीय विश्लेषण किसी भी उद्यमिता योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यह भाग आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों और प्रक्षेपण को आंकड़े या नंबर्स में प्रस्तुत करता है। इसी भाग से बैंक या वेंचर फर्म को आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और पूँजी की आवश्यकता का पता चलता है जिसके आधार पर बैंक, लोन देती हैं और वेंचर कैपिटल फर्म्स, निवेश करते हैं। यह हिस्सा मुख्य रूप निम्न बातों पर केन्द्रित होता है-

1. आपको व्यवसाय के लिए कितनी पूँजी या निधि की जरूरत है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे ? पूँजी / निधि आवश्यकता
2. आप इस पूँजी को कैसे जुटाएंगे ? ऋण, उद्यम निधि, क्राउडफंडिंग, अपनी पूँजी आदि.
3. आप कितने वर्ष के लिए ऋण लेंगे, इसकी सुरक्षा क्या होगी और इसका पुनर्भुगतान कैसे करेंगे
4. आपके व्यवसाय के राजस्व / आय स्रोत क्या होंगे ? बिक्री, अन्य आय
5. आपके व्यवसाय के व्यय क्या होंगे ? खरीद, ब्याज भुगतान, किराया इत्यादि
6. बिक्री, राजस्व और व्यय के आधार पर आपके व्यवसाय के अगले 3-5 वर्षों लाभ और हानि का पूर्वानुमान
7. आपके व्यवसाय का विकास का पूर्वानुमान
8. व्यवसाय जोखिम और उसके संभावित परिणाम
9. वित्तीय विश्लेषण के महत्वपूर्ण विवरण
10. पूँजी आवश्यकता और पूँजी के स्रोत
11. 3-5 साल की बिक्री का पूर्वानुमान
12. 3-5 साल का लाभ और हानि का पूर्वानुमान
13. नकदी प्रवाह विवरण
14. बैलेंस शीट

उद्यमिता योजना आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में निरंतर रूप से आपको गाइड करता है। इसलिए इसके निर्माण में बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए।

11.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. किसी भी व्यवसाय (उद्यम) को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। (योजना या बाजार)
2. किसी भी व्यवसाय को आरम्भ करने के पहले उसकी योजना बनाई जाती है जहाँ इस योजना का लिखित क्रम कहलाता है। (उद्यमिता योजना या एग्जीक्यूटिव संक्षेप)
3. उद्यमिता योजना का वह भाग होता है जहाँ व्यवसाय से सम्बन्धित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता है। (व्यावसायिक पृष्ठभूमि या व्यावसायिक लक्ष्य)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. उद्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है।

2. उद्यमिता योजना में एक्ज़िक्यूटिव सारांश अवश्य होना चाहिये।

11.10 सारांश (Summary)

किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले योजना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लिखित उद्यमिता योजना बनाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्यमिता योजना एक तरह से आपके व्यवसाय का नक्शा होता है जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय के लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें लिखी होती हैं। व्यवसाय योजना न केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है बल्कि बैंक ऋण, स्टार्टअप फंडिंग या व्यवसाय साझेदारी आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है।

कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यही बात व्यवसाय के ऊपर भी लागू होती है जहां इस योजना का लिखित रूप उद्यमिता योजना कहलाता है। दरअसल उद्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है।

उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है।

कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी योजना उद्यमिता योजना के रूप में तैयार की जाती है। उद्यमिता योजना में एक्ज़िक्यूटिव सारांश अवश्य होना चाहिये। इसमें उद्यमिता की मुख्य बातों का सारांश दिया जाता है।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि - उद्यमिता योजना के इस भाग में आपके व्यवसाय से सम्बंधित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता जैसे - व्यवसाय की प्रकृति, आप क्या बेचेंगे ? उत्पाद तथा सेवा विवरण, आपका लक्षित बाजार क्या है।

बाजार विश्लेषण में आपके उत्पाद तथा सेवाएं के लक्षित बाजार से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण किया जाता है। बाजार रणनीति उद्यमिता योजना का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों वर्णन होता है जो आप अपने उत्पाद तथा सेवाएं को ग्राहक तक पहुँचाने और बाजार संवर्धन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। वित्तीय विश्लेषण किसी भी उद्यमिता योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यह भाग आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों और प्रक्षेपण को आंकड़े या नंबरों में प्रस्तुत करता है।

11.11 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता योजना (Entrepreneurship Scheme)**- उद्यमिता योजना वह योजना होती है जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें उल्लेखित रहती है। उद्यमिता योजना व्यवसाय का वह दस्तावेज़ है, जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों', और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है।
- **व्यवसाय योजना नमूना/खाका/टिम्पलेट (Business Plan Sample/Blueprint/Template)**- इसमें एग्जीक्यूटिव संक्षेप, व्यावसायिक पृष्ठभूमि, बाजार विश्लेषण, बाजार रणनीति, कार्यप्रणाली आदि का समावेश रहता है।
- **कार्यकारी/एग्जीक्यूटिव संक्षेप (executive/executive brief)**- किसी भी उद्यमिता योजना का पहला भाग होता है और इसमें अन्तर्गत उद्यमिता योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को सारांश के रूप में लिखा जाता है। उद्यमिता योजना का पूर्ण सारांश इस भाग में लिखे जाने के कारण इसे सबसे अंत में बनाना बेहतर होता है।

11.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. योजना 2. उद्यमिता योजना 3. व्यावसायिक पृष्ठभूमि

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. सत्य

11.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

11.14 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस - वी. के. मिश्र एवं पुरी।
 2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस - जोशी एवं गुप्ता।
 3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
 4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था - नवलखा, माधुर।
-

11.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमिता योजना क्या है, एवं उद्यमिता योजना कैसे बनाई जाती है ?
2. किसी भी सफल और स्पष्ट उद्यमिता योजना को किन विषयों पर केन्द्रीत किया जाता है ?
3. उद्यमिता योजना टेम्पलेट के भागों का वर्णन कीजिए ?
4. बाजार विश्लेषण व बाजार रणनीति क्या है ?
5. उद्यमिता योजना में वित्तीय योजना का क्या महत्व है ?

इकाई- 12 पारिवारिक एवं गैर-पारिवारिक उद्यमी: व्यावसायिकता बनाम पारिवारिक उद्यमी

(Family and Non-Family Entrepreneur: Professionalism vs Family Entrepreneurs)

-
- 12.1 प्रस्तावना (Introduction)
 - 12.2 उद्देश्य (Objectives)
 - 12.3 उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship)
 - 12.4 उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)
 - 12.5 उद्यमी एवं उद्यमिता विकास (Entrepreneurs and Entrepreneurship Development)
 - 12.6 उद्यमिता विकास का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development)
 - 12.7 उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याएं (Problems Faced by Entrepreneurs)
 - 12.8 सफल उद्यमी के गुण (Qualities of a Successful Entrepreneur)
 - 12.9 पारिवारिक व्यवसाय (Family Business)
 - 12.13 Family Business / Enterprise and Professional Business / Enterprise
 - 12.9.1 अर्थ (Meaning)
 - 12.9.2 प्रकार (Types)
 - 12.9.3 लक्षण (Characteristics)
 - 12.10 पारिवारिक व्यवसाय चलाने के नुकसान (Disadvantages of Running a Family Business)
 - 12.11 पेशेवर बनाम पारिवारिक उद्यमी (Professional versus Family Entrepreneur)
 - 12.12 पारिवारिक व्यवसाय / उद्यम के मजबूत तथा कमजोर पक्ष (Strengths and Weaknesses of Family Business / Enterprise)
 - 12.13 पारिवारिक व्यवसाय की विशेषतायें (Characteristics of Family Business)
 - 12.14 पारिवारिक व्यवसाय/उद्यम तथा पेशेवर व्यवसाय/उद्यम (Family Business/Enterprise and Professional Business/Enterprise)
 - 12.15 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
 - 12.16 सारांश (Summary)
 - 12.17 शब्दावली (Glossary)
 - 12.18 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
 - 12.19 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
 - 12.20 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
 - 12.21 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्यमशीलता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। इसके स्तर से आमतौर पर अर्थव्यवस्था की मजबूती पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता मूलतः दो प्रकार से आगे बढ़ती है। जिसमें पहला स्थान पेशेवर उद्यमशीलता तथा दूसरा परिवार उद्यमशीलता है। पेशेवर उद्यमशीलता जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस उद्यमी द्वारा कुछ विशेष प्रशिक्षण तथा योग्यताएँ अर्जित की होती हैं जिससे इस प्रकार के उद्यमी उद्यम चलाने में आसानी महसूस करते हैं इसके विपरीत परिवार उद्यम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता है। सामान्यता परिवार उद्यम से अगली पीढ़ी की विशेष योग्यताएँ अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। लेकिन आजकल प्रतिस्पर्धा तथा संचार जगत में आयी परिवर्तनों के कारण परिवार उद्यमी भी जरूरी योग्यताएँ अर्जित करते हैं जिससे उनका उद्यम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके।

12.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- ✓ उद्यमी एवं उद्यमिता विकास से अवगत हो सकें।
- ✓ उद्यमी के लिए आवश्यक गुण व उद्यमिता में आने वाली कठिनाई के बारे में विस्तृत रूप से जान सकें।
- ✓ परिवार उद्यमिता के बारे में समक्ष विकसित कर सकें।
- ✓ परिवार उद्यम के लक्षणों, कमजोरियों तथा परिवार उद्यम एवं पेशेवर उद्यम के बारे में विस्तृत रूप से जान सकें।

12.3 उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship)

एक उद्यमी का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापारिक अवसर की पहचान करता है। नये व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है, व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे व्यक्ति, सामग्री और पूँजी को एकत्र करता है और निहित जोखिम व अनिश्चितताओं को वहन करता है। उद्यमिता का अभिप्राय उद्यमी द्वारा किये गए कार्यों से है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना में निहित विभिन्न कार्यों को करता है वास्तव में जो कुछ उद्यमी करता है वही उद्यमिता है। अतः उद्यमिता को एक ऐसे कार्य के रूप में देखा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है।

1. बाजार में उपस्थित अवसरों को पहचानना एवं प्रयोग करना।
2. विचारों को क्रिया में परिवर्तित करना।
3. किसी नये उद्यम को प्रारम्भ करने के लिए प्रवर्तन का कार्य करना।
4. अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन का पर्यत्न करना।
5. निहित जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करना।
6. समरूपता लाना।

अतः उद्यमिता का आशय उस कौशल, दृष्टिकोण, चिन्तन, तकनीक एवं कार्यप्रणाली से है जिसके द्वारा व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिम एवं अनिश्चितताओं का सामना किया जाता है एवं व्यवसाय को संचालित किया जाता है।

बी. आर. गायकवाड (B.R. Gaikwad)- “उद्यमिता से तात्पर्य नवप्रवर्तन से है। यह अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए काम लेने की अन्त प्रेरणा और इच्छा है अर्थात् यह भावी घटनाओं को इस प्रकार देखने की क्षमता है जो बाद में सही हो सके।

12.4 उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)

भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप खाद्यान्न की समस्या और बढ़ती महगाई के कारण बड़े परिवारों का सुचारू रूप से पालन पोषण करना एक ही कमाउ आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। यदि ग्रामीण आंचल में झांके तो हम पाते हैं कृषि में ग्रामीण युवाओं को वर्षभर काम नहीं मिल पाता जिसके फलस्वरूप उन्हें अद्विबेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। गाँव स्तर पर रोजगार की अनुपलब्धता की वजह से ग्रामीण युवा प्रायः गाँव को छोड़ कर आस-पास के शहरों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। जहाँ उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु ज्यों-ज्यों दवा दी गई मर्ज बढ़ता गया। बेरोजगारी आज इस स्तर हद तक बढ़ गई की युवा वर्ग ऐसी नौकरी करने को मजबूर होते हैं जिसमें उनका शोषण एवं उनके साथ अन्याय होता है। फलतः उनमें कुंठायेँ घर कर जाती है। युवाओं की इस विवशता का लाभ असमाजिक तत्व उठाते हैं एवं अपराधवृत्तियुक्त माफिया समुह ऐसे युवाओं को अपने चक्र में फसा कर उन्हें भी अपराधी बना देते हैं। इस दलदल में फसने के बाद युवाओं के लिए इससे निकलना असंभव होता है एवं अपराध की नारकीय जीवन में सांस लेने को विवश रहते हैं और हिंसा की दुनियाँ में किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होकर इस दुनियाँ को अलविदा कर जाते हैं। भारतीय युवाओं की नौकरी करने की जड़ मानसिकता रोजगार की समस्या को और विकराल बना दिया है। सभी को नौकरी मिलना असंभव है वह है उद्यमिता विकास। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे युवावर्ग एक सफल उद्यमी का सपना संजोएँ और रोजगार के लिए दुसरोँ की ओर न देखे बल्कि खुद दुसरोँ को रोजगार देने वाले बने। इसके लिए युवावर्ग को तकनीकी क्षेत्र में आगे आकर दक्षता हासिल करना जरूरी है। तकनीकी क्षेत्रों में फल, सब्जी परिरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्रामीण तथा शहरी युवावर्ग इस क्षेत्र में प्रशिक्षणों द्वारा व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त करके खुद का रोजगार कर सकते हैं।

12.5 उद्यमी एवं उद्यमिता विकास (Entrepreneurs and Entrepreneurship Development)

उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर उद्यमी व्यक्ति के गुणों को बढ़ाये। उद्यमी एक क्रियाशील प्राणी है जो विशेष कार्य खासतौर उद्यम संबंधित कार्य को क्रियानिवत करने का पहल करता है। उद्यमी बनना एक व्यक्तिगत कौशल है जिसका संबंध न जाति न धर्म न समुदाय से रहता है। उद्यमी बनने में स्वयं व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। ऊँची उपलब्धि की चाह रखने वाला व्यक्ति उद्यमी बनने का रास्ता स्वतः खोज लेता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है उसे यह प्रेरणा बचपन से दी जाती है या विशेष प्रशिक्षण द्वारा दी जा सकती है। सामाजिक आर्थिक कारक व्यक्ति की उद्यमिता भावना को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके लिए नियोजित ढंग से ठोस कदम उठाने होंगे। उद्यमिता की भावना पनपाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को संगठित करके उनके बीच जा कर उद्यमिता के संबंध में चर्चा करनी होगी। इसके महत्व एवं आवश्यकता से उन्हें परिचित कराना होगा। अभिभावकों को अपने बच्चों में बचपन से ही उद्यमी बनने की ललक पैदा करना होगा। इसके लिए अभिभावकों के सोच को बदलना होगा। अभिभावकों को यह समझना होगा आज के बदले परिवेश में अपने लाडले के लिए नौकरी नहीं वरन सफल उद्यमी बनने के सपने सजोएँ। उद्यमिता विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने युवाओं तक उद्यमों से संबंधित नया ज्ञान नई सुचनाएँ एवं आवश्यक जानकारियाँ पहुँचायेँ ताकि वे आय परक बातों को सोच सकें। उद्यमिता विकास के लिए युवाओं में उद्यमी बनने के गुणों को निखारना होगा संवारना होगा व विकास करना होगा। उद्यमिता विकास के लिए कुछ आवश्यक गुण इस प्रकार हैं-

1. उपलब्धि की चाह (Desire for achievement)
2. जोखिम उठाने की प्रवृत्ति (Tendency to take risks)
3. सकारात्मक रवैया (Positive attitude)
4. पहल करना (Initiative)
5. भविष्य के प्रति आशावान (Hopeful about the future)

6. समस्याओं का समाधान करने की प्रवृत्ति (Tendency to Solve Problems)
7. वातावरण को विश्लेषित करने की इच्छा (Desire to Analyse the Environment)
8. लक्ष्य निर्धारण की चाह (Desire to Set Goals)
9. प्रयासरत रहना (Keep Trying)
10. सूचनाओं को संकलित करने की चाह (Desire to collect information)
11. अवसरों को देख उन पर कार्य करना (Seeing Opportunities and Acting on Them)
12. अनुनय करना (Persuasion)
13. कार्यों एवं प्रतिफल की जिम्मेवारी लेना (Taking Responsibility for Tasks and Rewards)
14. अपने अनुभवों से सीखना (Learning from Experiences)
15. निश्चयात्मक ढंग से कहना (Speaking in a Decisive Manner)
16. कार्यों का अनुश्रवण करना इत्यादि। (Monitoring Tasks etc)

12.6 उद्यमिता विकास का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development)

आज के युग में उद्यमिता विकास का काफी महत्व है एवं यह आज की आवश्यकता है। उद्यमिता विकास के महत्व को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत आंक सकते हैं-

1. मानव संसाधन का सशक्तिकरण (Empowerment of human resources)
2. सामाजिक प्रतिष्ठा (Social prestige)
3. गरीबी में कमी (Reduction in poverty)
4. रोजगार की उपलब्धता (Availability of employment)
5. बेरोजगारी की समस्या में कमी (Reduction in unemployment problem)
6. राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि (Increase in national productivity)
7. युवावर्ग के असंतोष में कमी (Reduction in discontent among youth)
8. अपराधिकृतियों में कमी (Reduction in criminal activities)
9. प्रेरणा स्रोत (Source of inspiration)
10. आय में वृद्धि (Increase in income)
11. जीवन स्तर में सुधार (Improvement in standard of living)
12. पारिवारिक कलह में कमी (Reduction in family conflicts)
13. भावी पीढ़ी का उचित विकास (Proper development of future generation)
14. महिलाओं की स्थिति में सुधार (Improvement in the status of women)

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के युग में उद्यमिता विकास का काफी महत्व है अतः हमारे युवा वर्ग व्यर्थ इधर-उधर भटकने के बजाय वे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए व अपने ही नहीं वरन राष्ट्र विकास के लिए उद्यमिता विकास की ओर उन्मुख हो, व्यवसायिक शिक्षा को अपनाये और अपनी आमदनी को बढ़ायें।

12.7 उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याएं (Problems Faced by Entrepreneurs)

समस्याएं या कठिनाईयाँ निम्न हैं (The problems or difficulties are as follows)-

1. **व्यवसाय का चयन (Choice of Career)-** व्यवसाय चयन के लिए सर्वप्रथम बाजार का अध्ययन करना होता है कि क्या उसके उत्पाद अथवा सेवा को बाजार में ग्राहक पसंद करेगा, कितनी मांग होगी, लागत क्या होगी, लाभप्रद होगा अथवा नहीं। इसे संभाव्यता अध्ययन कहते हैं तथा इसे संभाव्यता रिपोर्ट अथवा परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के आधार पर सर्वाधिक लाभ देने वाली व्यवसाय का चयन किया जाता है।
2. **उद्यम के स्वरूप का चयन (Selecting the form of enterprise)-** इस हेतु उद्यमी के पास एकल स्वामित्व साझेदारी अथवा संयुक्त पूंजी कम्पनी आदि विकल्प होता है जिसमें से उपयुक्त व्यवसायिक संगठन का चयन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। यदि बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए कंपनी संगठन ही उपयुक्त रहेगा जबकि छोटे एवं मध्य पैमाने के व्यवसायों के लिए एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी अधिक उपयुक्त रहेगा।
3. **वित्तीय (Financing)-** वित्त की व्यवस्था करना उद्यमी के लिए सदा ही एक समस्या रहा है। कोई भी व्यवसाय बिना पूंजी के प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उद्यमी को पूंजी की आवश्यकता स्थायी सम्पत्ति, भूमि एवं मशीन, उपकरण आदि को खरीदने के लिए होती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। कितनी पूंजी की आवश्यकता है इसका निर्धारण कर लेने के पश्चात् उद्यमी को विभिन्न स्रोतों से वित्त की व्यवस्था करनी होती है। ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं जैसे कि आई.एफ.सी.बी.डी.आई. आदि जो अच्छे उद्यमीय कार्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी अथवा उद्यम पूंजी कोष उपलब्ध करा रहे हैं।
4. **स्थान का निर्धारण (Determining the location)-** उद्यमी के लिए एक समस्या व्यावसायिक इकाई के स्थान निर्धारण करने की है। यह कई तत्वों पर निर्भर करता है जैसे कि कच्चा माल, परिवहन सुविधाएं, बिजली एवं पानी की उपलब्धता व बाजार का नजदीक होना। सरकार पिछड़े क्षेत्र या अविकसित क्षेत्रों में स्थापित इकाई को कर अवकाश, बिजली एवं पानी के बिलों पर छूट आदि के रूप में कई प्रलाभन देती है। अतः एक व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने से पहले उद्यमी को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है।
5. **इकाई का आकार (unit size)-** व्यवसाय का आकार कई कारणों से प्रभावित होता है जैसे कि तकनीकी वित्तीय एवं विपणन। जब उद्यमी यह अनुभव करते हैं कि वह प्रस्तावित उत्पाद एवं सेवाओं को बाजार में बेच सकते हैं, एवं पर्याप्त पूंजी जुटा सकते हैं तब वे अपनी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉकरसन भाई पटेल निरमा लि. के. स्वामी 1980 में साईकिल पर घूम-घूम कर कपड़े धोने का पाउडर बेचा करते थे और कार्य में वृद्धि से अब यह बढ़कर निरमा लि0 बन गया है।
6. **मशीन एवं उपकरण (Machinery and Equipment)-** किसी भी नये उपक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व मशीनों, उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का चयन संवेदनशील समस्या है। यह कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कि पूंजी की उपलब्धता, उत्पादन का आकार एवं उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति। लेकिन उत्पादकता पर जोर दिया जाना चाहिए। उपकरण एवं मशीन विशेष का चयन करते समय मरम्मत एवं रख-रखाव की सुविधाओं की उपलब्धता अतिरिक्त पूंजी की उपलब्धता तथा बिक्री के बाद सेवा को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
7. **उपयुक्त श्रमशक्ति (Suitable manpower)-** यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो उद्यमों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होती है। उसे प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति

की पहचान करनी होती है और संगठन में कार्य करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना होता है। यह सरल नहीं होता। इसमें काफी सहनशक्ति एवं प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इस प्रकार से एक नये व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले उद्यमी को अनेकों समस्याओं का समाधान ढूँढना होता है। उचित चयन एवं व्यवस्था की जाये तो सफलता सुनिश्चित है।

12.8 सफल उद्यमी के गुण (Qualities of a Successful Entrepreneur)

उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत से गुणों की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी निम्नलिखित गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं:

- 1. पहल (Initiative)-** व्यवसाय की दुनिया में अवसर आते जाते रहते हैं। एक उद्यमी कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे आगे बढ़ाकर काम शुरू कर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक बार अवसर खो देने पर दुबारा नहीं आता। अतः उद्यमी के लिए पहल करना आवश्यक है।
- 2. जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति (Willingness to Take Risks)-** प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम रहता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवसायी सफल भी हो सकता है और असफल भी। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यवसाय में लाभ ही हो। यह तत्व व्यक्ति को व्यवसाय करने से रोकता है। तथापि, एक उद्यमी को सदैव जोखिम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और व्यवसाय चलाकर उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए।
- 3. अनुभव से सीखने की योग्यता (Ability to learn from experience)-** एक उद्यमी गलती कर सकता है, किन्तु एक बार गलती हो जाने पर फिर वह दोहराई न जाय। क्योंकि ऐसा होने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। एक उद्यमी में भी अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए।
- 4. अभिप्रेरणा (Motivation)-** अभिप्रेरणा सफलता की कुंजी है। जीवन के हर कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब आप किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही दम लेते हैं। उदाहरण के लिए कभी-कभी आप किसी कहानी अथवा उपन्यास को पढ़ने में इतने खो जाते हैं कि उसे खत्म करने से पहले सो नहीं पाते। इस प्रकार की रूचि अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। एक सफल उद्यमी का यह एक आवश्यक गुण है।
- 5. आत्मविश्वास (Confidence)-** जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वह न तो अपने आप कोई कार्य कर सकता है और न ही किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- 6. निर्णय लेने की योग्यता (Ability to take decisions)-** व्यवसाय चलाने में उद्यमी को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। उसमें समय रहते हुए उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है यदि एक उद्यमी में समयानुसार निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती है तो वह आगे बढ़ने के अवसर को खो देगा और उसे हानि उठानी पड़ सकती है।
- 7. उद्यम के अवसरों की पहचान (Identification of entrepreneurial opportunities)-** विश्व में व्यवसाय करने के बहुत से अवसर हैं। इनका आधार मानव की आवश्यकताएं हैं जैसे- खाना, फैसन, शिक्षा आदि जिनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। आम आदमी को इन अवसरों की समझ नहीं होती किन्तु एक उद्यमी इनको अन्य व्यक्तियों की तुलना में शीघ्रता से भांप लेता है। अतः एक उद्यमी को अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए तथा विचार शक्ति सृजनात्मक और नवीनता की ओर अग्रसर रहना चाहिए।

12.9 पारिवारिक व्यवसाय (Family Business)

पारिवारिक उद्यमों को आधिकारिक तौर पर परिभाषित नहीं किया जाता है, जो पारिवारिक व्यवसायों पर सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने में बाधा डालती है। निर्णय निर्माताओं को अपने फैसले का समर्थन करने और इन निर्णयों के प्रभावों का आकलन करने के लिए पारिवारिक व्यवसायों पर सांख्यिकीय जानकारी की आवश्यकता होती है। पारिवारिक उद्यमों और उनकी गतिविधियों पर आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि पारिवारिक उद्यम की कोई परिभाषा नहीं है। अकादमिक दुनिया में, पारिवारिक उद्यम का मानदंड स्वामित्व, सामरिक नियंत्रण, व्यापार के संचालन में विभिन्न पीढ़ियों की भागीदारी और फर्म की पारिवारिक व्यवसाय के रूप में बनाए रखने के इरादे के बीच भिन्न होता है।

एक फर्म एक पारिवारिक उद्यम है, यदि

1. अधिकांश वोट प्राकृतिक व्यक्तियों के कब्जे में है, जिन्होंने फर्म की स्थापना उस प्राकृतिक व्यक्तियों के कब्जे में की है, जिसने फर्म की शेयर पूंजी हासिल की है या अपने प्रति/पत्नी के कब्जे में है, माता-पिता बच्चे या बच्चे के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी।
2. अधिकांश वोट अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हो सकते हैं।
3. फर्म के प्रबंधन या प्रशासन में परिवार या रिश्तेदार का कम से कम एक प्रतिनिधि शामिल है।
4. सूचीबद्ध कंपनियां पारिवारिक उद्यम की परिभाषा को पूरा करती हैं यदि वह व्यक्ति फर्म (शेयर पूंजी) या उनके परिवारों या वंशजों को स्थापित या अधिग्रहित किया है, उनके पास उनके द्वारा अनिवार्य वोट के अधिकार का 25 प्रतिशत अधिकार है।

12.9.1 अर्थ (Meaning)

पारिवारिक व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया में कहीं और समान है, यह एक सामान्य अर्थ में माना जाता है। पारिवारिक व्यवसाय के संदर्भ में 'पारिवारिक स्वामित्व वाले' परिवार नियंत्रित, 'परिवार प्रबंधित', 'व्यवसायिक घर' और 'औद्योगिक घर' जैसे विभिन्न शब्द उपयोग किए जाते हैं।

इस प्रकार, पारिवारिक व्यवसाय शब्द अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थों को स्वीकार करता है। जबकि कुछ इसे पारंपरिक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, अन्य लोग इसे सामुदायिक व्यवसाय मानते हैं, और फिर भी दूसरों का यह घर-आधारित व्यवसाय के रूप में होता है।

12.9.2 प्रकार (Types)

ऐसे में, पारिवारिक व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए पारिवारिक व्यवसाय की विभिन्न परिभाषाएं हैं। समझने की सुविधा के लिए, सभी परिभाषाओं को पारिवारिक में शामिल संरचना और प्रक्रिया के आधार पर व्यापक रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

ये परिभाषा पारिवारिक व्यवसाय के स्वामित्व और/या प्रबंधन के आधार पर दी जाती हैं। ऐसी कुछ परिभाषाएं "एक परिवार के सदस्यों द्वारा स्वामित्व नियंत्रण है। बैरी "अपने परिवार में कम से कम दो सदस्यों द्वारा एक परिवार द्वारा प्रत्यक्ष स्वामित्व और प्रत्यक्ष भागीदारी।" - रोसेनब्लैट, डी मिक, एंडरसन और जॉनसन।

"एकल परिवार वोटिंग शेयरों के 50 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व के माध्यम से प्रभावी ढंग से फर्म को नियंत्रित करता है, फर्म के वरिष्ठ प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक ही परिवार से खींचा जाता है।" - लीच एट अल।

प्रक्रिया परिभाषाएं

ये परिभाषाएं इस बात पर आधारित हैं कि परिवार व्यवसाय में कैसे शामिल है। पारिवारिक व्यवसाय की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं।

आर जी डोनेल (R G Donnell) के अनुसार - “पारिवारिक व्यवसाय एक ऐसी फर्म है जिसे परिवार की कम से कम दो पीढ़ियों के साथ बारीकी से पहचाना गया है और जब इस लिंक पर कंपनी नीति और परिवार के हितों और उद्देश्यों पर आपसी प्रभाव पड़ा है।”

पी डेविस (P Davis) के अनुसार- “पारिवारिक व्यवसाय वे हैं जहां नीति और निर्णय एक या अधिक परिवार इकाइयों द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव के अधीन हैं। इस प्रभाव को स्वामित्व के माध्यम से और प्रबंधन में परिवार के सदस्यों की भागीदारी के माध्यम से कभी-कभी उपयोग किया जाता है। यह संगठनों, परिवार और व्यापार के दो सेटों के बीच बातचीत है, जो पारिवारिक व्यवसाय के मूल चरित्र को स्थापित करता है और इसकी विशिष्टता को परिभाषित करता है।”

शोधकर्ताओं का तर्क है कि पारिवारिक व्यवसाय की व्यापक परिभाषा में परिवार द्वारा रणनीतिक निर्णयों और परिवार में व्यवसाय छोड़ने के इरादे से कुद हद तक नियंत्रण शामिल होना चाहिए। शंकर और एस्ट्राचन (1996) ने नोट किया कि पारिवारिक व्यवसाय को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों में शामिल हो सकते हैं स्वामित्व का प्रतिशत, वोटिंग नियंत्रण, रणनीतिक निर्णयों पर शक्ति, कई पीढ़ियों की भागीदारी, और परिवार के सदस्यों के सक्रिय प्रबंधन।

पारिवारिक व्यवसाय अनुसंधान के आस-पास की निश्चित अस्पष्टता को हल करने के प्रयास में, लिट्ज सुझाव देते हैं कि एक व्यवसाय को पारिवारिक व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब इसका स्वामित्व और प्रबंधन परिवार इकाई के भीतर केंद्रित होता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि एक पारिवारिक व्यवसाय समाना जाना चाहिए, व्यापार के सदस्यों को अंतर-संगठनात्मक परिवार-आधारित संबंधितता को हासिल करने, बनाए रखने और/या बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

दूसरे शब्दों में एक पारिवारिक व्यवसाय एक सक्रिय परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से स्वामित्व और/या प्रबंधित किया जाता है।

12.9.3 लक्षण (Characteristics)

ऊपर दिए गए पारिवारिक व्यवसाय की परिभाषा पारिवारिक व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषताओं को इंगित करती है-

1. एक या अधिक परिवारों के लोगों का एक समूह एक व्यावसायिक उद्यम चलाता है।
2. पारिवारिक व्यवसाय की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते से प्रभावित होती है।
3. पारिवारिक अभ्यास स्वामित्व के रूप में या फर्म के प्रबंधन के रूप में व्यापार पर नियंत्रण रखता है जहां पारिवारिक सदस्य प्रमुख पदों पर नियोजित होते हैं।
4. परिवार परिवार और व्यापार के पारस्परिक हित में फर्म की नीति दिशा पर प्रभाव का उपयोग करता है।
5. पारिवारिक व्यवसाय का उत्त्राधिकार अगली पीढ़ी तक जाता है।
6. भारत में पारिवारिक व्यवसाय काफी हद तक जाति से संबंधित है।
7. प्रत्येक जाति में एक प्रमुख संस्कृति का आनंद मिलता है जो अपने परिवार के व्यवसायों में भी उचित रूप से दिखाई देता है।

12.10 पारिवारिक व्यवसाय चलाने के नुकसान (Disadvantages of Running a Family Business)

जैसा कि नीचे उल्लिखित कुछ नुकसान से भी पीड़ित है

1. **स्वामित्व का जोखिम (Controlling Irreversibility)**- पारिवारिक सदस्यों को यह धारणा है कि पारिवारिक व्यवसाय लाभ कमाने के लिए जारी रहेगा और इस प्रकार आवर्ती आधार पर नकदी और अन्य लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। हालांकि जब व्यवसाय कम आय अर्जित करता है या नुकसान पहुंचाता है तो नकद प्राप्त करना और अन्य लाभ अनिवार्य रूप से गैर-सक्रिय सदस्यों के लिए अनिश्चित हो जाते हैं। फिर वे व्यवसाय में अपना हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय के स्वामित्व को चुनौतीपूर्ण और पूछताछ शुरू करते हैं। यह व्यापार के लिए विभिन्न प्रभाव पैदा करता है जैसे पारिवारिक एकता और प्रतिबद्धता कमजोर, सक्रिय और गैर-सक्रिय परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच संघर्ष की सतहें और व्यवसायों के बाजार हिस्सेदारी में कमी आती है और अंततः व्यापार समाप्त हो जाता है।
2. **अस्पष्टता को नियंत्रित करना (Controlling Ambiguity)**- प्रत्येक उद्यमी चाहता है कि उसके व्यापार का नियंत्रण निकटतम और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ आराम कर सके। व्यवहार में, व्यापार नियंत्रण आम तौर पर भाई बहनों के साथ रहता है, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के पार व्यापार पर केवल न्यूनतम नियंत्रण होता है।
3. अल्पसंख्यक शेयरधारकों को आम तौर पर कंपनी के बिक्री या विलय, दूसरों को स्टॉक जारी करने, एक निश्चित राशि से अधिक धन उधार लेना, एक प्रमुख पूंजी व्यय करके अपने स्वामित्व की सुरक्षा दी जाती है।
4. **पारिवारिक व्यवसाय से नकद करने के लिए शेयरधारकों के लिए अक्षमता (Inability for Shareholders to Cash Out of Family Business)**- अधिकतर पारिवारिक व्यवसायों में एक प्रमुख शेयरधारक से स्टॉक की बूट को वित्त पोषित करने की वित्तीय क्षमता की कमी होती है। फंड आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं, और अधिकतर मालिक ऋण के लिए बैंक जाने से इनकार कर देंगे क्योंकि इससे कंपनी को वित्तीय स्थिति में डाल दिया जा सकता है। इस प्रकार, अल्पसंख्यक शेयरधारक या तो नकद करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं या कुछ कंपनी नीति का पालन करना चाहिए, जो आम तौर पर स्टॉक रिडेम्प्शन की शर्तों और समय पर चर्चा करता है।
5. **विचारों को कार्यान्वित करना (Implementing Ideas)**- एक उद्यमी में अपने विचारों को व्यवहार में लाने की योग्यता होनी चाहिए। वह उन विचारों, उत्पादों, व्यवहारों की सूचना एकत्रित करता है, जो बाजार की मांग को पूरा करने में सहायक होते हैं। इन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाने पड़ते हैं।
6. **संभावनाओं का अध्ययन (Studying Possibilities)**- उद्यमी अध्ययन कर अपने प्रस्तावित उत्पाद अथवा सेवा से बाजार की जांच करता है, वह आनेवाली समस्याओं पर विचार कर उत्पाद की संख्या, मात्रा तथा लागत के साथ-साथ उपक्रम को चलाने के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति के ठिकानों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। इन सभी क्रियाओं की बनायी गयी रूपरेखा, व्यवसाय की योजना अथवा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य प्रतिवेदन कहलाती है।
7. **संसाधनों को उपलब्ध कराना (संसाधनों को उपलब्ध कराना)**- उद्यम को सफलता से चलाने के लिए उद्यमी को बहुत से साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये साधन हैं- द्रव्य, मशीन, कच्चा माल तथा मानव। इन सभी साधनों को उपलब्ध कराना उद्यमी का एक आवश्यक कार्य है।

8. **उद्यमी की स्थापना (Establishment of Entrepreneur)**- उद्यमी की स्थापना के लिए उद्यमी को कुछ वैधानिक कार्यवाहियां पूरी करनी होती हैं। उसे एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होता है। भवन को डिजाइन करना, मशीन को लगाना तथा अन्य बहुत से कार्य करने होते हैं।
9. **उद्यम का प्रबंधन (Management of the enterprise)**- उद्यम का प्रबंधन करना भी उद्यमी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसे मानव, माल, वित्त, माल का उत्पादन तथा सेवाएं सभी का प्रबंधन करना है। उसे प्रत्येक माल एवं सेवा का विपणन भी करना है, जिससे कि विनियोग किए धन से उचित लाभ प्राप्त हो। केवल उचित प्रबंध के द्वारा ही इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
10. **वृद्धि एवं विकास (Growth and Development)**- एक बार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के उपरांत, उद्यमी को उद्यम की वृद्धि एवं विकास के लिए अलग ऊंचा लक्ष्य खोजना होता है। उद्यमी एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् संतुष्ट नहीं होता, अपितु उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए सतत् प्रयत्नशील बना रहता है।

12.11 पेशेवर बनाम पारिवारिक उद्यमी (Professional versus Family Entrepreneur)

वे आमतौर पर उन फर्मों में शामिल होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं। वे पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों में व्यस्त हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटे आकार के होते हैं। वे नए विचारों और विचारों के लिए खुले हैं। उन्हें खुले दिमागीपन की कमी है। वे नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार हैं। वे नई चीजों पर प्रयोग करने से बचते हैं। वे मानव संसाधन के प्रबंधन में पक्षपात नहीं दिखाते हैं। वे जिम्मेदार पदों में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को रोजगार देते हैं। वे संगठन उन्मुख हैं। वे अपनी पारिवारिक चिंताओं और हितों को पहली प्राथमिकता देते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की भागीदारी शामिल है। वे निर्णय स्वयं या परिवार के सदस्यों की मदद से करते हैं।

12.12 पारिवारिक व्यवसाय / उद्यम के मजबूत तथा कमजोर पक्ष (Strengths and Weaknesses of Family Business / Enterprise)

मजबूत पक्ष-

1. परिवार की ओर से स्वामी होने के कारण उत्तम स्तर की दृढ़ निश्चय सहयोग तथा लगन देखने को मिलती है।
2. परिवार के सदस्य की लगन तथा कठोर परिश्रम के द्वारा व्यवसाय के लाभ को पुनः व्यवसाय में विनियोजित किया जाता है।
3. परिवार के सदस्यों द्वारा हमेशा अपनी जानकारी तथा अनुभव अगली पीढ़ी को प्रेषित की जाती है।
4. यहां परिवार का नाम तथा महत्व दोनों व्यवसाय के साथ सम्बन्धित होता है।

कमजोर पक्ष-

1. खराब प्रबन्धन, तथा विकास के लिए अप्रयाप्त रोकड़ / कोष की समस्या आमतौर पर होती है।
2. परिवार के सभी सदस्यों की बराबर इनसेन्टिब्स नहीं दिये जाते हैं जिससे व्यवसाय का कार्य वातावरण प्रभावित होता है।
3. अनुशासन तथा नियमों का पालन करवाना मुश्किल होता है।

12.13 पारिवारिक व्यवसाय की विशेषतायें (Characteristics of Family Business)

1. परिवार व्यवसाय इसके निर्माता के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रारम्भ किया जाता है जिस कारण यह एक आदर्श प्रकृति का होता है तथा इसमें क्रिया कलाओं में एक रूपता (नदपवितउपजल) होती है।
2. परिवार व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होता है जो व्यवसाय के भविष्य तथा प्रभावशीलता को निर्धारित करता है।
3. परिवार व्यवसाय में परिवार के लोगों को व्यवसाय के क्रिया कलाओं में प्रयोग किया जाता है जिससे परिवार के कौशल का पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है।
4. परिवार के लोगों की एक तरह की सोच परिवार व्यवसाय को नयी ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है।

12.14 पारिवारिक व्यवसाय / उद्यम तथा पेशेवर व्यवसाय / उद्यम (Family Business / Enterprise and Professional Business / Enterprise)

एक व्यवसाय को परिवार व्यवसाय तब कहा जा सकता है जब व्यवसाय के कम से कम 20 प्रतिशत मताधिकार किसी परिवार के पास सुरक्षित हो न कि सस्थापक या अंशधारियों के पास।

1. पेशेवर व्यवसाय से तात्पर्य उस व्यवसाय से है जहाँ मताधिकार अंशधारियों के हाथ न होता है।
2. यह सामान्यतः छोटे साहज के उद्यमों का संचालन करते हैं।
3. यह आमतौर पर बड़े उद्यमों या साइज का संचालन करते हैं।
4. परिवार व्यवसाय में सामान्यतः नये विचारों, सम्भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
5. यह नये विचारों तथा सम्भावनाओं की हमेशा खोज में रहते हैं।
6. यहाँ नये प्रयोगों तथा विकल्पों पर अमल कम किया जाता है।
7. यह हमेशा नये प्रयोगों तथा विकल्पों को अपनाने में प्रयत्नशील रहते हैं।
8. यहाँ मुख्य जिम्मेदारियाँ सम्बन्धियों तथा रिस्तदारों को दी जाती हैं।
9. यह संस्था के प्रबन्धन में पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं।
10. यहाँ निर्णय खुद तथा परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लिये जाते हैं।
11. यहाँ निर्णयन की प्रक्रिया में सभी पक्षों की सामान्यतः शामिल किया जाता है।

12.15 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. पारिवारिक व्यवसाय में के निर्णयों पर परिवार के सदस्यों का प्रभाव होता है। (व्यापार नीति या केवल कर्मचारियों के वेतन)
2. पारिवारिक व्यवसायों में अक्सर और का अभाव होता है, जो व्यापार के विकास को प्रभावित करता है। (अच्छे प्रबंधन, वित्तीय संसाधन या उच्च तकनीक, वैश्विक दृष्टिकोण)
3. पारिवारिक व्यवसाय में पीढ़ी के सदस्य व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। (केवल पहली या अगली)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. पारिवारिक व्यवसाय में स्वामित्व और प्रबंधन आमतौर पर परिवार के सदस्यों के बीच बंटा होता है।
2. पारिवारिक व्यवसाय में प्रत्येक परिवार सदस्य को समान लाभ और जिम्मेदारियाँ मिलती हैं।

12.16 सारांश (Summary)

किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता मूलतः दो प्रकार से आगे बढ़ती है। जिसमें पहला स्थान पेशेवर उद्यमशीलता तथा दूसरा परिवार उद्यमशीलता है। पेशेवर उद्यमशीलता जैसा कि इसके नाम से ही

पता चलता है कि इस उद्यमी द्वारा कुछ विशेष प्रशिक्षण तथा योग्यताएँ अर्जित की होती हैं जिससे इस प्रकार के उद्यमी उद्यम चलाने में आसानी महसूस करते हैं इसके विपरीत परिवार उद्यम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता है। सामान्यता परिवार उद्यम से अगली पीढ़ी की विशेष योग्यताएँ अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। लेकिन आजकन प्रतिस्पर्धा तथा संचार जगत में आयी परिवर्तनों के कारण परिवार उद्यमी भी जरूरी योग्यताएँ अर्जित करते हैं जिससे उनका उद्यम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके।

12.17 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमी (Entrepreneur):** एक उद्यमी का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापारिक अवसर की पहचान करता है। नये व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है, व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे व्यक्ति, सामग्री और पूँजी को एकत्र करता है और निहित जोखिम व अनिश्चितताओं को वहन करता है।
- **उद्यमिता (Entrepreneurship):** इसका अभिप्राय उद्यमी द्वारा किये गए कार्यों से है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना में निहित विभिन्न कार्यों को करता है वास्तव में जो कुछ उद्यमी करता है वही उद्यमिता है।
- **उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development):** उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर उद्यमी व्यक्ति के गुणों को बढ़ाये। उद्यमी एक क्रियाशील प्राणी है जो विशेष कार्य खासतौर उद्यम संबंधित कार्य को क्रियानिवत करने का पहल करता है। उद्यमिता की भावना पनपाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को संगठित करके उनके बीच जा कर उद्यमिता के संबंध में चर्चा करनी होगी। इसके महत्व एवं आवश्यकता से उन्हें परिचित कराना होगा।
- **वित्तीय (Financing):** वित्त की व्यवस्था करना उद्यमी के लिए सदा ही एक समस्या रहा है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खचोर के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। कितनी पूँजी की आवश्यकता है इसका निर्धारण कर लेने के पश्चात् उद्यमी को विभिन्न स्रोतों से वित्त की व्यवस्था करनी होती है।
- **अभिप्रेरणा (Motivation):** अभिप्रेरणा सफलता की कुंजी है। जीवन के हर कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब आप किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही दम लेते हैं।
- **आत्मविश्वास (Self-confidence):** जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वह न तो अपने आप कोई कार्य कर सकता है और न ही किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- **निर्णयन (Decision Making):** व्यवसाय चलाने में उद्यमी को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। उसमें समय रहते हुए उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।

12.18 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. व्यापार नीति 2. अच्छे प्रबंधन, वित्तीय संसाधन 3. अगली

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. असत्य

12.19 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1. Vasant Desai. (2004) - Dynamics of Entrepreneurial Development and

- Management - Himalaya Publishing House: New Delhi, p.17.
2. Deepthi A. and K. Lavanya Latha (2012) - Growth of Small Scale Entrepreneurship: A Case Study of Nellore District - International Journal of Economics and Management 6(1): 98 – 114.
 3. Singh Pritam (1966) - The Role of Entrepreneurship in Economic Development: Issues and Policies - Vora and Company, Mumbai, p.228.
 4. Agarwal, A. N. (1995) - Indian Economy, Problems of Development and Planning - Wiley Eastern Limited, Delhi.
 5. Baruah, R. K. (2005) - Financing Small Scale Industries - Omsons Publications, Delhi.
 6. Hamid, S. A. (1989) - Management and Development in Small Scale Industries - Anmol Publications, New Delhi.
 7. Kuchhal, S. C. (1989) - The Industrial Economy of India - Chaitanya Publishing House, New Delhi.
 8. Report On the Evaluation Of Entrepreneurship Development Institution Scheme- The Ministry of MSME, Government of India, New Delhi.
 9. Somwanshi S.A. Sickness of Small Scale Industries in Marathwada – Management of Industrial Sickness, Pointer Publisher, Jaipur.
 10. Bajaj, Shammi (2012) - women entrepreneurs: a new face of India - IJRIM, November 2012, Volume 2, Issue 11, 123-127.
 11. SIET: Small Industries Training and Extension Institute (1974) - Evaluation of Entrepreneurial /Motivation Training Programme in Assam, (Research Report), Hyderabad.
 12. Awasthi, D. (1989) - Impact Study of Entrepreneurship Development Programmes conducted by EDI-I: Methodological Issues and Summary Results - Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.
 13. NISIET: National Institute of Small Industry Extension and Training (1990) - Entrepreneurship Development in North- Eastern Region - Planning, Implementation and Evaluation, Guwahati.
 14. Singh, M. (1990) - An Evaluation Study of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) - NITCON, Department of Management Studies, Punjab University, Patiala.
 15. Mahajan, V. (1992) - How Entrepreneurship Development Programmes are

- Evaluated: An Assessment - Working Paper, Development Management Consultants, New Delhi.
16. Gupta, S.K. (1990) - Entrepreneurship Development Training Programme in India - Small Enterprise Management, Vol.1, No. 4: pp.34-46.
 17. Khanka, S.S. (2005) - Entrepreneurial Development - S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
 18. Saini, J.S. (1996) -Entrepreneurship Development Programmes and Practices - Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
Gupta B. L. & Anil Kumar – Entrepreneurship Development (2009) – Mahamaya Publishing House, New Delhi.
 19. Ahmad, Nisar. (2009) - Problems and Management of Small Scale and Cottage Industries - Deep and Deep Publications, New Delhi.
 20. Indira Kumari (2014) - A Study on Entrepreneurship Development Process in India - Indian Journal Of Researc, Volume 3, Issue 4, April 2014.
 21. Ahmed, J. U. (2007). Industrialization in Northeastern Region. New Delhi: Mittal Publications.
 22. Bharti, R. K. (2008) - Industrial Estate in Developing Economies - National Publishing House, New Delhi.
 23. Devi, S. A. (1995) - Development of Small Scale and Household Industries in Manipur- During Plan Period – Thesis submitted to Manipur University, Imphal

12.20 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

12.21 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 2 उद्यमिता तथा उद्यमशीलता में क्या अन्तर है चर्चा किजिये?
- 3 एक अच्छे उद्यमी के लक्षणों को विस्तारपूर्वक समाइये।
- 4 उद्यमिता विकास में आने वाली कठिनाई का वर्णन करे।
- 5 परिवार उद्यम से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
- 6 परिवारिक उद्यम के लक्षणों तथा कमजोरियों पर प्रकाश डालिए।
- 7 परिवार उद्यम तथा पेशेवर उद्यम को संक्षिप्त में समाझाइये।
- 8 परिवार उद्यमों का देश की अर्थव्यवस्था में अनिवार्यता को समझाइये।

इकाई-13 महिला उद्यमिता: चुनौतियाँ एवं उपलब्धियाँ (Women Entrepreneurs: Challenges and Achievements)

-
- 13.1 प्रस्तावना (Introduction)
 - 13.2 उद्देश्य (Objectives)
 - 13.3 महिला उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Women Entrepreneurship)
 - 13.4 महिला उद्यमिता की विशेषताएँ / निहित गुण (Characteristics / Inherent Qualities of Women Entrepreneurship)
 - 13.5 महिला उद्यमिता की संभावनाएँ (Prospects of Women Entrepreneurship)
 - 13.6 महिला उद्यमिता: प्रमुख समस्याएँ / चुनौतियाँ (Women Entrepreneurship: Major Problems / Challenges)
 - 13.7 महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय (Measures to Solve the Problems of Women Entrepreneurs)
 - 13.8 महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाएँ (Institutions Providing Support to Women Entrepreneurs)
 - 13.9 महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार (Types of Enterprises Set up by Women Entrepreneurs)
 - 13.10 महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ (Categories of Women Entrepreneurs)
 - 13.11 महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम (Organisations and National Programmes for the Development of Women Entrepreneurs)
 - 13.12 पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण (Economic Planning and Women Empowerment in Five Year Plans)
 - 13.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
 - 13.14 सारांश (Summary)
 - 13.15 शब्दावली (Glossary)
 - 13.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
 - 13.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
 - 13.18 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
 - 13.19 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
-

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक परिवेश में 'उद्यमिता' सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मूलाधार है। इसे एक प्रकार से साहस की भावना कहा जाता है।

किलवर्ड पीटर (Kilwai Peter) के अनुसार, “उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसमें विभिन्न कार्यों के साथ-साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन एवं प्रबंध करना तथा उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित हैं।”

शुम्पीटर (Schumpeter) के शब्दों में, “उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है।”

एच. डब्ल्यू जॉनसन (H. W. Johnson) के अनुसार “उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है - अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन।”

स्वामी विवेकानंद (swami vivekananda) ने कहा है कि “हमारी भारतीय महिलायें इस दुनिया के किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि “उद्यमिता जोखिम उठाने की इच्छा, आय एवं प्रतिष्ठा की चाह, चिन्तन तकनीक एवं कार्यपद्धति है।

उद्यमिता औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का आधार स्तम्भ है। उद्यमिता के सृजनशील विचार द्वारा ही राष्ट्र की निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि का निवारण सम्भव है।

इस प्रकार उद्यमिता व्यवसाय, समाज तथा वातावरण को जोड़ने का कार्य करती है। यह जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं, वरन् कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास की महत्वपूर्ण तकनीकी भी है।

13.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

- ✓ महिला उद्यमिता का अर्थ, महिला उद्यमी की विशेषताएँ, महिला उद्यमिता के निहित गुण समझ सकें।
- ✓ महिला उद्यमिता की संभावनाएँ, समस्याएँ / चुनौतियाँ का वर्णन कर सकें।
- ✓ महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपायों का वर्णन कर सकें।
- ✓ महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाओं का अध्ययन कर सकें।
- ✓ महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम का अध्ययन कर सकें।

13.3 महिला उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Women Entrepreneurship)

महिला उद्यमी से आशय महिला जनसंख्या के उस भाग से है, जो औद्योगिक क्रियाओं के साहसिक कार्य में संलग्न है। वृहद रूप से इसे महिला या महिलाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, उसका संगठन या संचालन करता है। उद्यमी महिला किसी नये आर्थिक कार्य का प्रवर्तन कर सकती है या उसकी नकल कर सकती है, उस क्रिया को अपना सकती है।

एक अलग दृष्टिकोण के अनुसार महिला उद्यमी से आशय ऐसी उद्यमी से है जो एक ऐसे उपक्रम की स्वामी एवं नियंत्रणकर्ता है जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत पूँजी पर वित्तीय हित है और जो उपक्रम द्वारा सृजित रोजगार का 51 प्रतिशत भाग महिलाओं को प्रदान करती है। इस प्रकार महिला उद्यमी से आशय उस उद्यमी से है जो एक उपक्रम का प्रवर्तन एवं संचालन करती है, नियंत्रण करती है तथा जिसमें उसका 51 प्रतिशत या ज्यादा वित्तीय हित होता है। वास्तव में महिला उद्यमी शब्द से ही इस आशय का अहसास हो जाता है कि यह महिला जनसंख्या का वह हिस्सा है जो औद्योगिक क्षेत्र में जोखिम उठाने का साहस रखता है।

वर्तमान में महिलाओं के उपक्रम को लघु औद्योगिक इकाई की संज्ञा दी जाती है जिसमें किसी सेवा या व्यावसायिक उपक्रम का स्वामित्व व प्रबन्ध एक या अधिक महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा उसमें उनका पूँजी में न्यूनतम 51 प्रतिशत (व्यक्तिगत या सामूहिक) भाग होता है।

सामान्यतः जो महिला किसी भी प्रकार की सेवा या वस्तु का उत्पादन करती है, उसे महिला उद्यमी कहते हैं। वर्तमान में जो महिलायें किसी उद्योग की स्थापना कर उसमें स्वयं की पूंजी विनियोजित कर या ऋण लेकर उद्योग की स्थापना व उसका संचालन का कार्य करती हैं, उन्हें 'महिला उद्यमी' कहा जाता है।

महिला उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो एक व्यवसाय को स्वयं आरम्भ करती है अथवा किसी अन्य से क्रय करती है अथवा अपने पारिवारिक एवं पारम्परिक व्यवसाय को अकेले अथवा कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर संचालित करती है। साथ ही वित्तीय, प्रशासनिक, सामाजिक जोखिम एवं उत्तरदायित्वों के साथ अपनी संस्था का प्रबंधन करती है। पारीक (Pareek) के अनुसार - "महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ समाज से अन्तर्संबंध का समायोजन करती है।"

13.4 महिला उद्यमिता की विशेषताएँ/निहित गुण (Characteristics/Inherent Qualities of Women Entrepreneurship)

1. बटनर द्वारा विशिष्ट महिला उद्यमी, मध्यम एवं उच्च वर्ग से होती है, अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थाओं में कार्य करती है एवं स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करती है।

भारत सरकार के विकास आयुक्त द्वारा महिला उद्यमी की दी गई विशेषताएँ-

- वह उपक्रम महिला उद्यमी के स्वामित्व का हो अर्थात् न्यूनतम 51 प्रतिशत पूंजी उस महिला की हो।
- वह उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो।
- उस उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों में 50 प्रतिशत महिलायें हो।

महिला उद्यमियों में निहित गुण-

- महिलाएँ बहुत ही संवेदनशील ढंग से परिस्थितियों को बारीकी से समझने की सूझबूझ वाली होती हैं।
- महिलाएँ अपने सहयोगियों के साथ प्रभावी तालमेल रखने में सक्षम होती हैं।
- महिलाएँ प्रभावी रूप से कार्य को निपटाने में विश्वास रखती हैं।
- महिलाएँ अपने कार्य के प्रति ज्यादा ईमानदार होती हैं।
- महिलाएँ विपरीत परिस्थिति में उत्साहपूर्वक कार्य करने में सक्षम होती हैं।
- महिलाएँ जिस कार्य को करने की ठान लेती हैं उसे पूर्ण करके ही रहती हैं।
- महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ गुण है - सृजनात्मक कार्य करना।
- महिलाएँ नपा-तुला जोखिम उठाती हैं।
- उपलब्धि की इच्छा या अभिलाषा महिलाओं
- महिलायें सभी कार्यों में मितव्ययिता बरतती हैं।
- महिलाएँ परिणाम के प्रति आशावान दृष्टिकोण रखती हैं।

उपरोक्त सभी गुण एक अच्छे उद्यमी में होते हैं। महिलाओं को उद्योग लगाने में ज्यादा सफलता मिल सकती है, बशर्ते उन्हें पुरुषों के बराबर कार्य करने की स्वतंत्रता मिले एवं पुरुष जैसा वातावरण भी महिलाओं को प्रदान किया जाये, साथ ही समय पर समुचित संसाधन नियोजित रूप से उपलब्ध कराये जाये।

सामान्य रूप से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जो एक चुनौती भरा कार्य है। दूसरी तरफ महिलाओं के सम्बन्ध में अभी तक यह माना गया है कि उन्हें पुरुष की अपेक्षा हल्के-फुलके काम देकर इतिश्री कर दिया जाये, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। आज की महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। आज की परिस्थितियों में उद्योग-धंधों एवं व्यवसाय का कार्य, महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा नियोजित ढंग से एवं मितव्ययिता के साथ सम्पन्न कर सकती हैं।

13.5 महिला उद्यमिता की संभावनाएँ (Prospects of Women Entrepreneurship)

भारत ने अपनी स्वाधीनता के लगभग 70 वर्ष पूर्ण किये हैं। इस दौरान बहुत कुछ सुखद घटित हुआ है। रंगमंच, पत्रकारिता, टेलीविजन, सिनेमा, दूरसंचार आदि अनेक क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित करती महिलाओं ने शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय सहित हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध की है। प्रगति की और तेजी से अग्रसर होती नारी-शक्ति ने अपना एक अलग स्थान स्थापित कर लिया है। महिलायें अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी हैं। अब वह घर की दहलीज से बाहर निकल कर नौकरी एवं व्यवसाय कर हर क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रही हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो उद्यमिता के लिए परम आवश्यक होता है, जो चुनौतियों और नवाचारों को अपनाने व सामना करने का साहस प्रदान करता है। इन अभिप्रेरक प्रयासों में विभिन्न सहायताओं, अनुदानों, कर राहत व सुरक्षा की गारंटी उत्प्रेरक तत्वों का कार्य करती हैं। महिला उद्यमिता के संबंध में विशेष संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है -

1. **ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग (Rural Cottage and Small Scale Industries)-** इस क्षेत्र में महिला उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। इसके अन्तर्गत हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट, खाद्य पदार्थ (जैसे - पापड़, बड़ी, अचार) का निर्माण, सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण (चूड़ी, कंगन आदि), वस्त्र निर्माण तथा अन्य लघु उद्योग आते हैं। इन्हें साधारण पूँजी एवं थोड़ी-सी तकनीकी जानकारी से ही लघु उद्योग शुरू किया जा सकता है।
2. **तकनीकी स्वरोजगार संबंधी उपक्रम (Technical Self-Employment Enterprises)-** इसमें ऐसे व्यवसाय आते हैं जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर या तकनीकी डिप्लोमा लेकर उस ज्ञान के आधार पर शुरू किया जा सकता है। ऐसे कुछ उपक्रम हैं - स्क्रीन प्रिंटिंग, साईबर कैफे, टाइपिंग, मोटर बाइंडिंग, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, टेलीविजन मरम्मत, फोटोग्राफी आदि कार्य महिलायें आसानी से कर सकती हैं। अनेक प्रशिक्षण संस्थायें महिलाओं को इन कार्यों को करने का प्रशिक्षण भी दे रही हैं।
3. **पेशे से संबंधित स्वरोजगार (Professional Self-Employment)-** पेशे से संबंधित रोजगारों में महिला उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। इसके अन्तर्गत प्रमुख हैं - सी.ए., सी.एस., आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, फोटोग्राफर, इण्टीरियर डेकोरेटर, व्यावसायिक कलाकार, कोचिंग क्लासेस, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि। यह क्षेत्र महिला उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इस क्षेत्र में महिलायें काफी आगे आ रही हैं। यह स्वरोजगार का अच्छा माध्यम है।
4. **अन्य घरेलू व्यवसाय (Other Household Occupations)-** इसके अन्तर्गत वह महिला उद्यमी आती हैं जो ब्यूटीपार्लर अथवा लाण्ड्री का व्यवसाय करती हैं। इसके अलावा और भी व्यवसायों में महिला उद्यमिता की आगे बढ़ने की संभावनाएँ हैं। इनमें प्रमुख हैं - चाय दुकान, बुटिक डिजाइनर, लायब्रेरी, टेलरिंग, सिलाई मशीन द्वारा अन्य सिलाई का काम, रस्सी बनाना, टिफिन सेन्टर चलाना, घर पहुँच सेवा, शिशु पालन या शिशुगृह, चटाई बुनना, बेकरी, पापकार्न मशीन आदि व्यवसाय।
 - a. उपरोक्त के अलावा अनेक फुटकर व्यवसायों में काफी संभावनाएँ मौजूद हैं, जैसे - किराना दुकान, कटलरी की फुटकर दुकान, मसाला, बड़ी पापड़, अचार बेचने की दुकान, शीतल पेय एवं पान-सिगरेट की दुकान, पुराने कपड़े के बर्तन बदलने की सेवा, किसी भी उत्पाद का वितरण अथवा विक्रय, फल, सब्जी की दुकान, फूलों की दुकान।
5. **कृषि आधारित गतिविधियाँ (Agriculture Based Activities)-** कृषि आधारित गतिविधियों में भी महिलाओं को काफी रोजगार मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह स्वरोजगार का एक

अच्छा साधन है। ऐसी गतिविधियाँ जो कृषि पर आधारित हैं, उनमें प्रमुख है - मुर्गीपालन, दुधारू पशुपालन, खरगोश पालन, फूलोद्यान संबंधी नर्सरी आदि। महिला उद्यमी इन सभी कार्यों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है।

6. **बंधेज कला - महिलाओं के लिए एक लघु उद्योग (Bandhej Art- A Small Business for Women)-** बंधेज एक राजस्थानी कला है जो वर्षों से सभी को आकर्षित करती चली आ रही है। वर्तमान समय में शादियों में इसका विशेष स्थान है। यह रेशमी तथा सूती कपड़े पर की जाती है। इससे भी महिलाओं को काफी रोजगार मिल सकता है। यह भी ग्रामीण एवं शहरी रोजगार का एक अच्छा साधन है।
7. **खाद्य सामग्री एवं महिला स्वरोजगार (Food Stuff and Women Self-Employment)-** हमारे देश में परम्परागत रूप से बनाई जाने वाली खाद्य सामग्रियाँ/व्यंजन हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही हैं। आज के समय में नौकरीपेशा लोगों की संख्या बढ़ने तथा कामकाजी गृहिणियों की संख्या बढ़ने से लोगों को इन्हें घर पर तैयार करने का समय ही नहीं मिल पाता है। महिला उद्यमी इन्हें तैयार कर आकर्षक पैकिंग बाजार में प्रस्तुत कर अपने लिए रोजगार जुटा सकती हैं।
8. **महिला नागरिक सहकारी बैंक (Women Citizen Cooperative Bank)-** बचत करना भारतीय महिलाओं की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। महिलाओं को इसी आदत को बैंकिंग रोजगार में परिवर्तित किया जा सकता है। वास्तव में आज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला नागरिक सहकारी बैंकों को काफी सफलता मिल सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। यह महिला उद्यमिता संभावना का एक व्यापक क्षेत्र है। महिलाएँ बचतों को एकत्रित कर महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी बैंकों का गठन कर सकती हैं। इन बैंकों से महिला उद्यमियों को आसानी से वित्त प्राप्त होगा। जहाँ कहीं भी महिलायें जागरूक संगठित और आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदारी करने के लिए तत्पर हों, महिला नागरिक सहकारी बैंक का गठन किया जा सकता है।
9. **बड़े उद्योग स्थापित करना (Setting Up Big Industries)-** महिलायें लघु उद्योगों के साथ-साथ बड़े उद्योगों की भी स्थापना कर सकती हैं। इस नए क्षेत्र में भी काफी रोजगार संभावनाएँ मौजूद हैं।

13.6 महिला उद्यमिता: प्रमुख समस्याएँ / चुनौतियाँ (Women Entrepreneurship: Major Problems / Challenges)

महिला उद्यमियों को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है -

1. **गतिशीलता की समस्या (Problem of Mobility)-** महिला उद्यमियों पर किये गये एक शोध कार्य में, जिसमें केरल राज्य की महिला उद्यमियों से साक्षात्कार किया गया, यह पाया गया कि महिला उद्यमियों की सर्वप्रमुख समस्याएँ हैं - (क) अपने उत्पादों के विपणन के संबंध में आर्डर प्राप्त करने हेतु आने-जाने में कठिनाई होना तथा (ख) कच्चा माल खरीदने हेतु किसी दूसरे शहर में आने-जाने में कठिनाई होना। निःसंदेह महिला उद्यमियों द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन से संबंधित महसूस की जाने वाली यह प्रमुख कठिनाई है। जब भी किसी कार्यवश किसी दूसरे शहर जाना पड़े तो महिलाएँ शुरू से ही सोचने लग जाती हैं कि वह वहाँ जायेगी कैसे ? अर्थात् आने-जाने का साधन मिलेगा या नहीं? वहाँ पहुँचेंगे किस समय? यहाँ रुकेंगे कहाँ? यह सोच-सोच कर कुछ महिलाएँ तो आने-जाने का विचार ही छोड़ देती हैं। लेकिन यह हम जानते हैं कि बाहर जाये बिना व्यवसाय एवं उद्यम का कार्य हो ही नहीं सकता। जो महिला उद्यमी इस वस्तुस्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहती है, वे अंततः सफल हो जाती हैं और जो इस वस्तु स्थिति से घबरा जाती है, वे उद्योग-व्यवसाय छोड़कर बैठ जाती हैं।

2. अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव (Lack of Ability to Take Decisions on Their Own)-

उद्यम के क्षेत्र में सफल होने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है - उचित समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। दुर्भाग्यवश महिलाओं में इस क्षमता का बहुधा अभाव पाया जाता है। यद्यपि इस धारणा के विरुद्ध अनेक तर्क दिये जा सकते हैं तथा इस धारणा को सिद्ध करने के लिए किरण बेदी, मेघा पाटेकर, अरुंधती घोष, इंदिरा गांधी तक अनेक महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अभूतपूर्व निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया है, परन्तु इन सबके बावजूद वास्तविकता यही है कि अधिकांशतः महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का प्रायः अभाव पाया जाता है।

a. निर्णय लेने की क्षमता का अभाव किसी दूसरे क्षेत्र में तो चल सकता है, परन्तु उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में इस क्षमता के अभाव में सफल हो पाना लगभग असंभव होता है। अधिकांश महिलाएँ यही निर्णय नहीं ले पाती कि वे कोई उद्योग/व्यवसाय प्रारम्भ करें या न करें। करे तो कौनसा उद्योग या व्यापार प्रारम्भ करें तथा यदि प्रारम्भ कर भी लें तो उद्योग/व्यवसाय से संबंधित प्रतिदिन लिये जाने वाले निर्णय में वे बहुधा या तो अनिर्णय की स्थिति में रहती हैं या यदि निर्णय ले भी लें तो कई बार यह निर्णय ऐसे होते हैं जो इकाई के हित में नहीं होते।

3. वर्तमान व्यवसाय व्यवस्थाओं/आचार-व्यवहार के साथ समझौता न कर पाना (Not Able to

Compromise With The Current Business Systems / Practices)- महिला उद्यमिता में एक प्रमुख समस्या वर्तमान व्यवसाय संस्थाओं/आचार व्यवहार के साथ समझौता न कर पाना है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं, शासकीय/अशासकीय प्रक्रियाओं में वर्तमान में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे सभी परिचित हैं। विशेषकर जब इन मगरमच्छों द्वारा नये उद्यमी की भविष्य के उद्योगपति/व्यवसायी के रूप में देखा जाता है तो प्रत्येक स्तर पर उसका दोहन करना ये संबंधित अधिकारी अपना परम् कर्तव्य समझते हैं। भ्रष्टाचार जैसे रिश्वत के मामलों के साथ महिला उद्यमी अपने आपको समायोजित नहीं कर पाती। महिलाएँ प्रचलित व्यावसायिक तरीकों से समझौता न कर पाने के कारण अपना काम नहीं करवा पाती हैं। वैसे भी महिलाएँ, अधिकांशतः बिजनेस डीलिंग्स में ईमानदार होती हैं, जो सदैव व्यवसाय के हित में नहीं होता। इसका अन्ततः प्रतिकूल प्रभाव व्यवसाय की सफलता पर पड़ता है।

4. भारतीय महिला उद्यमी की प्रमुख अड़चन: भारतीय पुरुष की दोहरी मानसिकता (Major Obstacle of Indian Women Entrepreneur: Dual Mentality of Indian Men)-

ऊपर बताई गई समस्याओं का समाधान तो एक महिला उद्यमी निकाल सकती है लेकिन अपने पतियों द्वारा जो समस्याएँ खड़ी की जाती हैं उनसे अधिकांश महिलाएँ उबर नहीं पाती हैं तथा यहाँ आकर महिला उत्थान अथवा महिला स्वतंत्रता की अधिकांश बातें धरी की धरी रह जाती हैं। भारतीय पुरुष यह चाहते हैं कि पति जैसा व्यवसाय चाहे, पत्नी वैसे ही व्यवसाय अपनाये। पति चाहे तो वह व्यवसाय पर जाए और नही चाहे तो नही जाए। वह यह भी चाहता है कि महिला परिवार के लिए वित्तीय स्रोत भी पैदा करें। वह महिला के साथ सहयोग भी नहीं करना चाहता है। और तो और पति यह भी चाहता है कि पत्नी सिर झुकाकर उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करें। अनेक बार पुरुष (पति) महिला उद्यमी की सफलता को पचा नहीं पाते हैं। प्रारम्भ में घर में जब पैसा आता है, तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पत्नी की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है तो पति महाशय को बहुत ईर्ष्या होने लगती है। पति की इसी दोहरी मानसिकता के कारण अधिकांश महिला उद्यमियों द्वारा संचालित व्यवसाय / उद्यम बन्द हो जाते हैं।

5. उद्योग / व्यवसाय में पूरा समय न दे पाना (Inability to Devote Full Time to The Industry /

Business)- भारतीय महिला चाहे कितने ही बड़े पद पर कार्य कर रही हो, चाहे कितने भी 'एडवांस्ड' अथवा 'लिबराइज्ड' हो, चाहे कितनी भी बड़ी उद्यमी हो, उसकी पहली प्राथमिकता घर-संसार ही होता

- है। उसे बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि पति और बच्चे पहले, बाकी सब बाद में। यह देखने में आता है कि महिला उद्यमियों द्वारा जो इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं वह अपनी स्थापित क्षमता के 40 से 50 प्रतिशत तक ही काम कर पाती है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अधिकांश महिला उद्यमी अपने आपको अनेक परेशानियों में घिरी पाती है।
6. **घर के सदस्यों द्वारा सहयोग न करना (Lack of Support from Family Members)-** सामान्य रूप से यह देखने में आता है कि घर की महिलाओं द्वारा ही उद्यमी महिला का शोषण किया जाता है। अधिकांश सासों द्वारा महिला उद्यमी की अपनी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता है। भारत की पारिवारिक व्यवस्था भी महिला उद्यमी की सफलता के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
 7. **बिक्री एवं विपणन की समस्या (Sales and marketing problems)-** महिला उद्यमियों के सामने अपने द्वारा निर्मित माल के विक्रय एवं विपणन की भी एक प्रमुख समस्या होती है। वह इस दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं कर पाती है।
 8. **वित्त सम्बन्धी समस्याएँ (Financial problems)-** बैंकों का सहयोग लेना, कार्यशील पूँजी का प्रबन्ध करना, उधार की कमी आदि अब भी कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो पुरुषों के अधीन हैं। महिलाओं को अब भी इन क्षेत्रों में सफलता हासिल करनी है। विपणन तथा वित्त संबंधी मुश्किलें ऐसी रूकावटें हैं जिनमें प्रशिक्षण भी पूरी तरह से महिला की मदद नहीं कर सकता। कुछ समस्याएँ उद्यमियों के बस के बाहर होती हैं।
 9. **कच्चे माल संबंधी समस्याएँ (Raw material problems)-** महिला उद्यमियों में कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में ज्ञान तथा सूचना की कमी होती है, उन्हें वित्तीय सुविधाओं तथा उपलब्ध सरकारी मदद तथा अनुदानों के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार महिला उद्यमियों को कच्चे माल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है।
 10. **उद्यम की तरफ रुझान की अनुपस्थिति (Absence of entrepreneurial inclination)-** अनेक महिलाएँ उद्यम की तरफ कोई रुझान न होते हुए भी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लेती हैं। तथ्यों से पता चलता है कि लघुस्तरीय उद्योगों में महिलाओं की मालिक के रूप में केवल 7 प्रतिशत ही उपस्थिति है। विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण देने के पहले परख तथा साक्षात्कार द्वारा इस बात का निर्णय करना चाहिए कि प्रशिक्षण लेने वाली महिला का उद्यम की तरफ रुझान है भी या नहीं।
 11. **पैतृक समाज (Paternalistic Society)-** परम्परागत रूप से उद्यम को पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता था तथा महिलाओं के लिए कोई उद्यम शुरू करना एक सपना जैसा था। महिलाओं के मन में अगर कोई उद्यम शुरू करने का विचार आता है तो उसे शुरू से ही दबा दिया जाता है। महिलाओं की बहुत-सी इच्छाएँ होती हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद और गृहिणी बनने के बाद परिवार उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है।
 12. **आत्मविश्वास की कमी (Lack of Self-Confidence)-** महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है तथा वे जोखिम उठाने से भी घबराती हैं। उनकी जोखिम उठाने की क्षमता भी कम होती है। उन्हें अपनी दोहरी भूमिका में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अनेक बार सामंजस्य बैठाने में उद्यम की इच्छाओं को दबाना या मारना पड़ता है।
 13. **अन्य समस्याएँ (Other Problems)-** महिला उद्यमियों को उपरोक्त समस्याओं के अलावा इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है - (1) उधारी आदि वसूलने की समस्या, (2) असफलता का डर, (3) दौड़भाग करने में असमर्थता, (4) प्रशिक्षण आदि में पर्याप्त समय देने की समस्या, (5) तकनीकी जानकारी का अपेक्षाकृत अभाव, (6) श्रमिकों तथा कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य न कर पाना। (7) शारीरिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग न होना।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं में उद्यमशीलता के गुण विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। समय-समय पर महिलाओं के कौशल तथा व्यक्तित्व विकास हेतु भी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ लेकर महिलाएँ इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं।

व्यवसाय-व्यापार का क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र है तथा यदि महिला उद्यमी एक बड़ी रूचि के साथ छोटे पैमाने पर ही अपना कारोबार शुरू करें तो यह कदम उनके लिए नये क्षितिज की राह अवश्य आसान करेगा। एक बार जब प्रारम्भिक बाधाएँ दूर की जायेगी, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे वे चुनौतियों का सामना कर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो सकेगी।

13.7 महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय (Measures to Solve the Problems of Women Entrepreneurs)

1. कच्चे माल का प्राथमिकता से आवंटन (Priority Allocation of Raw Materials)- अभाव वाला एवं आयातित कच्चा माल महिला उद्यमी को प्राथमिकता आधार पर आवंटित करना चाहिए। महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित वस्तुएँ लागत प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, इसके लिए इन्हें विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

2. महिला विपणन सहकारी समितियों का गठन (Formation of women marketing co-operative societies)- महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई का सामना अपनी वस्तु बेचने में ही करना पड़ता है। अतः महिला विपणन सहकारी समितियों के गठन का विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन सहकारी समितियों के गठन से मध्यस्थों का उन्मूलन होगा। केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने विभागीय क्रय में महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित माल की खरीद में विशेष रूचि दिखाना चाहिए।

3. प्रशिक्षण सुविधाएँ (Training Facilities)- उद्यमिता के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस ढंग से बनाये जाना चाहिए कि महिलायें इनका पूरा लाभ उठा सके। सामान्य रूप से हम समाज में यह देखते हैं कि परिवार के लोग महिलाओं को बाहर जाना पसंद नहीं करते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए चलित प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाना चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्रों पर महिलायें आये, इनके लिए महिलाओं को परिवहन सुविधाएँ, प्रोत्साहन राशि आदि देना चाहिए।

4. महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता केन्द्रों की स्थापना (Establishment of Special Financial Assistance Centres for Women)- महिला उद्यमियों को सुविधापूर्वक वित्तीय सहायता मिल सके, इस उद्देश्य से अनेक वित्तीय संस्थानों ने अपने कार्यालयों में अलग से विभाग बना रखे हैं, इन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इन विशेष केन्द्रों में केवल महिला अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाना चाहिए। महिलाओं को वित्त रियायती ब्याज दरों तथा सुविधापूर्वक वापसी की शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, तभी महिला उद्यमिता का विकास हो सकता है।

5. शिक्षा (Education)- महिलाओं के संबंध में समाज की नकारात्मक धारणा बदलने के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। समाज का दृष्टिकोण जब तक महिलाओं के संबंध में नहीं बदलेगा तब तक महिला उद्यमिता का विकास नहीं होगा। महिलायें तभी आगे आ सकती हैं जब घर के लोगों का दृष्टिकोण उनके संबंध में बदलें। वास्तव में महिलायें आसानी से अपना स्वयं का उपक्रम स्थापित कर उसका प्रबंध कर सकती हैं, केवल उन्हें प्रेरणा देने की आवश्यकता है।

6. संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms)- प्रत्येक विभाग में महिला उद्यमियों के लिए पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाना चाहिए। इससे महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

7. संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms)- प्रत्येक विभाग में महिला उद्यमियों के लिए पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाना चाहिए। इससे महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

8. कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष सहायता (Special Assistance to Women of Weaker Sections)- कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वावलम्बी अथवा आत्मनिर्भर बनाने वाले कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना चाहिए।

9. एकल खिड़की सुविधायें (Single Window Facilities)- हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि महिलायें अधिक भागदौड़ नहीं कर पाती। अतः उद्यम की स्थापना से संबंधित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति व सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

10. महिला स्वसहायता समूहों का गठन (Formation of Women Self-Help Groups)- महिला उद्यमिता विकास के लिए महिला विकास संस्थाओं तथा महिलाओं के स्वसहायता समूहों को आधार प्रदान करने हेतु नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाये जाना चाहिए।

11. ऋण की जमानत संबंधी उपाय (Loan Security Measures)- सामान्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय महिलाओं के सामने जमानत या प्रतिभूति देने की समस्या होती है। इस बाधा को दूर किया जाना चाहिए। महिलाओं को अपने माल के विपणन में भी अनेक बाधाएँ आती हैं, अतः इन्हें भी दूर किया जाना चाहिए।

13.8 महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाएँ (Institutions Providing Support to Women Entrepreneurs)

- 1. महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department)-** प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय महिलाओं के हितों में लगातार योजनाओं का संचालन कर रहा है।
- 2. एकीकृत बाल विकास योजनाएँ (Integrated Child Development Schemes)-** प्रत्येक जिले में विकासखण्ड (ब्लॉक) स्तर पर एकीकृत बाल विकास परियोजनाएँ भी महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु कार्यालय संचालित करती हैं।
- 3. शहरी विकास अभिकरण (Urban Development Agency)-** प्रदेश के प्रत्येक जिले में शहरी विकास अभिकरण गठित है जो वर्तमान में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन करते हैं, जिसमें सम्पर्क करके महिलायें अपना स्वरोजगार करने के लिये सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- 4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (District Trade and Industry Center)-** प्रत्येक जिले में एक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्य करता है जो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई रोजगार योजनाओं की जानकारी व मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराते हैं।
- 5. महिला आर्थिक विकास निगम (Women's Economic Development Corporation) -** सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की समाज में स्थिति सुधारने एवं उनके उद्यमिता विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए कई राज्यों में इसकी स्थापना भी की गई है।

13.9 महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार (Types of Enterprises Setup by Women Entrepreneurs)

संगठन एवं पूंजी के आधार पर व्यवसायिक इकाईयों चार प्रकार की होती है।

1. **सूक्ष्म उद्योग (Micro Industry)**- दिसम्बर 1977 में घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अति लघु उद्योग की धारणा को जन्म दिया गया। अति लघु उद्योग वे उद्योग है, जिनमें विनियोजित पूंजी 25,00,000 रु. या उससे कम है।
2. **लघु उद्योग (Small Industry)**- लघु उद्योग भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। औद्योगिक नीति के अनुसार 25,00,000 रु. से अधिक 60,00,000 रु. तक की पूंजी विनियोजित वाले उद्योग लघु उद्योग श्रेणी में आते है।
3. **मध्यम उद्योग (Medium Industry)**- वर्ष 1997 में मध्यम उद्योगों की अवधारणा सामने आयी। इनमें निवेश की सीमा 60,00,000 लाख से 3 करोड़ रु कर दिया गया था, किन्तु वर्ष 1999 में पुनः इस सीमा को घटाकर 1 करोड़ रूपयें कर दिया गया। वर्तमान में मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रूपयें किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।
4. **बृहत् उद्योग (Large Industry)**- जो उद्योग उत्पादन हेतु पूंजी प्रधान तकनीक अपनाते है, तथा जिनमें विषाल पैमाने पर उत्पादन हेतु 1 करोड़ रूपयों से अधिक का पूंजी निवेश संयन्त्र तथा मशीनों में किया जाता है, बृहत् उद्योग कहलाते है। लोहा एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, आदि विषाल उद्योग के उदाहरण है।
5. **अन्य उद्योग (Other Industries)**- अति लघु, लघु, मध्यम और विशाल स्तरीय उद्योगों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अंग होते है जैसे, अनुषंगी इकाई उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु सेवा उद्योग, आदि। ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए वैधानिक औपचारिकताएं न्यूनतम होती है।

13.10 महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ (Categories of Women Entrepreneurs)

- (1) **प्रथम श्रेणी (First class)**- बड़े शहरों में स्थापित उच्च स्तरीय तकनीकी एवं व्यवसायिक वैश्विक योग्यता अपारंपरिक तत्व सुदृढ़ आर्थिक स्थिति
- (2) **द्वितीय श्रेणी (Second class)**- शहरों एवं नगरों में स्थापित पर्याप्त शिक्षा पारंपरिक एवं अपारंपरिक तत्व महिला प्रमुख सेवाओं जैसे - ब्यूटीपार्लर आदि में संलग्न।
- (3) **तृतीय श्रेणी (Third class)**-
अपिज्ञित महिलाएँ (Illiterate women)
निम्न आर्थिक स्थिति (Low economic status)
पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न जैसे - कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, हस्तशिल्प आदि। विभिन्न तंत्रों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

13.11 महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम (Organisations and National Programmes for the Development of Women Entrepreneurs)

महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:

1. **लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organization)**- लघु उद्योगों को तकनीकी, विपणन, संचालन एवं वित्तीय प्रबंध संबंधी परामर्ष, प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा "लघु उद्योग विकास संगठन" की स्थापना 1954 में की गई। राष्ट्रीय स्तर के यह संगठन लघु उद्योग के विकास एवं सम्वर्द्धन के साथ कृषि आधारित उद्योग-धन्धों एवं ग्रामीण उद्योग धन्धों के विकास हेतु कार्यरत है।
2. **लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute)**- लघु उद्योग सेवा संस्थान 1956 में स्थापित हुआ। यह SIDO का ही सहयोगी संस्थान है, जो कि, लघु उद्योगों एवं नवीन उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं विपणन सम्बंधी सूचना उपलब्ध कराता है, तथा मार्गदर्शन करता है। यह संस्थान देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों एवं उद्यमिता प्रोत्साहन में संलग्न है। (SISI) एवं (SIDO) संयुक्त रूप से औद्योगिक विस्तार सेवा का संचालन कर रहे है।
3. **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (National Entrepreneurship and Small Business Development Institute)**- उद्यमिता एवं लघु उद्योगों के विकास मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की स्थापना 6 जुलाई 1983 को भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय द्वारा सोसायटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत की गई। इस शीर्ष संस्था का मुख्यालय वर्तमान में ओखला औद्योगिक संस्थान नई दिल्ली में है, जिसे छैप्बू.चकब्बू कैम्पस के नाम से पुकारा जाता है।
4. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council)**- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 1958 को एक स्वायत्तषासी संस्था के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया। भारत सरकार के उद्योग मन्त्री इस परिषद के अध्यक्ष होते है। मुख्यालय के अतिरिक्त दस औद्योगिक नगरों मुम्बई, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलूर, अहमदाबाद, कानपुर एवं चंडीगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गये है। जयपुर, हैदराबाद एवं भुवनेश्वर में तीन क्षेत्रीय कार्यालय है।
5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (National Small Industries Extension Training Institute)**- केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्यमियों एवं लघु उद्योगों के प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्ष तथा प्रलेख सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1960 में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई। यह संस्थान अपने 6 सहयोगी विभागों- परामर्ष, प्रलेख, औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रबन्ध, व्यवहारिक विज्ञान तथा संचार के साथ मिलकर उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस संस्था की अपूर्व सफलता को देखकर 1979 में एक और केन्द्र की स्थापना गुवाहाटी में की गई।
6. **भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (State Trading Corporation of India Limited)**- उद्यमियों के उत्पादन को निर्यात करने तथा कच्चे माल को कम मूल्य पर आयात करके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1956 में 'भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड' की स्थापना की गई। निगम कच्चे तथा पक्के माल का आयात करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। निगम केवल उन्ही वस्तुओं को आयात करता है, जिनके लिए उद्यमियों को प्रत्यक्ष रूप से अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। संस्थान की आयात-निर्यात सुविधाएँ केवल निगम द्वारा पंजीकृत उद्यमियों को ही प्रदान की जाती है। निगम द्वारा उद्यमियों के उत्पादकों का निर्यात करने में सहायता प्रदान करने के लिए "लघु उद्योगों को निर्यात में सहायता योजना" का संचालन किया जा रहा है।

7. **भारतीय लघु उद्योग मण्डल संघ (Federation of Small Industries Boards of India)**- प्रत्येक राज्य में लघु उद्यमियों द्वारा अपने संघ स्थापित किए गए हैं। इन अलग-अलग संघों को एक सूत्र में बांधकर उद्यमिता विकास में तकनीकी एवं प्रबन्धकीय परामर्ष एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1969 में एक षोद्य संस्थान "भारतीय लघु उद्योग मण्डल संघ" की स्थापना की गई है। इस संस्थान का प्रधान कार्यालय दिल्ली तथा प्रादेशिक कार्यालय मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई में हैं।
8. **अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड (All India Small Industries Board)**- लघु उद्योगों को आवश्यक परामर्ष प्रदान करने तथा उनका विकास करने के लिए 1954 में अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड द्वारा दो अर्द्धवार्षिक बैठक आयोजित की जाती हैं, जिनमें लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव एवं परामर्ष देने संबंधी कार्य किया जाता है।
9. **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission)**- खादी एवं ग्रामीण उद्योग के विकास एवं ग्रामीण बेरोजगारी में कमी लाने के लिए 1953 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना मुम्बई में की गई। यह आयोग विशेषतः महिला उद्यमियों के लिए अधिक उपयोगी है। इन उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी 46 प्रतिशत है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग उन सभी उद्योगों को भी सहायता एवं परामर्ष उपलब्ध कराता है, जो न्यूनतम निवेश के द्वारा उपयोगी उत्पादों जैसे, खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, गुड़ एवं खाण्डसारी, साबुन बनाना, एल्युमिनियम के बर्तन बनाना आदि उद्योग चलाते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित हैं।
10. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation)**- उद्यमियों के सरकारी खरीद कार्यक्रम में भाग लेने तथा किराया क्रय पद्धति पर मशीनों एवं यन्त्रों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1955 में एन.एस.आई.सी. की स्थापना नई दिल्ली में की गई। यह निगम लघु उद्योगों को आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, तकनीकी परामर्ष, विपणन, आयात-निर्यात के सम्बन्ध में आवश्यक सलाह एवं सहयोग प्रदान करता है।
11. **राज्य लघु उद्योग निगम (State Small Industries Corporation)**- लघु उद्योगों को उद्यमिता विकास की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें आर्थिक, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता देने के उद्देश्य से राज्य लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। यह निगम व्यापारिक संस्थान के रूप में वाणिज्यिक कार्य करते हैं।
12. **राष्ट्रीय परीक्षण गृह (National Test House)**- लघु उद्योगों में उपयोगी कच्चे माल, तैयार माल, रसायन आदि की गुणवत्ता की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना की गई। इन परीक्षण गृहों में उत्पादों के नमूने एवं आवश्यक षुल्क की राशि भेजने के पश्चात परीक्षण किए जाते हैं। यह परीक्षण गृह अलीपुर एवं कोलकाता में स्थापित हैं।
13. **राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ एवं संस्थान (National Research Laboratories and Institutes)**- लघु उद्योगों की अनुसंधान सम्बन्धी समस्याओं को हल करने एवं औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिशद की स्थापना 1942 में की गई। परिशद के अन्तर्गत लघु उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना एवं सम्पर्क कक्ष की स्थापना की गई है। इस कक्ष में प्राप्त लघु उद्योगों की समस्याओं का प्रयोगशाला में निस्तारण किया जाता है। वर्तमान में देश में 36 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एवं संस्थान लघु उद्योगों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

14. **भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards)**- लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 6 जनवरी, 1947 की गई। इस व्यवस्था को 26 नवम्बर, 1986 को संसद के एक अधिनियम के जरिये वैधानिक दर्जा दिया गया तथा 1 अप्रैल 1987 को राष्ट्रीय मानक निकाय के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया। यह खाद्य पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, खेल के सामान, साबुन, बर्तन आदि के सम्बन्ध में मानक तैयार करता है। वर्तमान में 26,000 से अधिक मानक एवं उसके संशोधन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए हैं।

15. **जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre)**- औद्योगिक नीति 1977 के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों के नियमन एवं विकास के लिए जिला स्तर पर एक सरकारी षीर्ष एवं समन्वयकारी संस्था "जिला उद्योग केन्द्र" की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया। जनपद स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को एक स्थान पर आवश्यक सुविधाएँ, सहायता एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मई 1978 से जनपद मुख्यालयों पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई।

महिला उद्यमियों हेतु कार्यक्रम-

- राष्ट्रीय स्तरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (National Level Poverty Alleviation Programme)
- महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana)
- रोजगार एवं सहरोजगार योजना (Rozgar Evam Sahrojgar Yojana)
- महिला विकास कार्यक्रम (Mahila Vikas Programme)
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Pradhan Mantri Rozgar Yojana)

13.12 पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण (Economic Planning and Women Empowerment in Five Year Plans)

पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु लिए किये प्रयास निम्नलिखित हैं:

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) - योजना में महिला कल्याण कार्यों को रखा गया। इस दिशा में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं महिला मंडल के निर्माण द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महिलाओं के विकास हेतु कार्य किया गया।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)- कृषि विकास कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के विकास हेतु योजनाओं का संचालन व निर्माण किया गया।
- तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1961-66 एवं 1969-74) मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षा में सुधार का प्रयास किया गया।
- पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79) महिलाओं हेतु आर्थिक उपार्जन एवं सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। 1976 में ही समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला कल्याण व विकास ब्यूरो का निर्माण किया गया।
- छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85)- महिलाओं की पहुंच को संसाधनों तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया।
- सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)- लिंग समानता व महिला सशक्तिकरण को बल दिया गया तथा महिलाओं के रोजगार हेतु गुणात्मक योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) - पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कर महिलाओं का विकास किया गया।

- (8) नवमी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)- महिला विकास योजनाओं के अंतर्गत 30 प्रतिशत वित्त व लाभ प्रदान किये जाने हेतु विशेष कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- (9) दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-07)- महिला सशक्तिकरण हेतु 2001 में राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया। उपयुक्त संसाधनों एवं उपयोगों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- (10) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-2013) महिलाओं के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न रोजगार के अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

13.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रत्येक जिले में (मार्गदर्शन या वित्तीय सहायता) प्रदान करता है, ताकि महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें।
2. शहरी विकास अभिकरण महिलाओं को (स्वरोजगार या सामाजिक सेवाएँ) करने के लिए सहायता प्रदान करता है, जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना।
3. लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योगों को (प्रशिक्षण या पारंपरिक) एवं विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) उद्यमियों को केवल राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में सहायता प्रदान करता है।
2. पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाना।

13.14 सारांश (Summary)

उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिन्तन, तकनीक एवं कार्यपद्धति है। उद्यमिता की प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में शुम्पीटर द्वारा किया गया। उन्होंने उद्यमिता को वातावरण सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील घटक माना है।

एच. डब्ल्यू. जॉनसन (H. W. Johnson) - "उद्यमिता तीन आधारभूत तत्त्वों का जोड़ है - अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलना।" भारत में महिला उद्यमिता का आरम्भ अधिकारिक रूप से स्वतंत्रता के पश्चात् हुआ। **पारीक (Pareek)** के अनुसार - "महिला उद्यमी वह होती है जो, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुये सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ समाज से अन्तःसंबंध कर समायोजन करती है।" महिला उद्यमियों की प्रमुख विशेषताएँ, बटनर के अनुसार महिला उद्यमी, मध्यम एवं उच्च वर्ग से होती है, अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थानों में कार्य करती है एवं स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करती है।

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार निम्नलिखित है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहत उद्योग, अन्य उद्योग। महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ इस प्रकार है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्याख्या। महिला उद्यमियों हेतु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना, रोजगार एवं सहरोजगार योजना, महिला विकास कार्यक्रम, इंदिरा महिला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण का क्रियान्वयन। महिला उद्यमियों को प्रभावित करने वाले कारक - व्यक्तिगत कारक, बाह्य कारक, भारत में महिला उद्यमियों की समस्याएँ/चुनौतियाँ एवं समस्याओं के समाधान हेतु उपाय।

13.15 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता (Entrepreneurship)**- उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिन्तन, तकनीक एवं कार्यपद्धति है।
- **महिला उद्यमि (Women Entrepreneurs)**- महिला उद्यमी वह है, जो किसी उद्यम या उपक्रम की पूँजी से लगभग 51 प्रतिशत की भागीदारी रखती है एवं उपक्रम द्वारा लगभग 51 प्रतिशत रोजगार केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं।

13.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. मार्गदर्शन 2. स्वरोजगार 3. प्रशिक्षण

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. असत्य 2. सत्य

13.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

13.18 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्लिशिंग हाउस - वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस - जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था - नवलखा, माधुर।
5. विश्व बैंक रिपोर्ट (2011-2013)

13.19 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. महिला उद्यमिता को विस्तार से परिभाषित कर समझाइये।
2. महिला उद्यमी की विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझाइए।
3. महिला उद्यमियों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ कौन सी हैं तथा उनके समाधान पर चर्चा कीजिये।
4. महिला उद्यमियों की श्रेणियों की व्याख्या कीजिये।
5. महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार की विवेचना कीजिए।
6. महिला उद्यमियों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिये।
7. भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के विकास हेतु चलाये जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम को समझाइये।

इकाई- 14 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programmes)

- 14.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 14.2 उद्देश्य (Objectives)
- 14.3 उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship)
- 14.4 उद्यमिता की प्रकृति अथवा विशेषतायें (Nature or Characteristics of Entrepreneurship)
- 14.5 उद्यमिता के प्रकार (Types of Entrepreneurship)
- 14.6 उद्यमिता विकास के उद्देश्य (Objectives of Entrepreneurship Development)
- 14.7 उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया (Entrepreneurship Development Process)
 - 14.7.1 पूर्व प्रशिक्षण चरण (Pre-Training Phase)
 - 14.7.2 प्रशिक्षण चरण (Training Phase)
 - 14.7.3 पोस्ट प्रशिक्षण चरण (Post-Training Phase)
- 14.8 उद्यमी प्रेरणा (Entrepreneurial Motivation)
- 14.9 उद्यमी प्रोत्साहनात्मक कारक (Entrepreneurial Promoting Factors)
- 14.10 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programmes)
- 14.11 ईडीपी के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of EDP)
- 14.12 राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्यमशील विकास कार्यक्रम की भूमिका (Role of Entrepreneurship Development Programmes in Economic Development of the Nation)
- 14.13 उद्यमी विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां (Achievements of Entrepreneurship Development Programmes)
- 14.14 उद्यमशीलता विकास की समस्यायें एवं उपाय (Problems and Solutions of Entrepreneurship Development)
- 14.15 स्थानीय उद्यमशीलता से आशय (Meaning of Local Entrepreneurship)
- 14.16 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 14.17 सारांश (Summary)
- 14.18 शब्दावली (Glossary)
- 14.19 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 14.20 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 14.21 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 14.22 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

विकास, इंसान का हमेशा से पहला प्रयास रहा है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह किसी सम्पत्ति को अपनी कह सकें, किसी खेत व खलिहान का स्वामी बन सकें, अगर विलासमयी नहीं तो कम से कम आरामदायक जीवन अवश्य व्यतीत कर सकें और इन सबका एक ही उपाय है- देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। और विकास से किसी भी सुदृढ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अंततः एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करना होता है। अर्थात् औद्योगिक विकास या औद्योगिकरण; आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोध को समाप्त करके किसी राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को नयी दिशाएं प्रदान करती है। अन्य प्रोत्साहनों के होते हुए भी यदि देश में उद्यमिता तथा उद्यमियों का अभाव है तो औद्योगिक विकास की गति धीमी रहेगी। उद्योगों की स्थापना में पहल पूंजी विनियोग के नए-नए अवसरों की खोज करना, औद्योगिक इकाइयों का प्रवर्तन करना, उनके लिए आवश्यक पूंजी एवं अन्य साधनों की व्यवस्था करना एवं भावी अनिश्चिताओं को देखते हुए जोखिम उठाने आदि के कार्य कुछ इस प्रकार के हैं कि इसके लिए 'उद्यमीय योग्यता' (Entrepreneurial Ability) या 'उद्यमियों' (Entrepreneurs) की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है की तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ-साथ देश में उद्यमिता तथा उद्यमियों का विकास किया जाना आवश्यक है।

उद्यमिता के द्वारा देश में औद्योगिकरण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उद्यमिता किसी भी देश के आर्थिक विकास का मौलिक आधार है। उद्यमिता के महत्व को देखते हुए आज न केवल विकसित देशों ने इसे अपनाया है, बल्कि विकासशील देशों ने भी उद्यमिता को देश के आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु माना है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में उद्यमिता या उद्यमी का विशेष महत्व है क्योंकि उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्र कर गति प्रदान करता है, जिससे देश में आर्थिक पूंजी का सृजन होता है और देश में आर्थिक विकास का द्वार स्वतः खुल जाता है। उद्यमी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ही देश में नए उद्योगों, वस्तुओं, रोजगार आय व धन सम्पदा का निर्माण संभव होता है। राष्ट्र के संसाधनों को उत्पादक कार्यों को लगाना, नवीन तकनीक, नये कार्यों एवं उद्यमीय निर्णयों के द्वारा नई उपयोगिताओं (Utiliteis) का सृजन करना उद्यमियों पर ही निर्भर करता है। उद्यमी जड़ एवं मृत अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। आर्थिक दायित्व, औद्योगिक चेतना एवं सामाजिक नवप्रवर्तन (Social Innovation) को उत्प्रेरित करने में उद्यमियों एवं उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उद्यमिता विकास (Entrepreneurial Development)

किसी देश की अर्थव्यवस्था हमेशा अपने औद्योगिक विकास से प्रेरित होती है। विकसित अर्थव्यवस्था उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है। खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की आवाज और गतिशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औद्योगिक विकास एक राष्ट्र के लोगों की उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। अतः सभी विकासशील देशों में, सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों में उद्यमशीलता के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

वैश्वीकरण में, उद्यमिता विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और उचित उपयोग संभव है क्योंकि हम नए उद्यमियों को उत्पन्न करते हैं। रचनात्मकता और अभिनव विचारों के साथ नए उद्यमी हमेशा व्यापार में किसी प्रकार के जोखिम को खड़े करने के लिए एक कदम आगे हैं। उद्यमिता विकास का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की खोज करना और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने उद्यमशील गुणों को विकसित करना है।

14.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- ✓ उद्यमिता व उद्यमशीलता का अर्थ समझ सकें।
- ✓ उद्यमशीलता कार्यक्रमों की परिभाषा तथा उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया से अवगत हो सकें।
- ✓ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में विभिन्न सस्थाओं की भागीदारी से परिचित हो सकें।
- ✓ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की धीमी गति के कारण तथा उद्यमशीलता विकास की समस्यायें एवं उपाय से अवगत हो सकें।
- ✓ उद्यमी विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां से अवगत हो सकें।

14.3 उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship)

‘उद्यमी’ शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाले *‘Entrepreneur’* शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। वास्तव में अंग्रेजी में भी म्दजतमचतमदबनत शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। वहां इस शब्द का मूल अर्थ था- ‘किसी संगीतात्मक अथवा अन्य मनोविनोदों के आयोजक को नियुक्त करना।’ अर्थशास्त्र में उद्यमी का अर्थ है ऐसा आर्थिक नेता जो नई वस्तुओं, नई तकनीकों तथा पूर्ति के नये ढोतों को सफलतापूर्वक प्रचलित करने के सुअवसर पहचानने की योग्यता रखता हो और जो आवश्यक संयंत्र तथा साधन प्रबंध और श्रमशक्ति को एकत्रित करने और उन्हें संगठित कर कारोबार चलाने की क्षमता रखता हो।

16वीं शताब्दी में ‘उद्यमी’ शब्द का प्रयोग प्रमुख सैनिक अभियानों (Expeditions) के लिए किया जाता था 17वीं शताब्दी में नागरिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सड़क, पुल, बन्दरगाह व किले आदि का निर्माण करने वाले ठेकेदारों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। 1857 में फ्रांस में ब्रदर्स पेरैर (Brothers Pereirs) ने ‘उद्यमी बैंक’ की स्थापना की तभी से व्यवसाय में इस शब्द का व्यवस्थित प्रयोग प्रारंभ हुआ। लेकिन व्यवसायिक व आर्थिक क्रियाकलापों में शब्द ‘उद्यमी’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वणिक्वादी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैन्टीलॉन (Richard Cantillon) ने किया था उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए उसके कार्यों की व्याख्या की थी। तभी से अनेक अर्थशास्त्री, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों तथा विचारकों ने उद्यमिता व उद्यमी के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं।

सामान्य अर्थ में (In General Sense):- उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है तथा उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो नया उपक्रम प्रारंभ करता है, तथा आवश्यक संसाधनों को जुटाता है तथा व्यवसाय की क्रियाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। वह व्यवसाय की विभिन्न जोखिमों को झेलता है तथा व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करता है। ‘जोखिम वहन’ करना उद्यमी का प्रमुख कार्य है।

आधुनिक अर्थ में (In Modern Sense):- उद्यमिता नये उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ-साथ उपक्रम में नये-नये सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी है। इस अर्थ में उद्यमिता नेतृत्व एवं नवप्रवर्तन का गुण है जिसके द्वारा व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। यह गतिशील वातावरण के साथ समायोजन करने तथा व्यवसाय में सृजनात्मक (Creative) एवं नवप्रवर्तनकारी (Innovative) विचारों और योजनाओं को क्रियान्वित करने की योग्यता है।

इस प्रकार उद्यमिता से आशय अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा के वातावरण में उद्यम स्थापना की जोखिम लेने और उसे सफलतापूर्वक संचालित करने की योग्यता से है। तथा उद्यमी से आशय इस योग्यता को सफलतापूर्वक सदुपयोग करने वाले साहसी से है। सारांशतः वर्तमान युग में किसी भी प्रकार के उद्यम की स्थापना कर उसे सफलतापूर्वक संचालित करना उद्यमिता तथा संचालित करने वाला उद्यमी है।

उद्यमशीलता विकास की अवधारणा (Concept of Entrepreneurship Development)- शब्द "Entrepreneurship" रचनात्मकता और अभिनव विचारों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता है। वह नए व्यावसायिक विचारों और निवेश के अवसरों का पता लगाता है वह अपने विचारों और अवसरों को समय के बीच में ले जाता है, जिससे वह नए व्यवसाय को लॉन्च करने की ओर अग्रसर होता है जिसे वह कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आयोजन करता है एक व्यक्ति के ये गुण और लक्षण उद्यमिता का निर्माण करते हैं। देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए समाज में इस प्रकार की उद्यमी विकसित करने की आवश्यकता है। उद्यमिता विकास का अर्थ है भावी उद्यमी की खोज के माध्यम से व्यक्तियों में उद्यमिता का प्रतिरूपण करना और एक व्यक्ति को एक असली उद्यमी बनाने के लिए उस दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यह आर्थिक माहौल बदलते हुए नए व्यावसायिक विचारों और निवेश के अवसरों की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। यह उद्यम में विचार या अवसर को बदलने में मदद करता है। अंततः यह अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की ओर जाता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास की अवधारणा इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है:

“उद्यमिता विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्यमशील गुणों को व्यावसायिक विचारों या उद्यमों में अवसरों को बदलने के लिए उपलब्धियों की आवश्यक प्रेरक ड्राइव के साथ इंजक्ट किया जाता है और व्यापार उपक्रमों की अनिश्चित और जोखिमपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन किया जाता है।”

उपरोक्त परिभाषा उद्यमशीलता के विकास के निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है

1. यह व्यापार/उद्यम में विचार या अवसर को बदलने के लिए प्रेरणा है।
2. यह प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवसाय के नए विचार और निवेश के अवसर इन संभावित उद्यमियों के सामने आते हैं।
3. यह सरकार और गैर-सरकारी संगठनों की निरंतर और सतत गतिविधि है।
4. यह संभावित उद्यमियों और उनके उद्यमशीलता के गुणों की खोज की प्रक्रिया है।
5. यह प्रबंधन, विपणन, वित्त और व्यापार उद्यम के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श प्रदान करके संभावित उद्यमियों के बीच विश्वास को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है।
6. यह एक व्यक्ति को एक उद्यमी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
7. इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

14.4 उद्यमिता की प्रकृति अथवा विशेषतायें (Nature or Characteristics of Entrepreneurship)

व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में उद्यमिता की प्रकृति को भलीभांति समझने के लिए उसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। उद्यमिता की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं-

1. उद्यमिता नवप्रवर्तन की योग्यता (Ability to Innovate) है।
2. उद्यमिता में जोखिम लेने की क्षमता (Risk-Bearing Capacity) निहित होती है।
3. उद्यमिता ज्ञान पर आधारित व्यवहार (Knowledge Based Practice) है। उद्यमिता व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति (Knowledge Based Practice) को बतलाती है।
4. परिवर्तनों का परिणाम (Results of Changes) है।
5. उद्यमिता रचनात्मक क्रिया (Creative Activity) है।
6. यह व्यक्तिगत लक्षण नहीं बरन् एक आचरण (Entrepreneurship is not a Personality trait, but a behaviour) है।
7. वातावरण प्रेरित क्रिया (Environment oriented Activity) है।

8. सिद्धान्तों पर आधारित होती है अर्न्तज्ञान पर नहीं (Based on Principles not on Intuitions)
9. सभी कार्यों में आवश्यक (Essential in every Activity) होती है।
10. वास्तव में, उद्यमिता कम जोखिमपूर्ण (Low Risky) है।
11. संसाधनों का सृजन करती (Creation of Resources) है।
12. वस्तुतः उद्यमिता व्यक्तित्व रूपान्तरण प्रक्रिया (Process of Identity Transformation) है।
14. परिणाम जनित व्यवहार (Result Oriented Behaviour) देती है।
14. उद्यमिता पेशेवर क्रिया के रूप में (Professional Activity) विकसित हो रही है।
15. प्रबंध उद्यमिता का माध्यम (Management is the vehicle of Entrepreneurship) है।
16. उद्यमिता स्वाभाविक नहीं वरन् एक अर्जित कार्य (Management is the vehicle of Entrepreneurship) है।
17. सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक (Essential in all Businesses and Economics) होती है।
18. उद्यमिता अंततः एक जीवन शैली (A Life Style) है।

14.5 उद्यमिता के प्रकार (Types of Entrepreneurship)

प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक-सामाजिक दशाएँ तथा विकास का स्तर भिन्न होता है। इसके अलावा प्रत्येक देश में व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योगधंधे के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण एवं चिन्तन भी अलग-अलग होता है: फलस्वरूप उद्यमिता के स्वरूप में भी भिन्नता पाई जाती है।

1. पूँजी स्वामित्व के आधार पर (Based on Capital Ownership)
 - a) निजी उद्यमिता (Private Entrepreneurship)
 - b) राज्य या सार्वजनिक उद्यमिता (State or Public Entrepreneurship)
 - c) संयुक्त उद्यमिता (Joint Entrepreneurship)
 - d) सहकारी उद्यमिता (Co-operative Entrepreneurship)
2. विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर
 - a) परम्परागत या विकासात्मक उद्यमिता (Traditional or Evolutionary Entrepreneurship)
 - b) आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता (Modern or Revolutionary Entrepreneurship)
3. स्थानीयकरण के आधार पर (Based on Localization)
 - a) केन्द्रीकृत उद्यमिता (Centralised Entrepreneurship)
 - b) विकेन्द्रित उद्यमिता (Decentralised Entrepreneurship)
4. आकार के आधार पर (Based on size)
 - a) बृहत् उद्यमिता (Big Entrepreneurship)
 - b) लघु उद्यमिता (Small Entrepreneurship)
5. साहसिक कार्य के आधार पर (Based on Adventure)
 - a) नैत्यक उद्यमिता (त्वनजपदम म्दजतमचतमदमनतीपच)

b) नवीन अद्यमिता (छ्मू.जलचम म्दजतमचतमदमनतीपच)

6. नेतृत्व के आधार पर

a) वैयक्तिक उद्यमिता (पदकपअपकनंसपेजपब म्दजतमचतमदमनतीपच)

b) समूह उद्यमिता (ळतवनच म्दजततमचतमदमनतीपच)

7. अन्य आधार पर (Based on Leadership)

a) शहरी तथा ग्रामीण उद्यमिता (Urban or Rural Entrepreneurship)

b) व्यवस्थित उद्यमिता (Systematic Entrepreneurship)

उद्यमी के प्रकार (Types of Entrepreneurs)- उद्यमी के व्यक्तित्व, स्वरूप क्षमता एवं दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमी भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं।

1. नव प्रवर्तन योग्यता के आधार पर (Based on innovation ability)-

क्लेरेन्स डेनहॉफ (Clarence Danho) ने विकास के स्तर के आधार पर उद्यमियों को निम्न चार प्रकार में बांटा है-

a) नवप्रवर्तक उद्यमी (Innovative Entrepreneur)

b) अनुकरणीय या नकलची उद्यमी (Imitative Entrepreneur)

c) सावधान उद्यमी (Cautious Entrepreneur)

d) आलसी उद्यमी (Lazy Entrepreneur)

2. विकास की गति के आधार पर (Based on Speed of Development)

एल. सी. गुप्ता (L. C. Gupta) ने विकास की गति को बल देने के दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमियों के निम्न 6 प्रकार बताये हैं-

a) मूल प्रवर्तक (Originator),

b) प्रबंधक (Manager),

c) लघुनवप्रवर्तक (Small Innovator),

d) प्रारम्भक (Starter),

e) अनुषंगी (Subsidiary),

f) स्थानीय व्यापारी (Local Trader)

3. विभिन्न क्रियाओं के आधार पर (Based on Different Functions)-

उद्यमी की विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यों के आधार पर कार्ल वेस्पर (Karl Vesper) ने निम्न 6 प्रकार बताये हैं-

a) उत्पाद नवप्रवर्तक (Product Innovator)

b) अप्रयुक्त संसाधन विदोहक (Untapped Resource Exploiter)

c) एकल स्वनियुक्त उद्यमी (Single Self Employed Entrepreneur)

d) पूँजी संचायक (Capital Accumulator)

e) कार्यशील निर्माता (Working Producer)

f) अधिग्रहण साहसी (Acquisition Adventurer)

g) मितव्यय-स्तर उद्यमी (Thrift-Scale Entrepreneur)

h) प्रारूप प्रबंधक (Prototype Manager)

14.6 उद्यमिता विकास के उद्देश्य (Objectives of Entrepreneurship Development)

परिभाषा और उद्यमशीलता के विकास की विशेषताएं इसके दायरे और प्रकृति को रूपरेखा देती हैं। यह देश के आर्थिक विकास पर केन्द्रित है। इसलिए उद्यमिता विकास के उद्देश्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है-

1. नए व्यावसायिक उपक्रमों को शुरू करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित करना।
2. प्रशिक्षण और विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से युवाओं के बीच उद्यमशील गुणों एवं अन्य गुणों को बढ़ावा देना।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए नए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं संचालित करना।
4. नए उद्यमों के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना।
5. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाओं, रियायतें, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, संस्थानों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना।
7. विशेष रूप से और देश में आम तौर पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए। संभावित उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता के अवसरों और व्यवसायिक विचारों को खोजने और विकसित करना।
8. उद्यमशीलता के माध्यम से रोजगार और स्व-रोजगार पैदा करने के लिए।
9. संभावित और मौजूदा उद्यमियों के लिए प्रबंधकीय कौशल, विपणन तकनीकों और तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
10. पहली पीढ़ी के उद्यमियों के जरिये देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए योगदान देना। उद्यमशीलता के विकास के सभी उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता के विकास के महत्व को उजागर करते हैं।

14.7 उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया (Entrepreneurship Development Process)

एक देश के आर्थिक क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसलिए राज्य और केन्द्र सरकार ने सभी स्तरों पर उद्यमशील विकास के लिए प्रयास किए। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रायोजित किया जाता है। प्रशिक्षण उद्यमशीलता विकास के तहत मुख्य गतिविधि है इसमें प्रचार, सहायक और विकास कार्यक्रम शामिल हैं लेकिन उद्यमी विकास की प्रक्रिया को निम्नानुसार तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है-

14.7.1 पूर्व प्रशिक्षण चरण (Pre-Training Phase)

1. स्थानीय जरूरतों के अनुसार उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. प्रशिक्षण मैनुअल और परिपत्र तैयार करना।
3. उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रमों का उचित प्रचार/प्रसार करना
4. इच्छुक व्यक्तियों को जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरणों का विवरण देना।
6. प्रशिक्षण के लिए आवेदकों की छानबीन और चयन करने के लिए, अनुप्रयोगों को कॉल करना।
7. प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आवश्यक उपकरण और उपकरणों को व्यवस्थित/उपलब्ध कराना।

8. प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवेदकों के साथ संचार/सम्पर्क करना।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिए व्यवस्थित तरीके से पूर्व-प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

14.7.2 प्रशिक्षण चरण (Training Phase)

प्रक्रिया का दूसरा चरण कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं जो गांव, तालुका या जिला स्तर पर हो सकते हैं। सरकारी एजेंसियां और गैर-सरकारी संगठन इस तरह के उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र उद्यमिता विकास के लिए सरकारी एजेंसियां हैं जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। बेशक, कुछ उचित शुल्क लगाए जाते हैं, इसके विपरीत प्रतिभागियों को प्रशिक्षण साहित्य, मुद्रित मैनुअल, रिक्रेशमेंट, भोजन इत्यादि व्यवस्था की जाती है। इस चरण के अंतर्गत, निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं-

1. प्रतिभागियों का पंजीकरण और प्रशिक्षण साहित्य, पुस्तिकाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।
2. संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान की व्यवस्था।
3. नए व्यवसाय या उपक्रम शुरू करने के लिए प्रारंभिक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को समझाना।
4. प्रतिभागियों को नए विचारों और नए निवेश के अवसरों का खुलासा करना।
5. संभावित उद्यमियों के लिए सहायक संस्थानों और एजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. नये व्यवसाय शुरू करने के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं, रियायतों, सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
7. नए व्यवसाय को लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए प्रतिभागियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाना।
8. भावी और मौजूदा उद्यमियों को प्रबंधकीय कौशल, विपणन तकनीक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।
9. सफल उद्यमियों में उन्हें बदलने के लिए प्रतिभागियों के बीच उद्यमी और रचनात्मक गुणों को बढ़ावा देना।
10. एक मॉडल परियोजना के रूप में विभिन्न परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तावित व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए प्रतिभागियों को निर्देशित करता है।

उपरोक्त गतिविधियों के साथ-साथ इस चरण के तहत सहायक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रैक्टिस, प्रदर्शन और फैक्ट्री साइट्स के दौरे का भी आयोजन किया जाता है। यह चरण एक व्यक्ति को उद्यमी बनाने का प्रयास करता है इसलिए यह उद्यमिता विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

14.7.3 पोस्ट प्रशिक्षण चरण (Post-Training Phase)

उद्यमिता विकास का उद्देश्य सफल उद्यमी को एक असली और वास्तविक उद्यमी को सफल बनाना है। इसका मतलब है कि उद्यमिता विकास का उद्देश्य उद्यमी बनाना ही नहीं बल्कि उसे सफल उद्यमी बनाना है। मौजूदा उद्यमियों को सफल बनाकर उद्यमशीलता के विकास को बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी है उस दृष्टिकोण से, पोस्ट-ट्रेनिंग, चरण। मंच के तहत, अनुवर्ती और नर्सिंग गतिविधियों को शुरू किया जाता है। संभावित उद्यमियों की खोज करना और उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें असली उद्यमी बनाना उद्यमिता विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके अलावा अपने नए व्यवसाय के साथ नए उद्यमी को प्रतिकूल और अनिश्चित परिस्थितियों में व्यवसाय के साथ खुद को बनाए रखना चाहिए। पोस्ट-ट्रेनिंग गतिविधि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की सफलता की दर का फैसला करती है।

इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं:

1. प्रशिक्षित संभावित उद्यमियों को वास्तविक उद्यमियों में बदलने के लिए अनुवर्ती गतिविधियां।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा एक नया व्यापार या उपक्रम शुरू करने के लिए फॉलो-अप।
3. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभावित उद्यमियों की सहायता करना।
4. संभावित उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए कानूनी और तकनीकी औपचारिकताओं का अनुपालन करना।
5. सक्षम प्राधिकारी के साथ उपक्रम के पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान करना।
6. मशीनरी, कच्चे माल, तकनीकी ज्ञान आदि सहित सभी आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित करने में सहायता।
7. आवश्यक धन और वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करना।
8. नए व्यवसाय को लॉन्च करने और प्रबंध करने के लिए प्रबंधकीय और तकनीकी सलाह प्रदान करना।
9. प्रस्तावित उत्पादों के लिए बाजार को उपलब्ध कराने और मार्केटिंग समस्याओं में मार्गदर्शन करना।
10. एक नए उद्यमी के मौजूदा व्यापार के विस्तार और विकास के लिए विशेषज्ञ परामर्श देना।
11. नए उद्यमियों द्वारा शुरू की गई बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

14.8 उद्यमी प्रेरणा (Entrepreneurial Motivation)

यह जानना बहुत दिलचस्प है कि लोगों को व्यवसाय में जाने के लिए क्या प्रेरित करता है। वे जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? कई शोध अध्ययनों को दुनिया भर में व्यापारिक गतिविधियों के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले कारकों की पहचान की गयी है। हालांकि, पैसे कमाने के लिए एक महत्वपूर्ण इमोटिवेटिंग बल है, लोग व्यापार में नहीं जाते हैं और उद्यमी बन जाते हैं केवल पैसा बनाने के लिए। वास्तव में कई अन्य कारक हैं जो उद्यमी बनने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आइए उद्यमिता प्रेरणा से क्या वास्तव में इसका मतलब है और क्या कारक उद्यमी बनने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेरणा क्या है?

‘प्रेरणा’ शब्द ‘मकसद’ शब्द से प्राप्त किया गया है जिसका अर्थ है हमारे मन की एक आंतरिक अवस्था जो हमारे लक्ष्य के प्रति चालन सक्रिय या हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार प्रेरणा एक आंतरिक भावना है जो लक्ष्य के प्रति व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करती है। प्रेरणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को कार्रवाई में प्रेरित करता है और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।

माइकल ज्युलियस (Michael Julius) प्रेरणा को परिभाषित करते हुए बताते हैं- **“किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने या खुद को कार्रवाई करने के इच्छुक मार्ग के रूप में परिभाषित करता है।”**

प्रेरणा की प्रक्रिया के तीन प्रमुख तत्वों के रूप में ‘मकसद’, ‘व्यवहार’ और ‘लक्ष्य’ को माना जाता है। उद्यमिता गतिविधियों को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाले उद्देश्य को उद्यमशीलता प्रेरणा कहा जा सकता है।

उद्यमिता एक बहुत ही जोखिम भरा प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे उठाते हैं, क्योंकि, ऐसे मजबूत इरादों या प्रेरित कारक हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यवहार वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित व्यवहार सिद्धांतों से पता चलता है कि एक व्यक्ति को उद्यमशीलता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रूप से मैसलो की जरूरत ही प्रेरणा है-संग्रह सिद्धांत और डेविड मैकलेल्ड्स की उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत एक व्यक्ति के उद्यमशीलता के व्यवहार के लिए सबसे अधिक निर्भर हैं-

उद्यमी प्रोत्साहन की प्रकृति (Nature of Entrepreneurial Incentives)- हालाँकि कई तरह के प्रेरणाएं, विशेष रूप से चार प्रकार के 'उद्देश्यों' का पालन करने से लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है-

उन्हें संक्षेप में चर्चा करते हैं।

1. उपलब्धि प्रेरणा (Achievement Motivation)- उपलब्धि की आवश्यकता एक उद्यमी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक आंतरिक भावना है जो एक उद्यमी को सफलता के लिए प्रेरित करता है। डेविड मैकलेलैंड ने उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत विकसित किया है उनके अनुसार, एक व्यक्ति की उपलब्धि (एन-एच) की आवश्यकता व्यक्तिगत सहभागिता की आवश्यकता को दर्शाती है। यह अभियान है जो लोगों को सफलता से बेहतर बनाता है उच्च स्थान / अलग प्राप्त करने वाले मकसद वाले लोग जोखिम उठाते हैं और जीतना चाहते हैं।

मैक्सलेलैंड (Maxleland) का तर्क है कि निम्नलिखित तीन प्रकार की जरूरतें एक साथ एक व्यक्ति पर अभिनय कर सकती हैं-

- संबद्धता की आवश्यकता (एन-एफ) (Need for Power (N-F))
- पावर के लिए आवश्यकता (एन-पीआरएच) (Need for Power (N-PRh))
- उपलब्धि की आवश्यकता (एन-एच) (Need for Achievement (N-H))

उनके अनुसार, एक उद्यमी के मामले में, उपलब्धि की उच्च जरूरत एक पर हावी पड़ जाती है। उनके विचार में, उपलब्धियों के लिए उच्च आवश्यकता वाले लोगों को उद्यमियों के रूप में सफल होने की अधिक संभावना है।

उच्च उपलब्धि के उद्देश्य वाले लोग केवल धन पुरस्कार या लाभ से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने आंतरिक ड्राइव को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लाभ केवल उनके लिए एक बाहरी प्रोत्साहन है। मैकलेलैंड ने सिद्धांत प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैं: क्यों कुछ लोग अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने के लिए बहुत आरामदायक नौकरियां छोड़ते हैं जिसमें जोखिम का एक तत्व शामिल होता है? क्यों कुछ व्यापारियों जो अच्छी कमाई कर रहे हैं, अपनी मेहनत से अर्जित पैसा विनिर्माण में हिस्सेदारी में डाल दिया? क्यों टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरों को सुरक्षित नौकरी के लिए जाने के बजाय अपने स्वयं के उद्योग शुरू होते हैं? इस सभी लोगों के पास उच्च उपलब्धि प्रेरणा है वे असामान्य रूप से रचनात्मक हैं और उनके पास जोखिम लेने की क्षमता की उच्च प्रवृत्ति है। वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वे ऐडवर्टर के चेहरे पर बने रहते हैं और मध्यम जोखिम लेते हैं और उनके प्रयासों के परिणाम जानना प्रसंद करते हैं।

1. पावर प्रेरणा (Power motivation)- मैकलेलैंड व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने और आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने और हेरफेर करने की इच्छा के रूप में शक्ति प्रेरणा को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है भौतिक वस्तुओं और कार्यों का उपयोग करके दूसरों पर हावी होना और उन्हें प्रभावित करना है। कुछ लोगों को ऊपर की ओर आंदोलन के लिए ड्राइव है वे स्थिति, प्रतिष्ठा और दूसरों पर प्रभाव पाने का आनन्द लेते हैं। सत्ता के लिए यह इच्छा लोगों को मानव संगठन स्थापित करने और उन्हें निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है। यह मकसद इतनी तीव्र है कि कुछ लोग बड़े व्यापारिक नेता बन जाते हैं और अपना साम्राज्य बनाते हैं।

2. संबद्धता प्रेरणा (Affiliation Motivation)- यह दूसरों के साथ अनुकूल और सकारात्मक संबंध स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। सामाजिक पशु इच्छा दोस्ती और संघ के रूप में लोग प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग करते हैं एक समूह में काम कर रहे लोग नई जिम्मेदारियों को करने के लिए अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समूह का नैतिक समर्थन (रिश्तेदार, मित्र, कार्य समूह या कोई अन्य सामाजिक

समूह हो सकता है) आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है और लोगों को जोखिम स्वीकार करने की मानसिकता तैयार करता है।

4. विस्तार प्रेरणा (Expansion Motivation)- दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने में दूसरों की सहायता करना विस्तार प्रेरणा कहलाता है। एक्स्टेंशन प्रेरणा के साथ उद्यमी दूसरों को अपने स्वयं के व्यवसाय करते समय मदद करते हैं वे समाज के लाभ के लिए अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करते हैं। वे हमेशा महसूस करते हैं कि उनकी खशी दूसरों की खुशी और प्रगति में है।

14.9 उद्यमी प्रोत्साहनात्मक कारक (Entrepreneurial Promoting Factors)

उद्यमियों को प्रेरित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए कई शोध अध्ययन भारत में आयोजित किए गए हैं आर. ए. शर्मा (1980) ने इस संबंध में अग्रणी अध्ययन किया है। मूर्ति (1986) और पी. एन. मिश्रा (1987) द्वारा किए गए अध्ययन विभिन्न प्रेरक कारकों की पहचान करने में भी प्रमुख हैं जो उद्यमियों को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करते थे।

इन सभी कारकों का सारांश निम्न प्रकार से किया गया है-

- 1. शैक्षिक पृष्ठभूमि / ज्ञान (Educational Background / Knowledge)-** पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त औपचारिक तकनीकी ज्ञान, शैक्षिक संस्थानों ने उद्यमी को उद्यमी में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमती किरण मुजुमदार-शॉ का उदाहरण यहां उल्लेख किया जा सकता है। उसने जूलॉजी में अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई की और स्नातक स्तर की पढ़ाई प्रयोग शराब बनाने में काम किया जिससे उसने बायोकॉन लिमिटेड की स्थापना की।
- 2. व्यावसायिक अनुभव (Business Experience)-** व्यावसाय की एक विशेष पंक्ति में व्यावसायिक पृष्ठभूमि या पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करता है
- 3. कुछ नया करने की इच्छा (Desire to do something new)-** रचनात्मक गतिशील मानव मस्तिष्क का नतीजा है कुछ लोग हमेशा कुछ नया और अभिनव करने का प्रयास करते हैं जीवन में कुछ नया और स्वतंत्र करने की तीव्र इच्छा से उद्यमियों को व्यवसाय में शामिल होने का संकेत मिलता है।
- 4. पारिवारिक पृष्ठभूमि (Family Background)-** पिछली पीढ़ी की उद्यमशीलता की गतिविधियों ने अगली पीढ़ी को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। भारत में, परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि ने लोगों को व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, टाटा, बिड़ला, अंबानी, कोटक्स, किलोस्कर आदि इसका जीता जागता उदाहरण है।
- 5. सरकार सहायता और मदद (Government Aid and Help)-** संस्थागत ाोतों और कई अन्य प्रकार की सहायता से आसान वित्तीय सहायता कुछ लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं। सहायता और समर्थन में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - a. बीज पुंजी सहायक
 - b. व्यापार ऋण और उस पर सब्सिडी की आसान उपलब्धता।
 - c. किराया खरीद पर मशीनरी।
 - d. लीजिंग स्कीम
 - e. उद्यम पूंजी की उपलब्धता
 - f. टैक्स रियायतें
 - g. निर्यात सहायता
 - h. तकनीकी और विपणन पहलुओं में प्रशिक्षण।

6. बड़े व्यापारिक घरों से उत्साह (Enthusiasm from Big Business Houses)- बड़े व्यवसाय की सफलता की कहानियां भी लोगों को प्रेरित करती हैं-इतना ही नहीं, कुछ बड़े व्यवसायिक घरानों को उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

संबद्ध या सहायक उत्पादों का उत्पादन उदाहरण के लिए, ऑटोमाबाइल उद्योग ने कई मध्यम और छोटे उद्यमियों को हलोजन बल्ब, सीट और वाहनों के अन्य सामानों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया है।

7. उत्पाद / सेवा की मांग (Demand for the Product / Service)- किसी विशेष उत्पाद या सेवा के लिए कभी भी बढ़ती या भारी मांग से लोगों को इस तरह के उत्पाद/सेवा के उत्पादन के लिए आकर्षित करती है। कुछ वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक विस्तार बाजार है, उद्यमियों को ऐसे क्षेत्रों में अपने तरीके मिलते हैं। फिर से यह पाया गया कि 'फिटनेस' सेवा की बढ़ती मांग है, इसलिए कई नए उद्यमियों ने बड़े शहरों और छोटे शहरों में अपने 'फिटनेस सेंटर' खोल दिए हैं।

8. सस्ती कीमत पर अनुपलब्ध / कमजोर इकाइयों की उपलब्धता (Availability of Unavailable / Weak Units at Affordable Price)- जब कुछ बीमार औद्योगिक इकाई (आर्थिक रूप से कमजोर या बीमार इकाई) सस्ते कीमत पर उपलब्ध होती है, तो यह उद्यमियों को इस तरह की इकाई को लेने और इसे पुनर्जीवित करने के लिए आकर्षित करती है। यहां ध्यान देने के लिए दिलचस्प है कि, श्री धीरूभाई अंबानी ने नरोडा में एक बंद वस्त्र मिल रखीदकर कपड़े का उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा विद्या मुरुम्बी और नरेन्द्र मुरुम्बी ने कुछ बीमार चीनी मिलों को खरीदा और उन्हें बदल दिया।

9. श्रम और कच्ची सामग्री की उपलब्धता (Availability of labour and raw material)- प्रतिस्पर्धी दरों पर आवश्यक प्रकार के श्रम और सामग्री की उपलब्धता, लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करती है। शिवकाशी में, सस्ते दरों पर तुलनात्मक रूप से श्रम की आसान उपलब्धता ने कई व्यवसायियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। कैलेंडर मुद्रण, मैच-बॉक्स बनाने और पटाखे बनाने वाले व्यवसायों ने वहां विकास किया है। वहाँ सस्ते मजदूरी दरों के कारण इन उत्पादों के पीछे श्रम लागत बहुत कम है।

10. अन्य कारक (Other factors)- निम्नलिखित तीन विस्तृत समूहों में प्रेरणात्मक कारकों का अध्ययन किया और वर्गीकृत किया है-

A. महत्वाकांक्षी कारक (Ambitioned factor)-

- पैसा बनाने के लिए।
- पारिवारिक व्यवसाय जारी रखने के लिए।
- स्व रोजगार पाने के लिए।
- पत्नी/माता-पिता की इच्छा पूरी करने के लिए।

B. सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए (To achieve social prestige)-

- बच्चों के स्व-रोजगार।
- रचनात्मक कुछ करने की इच्छा।

C. आकर्षक कारक (Attractive factor)-

- बेरोजगारी।
- अब तक काम के साथ असंतोष के कारण।
- तकनीकी या पेशेवर कौशल का उपयोग करें।
- पिता द्वारा शुरू की गई बीमार इकाई का पुर्नउद्धार।

e. बेकार या अधिक राशि का उपयोग।

D. बड़े परिवार के रखरखाव। (Maintenance of large family)-

- सुविधा कारक
- अन्य उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ।
- व्यापार का अनुभव।
- विरासत संपत्ति।
- परिवार के सदस्य/मित्रों/रिश्तेदारों आदि द्वारा प्रोत्साहित किया।

14.10 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programmes)

उद्यमिता विकास को न केवल बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने बल्कि राष्ट्र की समग्र आर्थिक और सामाजिक उन्नति के तरीके को देखना चाहिए। उद्यमशीलता के व्यापक पैमाने पर विकास न केवल स्वयं-रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है बल्कि इस तरह बेरोजगार युवकों के बीच अशांति और सामाजिक तनाव को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ छोटे व्यवसाय गतिशीलता को भी शुरू करने में, नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

उद्यमिता को उचित रूप से डिजाइन किए कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। निजी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी स्तरों पर संस्थाओं की एक संख्या उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करती है। युवा उद्यमों के राष्ट्रीय गठबंधन, लघु उद्यमिता विकास संस्थान भारत (एसईडीआईआई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट (पीएमआरवाय), स्मॉल उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी), राष्ट्रीय कर्मचारी बोर्ड (एनईबी) ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और स्व रोजगार (टीआरवायएसईएम), व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता विकास (टीआरएडी), शिक्षित युवाओं के लिए स्व रोजगार कार्यक्रम सेपई), गांव और खादी आयोग (वीकेसी) आदि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हैं।

14.11 ईडीपी के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of EDP)

मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

- संभावित उद्यमियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना।
- इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के ज्ञान और गुणों को विकसित करना।
- प्रशिक्षण के बाद सहायता प्रदान करना।
- सही प्रोजेक्ट और उत्पाद का चयन करने के लिए उद्यम स्थापित करने में सरकार से उपलब्ध सहायता, प्रोत्साहन और सब्सिडी के स्रोतों का पता लगाना।
- छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और विकसित करना जो कि स्वयं को रोजगार और संभावित उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा।
- नए उद्यमी अवसरों को विकसित करने के लिए।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता के लिए।

9. उद्यमियों की प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने के लिए।
10. उद्यम चलाने के लिए नियम, प्रक्रिया और नियमों को समझना।
11. व्यवसाय चलाने में अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करें।
12. व्यापार के बारे में एक व्यापक दृष्टि विकसित करना।

14.12 राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्यमशील विकास कार्यक्रम की भूमिका (Role of Entrepreneurship Development Programmes in Economic Development of the Nation)

आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में कार्यक्रम (ईडीपी) विशाल है। यह ईडीपी है जिसके माध्यम से उद्यमी उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सीखते हैं जो अंततः निम्न तरीकों से आर्थिक प्रगति की ओर योगदान करते हैं।

1. **रोजगार के अवसर पैदा करता है (Creates Employment Opportunities)-** ईडीपी छोटे और बड़े औद्योगिक इकाई की स्थापना के माध्यम से पर्याप्त रोजगार के अवसर बनाकर बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में मदद करती है जहां बेरोजगारों को अवशोषित किया जा सकता है। विभिन्न कार्यक्रम, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत विकास कार्यक्रम आदि जैसी योजनाएं हैं।
2. गरीबी को खत्म करने और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया।
3. **संतुलित समयावधि विकास को प्राप्त करने में मदद करता है (Helps in Achieving Balanced Growth Over a Period of Time)-** सफल ईडीपी पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की गति में तेजी लाने में सहायता करती हैं और एक व्यक्ति के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने में सहायता करती हैं। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न रियायतों की पेशकश की गई सब्सिडी ने उद्यमियों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अपनी छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ईडीपी के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आगे बढ़ती हैं, जो अंततः संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने में मदद करती हैं।
4. **औद्योगिक मलिन बस्तियों को रोकता है (Prevents Industrial Slums)-** उद्यमी विकास कार्यक्रम औद्योगिक मलिन बस्तियों को हटाने में मदद करते हैं क्योंकि उद्यमियों को सभी गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं, प्रोत्साहन, सब्सिडी और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
5. **स्थानीय संसाधनों का उपयोग (Use of Local Resources)-** उद्यमियों द्वारा पहल की पर्याप्तता और पर्याप्त ज्ञान की कमी के कारण स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के बहुत सारे अनुपयुक्त रहते हैं। इन संसाधनों का उचित उपयोग तेजी से औद्योगिकीकरण और ठोस आर्थिक वृद्धि के लिए एक स्वस्थ आधार को भूखा करने में मदद करेगा। ईडीपी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग में मदद कर सकते हैं।
6. **आर्थिक आजादी (Economic Freedom)-** प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता के उत्पादन के द्वारा ईडीपी के माध्यम से उद्यमियों को देश की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हैं। उद्यमियों को निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन के जरिए भी

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और विकास के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा की कमाई और धन अर्जित करने में सक्षम हैं।

7. **जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय के स्तर में सुधार (Improvement in standard of Living and Per Capita Income)**- प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर गुणवत्ता के सामान और सेवाओं की एक किस्म का उत्पादन करने के लिए ईडीपी उत्पादन के नवाचार और तकनीकों के बारे में उन्हें शिक्षित करके उद्यमियों को आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं। ईडीपी भी अधिक उद्यमों की स्थापना में मदद करती हैं जो रोजगार की अधिक संभावनाएं प्रदान करने और लोगों की कमाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर के सुधार में मदद मिलेगी।
8. **उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Skill Development Programme)**- भावी उद्यमियों और मौजूदा कर्मचारियों की कौशल उन्नयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और एमएसई के तकनीशियनों के कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न तकनीकी-सह-कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का मूल उद्देश्य उनका कौशल उन्नयन और उन्हें बेहतर और बेहतर बनाने के साथ सुसज्जित करना।
9. उत्पादन के तकनीकी कौशल कम विकसित क्षेत्रों सहित, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूप से वंचित समूहों (ओबीसी, एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं) के कौशल विकास के लिए विशिष्ट दर्जी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्ग हैं।

14.13 उद्यमी विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां (Achievements of Entrepreneurship Development Programmes)

ईडीपी (उद्यमी विकास कार्यक्रमों / Entrepreneurship Development Programmes) द्वारा की गई प्रमुख भूमिका के कारण हाल ही के वर्षों में औद्योगिकरण को गति प्रदान हुई है।

ईडीपी की प्रमुख उपलब्धियां (Major Achievements of EDP)-

1. ईडीपी ने अभ्यास, उन्मुख विकास कार्यक्रम की स्थापना, विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में लगभग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो ईडीपी के तहत व्यवस्थित और विकसित किए जाते हैं।
2. ईडीपी ने भी उद्यमियों के लिए आवश्यक विभिन्न समर्थन प्रणालियां विकसित और स्थापित की हैं। वे इन समर्थन प्रणालियों को मजबूत और समन्वयित करते हैं।
3. ईडीपी ने न केवल औद्योगिक की पृष्ठभूमि बनाई है बल्कि इसके लिए भी गति प्रदान की है। इन कार्यक्रमों ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत योगदान दिया है स्वयं रोजगार कार्यक्रम शुरू करने और औद्योगिकीकरण को गति देने के द्वारा ईडीपी ने इस दिशा में काफी हद तक मदद की है।
4. इन कार्यक्रमों की दूसरी उपलब्धि, इस प्रतिस्पर्धी युग में एक नए उद्यम का विकास है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। ईडीपी ने नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रविष्टियां प्रदान की हैं और विभिन्न उद्यमी भी प्रदान किए हैं।
5. कौशल और गुण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के कारण उद्यमशीलता और प्रशिक्षण दूर-दूर तक फैल गया है। इसने जान, कल्पनाशील शक्ति, दूरदर्शिता, उद्यमियों की जोखिम लेने की क्षमता आदि में वृद्धि हुई है।
6. ईडीपी ने भी परियोजना तैयार करने में योगदान दिया है।

7. एक सही प्रकार का परियोजना चुनना एक मुश्किल काम है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। ईडीपी ने ऐसी स्थितियों में बहुत उपयोगी साबित किया है।
8. ईडीपी ने लोगों और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद की है।
9. ईडीपी की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि उपभोक्ता को सस्ते और गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता है। ईडीपी के नए उद्यमों की वजह से स्थापित किया गया है जो नई तकनीक और विशेषज्ञता है जो प्रतियोगिता में बढ़ोतरी का परिणाम है।
10. भारत में ईडीपी के कारण कई उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं प्रबंधन विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमी और लघु व्यवसाय विकास (एनआईआईएसबीयूडी), उद्यमशीलता विकास संस्थान भारत (ईडीआईआई), तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओ) आदि।

14.14 उद्यमशीलता विकास की समस्याएँ एवं उपाय (Problems and Solutions of Entrepreneurship Development)

स्वतंत्रता के बाद उद्यमिता विकास की आवश्यकता अत्यधिक रूपरेखा दी गई थी। केन्द्रीय सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति में उद्यमशीलता विकास के महत्व पर प्रकाश डाला और उद्यमिता विकास पर अपनी नीति की घोषणा की। इसके अलावा, सरकार की सभी बाद की औद्योगिक नीतियों में भी इस बात पर जोर दिया जाता है। तदनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 60 से अधिक वर्षों के लिए पूरे देश में उद्यमशीलता विकास की अभियान शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इसे काफी सुलता हासिल नहीं हुई है। हमें उद्यमिता विकास की प्रक्रिया और नीतियों में कुछ समस्याएँ और कमियाँ मिलती हैं जो निम्नानुसार सूचीबद्ध हो सकती हैं-

1. विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास में समन्वय का अभाव।
2. उद्यमिता विकास के लिए अनिवार्य संख्या में संस्थान अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भ्रम की स्थिति में हैं।
3. एक नए उद्यमी के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं का अभाव।
4. संभावित उद्यमियों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए विशेषज्ञों की कमी।
5. दीर्घकालिक उद्यमिता का अभाव।
6. उद्यमशीलता विकास संस्थानों और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का अभाव।
7. उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की कमी।
8. प्रतिभागियों और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पालन-पोषण करने में कमी।
9. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता की कम दर।
10. छोटे पैमाने पर उद्योग क्षेत्र से बीमार इकाइयों की बढ़ती संख्या।

उपचारी उपाय:-

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने समस्याओं को दूर करने के लिए उपायों को अपनया है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार सुझाए गए हैं:

1. उद्यमिता विकास की गतिविधियों में प्रभावी समन्वय आवश्यक है। प्रभावी समन्वय के लिए राज्य सरकार इस संबंध में कार्यक्रम आरंभ करेगी।
2. संभावित उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो स्कीम पेश की जाएगी।

14.15 स्थानीय उद्यमशीलता से आशय (Meaning of Local Entrepreneurship)

उद्यमिता के विभिन्न स्वरूपों जैसे- निजी या सार्वजनिक, संयुक्त या सहकारी, विकासात्मक या क्रांतिकारी, केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रित, वृहत या लघु, नैतिक या नवीन, वैयक्तिक या सामूहिक में एक प्रकार

यह भी है- शहरी या ग्रामीण उद्यमिता। स्थानीय उद्यमिता ग्रामीण उद्यमिता का ही रूप है, लघु उद्यमिता का ही रूप है, विकेन्द्रित उद्यमिता का ही स्वरूप है।

गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों में वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कम पूँजी लागत वाली छोटी-छोटी इकाइयों, लघु इकाइयों को स्थापित करना; जिसमें अधिकाधिक मात्रा में स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय बाजारों में उपलब्ध उपकरणों का प्रयोग, स्थानीय लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्थानीय उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना तथा निर्मित उत्पाद को स्थानीय बाजार में बेचना सम्मिलित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है; स्थानीय उद्यमिता है। स्थानीय उद्यमिता में स्थानीय व्यक्ति का होना ही अनिवार्य है शेष सब परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। वे हो भी सकती है, और नहीं भी। लेकिन स्थानीय उद्यमिता में उद्यमी वहीं का स्थानीय होगा। अतः अपने मूल स्थान में अपने परंपरागत व्यवसाय, उद्योगधंधों को त्याग कर कोई नया उद्योग व्यापार प्रारंभ करना स्थानीय उद्यमिता है। स्थानीय उद्यमिता में स्थानीय बहुत सी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। वे सब उसे विकसित होने में सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए अन्य बातों को स्थानीय उद्यमिता के सहायक के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं।

संक्षेप में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित व्यवसायिक क्रिया स्थानीय उद्यमिता कहलाती है। स्थानीय उद्यमिता के विकास में सहायक घटक- स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय पूँजी, स्थानीय सगठन और स्थानीय बाजार हो सकते हैं। स्थानीय उद्यमिता के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती हैं- स्थानीय उद्यमी, स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय पूँजी और स्थानीय ज्ञान।

14.16 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। (राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान या लघु उद्योग विकास बैंक)
2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। (संबद्ध लाभ या प्रशिक्षण)
3. ईडीपी के माध्यम से उद्यमिता के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है। (स्थानीय या वैश्विक)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. ईडीपी का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है।
2. ईडीपी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले उद्यमियों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

14.17 सारांश (Summary)

ईडीपी ने भी उद्यमियों के लिए आवश्यक विभिन्न समर्थन प्रणालियां विकसित और स्थापित की हैं। वे इन समर्थन प्रणालियों को मजबूत और समन्वित करते हैं। ईडीपी ने अभ्यास, उन्मुख विकास कार्यक्रम की स्थापना, विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में लगभग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो ईडीपी के तहत व्यवस्थित और विकसित किए जाते हैं। ईडीपी ने न केवल औद्योगिक पृष्ठभूमि बनाई है बल्कि इसके लिए गति भी प्रदान की है। इन कार्यक्रमों ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत योगदान दिया है स्वयं रोजगार कार्यक्रम शुरू करने और औद्योगिकीकरण को गति देने के

द्वारा ईडीपी ने इस दिशा में काफी हद तक मदद की है। इन कार्यक्रमों की दूसरी उपलब्धि, इस प्रतिस्पर्धी युग में एक नए उद्यम का विकास है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। ईडीपी ने नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्यमिता विकास की न प्रविष्टियां प्रदान की हैं और विभिन्न उद्यमी भी प्रदान किए हैं। कौशल और गुण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के कारण उद्यमशीलता और प्रशिक्षण दूर-दूर तक फैल गया है। इसने ज्ञान, कल्पनाशील शक्ति, दूरदर्शिता, उद्यमियों की जोखिम लेने की क्षमता आदि में वृद्धि हुई है।

ईडीपी ने भी परियोजना तैयार करने में योगदान दिया है। एक सही प्रकार का परियोजना चुनना एक मुश्किल काम है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। ईडीपी ने ऐसी स्थितियों में बहुत उपयोगी साबित किया है। ईडीपी ने लोगों और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद की है। ईडीपी की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि उपभोक्ता को सस्ते और गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता है। ईडीपी को नए उद्यमों की वजह से स्थापित किया गया है जो नई तकनीक और विशेषज्ञता है जो प्रतियोगिता में बढ़ोतरी का परिणाम है। भारत में ईडीपी के कारण कई उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं प्रबंधन विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमी और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), उद्यमशीलता विकास संस्थान भारत (ईडीआईआई), तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओ) आदि

14.18 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development):** औद्योगिक विकास एक राष्ट्र के लोगों की उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। अतः सभी विकासशील देशों में, सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों में उद्यमशीलता के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। वैश्वीकरण में, उद्यमिता विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है।
- **उद्यमी प्रेरणा (Entrepreneurial Inspiration):** यह जानना बहुत दिलचस्प है कि लोगों को व्यवसाय में जाने के लिए क्या प्रेरित करता है। वे जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? हालांकि, पैसे कमाने के लिए एक महत्वपूर्ण इमोटिवेटिंग बल है, लोग व्यापार में नहीं जाते हैं और उद्यमी बन जाते हैं केवल पैसा बनाने के लिए।
- **प्रेरणा (Inspiration):** प्रेरणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को कार्रवाई में प्रेरित करता है और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।
- **स्थानीय उद्यमिता (Local Entrepreneurship):** उद्यमिता के विभिन्न स्वरूपों जैसे- निजी या सार्वजनिक, संयुक्त या सहकारी, विकासात्मक या क्रांतिकारी, केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रित, वृहत या लघु, नैत्यक या नवीन, वैयक्तिक या सामुहिक में एक प्रकार यह भी है- शहरी या ग्रामीण उद्यमिता।

14.19 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान 2. प्रशिक्षण 3. स्थानीय
निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. असत्य

14.20 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1. Vasant Desai. (2004) - Dynamics of Entrepreneurial Development and Management - Himalaya Publishing House: New Delhi, p.17.
2. Deepthi A. and K. Lavanya Latha (2012) - Growth of Small Scale Entrepreneurship: A Case Study of Nellore District - International Journal of Economics and Management 6(1): 98 – 114.
3. Singh Pritam (1966) - The Role of Entrepreneurship in Economic Development: Issues and Policies - Vora and Company, Mumbai, p.228.
4. Agarwal, A. N. (1995) - Indian Economy, Problems of Development and Planning - Wiley Eastern Limited, Delhi.
5. Baruah, R. K. (2005) - Financing Small Scale Industries - Omsons Publications, Delhi.
6. Hamid, S. A. (1989) - Management and Development in Small Scale Industries - Anmol Publications, New Delhi.
7. Kuchhal, S. C. (1989) - The Industrial Economy of India - Chaitanya Publishing House, New Delhi.
8. Report On the Evaluation of Entrepreneurship Development Institution Scheme- The Ministry of MSME, Government of India, New Delhi.
9. Somwanshi S.A. Sickness of Small Scale Industries in Marathwada – Management of Industrial Sickness, Pointer Publisher, Jaipur.
10. Bajaj, Shammi (2012) - women entrepreneurs: a new face of India - IJRIM, November 2012, Volume 2, Issue 11, 123-127.
11. SIET: Small Industries Training and Extension Institute (1974) - Evaluation of Entrepreneurial /Motivation Training Programme in Assam, (Research Report), Hyderabad.
12. Awasthi, D. (1989) - Impact Study of Entrepreneurship Development Programmes conducted by EDI-I: Methodological Issues and Summary Results - Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.

13. NISIET: National Institute of Small Industry Extension and Training (1990) - Entrepreneurship Development in North- Eastern Region - Planning, Implementation and Evaluation, Guwahati.
14. Singh, M. (1990) - An Evaluation Study of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) - NITCON, Department of Management Studies, Punjab University, Patiala.
15. Mahajan, V. (1992) - How Entrepreneurship Development Programmes are Evaluated: An Assessment - Working Paper, Development Management Consultants, New Delhi.
16. Gupta, S.K. (1990) - Entrepreneurship Development Training Programme in India - Small Enterprise Management, Vol.1, No. 4: pp.34-46.
17. Khanka, S.S. (2005) - Entrepreneurial Development - S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
18. Saini, J.S. (1996) - Entrepreneurship Development Programmes and Practices - Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
19. Gupta B. L. & Anil Kumar – Entrepreneurship Development (2009) – Mahamaya Publishing House, New Delhi.
20. Ahmad, Nisar. (2009) - Problems and Management of Small Scale and Cottage Industries - Deep and Deep Publications, New Delhi.
21. Indira Kumari (2014) - A Study on Entrepreneurship Development Process in India - Indian Journal Of Researc, Volume 3, Issue 4, April 2014.
22. Ahmed, J. U. (2007). Industrialization in Northeastern Region. New Delhi: Mittal Publications.
23. Bharti, R. K. (2008) - Industrial Estate in Developing Economies - National Publishing House, New Delhi.
24. Devi, S. A. (1995) - Development of Small Scale and Household Industries in Manipur- During Plan Period – Thesis submitted to Manipur University, Imphar.

14.21 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

14.22 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमिता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
2. उद्यमिता विकास की प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
3. उद्यमशीलता विकास की प्रक्रिया पर लेख लिखिए।

इकाई 15 भारत में विकासशील उद्यमिता में विभिन्न संस्थानों की भूमिका (Role of Various Institutions in Developing Entrepreneurship in India)

-
- 15.1 प्रस्तावना (Introduction)
 - 15.2 उद्देश्य (Objectives)
 - 15.3 उद्यमशीलता विकास का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development)
 - 15.4 उद्यमशीलता का परिचय (Introduction to Entrepreneurship)
 - 15.4.1 समर्थन प्रणाली एवं प्रक्रियाएं (Support systems and processes)
 - 15.4.2 उपलब्धि प्रेरणा प्रशिक्षण (Achievement motivation training)
 - 15.4.3 बाजार सर्वेक्षण (Market survey)
 - 15.4.4 परियोजना की तैयारी और व्यवहार्य अध्ययन (Project preparation and feasibility study)
 - 15.4.5 प्रबन्धकीय कौशल (Managerial Skills)
 - 15.5 उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institutes)
 - 15.5.1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थायें (Institutions set up by Central Government)
 - 15.5.2 राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थायें (Institutions set up by State Government)
 - 15.6 उद्यमिता के प्रति वित्तीय संस्थाओं की भूमिका (Role of Financial Institutions Towards Entrepreneurship)
 - 15.7 उद्यमशीलता विकास में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की भूमिका (Role of Entrepreneurship Development Programmes in Entrepreneurship Development)
 - 15.8 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की धीमी गति के कारण (Reasons for The Slow Pace of Entrepreneurship Development Programmes)
 - 15.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
 - 15.10 सारांश (Summary)
 - 15.11 शब्दावली (Glossary)
 - 15.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
 - 15.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
 - 15.14 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
 - 15.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने उद्यमशीलता के मकसद को मजबूत करने और उद्यम को बढ़ावा देने और चलाने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं को हासिल करने में सहायता करने के लिए एक कार्यक्रम। एक प्रोग्राम जो संभावित उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उद्देश्य को समझने, प्रेरक पैटर्न, व्यवहार और उद्यमशीलता मूल्य पर उनके प्रभाव का आकलन करने का कार्य करता है। कई प्रोग्राम हैं जो नए कारोबारी विचार के बारे में संभावित उद्यमियों को जानकारी देते हैं, एक नया उद्यम स्थापित करने के तरीके, एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के तरीके, वित्त श्रोतों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों को ईडीपी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए; ये ईडीपी का एक हिस्सा हैं ईडीपी मुख्य रूप से विकासशील, उद्यमी प्रतिभा को प्रेरित करने और व्यवहार पर प्रेरणा के प्रभाव को समझने के लिए किये जाते हैं।

एक अच्छी तरह से तैयार की गई ईडीपी तीन पहलुओं पर विचार करती है:

1. औद्योगिक अवसरों, प्रोत्साहन, सुविधाएं और नियमों और विनियमों पर मार्गदर्शन।
2. उपलब्धि प्रेरणा और उद्यमशीलता के गुणों और व्यवहार को बढ़ाना।
3. प्रबंधकीय और परिचालन क्षमताओं को विकसित करना।

15.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- ✓ उद्यमशीलता का अर्थ समझ सकें।
- ✓ उद्यमशीलता कार्यक्रमों की परिभाषा तथा भूमिका से अवगत हो सकें।
- ✓ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में विभिन्न सस्थाओं की भागीदारी से परिचित हो सकें।
- ✓ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में वित्तीय संस्थानों की भूमिका से अवगत हो सकें।

15.3 उद्यमशीलता विकास का महत्व (Importance of Entrepreneurship Development)

उद्यमियों को आर्थिक विकास के एजेंट के रूप में माना जाता है वे धन पैदा करते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं, नए सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं और जीवन स्तर को बढ़ाते हैं। ईडीपी उद्यमियों को विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है जो सामाजिक-आर्थिक विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के शोषण की गति में तेजी लाने में मदद कर सकता है। यह लाभदायक स्व-रोजगार भी बना सकता है। एक ईडीपी उद्यमियों को तैयार करता है और उनको विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने और समझने के लिए सक्षम बनाती है। जिनका किसी भी उद्यमी को सामना करना पड़ सकता है। यह अनिश्चितताओं का सामना करने और लाभदायक जोखिम लेने के लिए उद्यमी को विश्वास दिलाता है यह उन्हें योग्य बनाने के लिए तैयार करता है और सहायता के विभिन्न रूपों का अच्छा उपयोग करता है।

निम्नलिखित तरीके से ईडीपी फायदेमंद हो सकता है-

गरीबी और बेरोजगारी को कम करना (Reducing poverty and unemployment)- ईडीपी स्वयं-रोजगार और उद्यमशीलता के कॅरिअर के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced regional development)- स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और अन्य समर्थन प्रदान करके ईडीपी विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के फैलाव में मदद करता है।

नए यूनिट का सफल लॉन्चिंग (Successful launching of new unit)- ईडीपी उद्यम की सफल शुरुआत, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा, क्षमता और कौशल विकसित करता है।

स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग (Maximum utilisation of local resources)- उद्यमियों को प्रशिक्षण और शिक्षित करके देश में प्राकृतिक, वित्तीय और मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

आर्थिक विकास (Economic development)- ईडीपी औपचारिकता और उद्यमशीलता के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग है।

नई पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है (Encourages new generation entrepreneurs)- ईडीपी, प्रशिक्षुओं में उद्यमशीलता क्षमताओं और कौशल को प्रोत्साहित करके, एक नई पीढ़ी के उद्यमी का निर्माण करता है जो अब तक एक उद्यमी नहीं था।

उद्यमी के लिए चयन प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद, चयनित उद्यमियों को उनके उद्यमों को शुरू करने के लिए प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए, कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण इनपुट का पैकेज प्रदान किया जाता है जो आम तौर पर छह सप्ताह की अवधि का होता है।

15.4 उद्यमशीलता का परिचय (Introduction to Entrepreneurship)

प्रतिभागियों को उद्यमिता के सामान्य ज्ञान जैसे कि छोटे पैमाने पर उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों, आर्थिक विकास में उद्यमियों की भूमिका, उद्यमशीलता के व्यवहार और छोटे पैमाने के उद्यमों की स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाना है।

15.4.1 समर्थन प्रणाली एवं प्रक्रियाएं (Support systems and processes)

प्रतिभागियों की स्थानीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक सेवा निगमों और अन्य संस्थानों जैसे कच्चे-सामग्रियों, उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित एजेंसियों के संपर्क में होना चाहिए। समर्थन प्रणाली पर कार्यक्रम की प्रक्रियाओं को शामिल करने की आवश्यकता है उनसे संपर्क करने, उनसे सहायता प्राप्त करने और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। प्रशिक्षण संस्थान और सहायता प्रणाली एजेंसियों के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है जो प्रायोजित और वित्त पोषण के लिए ईडीपी में इन एजेंसियों की भागीदारी है।

15.4.2 उपलब्धि प्रेरणा प्रशिक्षण (Achievement motivation training)

एएमटी का उद्देश्य जोखिम लेने, पहल और अन्य ऐसे व्यवहार या मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करना है। प्रेरणा विकास कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच आत्म-जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें सकारात्मक और वास्तविक रूप से सोचने में सक्षम बनाता है। उपलब्धि प्रेरणा प्रशिक्षण के बिना, एक ईडीपी एक साधारण कार्यकारी विकास कार्यक्रम बन जाता है। प्रेरणा प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, जोखिम लेने के लिए, सुधार के लिए, दक्षता आदि की भावना का उपयोग करने के लिए प्रारंभ करता है।

15.4.3 बाजार सर्वेक्षण (Market Survey)

छोटे व्यवसायों में वास्तविक जीवन स्थितियों वाले प्रतिभागियों को परिचित करने के लिए क्षेत्रों का दौरा भी किया जाता है। ऐसे दौरे से प्रतिभागियों को एक उद्यमी के व्यवहार, व्यक्तित्व, विचार और आकांक्षाओं के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा, प्रतिभागियों को उनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और बाजारों में निपटने के तरीकों पर उनका अनुसरण किया जा सकता है।

15.4.4 परियोजना की तैयारी और व्यवहार्य अध्ययन (Project Preparation and Feasibility Study)

समय की एक अच्छी अवधि परियोजनाओं की वास्तविक तैयारी के लिए समर्पित होना चाहिए। इस कार्य में सक्रिय भागीदारी उन्हें आवश्यक समझ प्रदान करेगी और उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित करेगी। ईडीपी के दौरान, विभिन्न मार्गदर्शन सत्र प्रशिक्षुओं को उपयुक्त व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए सहायक होते हैं। विभिन्न व्यावसायिक अवसरों पर सूचना और परामर्श प्रदान किया जाता है। कार्यक्रमों

15.4.5 प्रबंधकीय कौशल (Managerial Skills)

अपने उद्यमों का प्रबंधन करने के लिए उद्यमी को प्रबंधन कौशल, वित्त, उत्पादन और विपणन ज्ञान जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में बुनियादी और आवश्यक प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने की आवश्यकता होती है ताकि उद्यमी को अपने उद्यम को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाया जा सके।

15.5 उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institutes)

सरकार उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार, क्षेत्रीय विकास संतुलन के उद्देश्य से विभिन्न सुविधाओं को देकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित करती है। सरकार तकनीक, वित्त, बाजार और उद्यमशील विकास के क्षेत्र में उद्यमियों की मदद करने के लिए कार्यक्रम तैयार करती है ताकि वे इन परिवर्तनों को गति देने और अपनाने में मदद करें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई थी।

15.5.1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थानें (Institutions set up by Central Government)

1. उद्यमिता विकास संस्थान भारत (Entrepreneurship Development Institute India (EDI)):-

1983 में स्थापित एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई), सर्वोच्च वित्तीय संस्थानों- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत (एसबीआई) सहित ईडीआई ने बारह राज्य स्तर के अन्य उद्यमशीलता विकास केन्द्रों और संस्थानों को स्थापित करने में मदद की है। हालांकि संतोषजनक उपलब्धियों में से एक, कई पाठ्यक्रमों में उद्यमिता निवेश सहित कई राज्यों में स्कूलों, कॉलेजों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों और प्रबंधन स्कूलों में उद्यमशीलता प्रोत्साहन करना था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, संसाधन साझा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए उद्यमशीलता को विकसित करने के प्रयासों से, ईडीआई ने विश्व बैंक, कॉमनवेल्थ सचिवालय, यूएनआईडीओ, आईएलओ, ब्रिटिश काउंसिल, फोर्ड फाउंडेशन, यूरोपीय संघ, आसियान सचिवालय और प्रशंसकों से समर्थन प्राप्त किया है। कई अन्य प्रसिद्ध एजेंसियों के साथ ईडीआई ने कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम में उद्यमशीलता विकास केन्द्र भी स्थापित किया है।

2. लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organisation (SIDO)):-

अक्टूबर 1973 में व्यापार, उद्योग और विपणन मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सरकार के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में लघु उद्योगों के विकास के लिए नीति तैयार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एसआईडीओ सर्वोच्च संस्था है। भारत इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत रचनात्मक भूमिका निभा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत खंभे में से एक साबित हुआ है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना के माध्यम से एसआईडीओ भी विस्तारित समर्थन प्रदान करता है।

3. प्रबंधन विकास संस्थान (Management Development Institute (MDI))- एमडीआई गुडगांव (हरियाणा) में स्थित है। यह 1973 में स्थापित किया गया था और उद्योग में प्रबंधकीय प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसके लिए कार्यक्रम भी शामिल हैं। आईएएस, आईईएस, भेल, ओएनजीसी और कई अन्य अग्रणी पीएसयू के अधिकारी इसके प्रत्यक्ष सम्पर्क में रहते हैं।

4. अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड (All India Small Industries Board (AISISB))- छोटे पैमाने पर उद्योग बोर्ड (एसएसआई बोर्ड) सर्वोच्च सलाहकार संस्था है जिसे सरकार को छोटे पैमाने पर संबंधित सभी मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित किया गया है। यह केन्द्र सरकार के मंत्री के साथ छोटे उद्योगों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करता है। अध्यक्ष और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों अर्थात् केन्द्रिय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्तीय निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय लघु उद्योग बोर्ड, गैर सरकारी सदस्यों जैसे लोक सेवा आयोग, व्यापार और उद्योग सदस्यों आदि द्वारा गठित है।

5. उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली (National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), New Delhi)- यह भारत सरकार द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। यह उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। यह 1860 के भारत सरकार सोसायटी अधिनियम के अधीन है। संस्थान की प्रमुख गतिविधियां हैं-

- प्रशिक्षण, उपकरण और मैन्युअल को विकसित करने के लिए।
- प्रभावी रणनीतियों और तरीकों को बनाने के लिए।
- प्रशिक्षण के लिए मॉडल पाठ्यक्रम मानवीकृत करना।
- कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना।
- ईडीपी के लाभों का मूल्यांकन करना और उद्यमशीलता विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
- ईडीपी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना।
- उद्यमी विकास कार्यक्रमों को निष्पादित करने में सरकार और अन्य एजेंसियों के समर्थन में सहायता करना।

6. लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Small Scale Industry Extension Training)- यह हैदराबाद में मुख्यालय के साथ 1960 में स्थापित किया गया था। लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं:

- प्रबंधकीय और तकनीकी पहलुओं को सलाह देना।
- छोटे उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्देशन और समन्वय
- अनुसंधान और दस्तावेज के बारे में सेवाएं प्रदान करना।
- छोटे उद्यमियों और प्रबंधकों के लिए सेमिनार आयोजित करना।

7. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (National Small Industries Corporation Limited (NSIC))- एनएसआईसी की स्थापना 1955 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार की खरीद कार्यक्रमों में छोटे उद्योगों की सहायता के उद्देश्य से की गई थी। निगम अपने मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से छोटे उद्योगों के उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है। यह निर्यात में छोटी इकाइयों को भी सहायता करता है विदेशी देशों में उनके उत्पाद की माँग बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

8. राष्ट्रीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (National Research and Development Corporation (NRDC))- एनआरडीसी की स्थापना 1953 में भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं-

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता प्रदान करना
- प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं को समझना
- विभिन्न तकनीकी संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना और उनके द्वारा विकसित विभिन्न स्वदेशी तकनीक एकत्र करना।

9. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission (KVIC))- 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग को स्थापित किया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के विकास और विकास में लगा एक सेवा संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य हैं-

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना
- कौशल का सुधार
- ग्रामीण औद्योगिकीकरण
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- ग्रामीण लोगों के बीच मजबूत ग्रामीण समुदाय का आधार और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना।

10. भारतीय निवेश केन्द्र (Indian Investment Centre)- यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्यमियों के साथ विदेशी सहयोग को बढ़ावा देने और विदेशी उद्यमियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सहायता करना है।

11. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (Indian Institute of Entrepreneurship (IIE))- यह 1953 में लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। इसका उद्देश्य लघु उद्योग और उद्यमिता के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श संबंधी गतिविधियां करना है।

12. युवा उद्यमियों के राष्ट्रीय गठबंधन (National Alliance of Young Entrepreneurs (NAEE))- इसने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से उद्यमशीलता विकास की संख्या को प्रोयोजित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों को निवेश और स्व-रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है यह उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन्हें आवश्यक वित्त प्राप्त करने में मदद करता है। 1975 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी स्थिति बढ़ाने के लिए महिला विंग की भी स्थापना की।

13. विविध संगठन (Miscellaneous Organizations)- पूरे भारत के स्तर पर विभिन्न संगठनों द्वारा इस संदर्भ में सहायता प्रदान की जा रही हैं और उद्यमी विकास में लगे हैं। इसमें आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, सिडबी, यूटीआई, आईडीबीआई, आईबीआई आदि शामिल हैं।

14. उद्यमशीलता विकास केन्द्र अहमदाबाद (Centre for Entrepreneurship Development (CED) Ahmedabad)- इसे गुजरात सरकार और राज्य में सक्रिय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह विभिन्न केन्द्रों पर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- अवसरों के सर्वेक्षण के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए।
- वित्त, कारखाने शेड, कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली सहायक एजेंसियों के साथ उचित संबंध स्थापित किया गया था।

- c) उद्यमियों को चुनने के लिए व्यवहारिक परीक्षण किए गए
- d) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं को कवर किया गया है।

15. उद्यमशीलता विकास संस्थान (Institute for Entrepreneurship Development (IED))- इसे आईडीबीआई द्वारा अन्य वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थापित किया गया था। देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों की उद्यमशीलता के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईडीबीआई स्थापित की गई थी।

16. तकनीकी परामर्श संगठन (Technical Consultancy Organization (TCO))- टीसीओ का नेटवर्क पूरे देश में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है। इन संगठनों की स्थापना सामान्य रूप से उद्यमियों और विशेष रूप से छोटे व्यापार उद्यमियों को व्यापक पैकेज प्रदान करने के लिए की गई है उन मुख्य कार्यों में निम्न शामिल हैं:

- a) संभावित औद्योगिक परियोजना की पहचान करना।
- b) परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट और पूर्व-निवेश स्थिति की तैयारी।
- c) संभावित उद्यमियों की पहचान करना।
- d) तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
- e) परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक अध्ययन का आयोजन करना।
- f) प्रयोगशालाओं और डिजाइन केन्द्र की स्थापना के लिए सलाह प्रदान करना।

17. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks)- एनएईई के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन बैंकों का मुख्य जोर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में संभावित उद्यमियों की पहचान करना है। उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने मार्च 1977 में पश्चिम बंगाल राज्यों में उद्यमिता सहायता कार्यक्रम शुरू किया था। बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ और दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेशों में अगस्त 1972 से उद्यमशीलता सहायता कार्यक्रम शुरू किया।

उद्यमशीलता सहायता के महत्वपूर्ण रूप हैं-

- a) संभावित उद्यमियों की पहचान करना
- b) व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करना।
- c) परियोजना प्रोफाइल तैयार करने में सहायता करना
- d) परियोजना मूल्यांकन में सहायता करना।
- e) व्यावहारिक प्रशिक्षण

15.5.2 राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थायें (Institutions set up by State Government)

सफल उद्यमी विकास कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने, विकास, सहायता और बनाने के लिए राज्य स्तर पर कई संस्थान स्थापित हैं। इनमें से प्रमुख हैं-

- a) लघु उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई)
- b) राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी)
- c) राज्य लघु उद्योग निगम
- d) जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी)
- e) तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड (टीसीओ)

- f) औद्योगिक निदेशालय
- g) वाणिज्यिक और सहकारी बैंक
- h) राज्य औद्योगिक विकास निगम
- i) औद्योगिक एस्टेट
- j) राज्य उद्योग निगम।

उपर्युक्त राज्य और केन्द्र स्तर के संस्थानों ने भारत में उद्यमी विकास को बढ़ावा उद्यमी देने के लिए कई रियायतें और सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने देश में संतुलित औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

15.6 उद्यमिता के प्रति वित्तीय संस्थाओं की भूमिका (Role of Financial Institutions Towards Entrepreneurship)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने उद्यमशीलता के मकसद को मजबूत करने और उद्यम चलाने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम।

ईडीपी पहले पीढ़ी के उद्यमियों को विकसित करने और संभावित उद्यमियों की मानसिकता में कुल परिवर्तन लाने की नींव प्रदान कर सकती हैं।

ईडीपी की पाठ्यक्रम सामग्री आत तौर पर छह आदानों के होते हैं, अर्थात् उद्यमिता, उपलब्धि प्रेरणा प्रशिक्षण, समर्थन प्रणाली और प्रक्रियाएं, बाजार सर्वेक्षण और संयंत्र की यात्रा, प्रबंधकीय कौशल, परियोजना तैयार करने और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सामान्य परिचय।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करने की अवधारणा पहले 1973 में असम में शुरू की गई थी। संगठन, जैसे आईआईई, एसआईएसआई, एनएसआईसी, डीआईसी, गैर-सरकारी संगठनों की संख्या, उद्योग संघ, मंच आदि प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से उद्यमशीलता के विकास के लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

भारत में, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए ईडीपी के आयोजन में संलग्न है। यह सेटअप 6 में था सिडबी (लघु उद्योग डीवीपीपी बैंक ऑफ इंडिया) डिस्काउंटिंग 1989। बिल्स के जोखिम के विस्तार और जोखिम का विस्तार। वित्तीय सहायता को विस्तारित करना- इंडस को मुख्यालय के लिए कैपिटल या सॉफ्ट लोन की सहायता एसएसआईडीसी और तकनीकी अपग्रेडेशन एनएनएसआईसी को और आधुनिकीकरण सेवाएं उद्योग उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देती हैं, विशेष रूप से अर्द्ध शहरी क्षेत्र में।

15.7 उद्यमशीलता विकास में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की भूमिका (Role of Entrepreneurship Development Programmes in Entrepreneurship Development)

देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए उद्यमी हैं। उद्यमियों ने एक संगठन के लिए एक विचार विकसित किया, इसे शुरू किया, इसे व्यवस्थित किया और इसे प्रबंधित किया। किसी भी व्यावसायिक उद्यम की सफलता उसके ज्ञान, कड़ी मेहनत, आशावाद, दूरदर्शिता और सक्षम प्रबंधन पर निर्भर करती है। प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुभव के माध्यम से हासिल किए गए कुछ गुण उद्यमिता का विकास करते हैं। एक उद्यमी जो करता है उस, नवाचार, पहल, जोखिम लेने और कार्यान्वयन की कला को उद्यमिता कहा जाता है। **उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी)** व्यापार और उद्योग के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ईडीपी की सोच पर आधारित हैं कि लोगों के दृष्टिकोण को अपने कौशल के विकास के द्वारा बदल जा सकता है। ये सिर्फ

प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हैं बल्कि यह एक ऐसी तकनीक है जो प्रेरणा, कार्य क्षमता और भावी उद्यमिता के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है।

ईडीपी की आवश्यकता और महत्व को निम्नानुसार समझा जा सकता है-

- 1. रोजगार के अवसर (Employment Opportunities)-** ईडीपी लोगों को अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने और स्वयं रोजगार में सक्षम बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल नए उद्यमियों को रोजगार प्रदान करता है बल्कि दूसरे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाने हैं। भारत में भी कई कल्याण और विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि शामिल हैं।
- 2. पूंजी का गठन (Capital Formation)-** पूंजी निर्माण में ईडीपी की मदद जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है एक उद्यमी उद्यम के विकास और विकास के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करता है। वह लोगों की बचत में गतिशीलता लाता है। इस दिशा में आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबीएटीसी जैसे कई वित्तीय संस्थायें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है जो कि विकास और पूंजी के गठन में सहायता करती है।
- 3. परियोजनाओं के फार्मूलेशन (Formulation of Projects)-** कच्चे माल जैसी परियोजनाओं के निर्माण या तैयार करने में ईडीपी की सहायता ये कार्यक्रम पौधों, मशीनरी, उपकरण, कच्चे माल जैसी परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, जमीन और साइटें, श्रमिक संसाधन, वित्तीय संसाधन आदि का चयन करते हैं।
- 4. संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development)-** विकासशील देशों को असंतुलित क्षेत्रीय विकास की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जैसे राज्य हैं, जहां आर्थिक प्रगति बहुत तेज है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे अन्य राज्य भी हैं इनमें छोटे पैमाने पर इकाइयां स्थापित करने के लिए ईडीपी की मदद से पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना भी आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें भी कई रियायतें और सब्सिडी देती हैं जो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद करती हैं।
- 5. उद्यमशील गुणों का विकास (Development of Entrepreneurial Qualities)-** सभी उद्यमशीलता गुण उद्यमियों में स्वयं ही नहीं आते हैं। ऐसे कुछ गुण हैं जो एक उद्यमी को वफादारी, कड़ी मेहनत जैसे विरासत में मिलते हैं। जबकि अन्य गुण जैसे विश्लेषणात्मक क्षमता और ईडीपी के माध्यम से दूरदर्शिता को बढ़ाया या विकसित किया जा सकता है।
- 6. आयोजन और प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाना (Enhancing Organizing and Managerial Capabilities)-** उद्यमियों को अपने संगठन और प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करते हैं ताकि वे अपने उद्यम को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक चला सकें। यह शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईआईएसबीयूडी), नई दिल्ली और उद्यमिता विकास संस्थान भारतीय संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद उद्यमी विकास कार्यक्रमों में व्यस्त हैं।
- 7. परियोजना और उत्पाद के चयन में सहायक (Helps in Selection of Project and Product)-** ईडीपी उद्यमियों को विभिन्न परियोजनाओं और उत्पादों के मूल्यांकन में मदद करता है और सबसे उपयुक्त एक को चुनने में मदद करता है जिसे आसानी से शुरू किया जा सकता है और कम से कम जोखिम से अधिकतम मुनाफा प्रदान करता है और जो आगे के विकास के लिए अवसर है।

8. अवसरों की खोज और शोषण करने में मदद करता है (Helps in Discovering and Exploiting Opportunities)- इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, इंजीनियरिंग, कृषि, परमाणु ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कई अवसर हैं। यह ईडीपी है जो आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।

15.8 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की धीमी गति के कारण (Reasons for The Slow Pace of Entrepreneurship Development Programmes)

ईडीपी के धीमे प्रक्रम के कारण भारत में उद्यमिता के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों के दौरान चलाये गये हैं। फिर भी हम अपने उद्देश्य से बहुत दूर हैं। ईडीपी की धीमी प्रगति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

- उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन और सुविधाएं की कमी है।
- नौकरशाही और लालफीताशाही भी कारणों में से एक है।
- उद्यमी विकास के लिए भारत में उपलब्ध शिक्षा और प्रशिक्षण, सैद्धांतिक प्रकृति के अधिक है, जो कि ज्यादा व्यावहारिक महत्व नहीं है। जो लोग उच्च योग्य अन्य लोगों को इस संस्थानों में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनके कारण कम पारिश्रमिक दिया गया है।
- यदि संभावित उद्यमियों का चयन ठीक से नहीं किया जाता है तो ईडीपी का कोई फायदा नहीं है। भारत में अधिकांश संस्थान साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं। मनोवैज्ञानिक जैसे वैज्ञानिक चयन या प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जैसे - परीक्षा, मानसिक क्षमता आदि।
- ईडीपी के संचालन के लिए कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों और लक्ष्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे संस्थान भारत में हाल के वर्षों में मशरूम की तरह उभर रहे हैं, जो गैर सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से ईडीपी के बुनियादी उद्देश्यों को नहीं जानते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा बनाना है।
- उद्यमियों के विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले संस्थान गुणवत्ता के मुकाबले प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि पर अधिक जोर देते हैं जिसके कारण सक्षम उद्यमी उद्योग में नहीं आते हैं और निश्चितताओं और विफलताओं का सामना करते हैं।
- ईडीपी के अधिकांश 4 से 6 सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किए जाते हैं जो उद्यम चलाने के लिए बुनियादी गुण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए पूर्व-योजनाबद्ध और बुनियादी सुविधाएं आवश्यक हैं। इस तरह की सुविधाओं की कमी है जैसे - ग्रामीण इलाकों में उचित जगह, पर्यावरण, परिवहन आदि, जिसके कारण इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य पराजित हो गया है।

15.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

- छोटे व्यवसायों में वास्तविक जीवन स्थितियों वाले प्रतिभागियों को परिचित करने के लिए का दौरा किया जाता है। (बाजार या क्षेत्रों)
- बाजार सर्वेक्षण से प्रतिभागियों को उद्यमी के और के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। (व्यवहार, विचार, या शौक, आदतें)

3. ईडीपी के दौरान, प्रशिक्षुओं को अवसरों की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए मार्गदर्शन सत्र प्रदान किए जाते हैं। (वित्तीय या व्यावसायिक)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. उद्यमियों को उनके उद्यम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन कौशल, विपणन और उत्पादन ज्ञान की आवश्यकता होती है।
2. सरकार उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना नहीं करती है।

15.10 सारांश (Summary)

ईडीपी लोगों को अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने और स्वयं रोजगार में सक्षम बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल नए उद्यमियों को रोजगार प्रदान करता है बल्कि दूसरे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाने हैं। भारत में भी कई कल्याण और विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि शामिल हैं। पूंजी निर्माण में ईडीपी की मदद जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है एक उद्यमी उद्यम के विकास और विकास के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करता है। वह लोगों की बचत में गतिशीलता लाता है। इस दिशा में आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबीएटीसी जैसे कई वित्तीय संस्थान वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है जो कि विकास और पूंजी के गठन में सहायता करती है। परियोजनाओं के निर्माण या तैयार करने में ईडीपी की सहायता कार्यक्रम मशीनरी, उपकरण, कच्चे माल जैसी परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, जमीन और साइटें, श्रमिक संसाधन, वित्तीय संसाधन आदि का चयन करते हैं।

विकासशील देशों को असंतुलित क्षेत्रीय विकास की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न राज्य सरकारें भी कई रियायतें और सब्सिडी देती हैं जो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद करती हैं। सभी उद्यमशीलता गुण उद्यमियों में स्वयं ही नहीं आते हैं। ऐसे कुछ गुण हैं जो एक उद्यमी को वफादारी, कड़ी मेहनत जैसे विरासत में मिलते हैं। जबकि अन्य गुण जैसे विश्लेषणात्मक क्षमता और ईडीपी के माध्यम से दूरदर्शिता को बढ़ाया या विकसित किया जा सकता है। उद्यमियों को अपने संगठन और प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करते हैं ताकि वे अपने उद्यम को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक चला सकें। यह शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नई दिल्ली और उद्यमिता विकास संस्थान भारतीय संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद उद्यमी विकास कार्यक्रमों में व्यस्त हैं।

ईडीपी उद्यमियों को विभिन्न परियोजनाओं और उत्पादों के मूल्यांकन में मदद करता है और सबसे उपयुक्त एक को चुनने में मदद करता है जिसे आसानी से शुरू किया जा सकता है और कम से कम संभव जोखिम वाले अधिकतम मुनाफा प्रदान करता है और जो आगे के विकास के लिए अवसर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, इंजीनियरिंग, कृषि, परमाणु ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कई अवसर हैं। यह ईडीपी है जो आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।

15.11 शब्दावली (Glossary)

- **उपलब्धि प्रेरणा प्रशिक्षण (Achievement Motivation Training)-** एएमटी का उद्देश्य जोखिम लेने, पहल और अन्य ऐसे व्यवहार या मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करना है। प्रेरणा विकास कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच आत्म-जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें सकारात्मक और वास्तविक रूप से सोचने में सक्षम बनाता है।

- **उद्यमिता विकास संस्थान(Institute for Entrepreneurship Development (IED))-** सरकार उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार तकनीक, वित्त, बाजार विकास के क्षेत्र में उद्यमियों की मदद करने के लिए कार्यक्रम तैयार करती है ताकि वे इन परिवर्तनों को गति और अपनाते में मदद करें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई थी।
- **उद्यमशीलता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute)-** इसे आईडीबीआई द्वारा अन्य वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थापित किया गया था।
- **भारतीय निवेश केन्द्र (Indian Investment Centre)-** यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्यमियों के साथ विदेशी सहयोग को बढ़ावा देने और विदेशी उद्यमियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सहायता करना है।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (National Small Industries Corporation Limited (NSIC))-** एनएसआईसी की स्थापना 1955 में केंद्रीय सरकार द्वारा सरकार की खरीद कार्यक्रमों में छोटे उद्योगों की सहायता के उद्देश्य से की गई थी। यह निर्यात में छोटी इकाइयों को भी सहायता करता है विदेशी देशों में उनके उत्पाद की माँग बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

15.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. क्षेत्रों 2. व्यवहार, विचार 3. व्यावसायिक

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. असत्य

15.13 संदर्भ ग्रन्थ सची (Bibliography)

- Agarwal, A. N. (1995) - Indian Economy, Problems of Development and Planning - Wiley Eastern Limited, Delhi.
- Deepthi A. and K. Lavanya Latha (2012) - Growth of Small Scale Entrepreneurship: A Case Study of Nellore District - International Journal of Economics and Management 6(1): 98 – 114.
- Singh Pritam (1966) - The Role of Entrepreneurship in Economic Development: Issues and Policies - Vora and Company, Mumbai, p.228.
- Baruah, R. K. (2005) - Financing Small Scale Industries - Omsons Publications, Delhi.
- Hamid, S. A. (1989) - Management and Development in Small Scale Industries - Anmol Publications, New Delhi.
- Kuchhal, S. C. (1989) - The Industrial Economy of India - Chaitanya Publishing House, New Delhi.
- Vasant Desai. (2004) - Dynamics of Entrepreneurial Development and

Management - Himalaya Publishing House: New Delhi, p.17.

- Report On the Evaluation Of Entrepreneurship Development Institution Scheme- The Ministry of MSME, Government of India, New Delhi.
- Somwanshi S.A. Sickness of Small Scale Industries in Marathwada – Management of Industrial Sickness, Pointer Publisher, Jaipur.
- Bajaj, Shammi (2012) - women entrepreneurs: a new face of India - IJRIM, November 2012, Volume 2, Issue 11, 123-127.
- SIET: Small Industries Training and Extension Institute (1974) - Evaluation of Entrepreneurial /Motivation Training Programme in Assam, (Research Report), Hyderabad.
- Khanka, S.S. (2005) - Entrepreneurial Development - S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
- Awasthi, D. (1989) - Impact Study of Entrepreneurship Development Programmes conducted by EDI-I: Methodological Issues and Summary Results - Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.
- NISIET: National Institute of Small Industry Extension and Training (1990) - Entrepreneurship Development in North- Eastern Region - Planning, Implementation and Evaluation, Guwahati.
- Singh, M. (1990) - An Evaluation Study of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) - NITCON, Department of Management Studies, Punjab University, Patiala.
- Mahajan, V. (1992) - How Entrepreneurship Development Programmes are Evaluated: An Assessment - Working Paper, Development Management Consultants, New Delhi.
- Gupta, S.K. (1990) - Entrepreneurship Development Training Programme in India - Small Enterprise Management, Vol.1, No. 4: pp.34-Saini, J.S. (1996) - Entrepreneurship Development Programmes and Practices - Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
- Gupta B. L. & Anil Kumar – Entrepreneurship Development (2009) – Mahamaya Publishing House, New Delhi.
- Ahmad, Nisar. (2009) - Problems and Management of Small Scale and Cottage Industries - Deep and Deep Publications, New Delhi.
- Indira Kumari (2014) - A Study on Entrepreneurship Development Process in

India - Indian Journal Of Researc, Volume 3, Issue 4, April 2014.

- Ahmed, J. U. (2007). Industrialization in Northeastern Region. New Delhi: Mittal Publications.
- Bharti, R. K. (2008) - Industrial Estate in Developing Economies - National Publishing House, New Delhi.
- Devi, S. A. (1995) - Development of Small Scale and Household Industries in Manipur- During Plan Period – Thesis submitted to Manipur University, Imphar.

15.14 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

15.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमशीलता विकास का परिचय देत हुये इसका महत्व समझायें।
2. उपलब्धि प्रेरणा, बाजार सर्वेक्षण एवं प्रबन्धकीय कौशल पर टिप्पणी लिखिए।
3. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न उद्यमिता विकास सस्थानों पर विस्तार से लेख लिखें।
4. उद्यमिता के प्रति वित्तीय सस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
5. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य को समझाते हुए इनकी उपलब्धियों की जानकारी दीजिए।
6. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की धीमी गति के कारणों पर प्रकाश डालें।

इकाई 16- उद्यमिता के माध्यम से विकास एवं संक्रमण (Growth and Transition through Entrepreneurship)

- 16.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 16.2 उद्देश्य (Objectives)
- 16.3 उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)
- 16.4 भारत में उद्यमशीलता के विकास की सम्भावनायें (Prospects for Entrepreneurship Development in India)
- 16.5 लघु उद्योगों का महत्व (Importance of Small Scale Industries)
- 16.6 लघु व्यवसाय में उद्यमिता का संवर्धन (Promotion of Entrepreneurship in Small Business)
- 16.7 लघु उद्योगों के माध्यम से उद्यमशीलता विकास (Entrepreneurship Development through Small Scale Industries)
 - 16.7.1 लघु उद्यमियों का योगदान (Contribution of Small Entrepreneurs)
- 16.8 उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास (Entrepreneurship and Industrial Development)
- 16.9 आर्थिक विकास में एक उद्यमी की भूमिका (Role of an Entrepreneur in Economic Development)
- 16.10 औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका (Role of Entrepreneurship in Industrial Development)
- 16.11 भारतीय उद्यमशीलता का परिदृश्य (Indian Entrepreneurship Scenario)
- 16.12 भारत में उद्यमिता विकास के लिए अवसर (Opportunities for Entrepreneurship Development in India)
- 16.13 आर्थिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका (Role of Entrepreneurship in Economic Development)
- 16.14 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 16.15 सारांश (Summary)
- 16.16 शब्दावली (Glossary)
- 16.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)
- 16.18 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)
- 16.19 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)
- 16.20 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

उदारीकरण के बाद भारत में औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर उद्यमियों को बनाने के लिए अधिक गतिशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि नए उद्यमियों के विकास में भी मदद मिलेगी। अपने सामरिक उपकरणों के रूप में प्रौद्योगिक और गुणवत्ता का उपयोग करते हुए, जो कि घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को लेकर कार्य कर सकते हैं, वे शब्द के वास्तविक अर्थ में आविष्कार और उद्यमी हैं। यह तब हासिल किया जा सकता है जब अधिक से अधिक लोगों को एक कैरियर के रूप में उद्यमिता का चयन करने और उनकी ऊर्जा और संसाधनों को उत्पादक उपयोग में रखने के लिए प्रेरित किया गया हो।

भारत में लघु, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के भीतर उद्यमशीलता का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर 'विकास का इंजन' कहा जाता है। हम भारत में इस क्षेत्र की एक समीक्षा के साथ शुरू करते हैं और कुछ हाल के रुझानों को देखते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इस क्षेत्र के विकास और महत्व को उजागर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र को मजबूत करने और विकसित करने के उद्देश्य से संघीय और राज्य स्तर पर प्रमुख नीति परिवर्तन हुए हैं। 2006 की एमएसएमई विकास अधिनियम शायद इन हालिया नीतिगत परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण है।

एक देश प्रचुर मात्रा में और अकुशल प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों, मशीनरी और पूंजी के उपकरण रख सकता है, लेकिन जो ऐसे संसाधनों को सही अनुपात में जोड़ते हैं, कार्य निर्धारित करते हैं और अपनी उपलब्धियों को देखते हैं वह है उद्यमी। संक्षेप में, ये एक उद्यमी के कार्य हैं। उद्यमी आर्थिक गतिविधि के केंद्रीय आंकड़े हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक व्यवसाय इकाई के मामलों को आरंभ, व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और नियंत्रित करने के लिए उत्पाद की आपूर्ति के लिए उत्पादन के कारकों को जोड़ते हैं, चाहे वह व्यवसाय कृषि, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हो। जैसे, विकास या अंडर-विकास समाज में उद्यमशीलता के विकास या अंडर-डेवलपमेंट का प्रतिबिंब है। इसलिए उद्यमशीलता कौशल, सबसे कीमती प्राकृतिक कब्जे के रूप में माना जाना चाहिए।

16.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- ✓ उद्यमिता विकास से परिचित हो सकें तथा उद्यमशीलता विकास की सम्भावनाओं की समीक्षा कर सकें।
- ✓ उद्यमशीलता विकास में लघु उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डालना सकें।
- ✓ आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता तथा उद्यमिता की भूमिका को समझ सकें।
- ✓ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का भारत के संदर्भ में अवलोकन कर सकें।

16.3 उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)

देश के आर्थिक विकास में उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास के एक घटक के रूप में उद्यमशीलता के विकास का महत्व लंबे समय से मान्यता प्राप्त करता रहा है। यह 1950 की शुरुआत थी कि उद्यमशीलता के विकास की आवश्यकता पहले महसूस की गई तब से इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान चला गया है। देर से, उद्यमिता देश के चारों ओर के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। नतीजतन, कई क्षेत्रों में कई उद्यमी अवसर उभर रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, संचार, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार, खाद्य प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग, इन सभी और कई अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता के अवसर तेजी से सामने आए हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से तकनीकी प्रगति ने उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक जानकार और उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में गहन बना दिया है, विशेषकर अकुशल श्रमिकों के लिए नए रोजगार अवसरों के निर्माण को सीमित करना, विलय के जरिए फर्मों को कम करके, अधिग्रहण और अन्य पुनर्गठन अभ्यास ने अपने मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य को दांव पर लगाया है। क्योंकि उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण, कौशल और प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करने के लिए आवश्यक अभिविन्यास की कमी है। बढ़ती आबादी की समस्या ने दुनिया के कई विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या को और अधिक तीव्र बना दिया है।

आमतौर पर दो तरीके हैं जो एक अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से निपटने के लिए सुझाए गए हैं। पहला युवाओं को पेशेवर के साथ-साथ पारंपरिक तरीकों / पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित करने और प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करने के लिए उन्हें तैयार करना है। दूसरा, सिखाना और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित करना है।

बेहतर विकल्प के रूप में यह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की धन-निर्माण प्रक्रिया को जोड़ता है, जिससे देश की तेजी से विकास और विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए उद्यमिता का विकास, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के अलावा, इसके वर्तमान और भावी विकास संभावनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत में, राज्य और निजी उद्यमिता सह-अस्तित्व में हैं। छोटे पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र और व्यवसाय पूरी तरह से निजी उद्यमियों पर छोड़ दिया गया है। लघु-स्तरीय उद्यम उद्यमिता के लिए एक प्रजनन स्थल है। इसके विपरीत, उद्यमशीलता के विकास के कारण मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर क्षेत्र का तेजी से विकास भी सच है। इसलिए, इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में पहचान और प्रोत्साहन उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

16.4 भारत में उद्यमशीलता के विकास की सम्भावनायें (Prospects for Entrepreneurship Development in India)

भारत में उद्योग में गुणवत्ता वाले लोगों की कमी है, जो पूरे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के उच्च स्तर की मांग करता है। भारत, एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था वाला देश है। वैश्विक स्तर पर नए उद्यमियों को देने के लिए बौद्धिकता का अपना दायरा है। भारत जैसे देश में उद्यमशीलता के विकास का क्षेत्र बहुत जबरदस्त है। वर्तमान दशक के पहले छमाही के दौरान प्राप्त रोजगार में उच्च वृद्धि प्राप्त की। इसी अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उच्च वृद्धि के सकारात्मक परिणामों में से एक है। ये स्थानिक सांद्रता विभिन्न प्रकार के आर्थिक और गैर-आर्थिक अंतर-फर्म संबंधों को जन्म देती है।

औद्योगिक क्लस्टर (Industrial Cluster)- विकसित देशों में बड़ी संख्या में समूहों के अनुभव दर्शाते हैं कि व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर-फर्म संबंधों के कारण, समूहों में सभी एसएमई पैमाने और अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव करते हैं जो दक्षता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अग्रणी है। क्लस्टर को माइक्रो / छोटे और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रीय और भौगोलिक एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें फोकस / यूनिट स्तरीय विशेषज्ञता और सामग्री के आदान-प्रदान और मानव संसाधनों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विकास के लिए इंटरकनेक्टेड उत्पादन प्रणाली शामिल है।

क्लस्टर बनाने के लिए स्थानीय बाजार / मध्यस्थों की उपलब्धता भी एक क्लस्टर का सामान्य लक्षण है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समूहों के विकास पर विशेष बल दिया है। अगस्त 2003 में, क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मंत्रालय ने लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (एसआईसीडीपी) को शुरू किया था। यह उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन सहित मार्केटिंग, निर्यात, कौशल विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने आदि क्लस्टर के विकास के समग्र स्वरूप को अपनाने के द्वारा व्यापक आधार पर बनाया गया था। बाद में योजना के दायरे को चौड़ा करने के लिए, 2003-04 के दौरान योजना के प्रदर्शन में अचानक बढ़ोतरी हुई थी। योजना के एक व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए, क्लस्टर

डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव (सीडीई) के एक कैडर को प्रशिक्षित और विकसित किया गया है, जिससे भारत के उद्यमिता विकास संस्थान क्लस्टर विकास कार्यक्रम की पद्धति में एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। ईडीआई ने अब तक लगभग 600 सीडीई के बारे में प्रशिक्षित किया है। वर्तमान में पूरे देश में विभिन्न संगठनों और मंत्रालयों द्वारा 500 क्लस्टर के करीब विकसित किया जा रहा है।

औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में दिए गए दिशानिर्देशों के बाद, योजनाकारों ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर तेजी से जोर दिया। 1956 से, सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है जैसे कि रियायती विविक्त बुनियादी ढांचा सुविधाओं, समर्थन संस्थानों के निर्माण और तकनीकी और प्रबंधकीय मार्गदर्शन और सुरक्षात्मक उपायों जैसे कि 675 उत्पादों को विशेष रूप से माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार ने एमएसएमई से कीमतें प्राथमिकता के आधार पर खरीदी की हैं ताकि विपणन समर्थन के साथ क्षेत्र को उपलब्ध कराया जा सके, इसके अलावा 358 वस्तुओं को केवल छोटे पैमाने पर उद्योगों से खरीदना शामिल है। सरकार ने संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क बनाया है जो उभरने और माइक्रो और देश में छोटे उद्यम नतीजतन, भारत में छोटे उद्यम क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

आजादी के बाद औद्योगिक विकास (Industrial Development after Independence)- आजादी से पहले, बड़े निजी उद्योगों के स्वामित्व या नियंत्रण एजेंसियों के हाथों में थे, जो ब्रिटिश प्रणाली के तहत बढी और लंदन के मनी मार्केट तक पहुंच थी। इस प्रकार आजादी से पहले इन प्रबंध एजेंसियों के मालिकों ने अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित किया। लेकिन आजादी के बाद चीजें बदल गईं संसद ने एजेंसियों के प्रबंध करने के शक्तियों को रोकने के लिए एक कानून बनाया। 1971 तक सरकार ने प्रबंध एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1948 में घोषित औद्योगिक नीति संकल्प, स्पष्ट रूप से औद्योगिकीकरण के संबंध में सरकार की नीति के लक्ष्य को आगे बढ़ाया और उन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया। उन उद्योगों को पूरी तरह से सरकार द्वारा स्वामित्व था। जैसे परमाणु ऊर्जा, रेलवे और राष्ट्रीय महत्व का कोई भी उद्योग। कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीग्राफ और संचार जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को दस साल तक काम करने की अनुमति दी गई थी, जिसके अंत में सरकारें उनका राष्ट्रीयकरण करेगी। राज्य सरकारों के साथ संपर्क में 18 विशिष्ट उद्योगों का एक समूह केन्द्र सरकार का नियंत्रण था। शेष औद्योगिक विकल्पों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था।

16.5 लघु उद्योगों का महत्व (Importance of Small Scale Industries)

छोटे पैमाने के उद्योग को पारंपरिक और आधुनिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है मोटे तौर पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि 'खादी और ग्रामोद्योग', 'हथकरघा', 'हस्तशिल्प', 'कुयर' और 'रेशम उत्पादन' लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र की प्रगति में एक सामरिक भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग बड़े पैमाने पर पारंपरिक रूप से आधुनिक प्रौद्योगिकी से आर्थिक प्रगति में एक मंच का प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटे पैमाने पर उद्योग हमारे देश के विकास में प्रमुख स्थान पर हैं। यह एक देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में उनके महत्व के कारण है। लघु-स्तरीय उद्योग विकसित और साथ ही विकासशील देशों की उत्पादक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसआई का उचित विकास हमारी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

छोटे उद्योगों के विकास का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने, आय और जीवन स्तर के स्तर को बढ़ाने और एकीकृत अर्थव्यवस्था के लिए अधिक संतुलित विकास लाने के लिए है। यह सच है कि छोटे उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन हैं वे नौकरी प्रदाताओं और तकनीकी नवप्रवर्तनकर्ता हैं इस क्षेत्र में रोजगार, उद्योगों के फैलाव, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और देश में विदेशी

बाजारों की कमाई के लिए एक उच्च क्षमता है। लघु उद्योग भारत के निर्यात का 35 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन का 45 प्रतिशत, सेवा का 65 प्रतिशत, रोजगार सृजन का 80 प्रतिशत योगदान करते हैं।

लघु-स्तरीय उद्योगों का महत्व एक वैश्विक घटना है जिसमें विकासशील और विकसित देशों दोनों शामिल हैं। एक अनुमान है कि विशाल निगम की उम्र खत्म हो गई थी और भविष्य में छोटे, गतिशील, कुशल उत्पादन समूहों के साथ लगाया गया था जो विश्व स्तर पर ग्राहकों की जरूरतों पर शीघ्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इकटिटी और दक्षता के साथ विकास की कुंजी रखने वाले छोटे उद्यमों पर जोर दिया जाता है। भारत में, लघु उद्योग विनिर्माण गतिविधियों को दर्शाता है।

छोटे उद्यम लगभग हमेशा स्थानीय रूप से स्वामित्व वाले होते हैं और नियंत्रित होते हैं, और वे विस्तारित परिवार और अन्य सामाजिक प्रणालियों और सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने की बजाए मजबूत कर सकते हैं जो उनके अधिकार के साथ-साथ राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों में भी महत्वपूर्ण हैं।

छोटे पैमाने पर उद्योगों को उच्च स्तर की तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। ये आम तौर पर श्रम में गहन होते हैं और बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। बेरोजगार और नियोजित लोगों की ऊर्जा का उपयोग अर्थव्यवस्था में उत्पादक प्रस्तावों के लिए किया जा सकता है जिसमें पूंजी कम है। एसएसआई परियोजनाओं को थोड़े समय में किया जा सकता है और इसलिए ये दोनों लघु और लंबी अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अधिकांश विकासशील देश कुछ कृषि, वन और खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं, छोटे पैमाने पर उद्यम स्थानीय स्तर पर निर्मित कच्चे माल के प्रसंस्करण पर आधारित हो सकते हैं। छोटे व्यवसाय के लिए अवसर बनाकर, छोटे औद्योगिक उद्यमों की आय का एक अधिक न्यायसंगत वितरण लाया जा सकता है जो सामाजिक रूप से आवश्यक और वांछनीय है। यह समृद्धि को फैलाने और एकाधिकार का विस्तार देखकर समाज में आर्थिक स्थिरता पैदा करने में मदद करता है। एसएसआई उद्यमों के विकास से विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे। इससे नौकरियों की तलाश में ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।

पिछले छह दशकों में भारत में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण वृद्धि केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र के लिए उच्च प्राथमिकता के कारण है। एसएसआई इकाइयों की संख्या 1981 में 8.74 लाख से बढ़कर 2002 में 34.64 लाख हो गई। एसएसआई इकाइयों ने उत्पादन, रोजगार और निर्यात आय के मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इकटिटी के साथ विकास को बढ़ावा देता है। देश भर में रोजगार सृजन की इसकी दर किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे तेज है।

16.6 लघु व्यवसाय में उद्यमिता का संवर्धन (Promotion of Entrepreneurship in Small Business)

एक उद्यमी द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला व्यवसाय देश में आर्थिक समृद्धि ला सकता है। सामान्य भलाई और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता उद्यमशीलता व्यवसाय के लिए आवश्यक शर्तें हैं। नए उद्यमों के निर्माण और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के पास जिनके पास उद्यम चलाने का विशेष ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति के एक समूह का एक हिस्सा होता है। इसलिए हर देश को ऐसे तकनीकी लोगों की जरूरत है, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है।

एक व्यक्ति जो पहल करता है और नेतृत्व को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में एक गुणवत्ता को प्रमोटर के रूप में जानता है। पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होती है जब ऐसे व्यक्ति को उद्यम शुरू करने के सकारात्मक विचार मिलते हैं और यह तब समाप्त होता है जब उद्यम वास्तव में अस्तित्व में आता है और सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू करता है। छोटे व्यवसाय की पदोन्नति तब शुरू होती है जब एक उद्यमी एक नया व्यापार उद्यम शुरू करने के विचारों की कल्पना करता है। इस तरह के एक प्रमोटर के पास कुछ निश्चित पृष्ठभूमि होने चाहिए।

वह तकनीकी रूप से अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए और इस तरह के उद्यम के बारे में सही ज्ञान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय चलाने और उसके विचारों को लागू करने के लिए योग्य है, तो उनकी सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ी है। कुछ मामलों में, एक व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में काम करके और एक सफल उद्यमी बनकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है उन्हें उत्पाद के बारे में पूर्ण ज्ञान और छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के बारे में सरकारी नीतियां चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें उन उत्पादों को जानना चाहिए जो सरकार द्वारा छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग रखा गया है।

16.7 लघु उद्योगों के माध्यम से उद्यमशीलता विकास (Entrepreneurship Development through Small Scale Industries)

पिछले दो दशकों में भारत में लघु उद्योगों के विकास की योजना आर्थिक विकास की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तेजी से और विकेन्द्रीकृत विकास में आधुनिक छोटे-बड़े उद्योग एक शक्तिशाली कारक हो सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु-स्तरीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को अपेक्षाकृत छोटी पूंजी लागत पर पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने की अपनी क्षमता के कारण पहचाना गया है, जो स्थानीय संसाधनों को जुटाने में मदद करता है।

भारत में आधुनिक छोटे पैमाने पर उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध से लगभग पहले अस्तित्वहीन थे। युद्ध के वर्षों के दौरान, जहाज पर दबाव को दूर करने और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रूझान को रोकने के लिए युद्ध के प्रयासों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कई छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। आजादी के बाद पचास वर्षों के दौरान, संगठित प्रयास किए गए और छोटे पैमाने पर उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम 'फोर्ड-फंडेशन' प्रयासों की एक टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गर्वित हुआ, जिसे देश में आमंत्रित किया गया था।

छोटे पैमाने पर उद्योगों में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देने के द्वारा इस प्रोत्साहन को उचित समझा गया है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में छोटे उद्यम विभिन्न क्षेत्रों में लगभग चालीस लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, और देश में कुल वार्षिक औद्योगिक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। रोजगार और उत्पादन में योगदान के अलावा, छोटे उद्योगों के विकास ने स्थानीय संसाधनों और कच्चे माल, पूंजी और कौशल का उपयोग करने में मदद की है। लघु उद्योगों ने औद्योगिकीकरण को सफलतापूर्वक देश के कोने-कोने तक फैलाया है।

16.7.1 लघु उद्यमियों का योगदान (Contribution of Small Entrepreneurs)

योगदान की एक विस्तृत श्रृंखला है। जिसमें उद्यमियों द्वारा विकास प्रक्रिया में ये किया जा सकता है।

1. अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और परिवर्तन में उद्यमिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. उद्यमिता से स्थापित सामाजिक संस्थानों की आर्थिक कमी और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने में मदद करता है।
3. उद्यमी बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं और इस प्रकार स्थिर और गतिशील बाजार की अक्षमताओं को कम करते हैं।
4. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत छोटे उद्यमी सरकार और उनके कार्यक्रम आर्थिक विकास को बाधित करते समय सरकारी अधिकार स्थापित करते हैं।
5. उद्यमियों ने आर्थिक रूप से सकारात्मक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी होने के बिना, समाज के भीतर धन, आय और राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण प्रोत्साहित किया है।
6. उद्यमिता तकनीकी और अन्य नवाचारों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाता है।
7. निरर्थक, पहले की अनदेखी प्रतिभाओं का उपयोग करके देश के सामाजिक कल्याण में उद्यमियों को सुधारना।

8. उद्यमिता नए आविष्कारों और उत्पादों के व्यावसायीकरण में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है।

16.8 उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास (Entrepreneurship and Industrial Development)

भारत की आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की सफलता पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से योगदान करने के लिए कृषि की सीमाओं के कारण, औद्योगिक क्षेत्र, जो संसाधनों के साथ संपन्न है, ने इस संबंध में हमारे देश में अधिक महत्व ग्रहण किया है। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए, हमारे योजनाकारों का लक्ष्य है कि तेजी से औद्योगीकरण के माध्यम से औद्योगिक विकास में तेजी लाने और हमारे देश को सम्पन्न, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ संपन्न करना है। इसके अलावा, योजनाकारों ने यह भी एहसास किया है कि इन अदभुत प्रयासों में लोगों की भूमिकाएं और उनकी क्षमताओं को खोलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मानव कारक की कोई लापरवाही केवल देश की आर्थिक समृद्धि को कमजोर कर देगी। नतीजतन, सरकार की औद्योगिक नीतियों और लगातार पांच वर्षीय योजनाओं ने सरकार को औद्योगिक विकास में मानव कारक को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का इरादा दोहराया। इस प्रकार, उद्यमी एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है और सभी आर्थिक गतिविधियों के तंत्रिका केन्द्र बन गया है।

उद्यमशीलता का विकास, जो एक मानवीय गतिविधि है, हमारे देश की आर्थिक विकास और समृद्धि को देखते हुए अनिवार्य हो गया है। आज के विकासशील देशों के साथ-साथ औद्योगिकीकरण को तेज करने पर बहुत भरोसा है, जिस पर उनका आर्थिक विकास निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य और भौतिक संसाधनों के संयोजक, उपभोक्ता के रूप में, और विनिमय एजेंट के रूप में केन्द्र में खड़ा होता है। विभिन्न भूमिकाओं में उन्हें खेलना है, मानव संसाधन संसाधनों के एक आयोजक के रूप में उनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक है। उनकी भूमिका के बिना, उत्पादन के संसाधन स्थिर रहते हैं और कभी भी उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं।

यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्पादन के कारण आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र और आर्थिक विकास के प्रणोदक हैं। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में, उद्यमियों को नए अवसरों का अनुभव करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो उन्हें तलाशने और जोखिम में लेने के लिए तैयार है उद्यमिता और आर्थिक विकास एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एक समाज के आर्थिक जीवन में उद्यमी एक गतिशील बल हैं और अपने उत्पादक संसाधनों के आयोजक हैं। सही उद्यमशीलता का विकास विकासशील देशों की सबसे गम्भीर समस्याओं में से एक है, और पर्याप्त संख्या में हमारे देश के सही प्रकार के उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास में बाधा है।

16.9 आर्थिक विकास में एक उद्यमी की भूमिका (Role of an Entrepreneur in Economic Development)

उद्यमी, जो एक व्यवसायी नेता है, विचारों को देखता है और उन्हें आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने में प्रभाव डालता है। एक देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण इनपुट में से एक है। उद्यमी अपने उद्यमी फैसलों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को चिंगारी देने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। वह न केवल एक देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में खेती और सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास में एक उद्यमी द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका पर व्यवस्थित और व्यवस्थित ढंग से चर्चा की गई है।

1. पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है (Promotes Capital Formation)- उद्यमी जनता की निष्क्रिय बचत को जुटाकर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। वे अपने स्वयं के साथ-साथ उधार संसाधनों को भी रोजगार देते हैं।

2. **बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करता है (Creates Large Scale Employment Opportunities)-** उद्यमी बेरोजगारों को तत्काल बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं जो अविकसित देशों की एक पुरानी समस्या है। उद्यमियों द्वारा अधिक से अधिक इकाइयों की स्थापना के साथ, छोटे और बड़े पैमाने पर कई अन्य अवसरों पर दोनों के लिए दूसरों को बनाया जाता है जैसे-जैसे समय बीत जाता है, इन उद्यमों का विकास होता है, कई और अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, उद्यमियों ने देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में एक प्रभावी भूमिका निभायी है जो बदले में देश के आर्थिक विकास की राह हो दूर करता है।
3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है (Promotes Balanced Regional Development)-** उद्यमियों ने कम विकसित और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद की है। इन क्षेत्रों में उद्योगों और व्यवसायों के विकास से सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक लाभ हो सकते हैं। अधिक उद्योगों की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में वृद्धि होती है और इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।
4. **आर्थिक शक्ति का एकाग्रता कम कर देता है (Reduces Concentration of Economic Power)-** आर्थिक शक्ति औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि का प्राकृतिक परिणाम है। औद्योगिक विकास आम तौर पर होता है। कुछ व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति का एकाग्रता है जिसके परिणामस्वरूप एकाधिकार का विकास हुआ। इस समस्या का निवारण करने के लिए बड़ी संख्या में उद्यमियों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो जनसंख्या के बीच आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने में मदद करेगा।
5. **धन निर्माण और वितरण (Wealth Creation and Distribution)-** यह देश के हित में अधिक लोगों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए धन और आय का न्यायसंगत पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार समाज के बड़े वर्गों को लाभ देता है। उद्यमी गतिविधियां भी अधिक पैदा करती हैं और अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव देती हैं।
6. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना (Increases Gross National Product and Per Capita Income)-** उद्यमी अवसरों की तलाश में हमेशा रहेगा। वे अवसरों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने, पूंजी और कौशल के प्रभावी संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करते हैं, नए उत्पादों और सेवाओं को लाते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाजार विकसित करते हैं। इस प्रकार, वे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में मदद करते हैं। देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यह आर्थिक विकास का संकेत है।
7. **जीवन के मानक में सुधार (Improves Standard of Living)-** लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि देश के आर्थिक विकास की एक विशेषता है। उद्यमियों द्वारा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। बड़े पैमाने पर माल और सेवाओं के विभिन्न प्रकार के उत्पादन में नवीनतम नवाचारों को अपनाना, जो कि कम लागत पर भी है। इससे लोगों को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान का लाभ उठाने में सहायता मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर के सुधार में सुधार होता है।
8. **देश के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देता है (Promotes Export Trade of the Country)-** उद्यमी देश के निर्यात-व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। वे बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से आयात की देनदारी

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाते हैं। इसलिए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन को आर्थिक स्वतंत्रता और विकास सुनिश्चित करना।

9. **पिछड़ा और अग्रिष्ठ संबंधों को प्रेरित करता है (Stimulates Backward and Forward Linkages)**- उद्यमियों को परिवर्तन के माहौल में काम करना और नवाचार द्वारा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करना। जब एक उद्यम को बदलते हुए प्रौद्योगिकी के अनुसार स्थापित किया जाता है, यह देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले पिछड़े और आगे के संबंधों को प्रेरित करता है।
10. **समग्र विकास की सुविधा (Facilitates Overall Development)**- उद्यमियों को परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है जो चेन रिएक्शन में परिणाम करता है। एक उद्यम स्थापित होने के बाद, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया गति में निर्धारित की जाती है। यह इकाई इसके लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की यूनितों की मांग पैदा करेगा और वहां इतनी सारी अन्य इकाइयां होंगी जिन्हें इस इकाई के उत्पादन की आवश्यकता होती है। इसके कारण क्षेत्र में समग्र विकास होता है। मांग में वृद्धि और अधिक से अधिक इकाइयों की स्थापना इस प्रकार, उद्यमियों ने अपनी उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ावा, इस प्रकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्साह का माहौल तैयार किया और एक प्रोत्साहन संदेश दिया।

16.10 औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका (Role of Entrepreneurship in Industrial Development)

किसी भी औद्योगिक विकास कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का है, जो बदले में लोगों के उच्च स्तर के जीवन में परिलक्षित होता है। इसलिए, औद्योगिकीकरण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के स्तर को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण है। यह एक सामान्य तथ्य है कि उद्यमी क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में प्रमुख एजेंट हैं। यह तथ्य साबित हुआ है कि जब तक उद्यमियों को अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जाता है, तब तक उस क्षेत्र के कौशल और संसाधनों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, इससे आर्थिक गति धीमी बनी रहती है।

सामाजिक ढांचे में और सामाजिक व्यवस्था की नकारात्मकता और मूल्य में जो मुख्य बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण समाज विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप चयनित जिलों में औद्योगिक नेतृत्व की कमी होती है। सामाजिक संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें व्यवसायों के कठोर स्तरीकरण औद्योगिक, विस्तार के लिए बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी क्षेत्र में उद्योगों के तेजी से विस्तार के लिए उद्यमियों द्वारा औद्योगिक विकास के प्रयास किए जाते हैं।

16.11 भारतीय उद्यमशीलता का परिदृश्य (Indian Entrepreneurship Scenario)

1991 से पहले, भारतीय व्यवसाय की सफलता महत्वाकांक्षा, लाइसेंस, सरकारी संपर्क, और नौकरशाही प्रणाली की समझ का एक कार्य था। निर्णय बाजार या प्रतिस्पर्धा के बजाय कनेक्शन पर आधारित थे व्यापार लक्ष्यों ने 'स्वदेशी' आंदोलन की निरंतरता को दर्शाया, जिसने पश्चिम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया। 1991 से पूर्व की नीतियां आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की दिशा में आवक और सक्षम थीं। 1991 में, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, इस प्रकार प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बदल रहा है परिवारिक व्यवसाय, जिसने भारतीय बाजारों पर प्रभुत्व किया, अब उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों

से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था जो श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, वित्तीय शक्ति और गहरी प्रबंधकीय संसाधन थे। इस प्रकार, भारतीय व्यवसायों को अपना ध्यान और फिर से उन्मुख अपने दृष्टिकोण को बाहर करना पड़ा। उद्यमियों ने बदलते आर्थिक माहौल के अनुकूल होने और बाजार में अनिश्चितताओं के साथ सकारात्मक ढंग से व्यवहार करने की उनकी क्षमता दिखायी है। हां, उद्यमियों के लिए संयुक्त परिवार की संरचना का निर्माण विश्व बाजार में प्रभावी रूप से विकसित और प्रतिस्पर्धा करने के लिए जारी है। लेकिन अगर यह सफलता कायम रहती है, तो आर्थिक सुधारों को भी जारी रखना होगा।

16.12 भारत में उद्यमिता विकास के लिए अवसर (Opportunities for Entrepreneurship Development in India)

भारत में उद्योग, व्यापार और सेवाओं में गुणवत्ता वाले लोगों की कमी है, जो पूरे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की उच्च स्तर की मांग करता है। देश में उद्यमशीलता के विकास का क्षेत्र बहुत जबरदस्त है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 57वें दौर के परिणाम बताते हैं कि 2001-02 में बेरोजगारी के आंकड़े 8.9 मिलियन के बराबर थे। संयोग से, 1 लाख से अधिक भारतीय 2000-01 और 2001-02 के बीच बेरोजगारों के रैंक में शामिल हुए। भारत में बढ़ती बेरोजगारी की दर (9-2% 2004) में युवाओं के बीच हताशा में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, हमेशा बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए देश में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाना ही एकमात्र सांत्वना है। संयोग से, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई दोनों रिपोर्टों के लिए अगले दस वर्षों में 10 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने व बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए स्व-रोजगार की सिफारिश की है। भारत में, जहां 300 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, किसी भी सरकार के लिए हर किसी के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना असंभव है। इस तरह के हालात निश्चित रूप से समाज से लगातार प्रयास करने की मांग करते हैं, जहां लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है अपने उद्यमशीलता पहल के साथ स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। 20वीं शताब्दी के बाद के उत्तरार्ध में भारत में उद्यमशील गतिविधियों के पैटर्न में काफी परिवर्तन आया है।

16.13 आर्थिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका (Role of Entrepreneurship in Economic Development)

1947 से वर्तमान समय तक भारतीय आर्थिक विकास की प्रगति यह आगे सबूत प्रदान करती है कि व्यक्ति स्व-अस्तित्व और धन के संचय के लिए प्रोत्साहन देने पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा, इस प्रतिक्रिया की प्रकृति आर्थिक जलवायु, विशेषकर सरकार की भूमिका पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था तब तक संघर्ष कर रही थी जब तक कि यह देश के बाहर आर्थिक शक्तियों के साथ थोड़ी बातचीत के साथ सरकारी विनियमन की प्रणाली में आधारित थी। 1990 के प्रारंभ में आर्थिक सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार के लिए मंच तैयार किया।

1992-1993 से 2000-2001 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6-3% की औसत से बढ़ी है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे की दर दोनों में काफी कमी आई है। बेहतर विनियम दर प्रबंधन ने चालू खाता घाटे और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर वित्तपोषण का नेतृत्व किया।

अंत में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय दोनों 1990-1991 से 1998-1999 तक काफी हद तक बढ़ गई। दरअसल, आर्थिक विकास के लिए हाल के एक सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण में से एक उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नए व्यवसायों, नए रोजगार, अभिनव उत्पादों और सेवाओं

और भविष्य में सामुदायिक निवेश के लिए बड़ी हुई धन सहित विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों के लिए उद्यमशील प्रयासों का प्रयास किया गया है।

हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति को देखते हुए, अब देश micro-economic नीतियों के कार्यान्वयन के लिए तैयार हो सकता है जो उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। सौभाग्य से, भारत ने आर्थिक विकास के प्रकार की नींव रखने के लिए अन्य कदम उठाए हैं, जिन्हें उद्यमशीलता गतिविधियों और उचित आर्थिक नीतियों द्वारा ही बढ़ावा दिया जा सकता है जो व्यक्तिगत अधिकारों और जिम्मेदारियों को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में भारत ने दूरसंचार नेटवर्क के निर्माण और राष्ट्रव्यापी सड़क निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं।

भारत अपनी सीमाओं के भीतर उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से अपनी बढ़ते मध्यम वर्ग के भीतर, अतिरिक्त आर्थिक विकास पैदा कर सकता है। न केवल विभिन्न प्रकार के देशों में उद्यमशीलता को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पाया गया है, लेकिन भारत विशेष रूप से अपने विकास में एक बिंदु तक पहुंच गया है जहां यह उद्यमशील प्रयासों के माध्यम से इसी तरह के परिणाम प्राप्त कर सकता है। अन्य बातों के अलावा, भारत उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है जो इसे विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख प्रतियोगी बनने में मदद कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए उद्यमी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को अब इसके लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।

1. शिक्षा विशेष रूप से उद्यमिता कौशल विकसित करने पर,
2. उद्यमशीलता के प्रयासों का वित्तपोषण, और
3. संभावित उद्यमियों और उनके अनुभवी समकक्षों के बीच नेटवर्किंग

जाहिर है, सरकार इन प्रकार के अवसरों को उपलब्ध कराने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह उचित कर और नियामक नीतियों को भी प्रदान कर सकता है और उद्यमियों के प्रयासों और आर्थिक समृद्धि के बीच के संबंध को समझने के लिए भारत के नागरिकों की सहायता कर सकता है। हालांकि, इसकी भूमिका को समग्र रूप से कम किया जाना चाहिए ताकि मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्व-हित का प्रभाव पूरी तरह से महसूस हो सके। केवल समय बताएगा कि अगर भारत में उद्यमी गतिविधियों में वृद्धि हुई तो वास्तव में दुनिया के कई अन्य देशों में मिले आर्थिक लाभ मिलेगा। क्या भारत को आर्थिक विकास को मार्ग बनने का फैसला करना चाहिए, फिर भविष्य के अनुसंधान के लिए भारत के उद्यमी कार्यक्रम के परिणामों की जांच करनी चाहिए, शायद अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अनुसंधान को भी यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि उद्यमशीलता प्रयासों में भारत की सफलता किस तरह विकसित राष्ट्रों से अलग हो सकती है।

16.14 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. भारत में लघु उद्यमों को मंत्रालय के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय)
2. उद्यमी अपने फैसलों से को उत्प्रेरित करता है, जो आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करता है। (व्यावसायिक लाभ या आर्थिक गतिविधियाँ)
3. क्लस्टर विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य का समग्र सुधार करना है। (प्रौद्योगिकी उन्नयन या सामाजिक कल्याण)

निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. भारत में, उद्यमिता के विकास में राज्य और निजी उद्यमिता का सह-अस्तित्व है।
2. उद्यमिता के विकास से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होता।

16.15 सारांश (Summary)

1947 से वर्तमान समय तक भारतीय आर्थिक विकास की प्रगति यह आगे सबूत प्रदान करती है कि व्यक्ति स्व-अस्तित्व और धन के संचय के लिए प्रोत्साहन देने पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा, इस प्रतिक्रिया की प्रकृति आर्थिक जलवायु, विशेषकर सरकार की भूमिका पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था तब तक संघर्ष कर रही थी जब तक कि यह देश के बाहर आर्थिक शक्तियों के साथ थोड़ी बातचीत के साथ सरकारी विनियमन की प्रणाली में आधारित थी। 1990 के प्रारंभ में आर्थिक सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार के लिए मंच तैयार किया।

1992-1993 से 2000-2001 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6-3% की औसत से बढ़ी है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे की दर दोनों में काफी कमी आई है। बेहतर विनियम दर प्रबंधन ने चालू खाता घाटे और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर वित्तपोषण का नेतृत्व किया। अंत में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय दोनों 1990-1991 से 1998-1999 तक काफी हद तक बढ़ गई। दरअसल, आर्थिक विकास के लिए हाल के एक सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण में से एक उद्यमशील की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नए व्यवसायों, नए रोजगार, अभिनव उत्पादों और सेवाओं और भविष्य में सामुदायिक निवेश के लिए बढ़ी हुई धन सहित विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों के लिए उद्यमशील विकास का प्रयास किया गया है।

16.16 शब्दावली (Glossary)

- **उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development):** देश के आर्थिक विकास में उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास के एक घटक के रूप में उद्यमशीलता के विकास का महत्व लंबे समय से मान्यता प्राप्त करता रहा है। यह 1950 की शुरुआत थी कि उद्यमशील के विकास की आवश्यकता पहले महसूस की गई तब से इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान चला गया है।
- **औद्योगिक क्लस्टर (Industrial Clusters):** क्लस्टर को माइक्रो/छोटे और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रीय और भौगोलिक एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें फोकस/यूनिट स्तरीय विशेषज्ञता और सामग्री के आदान-प्रदान और मानव संसाधनों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विकास के लिए इंटरकनेक्टेड उत्पादन प्रणाली शामिल है।
- **लघु उद्योगों (Small Scale Industries):** छोटे पैमाने के उद्योग को पारंपरिक और आधुनिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है मोटे तौर पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि 'खादी और ग्रामोद्योग', 'हथकरघा', 'हस्तशिल्प', 'कुयर' और 'रेशम उत्पादन' लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र की प्रगति में एक सामरिक भूमिका निभाते हैं। लघु-स्तरीय उद्योग विकसित और साथ ही विकासशील देशों की उत्पादक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसआई का उचित विकास हमारी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programmes):** उद्यमिता विकास को न केवल बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने बल्कि राष्ट्र की समग्र आर्थिक और सामाजिक उन्नति के तरीके के रूप में देखना चाहिए। उद्यमशीलता के व्यापक पैमाने पर विकास न केवल स्वयं-रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है बल्कि इस तरह बेरोजगार युवकों के बीच अशांति और सामाजिक तनाव को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ छोटे व्यवसाय गतिशीलता को भी शुरू करने में, नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

16.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers to Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय 2. आर्थिक गतिविधियाँ 3. प्रौद्योगिकी उन्नयन
निम्नलिखित कथनों में से सत्य / असत्य कथन चुनिये-

1. सत्य 2. असत्य

16.18 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

- Awasthi, D. (1989) - Impact Study of Entrepreneurship Development Programmes conducted by EDI-I: Methodological Issues and Summary Results - Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.
- NISIET: National Institute of Small Industry Extension and Training (1990) - Entrepreneurship Development in North- Eastern Region - Planning, Implementation and Evaluation, Guwahati.
- Singh, M. (1990) - An Evaluation Study of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) - NITCON, Department of Management Studies, Punjab University, Patiala.
- Hamid, S. A. (1989) - Management and Development in Small Scale Industries - Anmol Publications, New Delhi.
- Kuchhal, S. C. (1989) - The Industrial Economy of India - Chaitanya Publishing House, New Delhi.
- Vasant Desai. (2004) - Dynamics of Entrepreneurial Development and Management - Himalaya Publishing House: New Delhi, p.17.
- Report On the Evaluation Of Entrepreneurship Development Institution Scheme- The Ministry of MSME, Government of India, New Delhi.
- Somwanshi S.A. Sickness of Small Scale Industries in Marathwada – Management of Industrial Sickness, Pointer Publisher, Jaipur.
- Bajaj, Shammi (2012) - women entrepreneurs: a new face of India - IJRIM, November 2012, Volume 2, Issue 11, 123-127.
- SIET: Small Industries Training and Extension Institute (1974) - Evaluation of Entrepreneurial /Motivation Training Programme in Assam, (Research Report), Hyderabad.
- Khanka, S.S. (2005) - Entrepreneurial Development - S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
- Ahmed, J. U. (2007). Industrialization in Northeastern Region. New Delhi: Mittal Publications.

- Bharti, R. K. (2008) - Industrial Estate in Developing Economies - National Publishing House, New Delhi.
- Devi, S. A. (1995) - Development of Small Scale and Household Industries in Manipur- During Plan Period – Thesis submitted to Manipur University, Imphar.
- Mahajan, V. (1992) - How Entrepreneurship Development Programmes are Evaluated: An Assessment - Working Paper, Development Management Consultants, New Delhi.
- Gupta, S.K. (1990) - Entrepreneurship Development Training Programme in India - Small Enterprise Management, Vol.1, No. 4: pp.34-Saini, J.S. (1996) - Entrepreneurship Development Programmes and Practices - Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
- Indira Kumari (2014) - A Study on Entrepreneurship Development Process in India - Indian Journal Of Researc, Volume 3, Issue 4, April 2014.
- Agarwal, A. N. (1995) - Indian Economy, Problems of Development and Planning - Wiley Eastern Limited, Delhi.
- Deepthi A. and K. Lavanya Latha (2012) - Growth of Small Scale Entrepreneurship: A Case Study of Nellore District - International Journal of Economics and Management 6(1): 98 – 114.
- Singh Pritam (1966) - The Role of Entrepreneurship in Economic Development: Issues and Policies - Vora and Company, Mumbai, p.228.
- Baruah, R. K. (2005) - Financing Small Scale Industries - Omsons Publications, Delhi.
- Gupta B. L. & Anil Kumar – Entrepreneurship Development (2009) – Mahamaya Publishing House, New Delhi.
- Ahmad, Nisar. (2009) - Problems and Management of Small Scale and Cottage Industries - Deep and Deep Publications, New Delhi.

16.19 उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Text)

16.20 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उद्यमिता विकास को समझाते हुए भारत में उद्यमिता विकास की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए।
2. उद्यमशीलता विकास एवं आर्थिक विकास में लघु उद्योगों के योगदान पर प्रकाश डालिए।
3. उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास के सम्बन्ध पर प्रकाश डालें।

4. आर्थिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका पर टिप्पणी लिखें।
5. भारत में उद्यमिता विकास के अवसरों की समझाये।